भारतीय देशभक्तोंकी—

कारावास-कहानी ।

पण्डित उमादत्त शर्मा द्वारा सङ्कलित ।

सम्पादक—

ब्र० झाबरमल्ल शर्मा ।

प्रकाशक—

राजस्थान एजेन्सी,

८।१, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता ।

सं० १९७८ वि०

द्वितीय संस्करण
२०००

मूल्य २॥) रु०
सजिल्द० ३)

Printed by Satish Chandra Roy at the "Sa machar Press"

AND

Published by B. L. Sharma of the Rajasthan Agency.

8|1, Ramkumar Rakshit Lane, Calcutta.



प्रथम संस्करणका वक्तव्य ।

"कृष्णं वन्दे जगद् गुरुम्"

वर्तमान युगमें भारतीय राष्ट्रके निर्माण-कार्यमें जिन पुरुष-प्रवरोंने अपने आपको उत्सर्ग कर दिया, यह "कारावास-कहानी" उन्हीं महाभागोंका "पुण्य-चरित" है। हिन्दीके राजनीतिक-साहित्यमें शायद अपने ढङ्गकी यह पहली पुस्तक है। इसका महत्व इसलिये भी अधिक समझा जायगा कि जिन देवकल्प देशभक्तोंकी कष्ट-कथाएं इसमें सङ्कलित हुई हैं, वे सब उनकी स्वानुभूति और स्वलिखित हैं। इसके सङ्कलन में बन्धुवर पं० उमादत्त शर्माने बड़ा परिश्रम किया है और मुझे हर्ष है कि उनका परिश्रम सफल हुआ है। इस "कारावास-कहानी" से देशको क्या लाभ होगा, यह तो नीर-क्षीर-विवेकके रहस्यज्ञ समालोचक महोदय बतलानेकी कृपा करेंगे, किन्तु इतना मेरा निवेदन कर देना भी अनुचित न होगा कि भारतीय राजनीतिक कैदियोंके साथ भारतमें, कालेपानीमें और बृटिश-साम्राज्यके दूसरे उपनिवेशोंमें जैसा कुछ बर्ताव होता है, उसका यह छोटासा इतिहास है।

इस पुस्तकका श्रीगणेश युगावतार भगवान् बालगङ्गाधर तिलकसे हुआ है और समाप्ति तपोनिष्ठ महात्मा अरविन्दके पवित्र नामके साथ। इसमें कालक्रम या प्रान्त प्रान्तके हिसाबसे श्रेणी-विभाग करनेका विचार नहीं रखा गया। कुछ मित्रोंकी राय थी कि यदि इसमें अध्याय या परिच्छेदोंका क्रम रख

दिया जाता तो अच्छा होता, किन्तु शीघ्रताके कारण इस बार यह सब नहीं किया जा सकता। यहां तक कि भाषा और प्रूफ संशोधनमें भी अनेक त्रुटियां रह गयी हैं। इसके लिये हम सहृदय पाठकोंसे क्षमाकी प्रार्थना करते हैं।

यहां श्रीअरविन्द घोषके गुणगरिष्ठ कनिष्ठ सहोदर बा० बारीन्द्रकुमार घोषके कृपापूर्ण परामर्श और सहायताका सधन्यवाद उल्लेख करना हम भूल नहीं सकते। 'सुप्रभात'से श्रीअरविन्दकी 'कारा-कथा' गृहीत की गयी है। बारीन्द्र बाबूने इसकी अपूर्णताके सम्बन्धमें कहा है कि जितनी है यही पर्याप्त है, अब इसके पूर्ण होनेकी आशा नहीं है। अस्तु, बारीन्द्र बाबूने स्वयं इस पुस्तककी भावपूर्ण भूमिका लिखकर इसके महत्वको और भी बढ़ा दिया है। इसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं।

पं० उमादत्तजी शर्माने इस पुस्तकके सम्पादनका भार मुझे देनेकी कृपा की है, किन्तु वास्तवमें इसके सम्बन्धमें जो कुछ परिश्रम है उन्हींका है, मुझे अधिक कुछ भी करना नहीं पड़ा। यदि इससे हिन्दी भाषी-जनताको देशके प्रति अपना कर्त्तव्य समझनेमें कुछ भी सहायता मिलेगी, तो मैं अपना और अपने मित्रका परिश्रम सार्थक समझूंगा।

'कलकत्ता समाचार'
कार्यालय
मार्गशीर्ष शुक्ला १२, संवत् १९७७ वि०

झाबरमल्ल शर्मा

श्रीहरिः।

सम्पादकीय निवेदन।

(द्वितीय संस्करण)

'कारावास-कहानी' को हिन्दी-संसारने इतना अपनाया है कि दो मासमें ही पहला संस्करण शेष हो गया और आज कई दिनकी देरीके बाद परिवर्द्धितरूपमें दूसरा संस्करण लेकर हम पाठकोंकी सेवामें उपस्थित हुए हैं। हिन्दीके प्रायः सभी प्रतिष्ठित संवादपत्रोंने समालोचनाके रूपमें 'कहानी' की प्रशंसा की और हमारा उत्साह बढ़ाया, इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतज्ञ हैं। इस संस्करणमें कई और देशभक्तोंकी कारा-कथाएं सन्निविष्ट कर दी गयी हैं, कुछ नये चित्र भी (जो मिल सके) दे दिये गये हैं, किन्तु हमें खेद है कि देशके लिये कष्ट सहनेवाले कई एक और सज्जनोंकी करा-कथाएं इच्छा होने और प्रयत्न करनेपर भी इस बार देनेमें हम समर्थ नहीं हो सके।

इस समय पुरानी स्थिति बदल गयी है। महात्मा गन्धी-प्रवर्तित असहयोग-आन्दोलनका प्रवाह गङ्गाकी धाराकी तरह बढ़ रहा है। स्वदेश प्रेमसे अनुप्राणित होकर स्वराज्य प्राप्तिके शान्ति-संग्राममें देशवासी अवतीर्ण हो रहे हैं। सरकार भी अपनी दमन नीतिका चक्र चलाकर देशभक्तोंको जेलमें ठेल रही है! भारतवासियोंने जेलको 'तीर्थ' समझ लिया है। उनकी दृष्टिमें कारावास परमपद—स्वराज्य प्राप्त करनेकी भूमिका है।

'कारावास-कहानी'के तृतीय संस्करणमें उन नये तीर्थ-यात्रियोंकी पुण्यकथा भी सन्निवेशित करनेका हम विचार कर चुके हैं और इससे 'कहानी' के आकारमें दुगुनी तिगुनी वृद्धि हो जानी सम्भव है। पाठक पढ़नेके लिये तैयार रहें।

हां, एक हर्षकी बात और सुना देना चाहते हैं, 'कारावास-कहानी' केवल हिन्दी भाषियोंको ही पसन्द नहीं आयी है, मराठी भाषाभाषियोंने भी इसको पसन्द किया है और मराठीमें अनुवाद प्रकाशित करनेको हमसे अनुमति ली गयी है। यह हिन्दीके लिये गौरवकी बात है। भाषा और प्रूफ सम्बन्धी अनेक त्रुटियां इस बार भी दूर नहीं की जा सकीं, इसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैं।

कलकत्ता-समाचार
आफिस,
भाद्र शु० पूर्णीमा,
१९७८ वि०

भूमिका ।

युग युगमें लोक-तारणके लिये भगवान्‌की ज्योति प्रकटित होती है। वर्तमान युग भी उनके लीलावतारका है।

विश्व-शक्तिके सङ्केतसे निद्रित भारतको अपना लीला क्षेत्र बनानेके लिये यहां पाश्चात्य भावोंका प्रवाह आया था। जिस दिन विश्व-मानव भारतमें पूर्णरूपसे प्रकटित होंगे, उसी दिन यह प्रवाह विरत हो जायगा।

भगवान् कोई विचित्र वस्तु नहीं हैं। जिस तत्व नर-रूपसे वे विराजते हैं, वह मनुष्यत्वकी अनन्तता ही जगच्छक्ति है। जीव ही आत्म-प्रकाशसे शिव हो जाता है। भारतमें धर्मराज्य संस्थापनके लिये लीला प्रकट करनेकी जिस जिस पुरुषमें प्रेरणा हुई, यह *'कारावास-कहानी'* उन देशभक्तोंकी जीवन-कथा-रूप है।

युरोपमें राजनीति, समाज, धर्म—सब पृथक् पृथक् हैं और उन सबका उद्देश्य है ऐहिक सुख एवं ज्ञानका प्रसार। देह और मनके भोगवादी युरोपकी इस सभ्यताका फल पिछले महासमरमें प्रकट हो चुका है। स्वार्थमूलक सभ्यता संसारको शान्ति नहीं दे सकती। भारतकी सभ्यतामें धर्म, समाज वाणिज्य, राजनीति अलग नहीं है। हमारे लिये सबका मूल है एक धर्म और अवशेष सब उसके अङ्ग। हमारे यहां धर्म, समाज, राजनीति—प्रत्येक वस्तु यदि आत्मानुभूतिकी परि-पोषक न हुई तो सब व्यर्थ हैं। यही कारण है कि समस्त संसारको भारतकी सभ्यता ही शान्ति दे सकती हैं।

पहले मृतप्राय भारतमें पश्चिमी प्रवाहने आनकर हमें अपने रङ्गमें रङ्ग लिया। यह भी एक भगवान्‌की ही लीला थी। जो हो, युरोप परमार्थ छोड़कर ऐहिकका प्रसार करनेमें पूर्ण जीवन

नहीं पा सका। भारतने भी ऐहिक छोड़ परमार्थमुखी बन इह—परमार्थ—दोनों खो डाले! हमारी और युरोपकी—दोनों सभ्यताएं डेढ़ सौ वर्षसे मिली हैं। इसी संयोगसे युरोप और भारतमें पूर्णता आयेगी। अब मानवहृदय यह समझनेवाले हैं कि इहार्थ (दृश्य जगत्) है नाम और रूप, एवम् परमार्थ है आत्मतत्त्व। दोनोंके मिलनसे ही पूर्ण धर्म बनता है।

भारतका सामञ्जस्य धर्म धीरे धीरे प्रकट होता है। राजनीतिका युग बीत गया, अब परमार्थका युग आया है। इसीलिये आज महात्मा गांधी और श्रीअरविन्दने भारतवासियोंके हृदयों पर अधिकार किया है।

इस कारावास-कहानीमें अङ्कित पुरुषोंका त्याग-धर्म यदि जाति-शरीरमें प्रसारित हुआ तो मैं अपने सुहृद् पण्डित उमादत्त-शर्माके प्रयत्नको सफल समझूंगा।

अमृतकी सन्तान मेरे देशवासियो, जागो! त्यागसे ही भोग की चरितार्थता मिल सकती है। राजनीतिक मुक्ति उन्हींको मिलेगी जो सब प्रकारसे मुक्त हैं दरिद्रको दीनतासे मुक्त करो। गिरे हुए भाइयोंको क्षुद्रतासे मुक्त करो। पिञ्जरेमें बंधी हुई नारीशक्तिको अज्ञानता और तुम्हारी दी हुई हीनतासे मुक्त करो। अपधर्म, मिथ्या आड़म्बर-धर्मसे ब्राह्मणको मुक्त करो। इसके बाद राजनीतिक-मुक्ति अपने आप तुम्हारी सेवादासी बन जायगी। जीवितको कोई बद्ध नहीं कर सकता। जागे हुए घरमें कोई चोरी नहीं कर सकता।

१२-१२-२०
कलकत्ता।

इति—

देश-भाइयोंके प्रेमका भिखारी—

श्रीवारीन्द्रकुमार घोष।

विषय-सूची।



लोकमान्य तिलक।
बम्बई हाईकोर्टको उत्तर देकर जेल-यात्रा करते समय।

भारतीय देशभक्तोंकी—

कारावास कहानी।

लोकमान्य तिलक जेलमें।

पहले मैं बम्बईके प्रेसीडेन्सी जेलमें रहा। बादमें येराडा-जेलमें भेजा गया। यहां मुझे ऊनका सूत रङ्गने और कातनेका काम दिया गया। यहां 'मराठा' और 'केसरी' कटे फटे हुए पढ़नेको मिलते थे। मुझे युरोपियन वार्डमें रखा गया था। कोठड़ी दश फिट लम्बी और आठ फिट चौड़ी थी। मेरा बिस्तर दो कम्बल थे। मुझे रातको पुस्तकें पढ़ने और तीन घण्टे तक तेल जलानेकी आज्ञा मिली हुई थी। कुछ पुस्तकें मेरे पास रहती थीं,—शेष सब जेलके आफिसमें रखनी पड़ती थीं। मैं वहां अधिक दिनतक ऋग्वेदका स्वाध्याय करता रहा।

जब मैं बम्बईके जेलमें था तो मुझे भोजनकी बड़ी शिकायत थी, केवल खुश्क रोटी और पानीपर भरोसा करना पड़ता था। क्योंकि प्याज और लहसुनसे मुझे बड़ी घृणा थी, इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत शीघ्र मेरा वजन घट गया। इसपर डाक्टरने शिकायत करने पर भोजनमें परिवर्त्तन कर दिया। एक पौण्ड दूध और आधी छटांक घी भी मिलने लगा था। और अन्ततक मिलता रहा। युरोपियन कैदियोंको दूध, चाय,

बिस्कुट तथा मांस सब कुछ मिलता था। हमें सप्ताहमें एक बार गेहूंकी रोटी, दाल और नित्य सुबहको बाजरेकी रोटी, दाल तथा शामको सब्जी और वही रोटी!

जेलमें आज्ञाके बिना कोई व्याख्यान नहीं हो सकता। जेल-कर्मचारियोंकी आज्ञानुसार काम करनेसे उसीके अनुसार आचरण न होनेपर बेत, उपवास, एकान्तवासकी सजायें दी जाती हैं। मेरे साथ अच्छा सुलूक किया जाता था और मेरा हर तरहसे ध्यान रखा जाता था। मुझे कभी कोई सजा नहीं भुगतनी पड़ी।

जेलके कपड़े तथा मकान बड़े सड़े हुए रहते हैं। बम्बई में जब पहिलीबार प्लेग का प्रकोप हुआ तो जेलमें भी वह फैलने लगी थी, किन्तु मेरी अनुमतिसे वहां सुपरिण्टेण्डेण्टने खूब अच्छी तरह सफाई करा दी थी, जिससे प्रकोप शान्त हो गया।

× × × ×

जेलमें बुरेसे बुरे आदमी होते हैं। वहां भी वे कुछ न कुछ उपद्रव करते ही रहते हैं। अगर मैं जेलर होता, तो ऐसे आदमियोंके साथ कभी अच्छा वर्त्ताव न करता।

+ × × +

भारतके जेलोंमें राजनीतिक कैदियोंकी बहुत बुरी दशा होती है। खुंखार, खून और जूवाचोरीके अपराधोंमें कैद हुए युरोपियनोंके साथ बहुत अच्छा वर्त्ताव होता है और भारतीय राजनीतिक कैदियोंसे बुरा वर्त्ताव होता है। यह अन्याय है और वह दूर होना चाहिये। (केसरीसे सङ्कलित)



महात्मा गान्धी, जेलसे आते समय ।

महात्मा गांधीकी जेल-कहानी।



(जेलके अनुभव)

१ जनवरी सन् १६०८ शुक्रवारके दोपहरको मुझे मेरे कुछ अन्य साथी स्वदेशवासियोंके साथ, दो मासकी साधारण कैदकी सजा इस अपराधके कारण दी गई कि हमने 'एसियाटिक एमेएड-मेएटला' के अनुसार रजिस्ट्रीका सार्टीफिकेट नहीं लिया था। जोन्सवर्ग में सबसे पहिले मेरा मुकद्दमा पेश हुआ। हुक्म सुनने और कुछ देर कैदियोंके अहातेमें खड़े रहनेके बाद एक कैदियोंकी सींखचोंकी बन्द गाड़ीमें सवार कराया गया। जब मैं गाड़ीपर लेजाया गया, तब अदालतके बाहर हजारोंकी संख्यामें लोग बाहर खड़े फैसलेकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पर मुझे चुपचाप अदालतसे गाड़ीमें बैठाकर जेलकी ओर रवाना किया गया। मेरे मनमें अनेक तरहके सङ्कल्प-विकल्प उठ रहे थे। पहिले मुझे ख्याल आया कि मुझे मेरे स्वदेशवासियोंके साथ रखा जायगा या क्या होगा ?

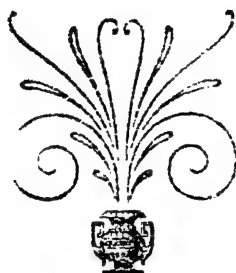
जेलके दरवाजेपर जब गाड़ी पहुंची तब हम लोगोंको उतारा गया और 'स्वागत-भवन'में पहुंचाया गया। वहांपर हमारे नाम दरजरजिस्टर हुए, हमारे अंगूठोंके निशान लिये गये तथा नाप ताल करके और हमारे असली कपड़े उतारकर जेलकी वर्दी पहनाई गयी और पुलिसको हमारी पहुंचकी रसीद एक पर-

वानेके रूपमें दे दी गयी इसके बाद हम लोगोंको अफ्रीकाके वहसियों या जङ्गलियोंकी कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया! हममें कितने ही उच्च-शिक्षाप्राप्त यथा कुलीन भारतवासी थे, पर उनकी किसीकी भी जङ्गलियोंसे अधिक कुछ कद्र नहीं समझी गई।

जिस कमरेमें मैं बन्द किया गया था, उसमें १६ आदमियोंके रहनेकी जगह थी। रोशनीका कोई उचित प्रबन्ध नहीं था। रातके लिये हमें एक डोल तथा एक टीनका ग्लास दिया गया। हमारे बिस्तरके लिये लकड़ीके तखत, दो कम्बल, बोरिया और सिरहानेके लिये 'माफी'! हमारी दरख्वास्त पर गवर्नरने एक मेज और दो बेंचें हमारे कमरेमें और रख देनेकी अनुमति दे दी।

सुबह ६ बजे हमारी कोठरियां खोल दी जाती थीं, और शामको बन्द कर दी जाती थीं। हमें ६ छटांक खाना दिया जाता था। हममें से कई आदमी उसे खा भी नहीं सकते थे, और न इनका पेट ही भरता था। रविवारको ६ छटांक मांस भी मिलता था, पर हम लोग उसे नहीं खाते थे, इसलिये उसके बदलेमें पाव भर आलू ले लेते थे। खाने पीनेमें बड़ी गड़बड़ी थी,पर हम लोग कोई किसी तरहकी प्रार्थना नहीं करना चाहते थे। गवर्नरने एक दिन हमसे जेलमें आकर पूछा कि कोई शिकायत तो नहीं? इसका उत्तर यह दिया गया कि सब अच्छा है।

इसके बाद बहुत दिनतक वह खानेका पहिला इन्तजाम न रह सका और किसी तरहसे—तीन मास बिताकर हमने छः मासकी यह कारावासकी जीवनी समाप्त की।



बा० बिपिनचन्द्र पाल।

जो बर्त्ताव मेरे साथ प्रेसीडेन्सी और बक्सर जेलमें हुआ, मैं उसकी निन्दा नहीं करूंगा मेरे साथ कृपापूर्ण व्यवहार किया गया। जो दो एक कष्ट हुए भी थे, शिकायत करनेपर रफा हो गये। मुझे लिखने पढ़नेकी आज्ञा थी। अधिकतर मैं लिखने पढ़नेमें ही लगा रहता था। मेरे पत्र मुझे दिये जाते थे और मैं सहर्ष पत्र लिख सकता था ; किन्तु मासभरमें एक बार! मुझे सब काम करनेका अपनी ही अनुमतिके अनुसार पूर्ण अधिकार था। जब प्रातःकाल मेरी इच्छा होती—उठ जाता और शामको नींद आती ; सो जाता था। जेलके कम्पाउण्डमें मैं सैर भी करता था; सुबह पीनेको चाय मिलती थी ; परन्तु रातको कैद-कोठड़ीमें बन्द होना अनिवार्य था!

मैं प्रथम श्रेणीका कैदी था ; परन्तु मुझे उसकी खुराक नहीं मिली। मुझे बीमारोंका पथ्य खानेको मिलता था। बक्सर जेलमें नये सुपरिण्टेण्डेण्टके आनेपर मुझे साधारण कैदियोंका भोजन मिला। उससे मेरी तबियत खराब होने लगी, तब मैंने शिकायत की, इसपर फिर मुझे बीमारोंका भोजन मिलने लगा।

शायद यह राजद्रोह न होगा—यदि मैं यह कहूं कि जेलके डाक्टरको ही जेलका सुपरिण्टेण्डेण्ट बनानेकी प्रणाली ठीक नहीं है। इससे कैदियोंपर बड़ा अत्याचार होता है। बद-



श्रीयुक्त बा० विपिनचन्द्र पाल।

माश कैदी यहां आकर और भी बदमाश हो जाते हैं। कैदियोंका यहांपर कोई किसी तरहका सुधार नहीं होता!

× × × ×

मेरे छुटकारेकी तारीखको जेलके कानूनके अनुसार—आफिसमें आते ही—सुपरिण्टेण्डेण्टको मुझे रिहा कर देना चाहिये था, पर वह बेपरवाहीके साथ दो घण्टे तक कैदियोंकी परेड देखता रहा—और मनोरञ्जन करनेके बाद—मेरे रिहा करने के—कागजोंपर हस्ताक्षर किये। इसके बाद मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे कितने रुपये हैं। यह पूछना सरासर मूर्खता थी। क्योंकि छः मास पहिलेका हिसाब मुझे क्या याद रह सकता था। उसने मेरी उस रकममेंसे मनमाने तौरपर खर्च काटकर बाकी रुपया मुझे दे दिया। इस खर्चमें मेरा और मेरे साथी दो पुलिसमेनोंका किराया भी शामिल था! मैंने कोई आपत्ति नहीं की—और मैं रिहा होकर घर चला आया।

(स्टेट्समेन)



लाला लाजपतराय।

("मेरी जलावतनीकी दास्तान" से सङ्कलित)

मैं १६ मई १६०७ को लाहौरसे गिरिफ्तार होकर माण्डले पहुंचाया गया। पहिले गाड़ीपर सवार होकर दो पुलिस आफिसरोंके साथ माण्डलेके किलेके सुपरिण्टेण्डेण्टके बङ्गलेमें पहुंचाया गया। ३५०)के नोट और मेरी एक घड़ी मेरे साथके लाहौरी गोरे पुलीस इन्स्पेक्टरने-सुपरि० जेलको देकर उनकी और मेरी रसीद ले ली और वे दोनों अफसर चले गये। इसके बाद सुपरि० जेलने मुझे एक साफ और अच्छे कमरेमें रहनेको जगह दी। वहां दरी, मेज, कुरसी, नवारका एक पलङ्ग और दो चादरें तथा दो जेलके कम्बल बरतनेको दिये गये। मेरे साथ सुपरि० जेलका वर्त्ताव सहानुभूतिपूर्ण था। मेरी जांच पड़ताल करनेके लिये एक बर्मी सब-इन्स्पेक्टर पुलीस तथा एक सिपाहियोंका दस्ता नियुक्त किया गया। सुपरि० जेलने मुझसे,बचन ले लिया था कि मैं भागूंगा नहीं। एक दिनकी बात है, कि मैं स्नान करनेकी जगह स्नान कर रहा था, पुलिसवाले मेरे रहनेकी जगह खाली देखकर बहुत घबराये, और मेरे बोलनेपर कहीं शान्ति मिली। एक दिन डिपुटी कमिश्नर तथा कमिश्नर मुझसे मिलने आये। उन्होंने पूछा कि किसी वस्तुकी इच्छा तो नहीं। इसपर मैंने कुछ कपड़े मांगे—जो बनवा दिये



देशभक्त श्रीयुक्त लाला लाजपतराय।

[जलावतनीसे वापसी पर]

गये। खानेके लिये—पहिले तो मुझे अङ्गरेजी ढङ्गका खाना मिलता रहा, पीछे एक मद्रासी छोकड़ा रसोई बनाने लगा। मुझे सिपाहियोंकी देखरेखमें घूमने फिरनेकी आज्ञा थी, किन्तु मैंने इससे कभी लाभ नहीं उठाया। दो तीन दिनके बाद मुझे दूसरी सड़कके किनारेवाले कमरेमें स्थान दिया गया। कई बार मैंने देखा, सड़क परसे कई पञ्जावी इधर उधरसे होकर मुझे देखते हैं—और एक दो बार मुझे सलाम भी किया; किन्तु मैंने सङ्केतसे यथोचित उत्तर देकर उन्हें हट जानेको कहा, किन्तु वे बड़ी उत्सुकतासे मुझे देखते रहे।

नये मकानमें जाकर भी पहिलेकी तरह सब सामान मुझे मिल गया था और मोमबत्तीकी जगह एक लेम्प भी मिल गया था। एक बार मैंने कहा कि वायु ठीक आनेके लिये मेरा बिस्तरा ऊंचा कर दिया जाय; परन्तु यह निवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं समझा गया!

मैं यह कह चुका हूं—कि एक मद्रासी छोकड़ा मेरा खाना बनाने लगा था तथा एक एक भङ्गी, भिस्ती, नाई और धोबी भी काम करनेके लिये नियुक्त किये गये थे।

पहिला मास समाप्त होने पर उन लोगोंने वेतन मांगा। मैंने कहा सुपरि० जेलसे मांगो। उन्होंने वैसाही किया। एक दिन सुपरि० जेलने मुझसे कहा कि इन लोगोंको वेतन क्यों नहीं मिला। मैंने कहा कि रेगुलेशन नं० ३ सन् १८१८के कानूनके

अनुसार इन लोगोंका वेतन गवर्नमेण्टको देना चाहिये। इसपर सुपरि० जेल बहुत नाराज हुआ। उसने कहा कि—मैं भी स्वयम् कानूनसे कुछ कम नहीं हूं। दाढ़ी मुंड़ाना जरूरी नहीं है। न गवर्नमेण्ट इसका खर्च देनेके लिये पाबन्द है। दूसरे मैं भारतीयोंके रस्मोरिवाज खूब जानता हूं। मुसलमानोंके (?) लिये डाढ़ी मुंडवाना अनिवार्य हो सकता है, हिन्दुओंके लिये नहीं। दूसरे क्या आप अपने घरपर भी रोज रोज नाई रखते थे ?—ये सब बातें सुपरि० एकबार कह गया—और मैं सुनता रहा। मैंने कहाः—वेतन देनेकी तो कोई बात नहीं है—न मैं इन छोटी छोटी बातोंकी शिकायत ही करना चाहता हूं। नहीं हो सकता तो आपके पास जो मेरा रुपया जमा है, उसमेंसे इन लोगोंका वेतन दे दिया जाय। इसपर भी जब सन्तोष नहीं हुआ तो—मेरे ही हाथसे उन लोगोंको वेतन दिलाकर उसे सन्तोष हुआ !

थोड़े ही दिन बाद सुपरिण्टेण्डेण्टका पारा उतरा तो उसने स्वयम् सब लोगोंको वेतन देना आरम्भ कर दिया। इसी तरहसे कई मास बीत गये—तो अक्टूबरमें जब गर्मी पड़ने लगी और रातको ठीक नींद भी न आती थी, तब मैंने एक दरख्वास्त की कि मेरे पास एक नौकर और रखा जाय, जो जरूरत पड़ने पर पङ्खा कर सके; परन्तु इसका कुछ नहीं हुआ। हां इससे सुपरि० जेल और भभक उठा। और कहा गया कि यह एक कैदीकी असाधारण दरख्वास्त है ! इसपर जब वह कुछ ठण्ढा हुआ तो मेरे भोजन बनानेवालेको ही वहां सोनेके लिये आज्ञा

दी गई ; पर उसने उसे स्वीकार नहीं किया। तब मैंने भी सन्तोष किया और जो कुछ कष्ट होता था, उसे सहन करना आरम्भ कर दिया।

एक दिन डिपुटी कमिश्नरने आकर पूछा कि कोई किसी तरहकी शिकायत तो नहीं। इसपर मैंने कहाः—वायसरायको मैंने एक दरख्वास्त देकर कहा था, कि मेरे लिये एक पञ्जाबी रसोइया चाहिये और मुझे स्वयम् देशसे एक नौकर बुला लेनेकी आज्ञा दी जाय, परन्तु वह स्वीकार नहीं हुई। मदरासी छोकड़ा जो भोजन बनाता है, ठीक तौरपर हजम नहीं होने पाता। ये सब बातें सुनकर डिपुटी कमिश्नर चला गया। अगले ही दिन सुपरि० जेल भी आये—और उनसे भी यही बातें हुईं। उनका पारा कुछ उतरा हुआ था, इसलिये मेरी सब बातें कमिश्नर साहबको लिख भेजीं। इसपर रंगूनसे एक बूढ़ा पञ्जाबी सिक्ख भेजा गया। पर वह खाना बनाना नहीं जानता था ; इसलिये दो चार दिनके बाद वह भी बिचारा वापस चला गया और फिर वही मदरासी भोजन तैयार करने लगा—तथा अन्त तक यही प्रबन्ध जारी रहा।

मुझपर दो सर्कारोंकी हुकूमत थी। जेलमें सुपरि० जेलकी और बाहर भ्रमण करने जाऊं, तो पुलीस सुपरि० की। इस लिये जब सरदार अजीतसिंह भी माण्डलेमें लाकर नजरबन्द कर दिये गये, तो वहां भी बाहरकी सड़कोंपर खूब कड़ा पहरा रहने

लगा। और हम लोगोंको कहीं बाहर भीतर घूमनेमें बड़ी अड़चन पड़ी।

सुपरि०जेल कभी कभी मुझपर प्रसन्न भी हो जाता था। एक बार उसने मछलियां पकड़नेका एक कांटा भी मंगा दिया था। जिससे दिन काटनेमें सुभीता रहे। दो चार बार मैंने मछलियां पकड़नेकी चेष्टा की—पुलिसके कांस्टेबल भी मेरी सहायता करते थे; परन्तु—कभी सफलता नहीं हुई।

मैं जबसे पुलिसकी हिरासतमें आया था, सख्त निगरानी की जाती थी। सिवा सरकारी अफसरोंके मुझसे कोई मिल जुल न सकता था। सड़क और किलेके चारों ओर कड़ा पहरा रहता था। पहरेदार भी किसी कामसे यदि मेरे पास आता था; तो उसकी पहिले तलाशी ले ली जाती थी। इसी तरहसे मेरा पत्रव्यवहार भी देखकर होता था; परन्तु कोई अखबार मेरे पास तक नहीं पहुंच पाता था। एक बार दो एक गोरे पुलिस सार्जेण्ट अपने पढ़नेके लिये कुछ समाचारपत्र ले आये थे, जब सुपरि० ने देखा तो उनको खूब फटकार बताई। वे बेचारे अखबार फेंक देनेको विवश किये जानेपर चुप हो गये।

× × ×

मेरे साथ मेरे किसी सम्बन्धीको भी मिलनेकी आज्ञा नहीं

थी। एकबार पञ्जाबके लाट साहेबसे मुझसे मिलनेके लिये मेरे भाई ला० धनपतरायने अनुमति मांगी,—तो नहीं मिली।

पहिले मेरे साथ पुलिसके दो एक पहरेदार रहते थे—पीछे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। उनको मेरे साथ हर समय सशस्त्र रहनेकी आज्ञा थी। पञ्जाबी तथा दूसरे भारतीय पुलिसवाले भी मेरे काममें नहीं लगाये जाते थे। बर्मी और गोरी पुलिस ही मेरे पहरेके लिये तैयार रहती थी। दूसरे और और कामोंमें जहां पञ्जाबके आदमी पुलिसमें काम करते थे, उधर जानेसे मुझे हमेशा रोका जाता था।

यद्यपि जिस सड़कपर होकर—मैं घूमने फिरने जाता था—वह एक तरहसे वन्द थी, किन्तु तब भी बहुतसे आदमी उधर निकल आते थे और न मालूम क्यों मुझे सलाम करने लगते थे—और कभी कभी वे मार भी खाते थे; पर यह सलाम का रोग बढ़ता ही जाता था। एक बार जब मैं सड़कपरसे जा रहा था, तब मुझे दो पञ्जाबी सामनेसे आते दीखे। मैंने चाहा कि मैं किसी तरहसे पीछे ही हट जाऊं; परन्तु मैं ऐसा न कर सका। परिणाम यह हुआ कि उनमेंसे एक आदमीने मुझे झुककर तथा एकने जमीनपर मस्तक रखकर अभिवादन किया। बस इसी अपराधपर उनको गिरिफ्तार कर लिया गया। सुपरि० पुलिसके सामने पेश होनेपर एकने तो इधर उधरकी बात कहकर अपना पिण्ड छुड़ाया; परन्तु दूसरा झूठ न

बोल सका। उसने मेरी ओर सङ्केत करके कहा कि मैं एक पञ्जाबी ठेकेदार हूं और रंगून रहता हूं, यहां किसी कामसे आया था। अकस्मात् इधर निकल आया, बस यही मेरा दोष है। इसपर सुपरि० ने कहा कि भविष्यमें ऐसा न करना। ठेकेदारने कहा कि साक्षात्कार होनेसे मैं ऐसा अवश्य करूंगा। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जो मुझे ऐसा करनेको बाध्य कर सके, इसपर उसे बहुत तङ्ग किया गया और छोड़ दिया गया।

ऊपरकी इस घटनासे मुझे बड़ा दुःख हुआ और मैंने यह उचित समझा कि सैर करना मैं छोड़ सकता हूं, पर स्वदेश-वासी भाइयोंका यह अपमान सहन नहीं कर सकता और ऐसा ही मैंने किया, किन्तु तव भी लोग पीछा नहीं छोड़ते थे। सड़कपर घूम फिरकर प्रायः बहुतसे इधर उधरसे झांका करते। तथा पुलिसवालोंके देखलेनेपर दुःख उठाते थे। इसी बीचमें मुझसे बाहर का जानेका कारण सुपरि० पुलिसने पूछा,—मैंने कहा कि मैं रोज रोज अपने देशभाइयों-का अपमान नहीं देख सकता ; इसपर उसने कहा कि भविष्यमें ऐसा नहीं होगा; किन्तु खेद है वह बराबर होता ही रहा। कभी कभी बहुतसे कर्मचारियोंके छोटे छोटे मदरासी लड़के श्रेणी-बद्ध होकर खड़े हो जाते और बड़ी नम्रतासे अभिवादन करते मैं उनकी कमर ठोक देता और पैसे देकर बिदा हो जाता।

इसी तरहसे एक दिन प्रातःकाल चार बजे मैं बैठा कुछ सोच रहा था, मेरे कानमें एक सिक्खकी आवाज आई, वह 'जपजी'का पाठ कर रहा था। पुलिसवालोंने समझा कि वह कुछ 'सन्देश' मुझे पञ्जाबी भाषामें दे रहा है। यही समझ कर उसे पाठ करनेसे रोका गया! दूसरी घटना इससे भी विचित्र थी। एक दिन कुछ पञ्जाबी लड़के पशु चराते हुए पञ्जाबी गीत गा रहे थे। मेरे मनमें आया कि मैं अपनी मातृभाषामें उनके गीत सुनूं — और यही समझ कर उन अशिक्षित बालकोंके पञ्जाबी गीत सुनने लगा। मेरे साथी पुलिस आफिसरोंने उन लड़कोंको बहुत दूरतक भगाया और भय दिखाकर भविष्यमें उन्हें ऐसा घोर अपराध करनेसे मना कर दिया गया!

× × ×

ऐङ्गलो इण्डियन समाचार पत्रोंमें मेरे सम्बन्धमें जो विष उगला जाता था, उससे सुपरि० तथा अन्यान्य गोरे अफसर दिनों दिन नाराज होते गये और यद्यपि वे लोग मुझे जानबूझकर किसी तरहका कष्ट न देते थे, किन्तु भय भी उनके ऊपर बहुत बुरी तरहसे सवार था। उसी गड़बड़में कभी कभी वे लोग ऐसे बन्धन तथा बाधायें उपस्थित कर देते थे, जिनसे मुझे कष्ट होता था।

+ + +

बिल्लीके दो बच्चे कहींसे उस कमरेमें आकर रहने लगे थे। कभी कभी जब पढ़नेसे जी ऊब उठता था, तो मैं उनसे

मन बहलाव करने लगता था। ११ नवम्बरको दोनों बच्चे कहीं इधर उधर घूमने चले गये थे, किन्तु मेरे अस्वाब सहित मुझे स्टेशनपर पहुंचा दिया गया। मैं उनकी वापसीकी प्रतीक्षा न कर सका, क्योंकि कमिश्नरने कहा था कि 'स्पेशल ट्रेन' तैयार खड़ी है। मुझे बिल्लीके बच्चोंसे मिलकर एकबार बिदायी लेनी थी, परन्तु उधर भी शीघ्रतासे ऐसा न कर सका। मेरे मुंहसे सहसा निकल पड़ा,—

"रिहाईकी घड़ी आ गई। जञ्जीरें अलग अलग करके फेंक दी गई। मेरा समाज लोहेके किवाड़ और एकान्तवास तथा ईंटोंकी दीवारें थीं। उन्हींसे मुझे प्रेम था। जब रिहाई देनेवाले आये, तो दुःख अनुभव हुआ। वे मुझसे दूसरा घर छुड़ाने आये हैं! मैंने वहां—मकड़ोसे मैत्री पैदा की थी। घड़ियों इसे ताना बाना बुनते देखा करता। मैं चूहोंको चान्दनीके साथ खेलते देखता और अपने आपको इनही मेंसे ख्याल करता। हम सब एक ही जगह रहते सहते थे। मैं इनका बादशाह था। मैं चाहता तो इन्हें मार सकता था; परन्तु यह आश्चर्य था कि हम लोग शान्तिपूर्वक रहते थे। मुद्दतकी रफाकतसे जञ्जीरोंके साथ भी उन्स पैदा हो गया था, रिहाई तो नसीब हुई, मगर एक मुद्दतके रफीकोंसे अलग होते हुए सीनेसे एक बार आह निकल गई!"

भारतीय देशभक्तोंकी कारावास-कहानी।



श्रीबारीन्द्रकुमार घोष।   श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय।

भूतपूर्व सम्पादक—'युगान्तर'

कालेपानीकी कहानी।

—;-:*:-:—

[श्रीयुत उपेन्द्रनाथ बन्द्योपाध्याय]

कालेपानीकी जेलमें पहुंचते न पहुंचते, हममेंसे जो ब्राह्मण थे, उनके जनेऊ निकाल लिये गये। हिन्दुस्थानकी जेलोंमें इस किस्मका कोई कायदा नहीं पर कालेपानीकी जेलमें यही कायदा है। जेल तो जगन्नाथका क्षेत्र है—जातिभेद और धर्म तो मर कर कभीका भूत बन गया होगा, पर मुसलमानकी डाढ़ी और सिखकी चोटीपर हाथ साफ नहीं किया जाता,—बिचारे ब्राह्मणोंके जनेऊसे ही दुश्मनी है। इसके अलावा इसका और कोई सबब नहीं हो सकता कि मुसलमान और सिख गंवार हैं और ब्राह्मण पढ़े लिखे या सीधे सादे! खैर जो कुछ हो, अपने जनेऊ उतरवाकर हम भी कैदियोंके साथ कैदी बन गये। मजा तो यह कि किसी ब्राह्मणको जनेऊ उतारनेसे नाहीं करते नहीं देखा! इस दुनियामें जो गिरकर मार खाय, उसे मारनेके लिये सभी हाथ ऊंचे उठाते हैं। बहुत दिनोंके बाद एक पञ्जाबी ब्राह्मण रामरक्षाको जनेऊ उतारनेमें झगड़ते देखा। उसने जेलरसे कहा कि अगर जनेऊ न होगा तो वह खाना न खायगा। वह स्याम, चीन, बरमा और जापान सब जगह घूमा था—इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह

शुद्ध सनातनधर्मी था—लेकिन सचाई और अपने हकके लिये उसने जेलके इस कायदेकी मुखालफत की। कमजोरकी बात को कौन सुनता है—उसका जनेऊ निकाल लिया गया—उसने भी खाना पीना छोड़ दिया। चार दिन वह बिल्कुल भूखा रहा, पांचवें दिनसे नाकमें रबरकी नली डालकर पेटमें दूध उतारा जाने लगा। उस वक्त हड़तालकी लहर बह रही थी, इसलिये रामरक्षा जेलवालोंसे इतना लड़ा था। बरमासे कालेपानी आते हुए रास्तेमें तरह तरहकी तकलीफोंसे उसकी तन्दुरुस्ती पहले ही बिगड़ गई थी, अबकी बार क्षयरोग दिखाई दिया। थोड़े दिन बाद वह सफाखाने भेजा गया और वहीं मर गया!

जो कुछ हो, मर कर जिन्दा रहना हमें न आया। हम मरे नहीं बल्कि जेलका अनाज खाकर जीते रहनेकी हमारी दृढ़ प्रतिज्ञा थी। यह भी कम बहादुरीकी बात न थी। मोटे मोटे रंगूनके चावल—कच्ची और जली रोटी—गले हुए आलू और छोटे छोटे कंकर मिली दाल खाकर जिन्दा रहनेकी प्रतिज्ञा करना हम समझते हैं आसान काम नहीं है—फिर हमने बारह बरस इसे खाकर—गुजारे! वह तरकारी देखकर हमारे देशके भले आदमियोंकी आखोंमें आंसू आये बिना नहीं रह सकते। कलकत्तेसे जहाजमें बैठकर हम चार दिनमें काले-पानी पहुंचे थे— इन चार दिनोंमें हमें खानेके लिये सूखी चनेकी

दाल मिली थी—चार दिनके भूखोंको वह कालेपानीका खाना भी अमृत जैसा लगा था।

जेलमें दाखिल होते ही जेलर साहबने समझा दिया था कि हम किसीसे बात चीत न करें—आपसमें भी न बोलें—अगर बोलेंगे तो सजा पायेंगे। क्योंकि हम "बम केस" के आसामी थे। अब कामका नम्बर था। कालेपानी टापूमें नारियल बहुत पैदा होते हैं—ये सब सरकारकी सम्पत्ति हैं इस लिये इनका कारोबार सरकारी ही है। जेलखानेमें भी नारियलका ही कारोबार होता है। नारियलके छिलकोंको कूटना—फिर उसके तारोंकी रस्सी बनाना। नारियलको कोल्हूमें डालकर तेल निकालना—नारियलकी खोलके हुक्के तैयार करना यही सब जेलखानेके काम हैं इसके अलावा एक बेतका भी कारखाना है, पर उसमें छोटी उमरके लड़के ही काम करते हैं।

बैलकी जगह कोल्हूमें जुतकर घुमाना और छिलके कूटना यही दो काम बड़े सख्त थे। हम जो आदमी बमकेसमें गये थे, उनमेंसे बारीन्द्रकुमार और अविनाशचन्द्र तो कमज़ोर बीमारसे थे, इसलिये उन्हें छिलकेसे रस्सी बनानेका काम दिया गया—पर हम सब लोगोंकी तकदीरमें छिलके कूटनेका काम था। सबेरे उठकर टट्टीसे फारिग होकर हम लोगोंको जरासी गंजी पिलाई जाती थी और इसके बाद

लंगोट कसकर छिलके कूटनेपर जोत दिये जाते थे। हरएक आदमीको बीस नारियलोंके सूखे छिलके दिये जाते थे। छिलकों को एक लकड़ीके तखतेपर बिछाकर लकड़ीको मोगरीसे जोर जोरसे पीटना पड़ता था—पीटते पीटते उनके ऊपरका बक्कल उतर जाता था —तब उन्हें पानीमें भिगोकर फिर कूटना पड़ता था। कूटते कूटते उनके भीतरकी भूसी बिलकुल झड़कर सिर्फ रेसा ही रह जाता था। इन तारोंको धूपमें सुखाकर एक सेरका एक बण्डल बनाना पड़ता था।

पहले दिन हमें इस छिलका कूटनेके कामको समझनेमें ही देर लगी। फिर जब उसे कूटने लगे तब तो कुछ न पूछिये, तमाम हाथमें छाले हो गये। तमाम दिन सिर मारकर किसी तरह आध सेर तार तैयार किये। बलिदानके-बकरेकी तरह कांपते कांपते जब तीन बजे अपने कामका दाखिला करने गये, तब धमकके मारे अकल ठिकाने आ गई। शुद्ध असङ्कोच गालियोंको हजम करनेकी तो कभी आदत थी ही नहीं—आज मालूम हुआ कि इस जेलमें कड़ी मेहनतके बाद गालियां खा-कर जिन्दगी बसर करनी होगी!

सोचकर अकल ठिकाने आ गई। गालियोंकी अजब बहार थी—शरत् बाबूकी साहित्यकी किताबोंमें पढ़ा था कि हिन्दु-स्थानियोंकी गालियां बड़ी सीधी सादी और हृदय तक असर करनेवाली होती हैं। पर जो लेखक और साहित्यसेवी

गालियोंपर लिखना चाहे, उसे चाहिये कि कुछ दिन इस काले-पानीकी जेलमें निवास कर जाय। हिन्दुस्थानी, पञ्जाबी, पठान, बलोची मिलकर जो अपनी सुमधुर भाषामें गाली देते हैं—वह गाली-साहित्य जिसकी तकदीरमें लिखा है, उसके अलावा और कोई उसका मिठास नहीं समझ सकता। सात जन्मतक भी जो हमारे भङ्गी चमार इस गाली-शास्त्रका अध्ययन करें तो भी इतने पारङ्गत शायद न होंगे। गालियोंमें भी इतना साहित्य भरा है, यह पहले मालूम न था।

खैर, छिलके कूटकर और कङ्कर मिली दालका पानी पीकर किसी तरह दिन बिताने लगे, पर देवताओंके बाद उपदेवताओंकी दयासे जिन्दगी किरकिरी होने लगी। बार्डर, पेटी आफिसर और टंडेल और जमादारोंके मारे नाकमें दम था। मामूली कैदी छै सात साल जेल भोगनेके बाद अफसर बना दिया जाता था। यह कैदी अफसर बनकर दूतोंकी तरह नाकमें दम करते थे। रामलाल जरा बैठा है इसलिये मारो उसके दो घूंसे—मुस्तफा आवाज देता ही नहीं खड़ा हुआ है इसलिये उसकी डाढी नोच लो—बकाउल्ला पाखानेसे देरमें निकला, इसलिये उसकी कमरपर दो डण्डे लगाओ जिससे पाखाना जल्दी हो, इसी तरहके प्रयोगोंसे जेलकी बाकायदगी इन लोगोंने कायम कर रक्खी है।

कैदी लोग गलेमें एक छेद बनाकर उसमें पैसे और कौड़ी

रखते हैं—कैदियोंको तङ्ग करके उनसे पैसे कौड़ी निकलवाना इन लोगोंका खास काम था। पर हमारे पास न पैसा था न कौड़ी—हम कहां जायं ? बारीन्द्र बीमार था इसलिये अस्पतालसे उसे १० औंस दूध मिलता था यह दूध वह पेटी अफसर खुदा-दादके मुंहमें डालता था। वह खुदादाद बड़ा नामाजी मुल्ला-शायद खुदाका ही बेटा था ! मूछें कतरे मुंहके भीतर दूध डालकर डाढ़ी पर हाथ फेरते फेरते वह कहता—या बिसमिल्ला ! यह खुदाने क्या अजब चीज पैदा की है !

इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अफसरों-की शिकायत करके कौन अपने सिर भूत बुलावे। जहां रक्षक ही भक्षक हो वहांकी कथा ही क्या ! पर कुछ दिन बाद करीब पांच छः महीनेके बाद नासिक खुलना और इलाहाबादसे दस बारह राजनीतिक कैदी और आ पहुंचे। हम सब राज-द्रोहियोंकी तादाद मिलाकर बीस बाईस हो गई। इसी वक्त एक नये पुच्छल तारेकी तरह नये जेल सुपरिण्टेण्डेण्टका उदय हुआ। उसने आते ही हम कुछ राजद्रोहियोंको कोल्हूमें जोतकर तेल निकलवानेका कायदा बनाया। बिचारे उल्लास-करदत्तको तो सरसोंका तेल निकालनेके लिये कोल्हूमें जोत दिया। यह कोल्हू हमारे देशके कोल्हूकी तरह ही थे। बाकी हेम-चन्द्र, सुधीरचन्द्र, इन्दुभूषणको हाथसे चलानेवाले कोल्हूपर लगाया। एक आदमीको दिनमें १० पौण्ड सरसोंका अध·

वा ३० पौण्ड गोलेका तेल निकालना पड़ता था। बड़े बड़े पहलवान भी कोल्हू चलानेमें हिचकते थे—फिर हम लोगोंकी क्या हालत हुई सो मुंहसे कही नहीं जा सकती। हमारा काम क्या था, पूरी पहलवानी थी। आठ दस मिनटमें ही दम चढ़ जाता और हलक सूखने लगता। घण्टेभरमें तो हाथ पैर मिट्टी हो जाते—मन ही मन सब जेलर और सुपरिण्टेण्डेण्टको गालियां देते पर यह सब बेफायदे था।

हमें कोल्हूमें बैलकी जगह जोतकर तेल निकालना शुरू किया गया—मजा यह कि बैल भी हमीं और तेली भी हमीं ! यह काम क्या—बाकायदा कुश्ती थी। आठ दस मिनटमें दम सूखकर जीभ तालूसे चिपट गयी। एक घण्टेमें हाथ पैर निकम्मे हो गये। गुस्सेके मारे जेलर, सुपरिण्टेण्डेण्ट और सब अफसरोंका श्राद्ध कर डाला—पर यह सब बेफायदे था। दस बजे खानेके लिये जब नीचे उतरा तब दोनों हाथोंमें छाले पड़ गये थे—आंखोंके आगे लाल पीले तिरमिरे आरहे थे—कानोंमें झींगरकी आवाज आ रही थी। उतरकर देखा कि बूढ़े हेमचन्द्र कोनेमें बैठे हैं। पूछा,—भाई साहब क्या हाल है ? भाई साहबने दोनों हाथ दिखाकर कहा 'दारु भूतो मुरारिः' पर हाथ चाहे पत्थर हों या लकड़ी बूढ़े हेमचन्द्रकी आत्माका जोर सदा वैसा ही देखा—चाहे जैसी कड़ी तकलीफ हो पर उन्हें सदा तकलीफें भोगकर आगेका अदम्य निश्चय करते देखा।

जेलमें तकलीफोंसे घबराकर जब हममेंसे कोई कोई कुछ कर गुजरनेका इरादा करता—तब हेमचन्द्र अपने हृदयकी पवित्र शक्ति उसमें भरकर दुःख सहनेके लिये उसे कड़ा कर देते।

हममेंसे दो तीनको छोड़कर ३० पाउण्ड तेल निकालना सबकी ताकतसे बाहर था। बहुत बार तो दूसरे कैदी छिप कर हमारे बदले तेल निकाल दिया करते थे। इसी तरह दिन भर कोल्हू घुमाकर और रात भर आधे मुर्देकी तरह खड़े रहकर एक महीना काटा !

एक महीने बाद हमारा गिरोह कोल्हू परसे तब्दील किया गया—दूसरा आया। पहले सुपरिण्टेण्डेण्टने अविनाशचन्द्रको बीमार और क्षय रोगकी सम्भावना होनेसे कोल्हूसे दूर रखा था—पर उसके तब्दील होकर जाते ही दूसरेने आकर उसे भी कोल्हूपर भेज दिया। इलाहाबादके 'स्वराज्य' के सम्पादक श्रीयुत नन्दगोपालको भी कोल्हू घुमानेपर लगा दिया।

नन्दगोपाल पञ्जाबी खत्री था। लम्बा चौड़ा जवान था। राजद्रोहके अपराधमें दस सालके लिये कालेपानीमें आया था। कोल्हूपर जाकर एडीटर साहबने एक नया फसाद खड़ा कर दिया, पहले तो बोले-'इतने जोरसे मैं कोल्हू नहीं चला सकता।" कोल्हू खूब धीरे धीरे चलने लगा ; नतीजा यह हुआ कि दस बजे तक चौथाई भी तेल न निकला। दस बजे खाना खानेके लिये नीचे आते थे और खाकर मामूली कैदी तो पांच चार

मिनटमें ही कोल्हू घुमाने चले जाते थे, पर जेलके कानूनके मुताबिक दससे बारह तकका समय खाने और आराम करनेका था—पर कैदी न ठहरते थे ? क्योंकि १५ सेर तेल निकालना बड़ा मुश्किल काम था। पर नन्दगोपालको यह डर न था। पेटी अफसरने आकर उसे झटपट खाकर कोल्हू चलानेको कहा। नन्दगोपालने उससे हँसते हुए तन्दुरुस्तीके कायदे कानून समझाकर कहा कि खाना खाकर फौरन काम करनेसे मेदेकी नलियोंपर जोर पड़कर किस तरह हाजमेकी ताकत मारी जाती है—और उसे जब दस बरस सरकार बहादुरका मेहमान रहना है, तब किसी तरहसे अपनी तन्दुरुस्ती बिगाड़कर वह सरकारको बदनाम करना नहीं चाहता। इसकी रिपोर्ट जेलरके पास पहुंची—जेलरने आकर देखा कि नन्दगोपाल डाक्टरोंकी रायके मुताबिक एक एक गस्सेको बत्तीस बत्तीस दफा चबाकर धीरे धीरे गलेके नीचे उतार रहे हैं। जेलर साहबने गरज गरजकर एडीटर साहबको यह बात समझायी कि अगर वक्तपर काम न हुआ बेत मारे जायंगे। वैसे ही हँसकर नन्दगोपालने जेलर साहबसे कहा—'सरकार बहादुरने १०से १२ बजे तकका वक्त खाने और आराम करनेके लिये मुकर्रर कर दिया है—इसलिये मैं राजभक्त आदमी सरकारके कानूनको किसी तरह नहीं तोड़ सकता—बल्कि यह भी देखता रहूंगा कि आप कहीं सरकारके कानूनको न तोड़ दें !—यह कहनेकी

जरूरत नहीं कि जेलर साहब गुस्सेमें गरजते हुए बिदा हुए। खाना खा पीकर नन्दगोपाल उठे। पेटी अफसरने समझा कि शायद अब एडीटर साहब कामपर लगेंगे—पर नन्दगोपाल एक कम्बल बिछाकर मजेसे सो रहा। खूब बकने झकने पुकारने चीखनेसे भी न उठा। सत्याग्रहमें वह महात्मा गान्धीसे कम न था। बारह बजे उठकर नन्दगोपालने कोल्हू चलाना शुरू किया—करीब दो घण्टे चलाया होगा—जब देखा कि सात सेरके अन्दाज तेल हो गया तब बाकी नारियलोंको छोड़ कर अपने मजेसे बैठ गये। अफसरने कहा—अभी तो आधा ही तेल निकला है बाकी आधा कौन निकालेगा।—नन्दगोपालने कहा—'मुझे क्या मालूम कौन निकालेगा? मैं आदमी हूं कोल्हूका बैल तो हूं ही नहीं, जो दिन भर कोल्हू चलाऊं। खानेको तो छै पैसेका भी नहीं देते और तेल निकलवाते हैं १५ सेर!'

जेलके अफसरोंमें तर्जन गर्जन शुरू हुआ, पर नन्दगोपाल वैसे ही हंसते मुंह निर्विकार परमपुरुषकी तरह बातें कर रहा था। सुपरिण्टेण्डेण्टने देखा कि नन्दगोपालसे १५ सेर तेल निकालनेकी उम्मीद ही नहीं है, इसलिये पैरोंमें डण्डा बेड़ी डाल कर दूसरे हुकम तक (Till further order) कालकोठरीमें अकेला बन्द कर दिया गया।

इधर कोल्हू चलाते चलाते अविनाशचन्द्र अधमरा हो गया।

दश बजेके बाद उसको काम करनेकी ताकत ही न रहती। हमारे साथवालोंमें इन्दुभूषण सबसे ताकतवर था। दूसरे कैदियोंसे कह सुनकर वह अविनाशका बाकी काम करवा दिया करता था।

इसी तरह एक महीना और बीता। जेलरने नन्दगोपालसे मामलेको साफ किया। यह शर्त ठहरी कि चार दिन नन्दगोपाल पूरा काम कर दे फिर उसे कोल्हू चलानेका काम न दिया जायगा। नन्दगोपाल भी इस वातपर राजी हो गया और थोड़ा बहुत करके कोल्हू से निकला।

पर अधिक दिन नहीं। कुछ दिन बाद फिर उसे कोल्हू में दे दिया। काम करनेसे फिर उसने इनकार किया—पैरोंमें बेड़ियां डालकर फिर उसे अकेला कालकोठरीमें बन्द कर दिया गया। हुक्म हुआ कि हम सबको फिर तीन दिन कोल्हू चलाना पड़ेगा। एक तो हमारी कैदकी कोई मियाद नहीं—बेमियादी कैद, दूसरे रोज कोल्हू चलानेका डर। हम सबने अच्छी तरह समझ लिया कि यहां कामकाजका बिना एक अच्छा निपटारा किये कालेपानीसे कोई जिन्दा वापस देश न जायगा। सजा तो रात दिन है ही—फिर अपने आप अपनेको सजा क्यों दें? बहुतोंने इस दफा कोल्हू पर काम करनेसे इनकार कर दिया और सत्याग्रह शुरू हुआ।

जेलके हुक्कामोंने भी भयानक शकल बनायी। जेलखाने-

भरमें सत्याग्रह एक आन्दोत्सव था। सजाकी पहली किश्तमें चार दिन सिर्फ चावलका पानी खानेको दिया गया और सात दिन डंडा बेड़ी डाली गयी। जेलके कायदेके मुताबिक जो चार दिनसे जियादा किसीको कभी खानेको नहीं दिया जाता—पर अफसरोंने हममेंसे नन्दगोपाल, होतीलाल और उल्लासरकदत्तको तेरह दिनतक गंजीही खिलाई। सन् १९१३ में जब सर रेजिनाल्ड क्रेकड कालापानी देखने गये, तब नन्दगोपालने उनसे यह शिकायत की थी—पर जेलके अफसरोंने सजा देकर रजिस्टरमें लिखी ही नहीं थी। जेलरने साफ कह दिया कि इसे यह सजा नहीं दी गयी। इसलिये नतीजा कुछ नहीं। जेलरके खिलाफ कैदीकी शिकायत नहीं सुनी जाती!

सजाके बाद सजाओंका नम्बर शुरू हुआ। तरह तरहकी बेड़ियां पहनाकर हमें अलग अलग कोठरियोंमें बन्द किया गया। इसमें भी एक बात थी। मामूली कैदी जब कोठरीमें बन्द किये जाते हैं तब वे खाने पीनेके लिये नीचे आते हैं—दूसरे कैदियोंसे बातें भी कर लेते हैं। पर हमारे लिये हुक्म हुआ कि जो कोई हमसे बातें करेगा वही सजा पायेगा। इसलिये इसे मूक-कारावास कहना चाहिये। हममेंसे कई तो तीन महीने से भी अधिक इन कोठरियोंमें रहे।

कइयोंकी तन्दुरुस्ती खराब होने लगी। एक तो कालेपानीमें

वैसे ही मलेरिया बना ही रहता है— बुखार खांसी और उस पर प्लीहा शुरू हुई। शायद जेलके विधाताओंमें भी हमारी हालतको तब्दील करना जरूरी समझा। इसलिये हममेंसे कुछ को चुनकर कारोनेशन उत्सवके कामके लिये जेलखानेसे बाहर सैटलमैण्टपर भेजा। बारीन्द्रकुमार तो गये मिस्तरीके पास गारा सानने—उल्लासकर गया ईंट बनाने—कोई भेजा गया लकड़ी काटने और कोई रिक्सा गाड़ी खींचने।

पर यहां तो उल्टी गंगा थी। जेलसे जियादा आफत हुई बाहर। जेलका काम चाहे जितना सख्त था, लेकिन एक तो खानेको पूरा मिलता था दूसरे बरसात और धूपसे बचे थे। पर बाहर जाकर वह कुछ न था सबेरे ६ से १० तक और शामको १ से ४॥ तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। चाहे बरसात हो या धूप। उसके सिवा इस टापूमें जोंक बहुत हैं—वे लिपटकर खून चूसने लगतीं है। जेलखानेसे बाहर काम करते हुए कितने आदमियोंने घबराकर भागनेकी कोशिश की—इसका कोई ठिकाना नहीं।

इसपर आफत यह कि पूरा खानेको नहीं मिलता। कैदियोंकी खुराक चोरी होकर बाजार बाजार और गांव गांव बिकती है। मामूली कैदीसे लगाकर युरोपियन अफसर तक इस चोरीको अच्छी तरह जानते हैं।

जेलसे बाहर बीमारोंके लिये चार अस्पताल हैं, पर उनके असिस्टेण्ट सर्जन बङ्गाली हैं। इस लिये किसी थी राजनीतिक कैदीको उनमें भेजनेकी मनाही थी। बीमार होनेपर हमें वापस जेलमें आना पड़ता था। चढ़े बुखारमें अपना सामान सिरपर रखे दश मील बेड़ी पहने आना, कितना कठिन है, इसे बिना भोगे कोई नहीं समझ सकता।—फिर जेलमें जाकर ही कौनसा इलाज हो जाता है। दिन रातके २४ घण्टे इस कोठड़ीमें पड़े रहो, और छोटी कोठड़ीके कोनेमें रखेहुए एक गमलेमें पाखाना पेशाब करा करो।

सोचा था कि जेलसे बाहर निकलनेमें सुख होगा पर जिसकी तकदीरमें सुखका लेश नहीं, उसे सुख नहीं मिल सकता। खूनी, डाकू और लुटेरे कालेपानीमें आकर हलका काम पा सकते हैं—कोई लिखने पढ़नेपर, कोई पहरेपर, कोई दूसरोंसे काम लेनेपर मुकर्रर हो सकता है, पर हम थे राजनीतिक कैदी! बाहरसे हारकर हम सब एक एक करके वापस जेलमें लौट आये।

इस समय एक दुःखकी घटना हो गयी। इन्दुभूषणने आत्महत्या करली! उसका मजबूत शरीर कठोर काममें कभी नहीं घबराया—पर वह बेइज्जती और गालियोंसे पागल हो जाता था। वह कहा करता था कि— जिन्दगी इस तरह बिताना मेरे लिये असम्भव है। एक दिन रातको अपना कुरता फाड़कर उसने

रस्सी बनाई और खूंटोसे बांधकर गलेमें फन्दा डाल लिया। जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट सुबह आठ बजे आये। उस दिन जेलरके साथ जो पहरेवाले भोतर घुसे थे उनका कहना था कि लाशके गलेमें एक लिखा हुआ कागजका टुकड़ा भी लटक रहा था, पर बादमें उस कागज़का कहीं भी पता न लगा। बादमें जेलरसे दरयाफ्त किया था, लेकिन उन्होंने साफ नाहीं करदी। इन्दुभूषणके भाईने हिन्दुस्थानमें उसकी मौतकी जांचके लिये सरकारसे कहा। अण्डेमनके कमिश्नर उस जांचके लिये मुकर्रर हुए और उन्होंने उस मामलेको मटियामेट कर दिया!

इस वक्त जितने कैदी बाहर गये थे, वे कामकी और बीमारीकी वजहसे वापिस आने लगे। उल्लासकरदत्त भी आया। उसे धूपमें बैठकर ईंट बनानेका काम दिया गया था। वहांके अस्पतालके जूनियर मेडिकल आफिसरने कहा था कि उल्लासकरसे धूपमें बैठकर काम न होगा। पर बङ्गाली डाकृरकी बात गोरा ओवरसियर क्यों मानने लगा। १३ मास उल्लासकरसे धूपमें बैठकर ईंटें ही बनवाई गयीं। उसने कामसे इन्कार कर दिया, इस लिये वापस जेलमें आया। यहां वह सात दिन डंडा बेड़ी डालकर खड़ा रखा गया। पर सात दिन क्यों पहले ही दिन वह बुखारमें बेहोश हो गया और अस्पताल भेजा गया। रातको उसका बुखार १०६ डिगरी तक बढ़ गया। सबेरे बुखार उतरा, पर फिर वह उल्लासकर न था। कड़ीसे कड़ी तकलीफोंमें जिसके

मुंहसे उफ न निकली थी, वह उल्लासकर पागल हो गया !

जेलखानेकी सच्ची तसवीर, हमारी आंखोंके सामने नाचने लगी। जिन्दा रहकर वापिस जन्मभूमि लौटनेकी इच्छाओं पर पानी फिर गया। कोई फांसीपर लटक कर मरेगा कोई पागल होकर मरेगा। जब आखिर मौत है तब इतना दुःख ही क्यों ? सबने मिलकर निश्चय किया कि जबतक हमारे काम काजकी सहूलियत न हो तब तक कोई काम न करेगा। इधरसे हमने अल्टीमेटम दिया उधरसे हुक्कामोंने भी हमपर अपना वार करना शुरू किया।

खाली लड़ाई शुरू हो गयी। इससे कुछ पहले ही बङ्गालके एक राजनीतिक मुकद्दमेमें ननिगोपाल तथा तीन चार और आदमी जेलमें दाखिल हुए। ननिगोपाल लड़का ही था, पर उसे कोल्हू चलानेका सबसे कड़ा काम दिया गया। वह भी सत्याग्रहमें शामिल हो गया। हम सब सत्याग्रही कैदियोंको एक न्यारे ब्लाकमें बन्द करके चुन चुनकर पठान पहरेवाले हमपर मुकर्रिर किये गये। खाना हमें बहुत ही कम मिलने लगा और इस बातपर कड़ी नजर रखी जाने लगी कि हम आपसमें बोला न करें। पाखानेमें जाकर किसीसे बात न करें इस लिये सामने पहरे-वाला खड़ा रहता। पर बहुत बार ज्यादा कड़ाईसे बन्धन भी टूट जाता है और कायदे कानून पर किसी तरहकी भक्ति नहीं

रहती । डर दिखाकर कानून बनवानेकी कोशिश तो कानूनकी मज़ाक है ।

हमने तीन चीजें चाहीं—अच्छा खाने पहिननेको, कामकी कमी और आपसमें मिलनेकी सहूलियत। बीच बीचमें चार चार पांच पांच कोठरियां छोड़कर हम सब कैद किये गये। इस लिये पहले धीरे धीरे बातें करते थे। अब जोर जोरसे बोलते, चिल्ला चिल्लाकर बातें करते। हम हथकड़ियोंसे झुलाये गये थे, लेकिन मुंह तो खुला था। इसी तरह हमारा सत्याग्रह चला। इसी वक्त हमारा पुराना सुपरिन्टेन्डेन्ट तब्दील होकर आ गया। उसकी सलाहसे चीफ कमिश्नरने हममेंसे कुछको हलका काम देनेका नियम बनाया ।

करीब दस बारह आदमियोंको नारियलके पेड़ोंके पहरेवाले बनाकर भेजा। नारियलके पेड़ सरकारी चीज हैं, वे चोरी न जायं, यह देखना ही पहरेवालेका काम था। काम बहुत ही हलका था, पर सबको रखागया दूर दूर, ताकि एक दूसरेसे मिल न सकें ।

पर जेलखानेके भीतर सत्याग्रह वैसे ही चलने लगा। नन्दगोपाल और ननिगोपालको एक दूसरी तरफकी जेलमें तब्दील किया गया। तब वहां जाकर ननिगोपालने खाना पीना छोड़ दिया। सबको हलका काम देनेका जो वादा था, वह पूरा न

किया गया। इसलिये जिनको बाहर भेजा गया था उन्होंने भी सत्याग्रह फिर शुरू कर दिया। महीने भरके बाद जब वापस जेलमें आये तब देखा कि सत्याग्रह बहुत कुछ टूट गया है। नाउम्मेद होकर बहुतोंने फिर काम शुरू कर दिया है। चार दिन खाना पीना छोड़नेके बाद ननिगोपालको वापस जेलमें ले आये। सत्याग्रहके हामी यही ननिगोपाल, बारीन्द्रकुमार बन रहे। सजापर सजा खाते खाते एकके बाद एक—अन्तमें सबने सत्याग्रह छोड़ दिया, पर अकेला ननिगोपाल डटा रहा।

दिन बीतने लगे—विना खाये पीये ननिगोपाल सूखकर कांटा हो गया। जब उसे ४ दिन बिना खाये पीये बीत गये थे, तब भी हथकड़ी कसकर उसे कड़ीसे लटका रखा था। उसके आत्माने इस बार फिर कोई खास रूह फूंकी और बहुतसे कैदी खाना पीना छोड़ बैठे। हुक्कामोंके लाख छिपानेपर भी इन्दुभूषणकी हत्या, उल्लासकरका पागल होना और ननिगोपाल-का भूखा रहना हिन्दुस्थानके अखबारोंमें छपा। अखबारोंके लिखनेकी वजहसे गवर्नमेण्टने डाक्टर ल्यूकिसको जांच करनेके लिये भेजा। ल्यूकिस साहबने क्या जांच की, सो वे ही जानें, पर उल्लासकरको कालेपानीसे मद्रासके पागलखानेमें भेजा गया। ननिगोपालको भी समझा बुझाकर खाना खिलाया गया। सत्याग्रहका पहला अध्याय यहीं खतम होता है।

कुछ दिन बाद हम लोगोंको फिर जेलसे बाहर कामपर भेज दिया गया। किसी तरहसे दिन गुजरने लगे, पर थोड़े ही दिन बाद सुना कि जेलखानेमें गड़बड़ हो रही है। तङ्ग होकर ननि-गोपाल फिर सत्याग्रह कर बैठा। उसका जांघिया जबर्दस्ती उतार कर नारियलका जांघिया उसे पहननेके लिये दिया गया था, पर उसे फेंककर वह नंगा ही बैठ गया। और बोला—[Naked we come out of our mother's womb and naked shall we return] "मांके पेटसे हम नंगे ही आये हैं और नंगे ही वापस जायंगे।" यह मन्त्र वह जपने लगा और पूरा सत्याग्रह शुरू कर दिया।

लड़का कहीं पागल तो नहीं, यह फिक्र सबको हुआ, पर मालूम हुआ कि पागल नहीं हुआ। उसके सामने यही सवाल था कि जिस क़ानून और अदालतको अङ्गरेजोंने अपनी मरजीसे बनालिया है, उसे वह क्यों माने—जिस बातमें उसकी राय नहीं उसे वह न मानेगा। जिस कामके करनेको आत्मा गवाही नहीं देता, उस कामको सिर्फ जान बचानेके लिये ही वह क्यों करे। जान बचानेहीमें जहां आफत है, वहां जानकी कीमत ही क्या है। भगवानने जिसके दिलपर आजादीकी मुहर लगादी है—कड़ीसे कड़ी तकलीफ और बड़ेसे बड़ा हुक्म भी जिसे पराधीन नहीं कर सकता—वह जीव कितना अमूल्य है, इसे भुक्तभोगी ही समझ सकते हैं।

इधर हमारी हालत भी गिरी। हिन्दुस्थानी और खासकर बङ्गाली अखबारोंमें कालेपानीके कैदियोंकी चर्चा चली। सब हुक्कामोंने मनमें निश्चयकर लिया कि अखबारोंके पास हम सब यह चिट्ठियां भेजकर छपवा रहे हैं। बस हमपर जाल बनाने शुरू किये गये। एक दिन सबेरे ही चारों तरफसे घेरकर पुलिस तलाशी लेने लगी। एक आधी चिट्ठी और एक दो किताबके अलावा हमारे पास कुछ न मिला, पर हम जेलमें भेजे गये। तरह तरहकी अफवाहें क्या उड़ रही हैं, उन्होंने भले आदमी-की तरह कहा—मैं कुछ नहीं जानता—इण्डिया गवर्नमेण्टका जैसा हुक्म मिला वैसा किया।

खैर, इसका हमारे पास जवाब ही क्या था। पर कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि हम लोगोंसे बातचीत करनेके अपराधमें बाहरके कई आदमियोंको सजाएं हुई हैं। पुलिसने न मालूम कहांसे एक गवाह पैदाकर लिया जिसने ग्रामोफोनकी सुइयां और लोहेके टुकड़े इकट्ठे करके साबित कर दिया कि हम लोग बम बनानेकी कोशिश कर रहे थे! नारायणगढ़में बमसे लाट साहबकी ट्रेन उड़ानेकी कोशिशमें पुलिसने अदालतसे जब कई आदमियोंको सजा दिलाई थी, तभीसे हम पुलिसकी महिमा अच्छी तरह जानते थे। इसी लिये हुक्कामोंसे कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई एतराज है तो उसकी गुपचुपी तसखीश न करके खुली अदालतमें मुकद्दमा क्यों नहीं चलाते? पर इसका

हमें कुछ भी जवाब न मिला।

कुछ महीने बाद सर रेजिनाल्ड क्रेडक (Sir Reginald-Craddock) साहब कालेपानीकी सैर करने आये। हमने सोचा कि इनसे अपनी सब बातें कहेंगे—जरूर कुछ न कुछ किनारा होगा ही। उनसे बातें शुरू करते न करते, चीफ कमिश्नरने कहा—'जब तुम्हें जेलसे बाहर कामपर भेजा गया था,—तब तुम राजद्रोहकी सलाहें कर रहे थे।'

हमने कहा—'अगर आपको यही खयाल था तो जब आपसे कहा था, उस वक्त भले आदमीकी तरह "मालूम" नहीं क्यों कह दिया था? इसपर भी अगर आपको हमारे खिलाफ सुबूत मिले हैं तो खुली अदालतमें केस क्यों नहीं चलाते?' सर रेजिनाल्डने मुसकराते हुए कहा—'क्या समझते हैं,—ऐसी बातें खुली कचरियोंमें साबित नहीं हुआ करतीं।'

ननिगोपालने अपनी तमाम कहानी कही। सर रेजिनाल्डने थोड़ेसेमें जवाब दिया—'तुम सरकारके दुश्मन हो तुम्हें जानसे मारदेना ही अच्छा था!'

ननिगोपाल बोला—'अगर इसे ही आप अच्छा समझते हैं, तो कायदे कानून और अदालतोंका झूठा बाग लमानेकी क्या जरूरत थी? मुसलमान बादशाहोंकी ज़बान ही कानून था, वैसे ही आपके राजमें भी है, पर वे सीधी तरह करते थे और आप लोग कायदे कानूनकी टट्टीकी ओटमें शिकार खेल रहे हैं।'

बात यहीं खतम हो गयी, पर जो जुल्म गुजर रहे थे उनका क्या करें ? दुनियामें अनाथोंका जो नाथ है, बिना उसके देखे कोई काम नहीं होता। मालूम होता है, इस बार उस दीनानाथ का भी सिंहासन हिल उठा था ।

जियादतीके मारे, पका करके सबने फिर काम छोड़ दिया । सत्याग्रह शुरू हुआ। सजा देते देते जब जेलके हुक्काम थक गये, तब उन लोगोंको मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया जिनकी सजाएं तमाम उम्रकी न थीं। यह काम डिपुटी कमिश्नर (Louis) लूइस साहब पर पड़ा। अदालतसे एक दिन पहले वे सत्याग्रहकी वजह मालूम करने जेलमें आये।

हम लोगोंपर जैसी जैसी ज्यादतियां की गयी थीं, उन सबको सुनकर उन्होंने कहा कि—आप लोगोंके मामलेमें पोर्टब्लेयरके किसी हुक्कामका हाथ नहीं है, इण्डिया गवर्नमेण्टका हुक्म है कि आप लोगोंके साथ मामूली कैदीसे कुछ भी अच्छा सुलूक न किया जाय ।

लेकिन मामूली कैदीको जितनी सहूलियत है, उतनी भी हमें नहीं। अगर मामूली कैदी लिखना पढ़ना जानता हो, तो उसे जेलके दफ्तरमें कोई अच्छा काम मिल जाता है—अगर वे लिखना पढ़ना न जानते हों, तब कैदियोंपर छोटे अफसर बना दिये जाते हैं। इन सब कामोंके लायक होनेपर भी हमें कोल्हूमें बैलको

जगह जोतकर तेल निकालना ही अच्छा समझा गया। दूसरे कैदियोंको पांच साल जेलमें रहनेके बाद जेलसे बाहर काम मिलता है और बारह आने महीना जेबखर्च दिया जाता है,पर हमारे लिये तमाम उम्रभर जेलमें रहनेकी व्यवस्था थी। यद्यपि जो कुछ हमने कहा उसका जवाब लूइस साहबने यह दिया कि—"इण्डिया गवर्नमेण्टके हुक्मके मुताबिक हो रहा है, इसमें हम अपनी तरफसे कुछ नहीं करते।"

हममेंसे एकने कहा—"साहब, तमाम बुरा करनेका इखतियार आपको और इण्डिया गवर्नमेण्टको है, पर कुछ भला करनेका क्या जरा भी इखतियार नहीं है?"

साहबने हंसकर कहा—"मैं क्या करूं, आखिर जेलका अदब (Discipline) तो रखना ही पड़ेगा।"

एकने कहा—"तो मतलब यह है कि इंसाफ हो चाहे गैर-इंसाफ, आपको तो जेलका अदब (Discipline) रखना है!"

साहबने इसका कोई जवाब न दिया। बात वे पहलेसे ही अच्छी तरह जानते थे, पर वे भी तो गवर्नमेण्टके नौकर ही थे। इस लिये किसीकी एक महीना, किसीकी दो महिना और किसीकी छः महीना सजा बढ़ाकर चले गये। आगे चलकर एक दफे और यही लूइस साहब हमसे मिले थे—उस वक्त उन्होंने उल्लासकरदत्तके लिये कहा था—Ullaskar is one of the

noblest boys I have ever seen but he is too idealistic. उल्लासकरके समान उच्चहृदय लड़के बहुत कम देखनेमें आये, पर यह सबसे ज्यादा भावुक है,—जिस उल्लासकरके लिये साहबके यह खयाल थे, उसीको अपनी नौकरी बनाई रखनेके लिये सजा भी दी।

आइन कानूनके अदबको बनाये रखनेके लिये सजा दी जाती है—लेकिन आखिर सजा ही सरकारका मकसद हो गया। हम लोगोंकी देखादेखी मामूली कैदियोंमें भी सत्याग्रह शुरू हो गया। जेलके काम-काजमें फर्क आने लगा, अफसरोंने देखा कि कुछ न कुछ करना चाहिये।

एक दिन एकाएक हम राजनीतिक कैदियोंमेंसे सात आठ मियादी (term convict) कैदियोंको हिन्दुस्थानकी जेलमें भेज दिया। और जो जेलर बिना गालीके बात नहीं करता था वह भले आदमीकी तरह आकर सत्याग्रह छोड़नेके लिये कहकर बोला,—(Now yon can retreat with honour) मियादी कैदी हिन्दुस्थानकी जेलोंमें भेज दिये जायंगे और जो कालेपानीमें रहेंगे उनके साथ अच्छा बरताव किया जायगा।

हमने कहा "तथास्तु, पर अगर दो महीनेमें भी आपके काममें कोई विशेषता न दिखाई दी, तो फिर मजबूरन हमें खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी।"

इस तरह दोनों तरफसे सुलहनामेपर दस्तखत होकर काम-शुरू हुआ। सत्याग्रहका दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है।

थोड़े दिन बाद अलीपुरके बारीन्द्र, हेमचन्द्र और नासिकके सावरकर भाई और जोशीको छोड़कर बाकी राजनीतिक कैदी-योंको हिन्दुस्थानकी जेलोंमें भेज दिया गया और सत्याग्रह कुछ दिनके लिये शान्त हो गया।



श्रीयुत बारीन्द्रकुमार घोष ।

—:०*०:—

फिर सत्याग्रह ।

जिन कैदियोंकी कोई मियाद थी वे जब हिन्दुस्थानकी जेलोंमें भेज दिये गये, तब हम बहुत कुछ निश्चिन्त हुए। हम छः सात आदमी थे जिनकी कैदकी कोई मियाद ही न थी—छूटनेकी कोई उम्मेद थी ही नहीं—इसलिये फिर जन्मभूमिके दर्शनोंकी आशा छोड़कर हम चुपचाप दिन बिताने लगे।

लेकिन कालेपानीके कैदीकी तकदीरमें—खासकर हम राजनीतिक मामलोंके कैदियोंकी तकदीरमें शान्ति कहां? सन् १९१४ में लड़ाई शुरू हो गयी। हिन्दुस्थानमें जो लहर पैदा हुई उसके नतीजेमें लाहौरकी "गदर पार्टी" के पचास आदमी कालेपानी लाये गये। बहुतसे पल्टनोंके सिक्ख सिपाही मुल्कीकुसूरमें आ पहुंचे। बङ्गालसे भी पन्द्रह सोलह राजनीतिक कैदी आ गये। यानी कालेपानीका जेलखाना देशभक्त कैदियोंसे भर गया—हमारे इस सुख-नरकमें भी बसन्तका मौसिम आया। इनमेंसे जियादाको नारियलके छिलके कूटने और कोल्हू चलाकर तेल निकालनेका काम दिया गया। सबसे बड़ी आफत यह थी कि लम्बे चौड़े शरीरवाले हमारे पञ्जाबी बहादुरोंके पेट जेलकी जरासी खुराकसे भरते ही न थे। एक तो

पञ्जाबी वैसे ही अधिक खानेवाले, फिर ये देशभक्त अमेरिकामें भी रह आये थे इसलिये गोश्त जियादा खाते थे—इसीलिये जेलखानेकी दो रोटी और दो मूठी चावलसे इनका हो ही क्या सकता था? पेटके न मालूम किस कोनेमें वह जा पड़ता था। इसके अलावा यह लोग बेइज्जती भी चुपचाप बर्दाश्त न करते थे—रोज किसी न किसी अफसरसे लड़ाई झगड़ा हो ही जाता था। थोड़े ही दिनमें यह मालूम हो गया कि जेलमें कुछ न कुछ होगा।

झगड़ेकी बिना परमानन्द को लेकर शुरू हुई। किसी एक मामूली बातपर उसे जेलरके पास ले गये। जेलरने उसे गाली दी, उसने भी जेलरको गाली दी। बात गाली पर ही खतम नहीं हुई दोनोंमें हाथापाई भी हो गई। बस इन्साफमें परमानन्दके बीस बेंत लगानेका हुक्म हुआ! इसीपर सत्याग्रह शुरू हुआ। पर यह जियादा दिन न टिका। जेलरने लोगोंको समझा बुझाकर फिर कामपर लगा दिया।

पर नाराजीका बीज न गया। कुछ दिन बाद एक मामूली से कारण पर फिर गड़बड़ शुरू हुई। जेलमें रविवारकी छुट्टी रहती है। उस दिन अपने मैले कपड़े वगैरह धोनेके अलावा और कोई काम नहीं लिया जाता—यह मामूली जेलोंकी बात है। पर कालेपानीकी जेलमें रविवारके दिन घास काटनी पड़ती है। अमेरिकासे जो "गदर" अखबार निकलता था उसके

एडीटर जगतरामने सबसे कहा कि रविवारके दिन हम जेलका कोई काम न करेंगे। सुपरिण्टेण्डेण्टने कामके इन्कार करनेके कुसूरपर छः महीने पैरोंमें कड़ी बेड़ी डालकर अकेले कोठरियोंमें बन्द रखनेकी इन लोगोंको सजा दी। इससे एकके बाद एक अपना अपना काम छोड़ता गया। इस वक्त एक घटनासे बड़ा जोश फैला। एक बूढ़े सिक्ख और जेलके अफसरोंमें झगड़ा हुआ—सिक्खका कहना था कि अफसरोंने मुझे कोठरीमें लेजाकर बुरी तरहसे मारा। दो तीन दिनमें वह बिचारा बूढ़ा सिक्ख मर गया। इसपर तीन चार पञ्जाबियोंने खाना पीना छोड़कर सत्याग्रह शुरू किया। पृथ्वीसिंह इन सबका अगुआ था। जब कभी वह बेहोश हो जाता, तब नाकमें रबरकी नली डालकर पेटमें दूध उतार देते थे। इसी तरह पांच महीने बीत गये। इसी वक्त पञ्जाबी रामरक्षा भी मर गया। अपने छुटकारेका कोई उपाय न देखकर एक पञ्जाबीने शीशेका टुकड़ा खाकर जान दे दी!

जो मर गये वे तो मर कर बच गये—लेकिन जो तकलीफोंकी वजहसे पागल हो गये, वे जिन्दा मर कर भी नरकमें पड़ गये! कालेश्वरके राजनीतिक मुकदमेमें आया हुआ यतीश्वरन्द्रपाल अकेला कोठरीमें बन्द रहनेके कारण पागल हो गया। और उसे हिन्दोस्तानके किसी पागलखानेमें भेज दिया गया।

पागल होने, खुदकुशी करने और जुल्मोंसे जिन्दगीका नाश होनेका अन्त नहीं है। कालेपानीके कैदियोंसे किसकी बात छोड़ी जाय और किसकी लिखी जाय। लायलपुरके खालसा-स्कूलका मास्टर छत्रसिंह शुरू ही से बेड़ियां डालकर अन्धेरी कोठरीमें कैद किया गया। जब जेलमें सत्याग्रह हो रहा था, तब तकलीफोंसे पागल होकर उसने जेलर पर हमला किया। इससे वह इतना पीटा गया कि बेचारा बेहोश हो गया। कड़ी बेड़ियां डालकर उसे जो कोठरीमें बन्द किया गया था सो दो बरसतक नहीं निकाला! दूसरे सिक्ख अमरसिंहका भी यही हाल किया गया।

जब सत्याग्रह और तकलीफोंकी खबरें हिन्दोस्तानके अखबारोंमें छपने लगीं और देशमें आन्दोलन हुआ, तब जेलके अफसरोंकी आंखें खुलीं और उन्होंने देशभक्त कैदियोंको कुछ हलके काम दिये। जगतरामको कोठरीसे निकालकर छापेखानेमें हलका काम दिया गया। लाहौर दयानन्द कालिजके प्रोफेसर भाई परमानन्द सत्याग्रहमें शामिल न हुए थे इसलिये इन्हें कम्पाउण्डरका काम दिया गया। पर जियादा दिन वह इस कामपर न रह सके। उन्होंने अपनी स्त्रीको राजनीतिक कैदियोंकी हालत चिट्ठीमें लिख भेजी थी। इनकी स्त्रीने चिट्ठी कहीं अखबारोंमें छपवा दी। इससे चीफ कमिश्नर नाराज हो गये और भाई परमानन्दको बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी। अन्तमें जिन्दगीको इतनी

किरकिरी हालत देख उन्होंने भी खाना पीना छोड़कर मरनेका इरादा कर लिया। सुखकी बात इतनी ही हुई कि इतने सत्याग्रह करनेके कुछ दिन बाद ही बादशाहके एलानके मुताबिक छोड़ दिये गये ; लेकिन जो अभीतक नहीं छूटे उनका ईश्वर-मालिक है !

पापी बनाये जाते हैं ।

हमारा देश जेलखानोंके भीतरकी बातें नहीं जानता । लाखों आदमी जेलोंके भीतर नरक भोगते हैं पर उनका पता देशवासियोंको मालूम नहीं । जेलही क्यों जिन्हें हम आठों पहर अपनी आंखोंके सामने देखते हैं उन अपनी माताओं और बहनोंके दुःखकी ही कितनी बातें जानते हैं ? कोई महात्मा पैदा हो जाते हैं, सो हमें हमारी हालत समझाते हैं। लेकिन जैसा जमाना है, उससे बिना अपनी हालत समझे काम नहीं चल सकता । भारतमाता इन अत्याचारों और पापोंके मारे पत्थर बननेके करीब आ गई है !

हर साल करीब एक हजार आदमी कालेपानी जाते हैं । सोलह बरसके लड़केसे लगाकर पचास बरसका बूढ़ातक डाकूरकी मिहरबानीसे कालेपानी की सजाके लायक साबित हो जाता है !

—:*:—

नवरत्नोंका निर्वासन ।

—*::*—

सन् १६०८ के दिसम्बर महीनेमें श्रीयुक्त सुबोधचन्द्र मल्लिक बा० अश्विनीकुमार दत्त, बा० श्यामसुन्दर चक्रवर्त्ती, बा० कृष्ण-कुमार मित्र और बा० मनोरञ्जनगुह ठाकुरता प्रभृति बङ्गालके ६ नेताओंपर सरकारकी वक्र दृष्टि पड़ी थी। उन नवरत्नोंको सरकारने अलग अलग स्थानोंमें निर्वासित किया था। निर्वा-सित नवरत्नोंमेंसे गिरिडीके प्रसिद्ध स्वर्गवासी मनोरञ्जन गुह ठाकुरता महाशयकी "निर्वासित कहानी" विशेष मनोरञ्जक होनेसे यहां सङ्कलित की जाती है,—

× × × ×

प्रातःकाल भ्रमण कर ७ बजे मैं बरण्डेमें बैठा था। उसी समय बामन बाबूने आकर संवाद दिया कि कलकत्तेसे आज सवेरे खबर आयी है—श्रीयुत कृष्णकुमार मित्र महाशयको घरसे बुलाकर पुलिसने न मालूम कहां छिपा दिया है। उनके बन्धु-बान्धव बहुत तलाश करनेपर भी कुछ नहीं जान सके हैं। हमारे घर और बाहरके दो चार आदमी इस बातको लेकर आलोचना कर रहे थे कि स्थानीय पुलिस सब इन्सपेक्टर दो अङ्गरेज और एक मुसलमानने अचानक हमारे मकानके बाहरी भागमें प्रवेश किया और कोकिल कण्ठसे मुझे सुनाई दिया—

"unpleasant duty ।" मैं क्षणमात्रमें अवस्थाको समझ गया और चाहे जो बिपद् क्यों न आ रही हो, उसके लिये तैयार हो गया। दो अङ्गरेजोंमेंसे एकने मेरा नाम पूछा और उत्तर पाकर कहा—"Come along ।" मेरे नाम कोई warrant है कि नहीं, मैंने जानना चाहा। जवाब मिला बादमें दिखाया जायगा। दरवाजे पर मेरे घरकी गाड़ी तैयार थी (क्योंकि इस समय मैं प्रति दिन गाड़ीमें टहलने जाता था) मैं गाड़ीमें बैठा और दोनों अङ्गरेज भी मेरी गाड़ीमें बैठ गये। दूसरे दूसरे आदमी भाड़ेकी गाड़ीमें सवार होकर चले।

हमारे घरसे गाड़ीके चलते समय पुलिसवाले अङ्गरेजोंने बिछौना,शीतवस्त्र और कुछ रुपये साथ ले लेनेको कहा। यह भी कहा कि इच्छा हो तो नौकर भी साथ ले सकते हैं। पूछनेपर मुझे मालूम हुआ कि दोनों अङ्गरेज कलकत्तेसे आये हैं, डिटेक्टिव विभागके आदमी और दोनों ही सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। एक था खर्वाकृति रुग्नदेह और दूसरा जितना लम्बा उतना ही मोटा।

डाक बङ्गलेमें पहुंचनेपर मैंने मोटे आदमीसे पूछा—"किस अपराधमें मैं पकड़ा गया हूं और मेरे नामका वारण्ट कहां है ?" उसने कहा, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बड़े साहबसे पूछो।' तब मैंने समझा कि जो आकारमें छोटा है वही बड़ा साहब है। मैंने उससे पूछा तो उत्तर मिला कि 'ट्रेनमें बैठ जानेपर कहूंगा।' बस, मुझे भी चुप हो जाना पड़ा, अपनी गिरफ्तारी-

के सम्बन्धमें उनके व्यवहारसे मुझे बड़ा आश्चर्यान्वित होना पड़ा। मेरा ऐसा विश्वास नहीं था कि कई एक अपरचित आदमी किसी तरहका वारण्ट बिना दिखाये किसी आदमीको एक ब्रिटिश प्रजाको—अपने घरसे किसी भी अज्ञात स्थानको ले जा सकते हैं। कानून चाहे जो कुछ कहो, मनुष्यकी सहज-बुद्धि तो इस प्रकारकी कार्य विधिका कभी समर्थन नहीं कर सकती। किन्तु समय बड़ा प्रतिकूल था। किस अधिकारसे उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है यह जाननेके लिये यदि मैं उनका अनुसरण करनेमें विलम्ब करता, तो मेरा वह काम अनायास ही 'राजद्रोही' गिना जा सकता।

मेरे घरसे खाना तैयार होकर आया, किन्तु बड़ा साहब वह खाना देनेसे नाराज हुआ। स्थानीय दारोगा बा० रमणी-मोहन घोषालके घरसे खानेकी चीजें तैयार होकर आयीं, मैंने डाक बंगलेके बरण्डेमें बैठकर भोजन किया। इस समय मुझे देखनेके लिये सदर रास्तेमें लोग एकत्र हो गये थे। सभीके चेहरे उदास थे। मेरा जेष्ठ पुत्र कपड़े, बिछौने रुपये और एक नौकर लेकर डाक बंगलेपर आया। १० बजे हमने गाड़ी पकड़ी। आखिरी घण्टा बजा। गार्डने निशान दिखलाया। गाड़ीने धीरे धीरे चलना आरम्भ किया और बिना विलम्ब बन्धु बान्धवोंके मुख और चिरपरिचित मनोहर दृश्य सभी मेरी

आंखोंसे हट गये। कहां जा रहा हूं और कितने समयके लिये जा रहा हूं? कुछ भी जान न सका।

हमारी गाड़ी महेशमुण्डा स्टेशन पार कर गयी तो मैंने बड़े साहबसे पूछा,—किस अपराधमें मैं पकड़ा गया हूं। क्या अब आप मुझे बतलावेंगे?" उत्तरमें साहबने कहा—"१६१८ सन्‌की ३ री धाराके अनुसार।" मैं बोला—"तो मैं निर्वासित हुआ?" उसने कहा—'हां'।

साहब गाड़ीमें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने लगे, किन्तु मैंने पूछा कि कहां जा रहे हैं, तो इस बातका कुछ भी उत्तर न दिया। 'अज्ञातवास' समझकर मेरे मनमें खूब बल आ गया,—क्यों ऐसा हुआ, मैं कह नहीं सकता, तथापि यह समझ लिया कि मुझे चाहे जहां ले जाओ, भगवानके अधिकारसे बाहर तो ले जा सकेंगे नहीं।

—गिरीडीहके डाक बंगलेमें पुलिसने मेरे पाकेटसे दो चिट्ठियां ली थीं। जिनमें एक बंगलामें थी। मेरी जो अभ्रखकी खानसे आयी थी। दोनों अङ्गरेजोंमेंसे मोटा साहब बङ्गभाषा लिखना पढ़ना जानता था। उस चिट्ठीको लेकर दोनोंमें कानाफूसी होने लगी। असल रहस्य यह था कि चिट्ठीमें लिखा था—"अद्य खाद् हइते आठ "बोझा" माल पसे।" बोझा शब्दने

साहब बहादुरके जीमें "बोम्भा" (बम) का विषम सन्देह उत्पन्न कर दिया।

अपरान्हमें हमारी गाड़ी बर्दवान पहुंची। दोनों अङ्गरेज मुझे लेकर उतर गये। उस समय मेरे मनकी अवस्था "—यथानियुक्तोस्मि तथाकरोमि"—थी। दो गाड़ी भाड़े को गयी, एकमें मैं और दोनों अङ्गरेज बैठे और दूसरीमें मेरा नौकर, कईएक पुलिसके आदमी तथा चीजें रखी गयीं। कुछ मिनटोंमें गाड़ी बर्दवान जेलके दरवाजेपर उपस्थित हुई। जेलमें जेलर साहब के मकानसे सटे हुए एक छोटे कम्पाउण्डके एक घरमें मेरे रहनेका स्थान निर्दिष्ट हुआ। भोजन कर निश्चिन्त हो मैं सो गया। मेरा नौकर चिन्तामणि मेरे पास नहीं रहने पाया। दूसरे दिन जेलर मेरी खबर लेने आये, भोजन बनानेके लिये मुझे ब्राह्मण देना चाहा, किन्तु मैंने कहा—"मैं खुद ही भोजन बनाऊंगा।" "अपना हाथ जगन्नाथ" जो कुछ बनाया अमृत की भांति स्वादिष्ट लगा।

रातके ११ बजे मुझे लोगोंकी कुछ ऊंची आवाज सुनाई दी, नींद टूट गयी मैंने देखा एक जमादार दो तीन कैदी और एक बङ्गाली सज्जन मेरे घरमें आ रहे हैं। मुझे बङ्गाली सज्जनोंने कहा "इसी समय आपको कहीं जाना होगा।" मैं बिना कुछ पूछे पीछे २ हो लिया। मेरी चीजें कैदियोंने अस्तव्यस्त

रूपसे बांध दीं। आफिसमें प्रवेशकर मैंने देखा श्रीयुक्त श्याम-सुन्दर चक्रवर्ती महाशय एक चेयरपर बैठे हैं। मुझे देखकर उनके नेत्र कुछ प्रफुल्लित हुए।

रातके ११ बजे हमने बर्दवान छोड़ा। कुछ प्रतीक्षा करनेके बाद गाड़ी आयी, हम उसमें बैठे। सवेरे पांच बजे गाड़ी हवड़ा स्टेशनपर पहुंची। बड़े साहबने कहा "Come Along" हम उनके साथ चल पड़े। गङ्गामें एक छोटा आगबोट तैयार था, साहबोंने उसमें बैठनेका अनुरोध किया। हम दोनों बैठ गये। बोट छोड़ दिया गया और वह कलकत्ता हाईकोर्टके घाटके पास आनकर एक बड़े स्टीमरके साथ बांध दिया गया। हम बड़े स्टीमरमें चढ़े। स्टीमरका नाम था "पटियाला"

१५वीं दिसम्बर (१९०८) मङ्गलवारका सवेरा था। हमारी आँखोंके सामने हाईकोर्ट, इडनगार्डन और भी बड़े बड़े मकान मानों हमें बिदा करनेके लिये प्रभातमें गङ्गातीरपर उपस्थित हुए हैं। सूर्योदय हुआ। जहाजमें यात्री सवार हुए। उनमें बङ्गाली भी थे। अङ्गरेज, काबुली, पेशावरी, बर्मी और मुसल-मान अधिक थे। जहाज छूटनेकी तैयारी थी, उस समय बड़े साहबने मुझको और श्याम बाबूको पास पास खड़े होनेको कहा। हम दोनों एक तर्फ उसी तरह खड़े हो गये। एक अङ्गरेजने हमारा फोटू लिया।

थोड़ी देरके बाद ही हमारे अदृष्टचक्र की भांति जहाजका चक्का घूमा और धूएंका भोट किनारा छोड़कर भेरोरव करता हुआ विपुल विक्रमके साथ दक्षिणकी ओर अग्रसर हुआ। देखते देखते चिरपरिचित कलकत्ता पीछे रह गया।

हमें कहीं जाना पड़ेगा, यह तो पता नहीं था, किन्तु इतना मालूम हो गया कि जहाज रंगून जायगा। इसने मङ्गलवार सवेरे ७ बजे कलकत्ता छोड़ा है। अविश्रान्त रात दिन चलकर शुक्रवारको १० बजे यह रंगून पहुंचेगा। प्रति घण्टा १२ मीलके हिसाबसे ७६ घण्टे हमें चलना पड़ेगा। उसके बाद कितने घण्टेमें कहां जाना पड़ेगा, कुछ भी—मालूम नहीं।

१८ वीं दिसम्बर शुक्रवारको ८ बजे समुद्री चील उड़ती हुई दिखाई दी। हमने समझ लिया तीरभूमि पास है। आठ बजेके बाद जलका रङ्ग भी बदल गया और चलते चलते रंगून-पोर्ट बायीं तरफ रह गया। थोड़ी देरमें जहाज किनारे लगा। उस समय १० बजे थे। बड़ा साहब हम चारोंको छोड़कर उतरा। हम १० बजेसे ४ बजे तक तीर्थके कौएकी भांति आगमन-प्रतीक्षा करते रहे। सिपाहियोंने खानेको ला दिया। हमने जलपान किया। ४ बजे बड़ा साहब आया और हम घोड़ा गाड़ीमें सवार हुए। यहींसे श्याम बाबूके साथ हमारा विच्छेद हुआ।

सन्ध्यासे कुछ पहिले हम इनसेन पहुंचे। यह स्थान रंगू-

नसे ६ मील है। बड़ा साहब मुझे इन्सेन जेलके सुपरिण्टे-ण्डेण्टको सौंपकर वापस लौट गया। जो घर हमारे लिये नि-र्दिष्ट था उसमें मैं और मेरा नौकर चिन्तामणि पहुंचाये गये।

३री दिसम्बरको मैं कुछ सवेरे सोकर उठा। ६ बजे सुपरिण्टेण्डेण्टने मेरे कमरेमें पहुंचकर एक भारत सरकारकी चिट्ठी दी और कहा कि "मुझे दुःखसे कहना पड़ता है कि इण्डिया गवर्नमेण्टसे हुक्म आया है, कि आपके साथ आपका उड़िया नौकर भी नहीं रह सकेगा, आज ही उसको रंगून भेजना होगा और कल वह वहांसे यथास्थान जायगा। हम आपको दूसरा नौकर देंगे।" मैंने कहा—क्या इसका कोई प्रतिकार नहीं है? उसने कहा—नहीं। मुझे विना बिलम्ब इस आज्ञाका पालन करना होगा।" मैंने कहा—इस विषयमें मेरा और क्या पालन हो सकता है?"

गिरीडीहसे रवाना होते समय मैं ठाकुरघरमें प्रणाम करके नहीं आ सका, इसका मुझे बड़ा क्लेश था। प्रतिदिन हृदयमें इस दुःखके जागृत रहनेसे बड़ी अशांतिसी रहती थी। आज रात [४ जनवरी सोमवार १६०६] को स्वप्नमें देखा मैं अपने गिरीडीहके ठाकुरघरमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर रहा हूं। मेरा सारा क्षोभ दूर हो गया।

मैं क्यों निर्वासित किया गया, इसका कारण सोचते सोचते

एक बात याद आगयी। गत वर्ष शासन सम्बन्धी रिपोर्टमें छोटा नागपुरके कमिश्नर बहादुरका जो मन्तव्य प्रकाशित हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि छोटा नागपुरमें एक मात्र गिरिडीहमें ही (Sedition)—राजद्रोह—है। कमिश्नर साहबने किस आधारपर यह लिखा, नहीं कहा जा सकता। हां, एक हिन्दुस्थानी पुलिस सब-इनस्पेकृरने मेरे और कई एक दूसरे लोगोंके नाम एक मिथ्या Sedition-का मुक़द्दमा लगाया था। उसने हममेंसे प्रत्येकको दो दो हजारकी जमानत ली थी। किन्तु मुकद्दमेको अवस्थाको समझकर गिरिडीहके युरोपियन मजिस्ट्रेटने आठ आनेकी जमानतपर मुझे और दो दो पैसेकी जमानत पर दूसरे असामियोंको छोड़ दिया था। इसके बाद वह मुकद्दमा कोर्टमें नहीं उठा।

उसी पुलिस कर्मचारीने भद्र-महिलाओंको थानेमें जाकर गवाही देनेके लिये समन दिया था। उस व्यक्तिके कथन वा रिपोर्टके आधार पर निर्भर होकर यदि अधिकारियोंने गिरिडीहमें Sedition का उल्लेख किया तो बड़े ही क्षोभका विषय है।

जेल सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे जो पुस्तकें दी थीं उन सबमें मुझे दो बड़ी अच्छी लगीं। एक 'वृत्तिप्रभाकर' और दूसरी 'Cazetteer of upper Burma and the Siam state'

'वृत्तिप्रभाकर' हिन्दी भाषाका वेदान्त ग्रन्थ है। प्रायः ३०० वर्ष पहले स्वामी निश्चलदासने विचारसागर और वृत्ति-प्रभाकरकी रचना की थी। वृत्तिप्रभाकर बड़ा चमत्कारिक ग्रन्थ है। वर्तमान बङ्गभाषाके वैभवशालिनी होनेपर भी इस श्रेणीके ग्रन्थरत्न उसके भण्डारमें नहीं पाये जाते।

निर्वासनके १४ महीने मुझे क्रमशः पांच सुपरिण्टेण्डेण्टोंके तत्वावधानमें रहना पड़ा। मेरे इनसेन भानेके कुछ दिन बाद ही मुझे एक सङ्गिनी मिली। उसका नाम था "सोहागी"। सोहागी वास्तवमें स्त्री जातिकी होनेपर भी स्त्री नहीं थी। वह थी एक बिल्ली। सोहागीने मार्च मासके अन्तमें एक कन्यारत्न प्रसव किया। जीवनमें अनेक बिड़ाल और बिड़ाली देखे हैं, किन्तु सोहागीके समान बिल्ली देखनेका कभी सुयोग नहीं हुआ।

मेरा विश्वास था कि वर्ष भरमें मैं छोड़ दिया जाऊंगा। वर्ष बीत गया। भारत सरकारने मेरे भेजे हुए पत्रके उत्तरमें कहा कि मेरे सम्बन्धमें वह अपना मत परिवर्तनका कोई कारण नहीं देखती।

६ वीं फरवरी (१६१०) को सबेरे मुझे सुपरिण्टेण्डेण्टने बुलाया और एक तार मेरे हाथमें देकर कहा कि भारतसरकारके होम सेक्रेटरीका तार है कि आपको विना बिलम्ब (At once) छोड़ दिया जाय।

मैं रंगून पहुंचा। उसी रातमें श्रीयुक्त श्यामसुन्दर चक्रवर्ती और प्रभातमें श्रीयुत सतीशचन्द्र चट्टोपाध्याय महाशय अपना निर्वासनकाल व्यतीत कर, रंगून आ उपस्थित हुए। ये रंगूनसे बड़ी दूर थे। गतवर्ष १९०८ के दिसम्बर महीनेकी १८ वीं तारीख-को रंगूनमें श्यामसुन्दरचक्रवर्तीसे मेरा विच्छेद हुआ था। आज इतने दिनोंके बाद रंगूनमें फिर मिलना हुआ। एक दिन वह और एक दिन आज !



सावरकर बन्धु।

—:०*०:—

(डा० सावरकरसे भेंट)

सुप्रसिद्ध देशभक्त और भूतपूर्व राज्यक्रांतिवादी श्रीयुक्त गणेश-दामोदर सावरकर तथा श्रीयुक्त विनायक दामोदर सावरकरसे (जो इस समय अन्दमन टापूसे भारतमें लाये जाकर आजन्म कारा-वासके दण्डसे दण्डित होकर कालयापन कर रहे हैं) मिलनेके लिये उनके कनिष्ठ बन्धु बम्बईके डाक्टर सावरकर वहां गये थे। ११ नवम्बर सन् १९२०से १४ नवम्बरसे सन् १९२०तक अन्दमन रहकर तथा अपने बन्धुओंसे मिलकर पहली तारीखको वे कलकत्ते आ पहुंचे और यहांसे बम्बई लौट गये। 'भारतमित्र' के प्रतिनिधिने उनसे भेंट की। जो वार्तालाप हुआ नीचे दिया जाता है :—

पूछनेपर डाक्टर सावरकरने बतलाया कि इस वार अन्दमनके चीफ कमिश्नरने मुझे जहाजसे नीचे उतरकर टापूमें रहनेकी अनु-मति देनेकी कृपा की थी, क्योंकि जहाजपर रहनेमें खानेपीने और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे भी बड़ी तकलीफ थी।

प्र०—आपके साथ और कौन कौन थे जो आपके बन्धुओंसे मिलने गये थे ?



सावरकरबन्धु

श्रीगणेश दामोदर सावरकर। श्रीविनायक दामोदर सावरकर।

(सावरकरबन्धु १० वर्षसे भी अधिक कालेपानीको कठोर यातना सहकर अब भारतकी जेलोंमें अलग २ रखे गये हैं। वे कभी छूटेंगे भी या नहीं, इसका कुछ पता नहीं। महायुद्ध समाप्त हुआ, शासन-सुधार भी होगया, राजकीय घोषणा हुई, बड़े बड़े भयङ्कर कैदी छोड़ दिये गये, परन्तु सावरकर बन्धुओंकी इस घोर तपस्याका उद्यापन कब होगा, इसका अभी कुछ पता नहीं!)

उ० मेरे अतिरिक्त मेरी स्त्री, श्रीयुक्त विनायक दामोदरकी स्त्री और एक नौकर इतने आदमी थे। सबको मेरे बन्धुओंसे मिलनेकी अनुमति मिली थी।

प्र०—आप लोग उनसे किस तरह मिले ?

उ० मेजिस्ट्रेटकी उपस्थितिमें भेंट और बातचीत हुई। चीफ कमिश्नरने अबके हम लोगोंको दो बार मिलने दिया—प्रातःकाल एक बार और फिर सायङ्काल। हर बार दो दो घण्टे बात हुई।

उ०—११ वर्ष बराबर उन्हें बन्द कोठड़ीमें रखा गया था। अव्वल दर्जेके अपराधियोंके साथ जो रियायत की जाती है वह भी मेरे बन्धुओंके साथ नहीं की गयी! उदाहरणार्थ, साधारण कैदी सेण्ट्रल जेलमें एक वर्ष रहनेके बाद वहांसे निकाल लिया जाता है और उसे बाहरी काम सौंपा जाता है जहां उसे हिलने डोलनेकी कुछ स्वतन्त्रता रहती है और खाना भी पहलेसे अच्छा मिलता है। साधारण कैदी जब ५ वर्ष टापूमें बिता चुकते, हैं, तब वे अपने आदमियोंसे वहां मिल सकते हैं। पर मेरे बन्धुओंके साथ इतनी भी रियायत नहीं की गयी। मैं कई बर्ष मिलनेका

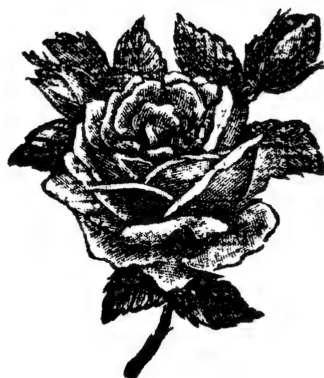
प्रयत्न करता रहा पर मिलनेकी इजाजत नहीं मिली। साधारण अपराधी जब १० वर्ष टापूमें रह चुकता है तब उसे अपने परिवारको वहां बुला लेने या वहीं नया विवाह करनेकी इजाजत मिलती है। पर मेरे बन्धुओंको अपने परिवारके वहां बुलानेकी इजाजत नहीं मिलती है। यद्यपि १० वर्ष बीत चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सेण्ट्रल जेलमें उन्होंने १० वर्ष काटे हैं, तो भी उन्हें स्वनिर्वाहका टिकट नहीं मिलता है। अब यह पूछिये कि मेरे भाइयोंका वर्ताव कैसा रहा सो, डेढ़ वर्ष पहले जब मैं पहले पहल अन्दमन गया, मैंने उस समयके चीफ कमिश्नर मि० डगलससे पूछा था और इस बार मि० बीडनसे भी पूछा और दोनोंने यही बतलाया कि जेलमें इनका वर्ताव ऐसा था जैसा होना चाहिये (Exemplary)। इन सब बातोंके होते हुए भी उन्हें टापूमें रहनेकी वह स्वतन्त्रता नहीं मिली थी, जो वर्तमान नियमोंके अनुसार मिलनी चाहिये थी।

प्र० इसके लिये आपकी रायमें कौन जिम्मेदार है ?

उ० सरकारी कार्रवाइयोंका रहस्य समझना तो बड़ा कठिन है पर मेरा यह ख्याल है कि मेरे बन्धुओंके सम्बन्धमें जो कुछ कार्रवाई होती है, वह भारत सरकार ही कराती है।

प्र० अच्छा, आपके बन्धुओंका राजनीतिक संकल्प (Political creed) अब क्या है ?

उ०—उन्होंने मुझसे यह स्पष्टरूपसे कहा कि सरकारने जब ये "रिफार्म" दिये हैं और हमारे राष्ट्रकी भवितव्यता सिद्ध करनेके काममें अपनी यह सहानुभूति दर्शायी है, तो हम इसी लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये अघोरपन्थी (Ex ersme and violent) उपायोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं समझते और इसलिये हम 'रिफार्म' को स्वराज्यकी पहली किश्त माननेके लिये तैयार हैं। अपने देशको पूर्ण राष्ट्रीयत्व प्राप्त कराना ही हमारा उद्देश्य था। और है, और उस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये हमें यदि अवसर मिला तो हम अपने भरसक इन सुधारोंसे पूरा काम लेनेका उद्योग करेंगे।



जेलके भयानक कष्ट ।

—:०[*]०:—

श्रीयुक्त पं० अच्युतराव कोल्हटकर ।

"देश सेवक" (नागपुर) के भूतपूर्व सम्पादक देशभक्त पण्डित अच्युतराव कोल्हटकर बी. ए. एल. एल. बी. अरबिन्द-बाबूके व्याख्यान (जो कलकत्ता हाईकोर्टमें निर्दोष सिद्ध हो चुके हैं) छापनेके कारण जेल भेजे गये थे। वे अपनी १५ महीने की जेल भोग कर जब आये, तब उनसे 'केसरी' के प्रतिनिधिने मिल कर बात चीत की थी। उस प्रश्नोत्तर का सारांश हम नीचे देते हैं।

१—मेरा छुटकारा १ मार्चको होना चाहिये था, किन्तु न जाने क्यों मैं २८ फरवरी को ही छोड़ दिया गया। यहां तक कि जेलके अधिकारियों को भी मालूम नहीं था कि मैं दो दिन पहले छोड़ा जाऊंगा। शामको एक पुलिस अधिकारीने आकर जेल वालोंको मेरे छोड़नेका फ़रमान सुनाया और उसके आध घण्टे बाद मैं छोड़ दिया गयो। कैदी अकसर सवेरे छोड़े जाते हैं, परन्तु न जाने क्यों मैं शामको छोड़ा गया। उस पुलिस अधिकारीने कहा कि बाहर तांगा खड़ा है यदि आप चाहें तो उसीमें चलें। उसके पूछने पर मैंने कहा कि मैं पहले अपने पिताके दर्शन करना चाहता हूं किन्तु घरमें किसीके न होनेसे मैंने सीधे

अपने प्रिय और सन्माननीय मित्र डाकृर मुञ्जेके यहां जानेकी इच्छा प्रकाशित की।

२—जेलमें जाते ही मेरा चश्मा मुझसे छीन लिया गया था। यहां तक कि मैं जब हिरासतमें था तभी चश्मा ले लिया गया था, किन्तु पीछे बड़ी मुश्किलसे जेलरने इस शर्त पर मुझे चश्मा दिया कि मैं उसे सुपरिण्टेण्डेण्टके सामने न लगाऊंगा। जिस समय मैं जेलमें गया उस समय मेरा वज़न १३५ पौण्ड (६८ सेर) था। मुकद्मा चलते चलते पांच महीनेमें मेरा वजन घट कर ११४ पौण्ड (५७ सेर) तक आ गया था। मालूम होता है कि घरसे भोजन भेजा जाने पर भी जेलकी अव्यवस्थित पद्धतिके कारण उसके समय पर पहुंचने में गड़बड़ होती थी, इसी कारण वजन घट गया। हर पन्द्रह दिन पीछे प्रत्येक कैदी तोला जाता था परन्तु यह मुझे व्यर्थ की झंझट मालूम होती थी, क्योंकि इस प्रकार वजन घटने का कारण मुझसे कभी भी पूछा नहीं गया। सजा होने पर पहले ही सप्ताह में मेरा वजन ११० पौण्ड (५५ सेर) पौण्ड हो गया। इसके बाद मैं बीमार हुआ। अवश्य ही उस समय मेरा वजन १०० पौण्ड (५० सेर) हो गया होगा।

३—यदि मैं अपनी बीमारी को विस्तार पूर्वक वर्णन करने बैठूं तो जेलकी कितनी ही भीतरी बातें बतानी पड़ेंगी। इस

लिये मैं अपनी बीमारीके विषयमें इतना ही कहना चाहता हूं कि इतनी स्थिति होने पर भी सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को यही शक था कि मैं बीमारी का बहाना करता हूं। नागपुर जेलके उत्तरचक्र और दक्षिण चक्र दो बड़े चक्र (Octagons) हैं। उत्तरचक्र में पहली बारके कैदी रखे जाते हैं। और दक्षिण चक्रमें दो तीन चार बार के दागी कैदी रखे जाते हैं। मैं जेलका पहिला पाहुना होने पर भी दागी कैदियोंके विभाग में रखा गया! वहां की देख रेख शिवराज मिश्र नामक एक युक्तप्रदेशीय ब्राह्मणके जिम्मे थी। बीमार होने पर मैं हस्पताल नहीं पहुंचाया गया, बल्कि मेरे लिये हुक्म हुआ कि उसी कोठरीमें दवा की जाय और दवा देनेके समय डाक्टर साहब अकेले न जावें, बल्कि शिवराजसिंहको साथ लेकर जायं। यद्यपि सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब को शक था तो भी रोग ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इतना होने पर भी मुझे हस्पताल देखना नसीब न हुआ। सारी बीमारी मुझे अपनी कोठरीमें बितानी पड़ी। हस्पतालमें बीमार कैदियोंको गेहूंकी रोटी और दाल आदि चीजें मीलती हैं, परन्तु बीमारीमें भी जेल की पनेथियों ने मेरा साथ न छोड़ा! हस्पताल में बीमार कैदियों को चारपाई दी जाती है, परन्तु उस बीमारी में भी जमीन ही मेरी चारपाई और टाट ही एक मात्र विस्तर रहा। कुछ दिन के लिये दूधका हुकम मिलनेके सिवाय बीमारी की कोई खुराक मुझे न दी गई। जब पहले मैं जेल गया तब सवेरे नमक डाली

हुई लपसी, दोपहर को चार जुआर की रोटी, अरहड़ की दाल और जैसी तैसी बनायी हुई भाजी दी जाती थी। शाम को भी दोपहर के समान ही भोजन मिलता है। पहले दिन किसी तरह तीन पनेथियां मैंने ठूंस कर पेटमें डालीं और भाजी भी ठेल ठाल कर गलेके भीतर उतारी, परन्तु यहां की दाल किसी तरह ठेलने ठालने पर भी पेटके भीतर न गयी। बहुत दिनों तक उस दाल की बास भी मुझे नहीं सुहाती थी। कोई यह कल्पना न करे कि दाल रोटी और भाजी जैसी यहां लोग खाते हैं वैसी को जेलमें स्थान नहीं मिल सकता। जेलके इस त्रिवर्ग का अनुभव होनेके लिये उसका प्रत्यक्ष दर्शन ही होना चाहिये। एक दिन बड़ी दिल्लगी हुई। मैंने देखा कि मेरी लोहेकी थालीमें केवल दो ही चीजें आईं और उस दाल का रंगढङ्ग भी बिलकुल निराला था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि अब दाल और भाजी एक में ही पकाने का हुक्म हुआ है। इस आज्ञा से मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब यदि कोई आकर कहे कि दाल भाजी और आटा एक ही में सान कर कैदियों को देने का हुक्म हुआ है, तो मुझे उस कथन पर अविश्वास नहीं मालूम हो सकता। तब से अब तक नागपुर जेल में जुआर की पनेथी और यह दाल भाजी का मिक्चर ही कैदियोंको दिया जाता है।

४—जुआरकी जो नौ रोटी हैं उनसे—औरोंकी राम जाने—

परन्तु मुझे पेट भर जानेका अनुभव नहीं हुआ। ये नौ रोटियां गरीब लोगोंके घरकी चार पांच रोटियोंके बराबर होती होंगी। खण्डवा जेलमें उतने ही आटेकी ग्यारह रोटी होती हैं। परन्तु उनसे भी पेटकी आग नहीं बुझती। जब मेरा ऐसा हाल था, तब जो स्वभाव से ही ताकतवर और मजदूरवर्ग के लोग हैं उनका हाल पूछना ही व्यर्थ है। मुझे तो इतनी भूख लगती थी कि यदि कोई लकड़ीका बुरादा खिलाता तो वह भी हजम हो जाता। खण्डूवामें मैं आठ साढ़े आठ महीने रहा। इस अवधिमें पहले दो महीने मुझे पत्थरकी गिट्टियां फोड़नी पड़ती थीं। एक कैदीको प्रतिदिन छः घन फुट गिट्टी फोड़नी पड़ती है। हथौ-ड़ीकी चोटसे अंगुलियां फूट फूटकर भरता हो जाती हैं। गिट्टी छिटक छिटककर देहमें लगती हैं। यदि कहीं दांत वा ओठोंमें लग गई तो शरीर झला जाता है। पहले खण्डुवामें पारसी सुपरिण्टेण्डेण्ट था उसके जानेपर वहां गोरा सुपरि-ण्टेण्डेण्ट आया और उसने मुझे गिट्टीके कामसे रोटी बनानेके काममें नियुक्त किया। तबसे अन्ततक खण्डुवामें मैं रोटीके ही काममें रहा। खण्डुवामें दाल और भाजी अलग अलग बनती हैं। मुझे मालूम हुआ है कि अकोला, अमरावती, यवतमाल और बरोदामें भी 'मिक्चर' नहीं बनता। खण्डुवामें रोटी बनानेकी रीति अच्छी है। मैं एक घण्टेमें सौ सवा सौ रोटियां बना डालता था। यद्यपि गिट्टी फोड़नेकी अपेक्षा रोटी बनानेका

काम अधिक परिश्रमका है और शिकायत होनेका भी डर रहता है, तो भी उसमें चोट लगनेका डर नहीं और भूखोंको पेट भरनेका सुभीता होनेके कारण वह मुझे पसन्द था।

५—जब मैं नागपुरमें जेल गया, तब चक्की पीसनेका काम सबसे कठिन कहा जाता था। जिन लोगोंको गिट्टी फोड़ना भी कुछ नहीं मालूम होता ऐसे हट्टे कट्टे और जोरदार कैदियोंको भी चक्की पीसनेमें रोते देखा गया है। मैं समझता था कि मुझे पीसनेका काम नहीं दिया जायगा, क्योंकि वहां दर्जीखाना, लोहारखाना, बढ़ईखाना, दरीखाना, छापाखाना, इमारती काम, मुहर्रिरी, टाइपराइटरी, प्रूफके भी काम हैं। मैं समझता था कि इन्हींमेंसे कोई काम मुझे मिलेगा, किन्तु मुझे पीसनेका ही काम दिया गया। नित्य खड़े रहकर २० सेर जुवार मुझे पीसनी पड़ती थी। कैदियोंके पीसनेकी आदत न होनेसे पहले छः दिनोंकी सुविधा दी जाती है; परन्तु, तीसरे ही दिन मुझे किसीने हुक्म दिया कि २० सेर पीसना होगा। नागपुर जेलमें मैं साढ़े पांच महीने था। इस अवधिमें आदिसे अन्ततक पीसनेका ही काम मुझसे लिया गया। मेरे सामने कितने ही कैदी इस काममें आये और इससे दूसरे काममें बदल दिये गये; परन्तु पीसनेके काममें मेरे समान आधारस्तम्भ कोई नहीं मिला। साढ़े पांच महीने बाद मेरी खण्डुवेकी बदली

हुई, तब वहीं जाकर जोतेकी मुठियासे मेरा पहला वियोग हुआ, किन्तु यह वियोग भी अन्तिम नहीं था, क्योंकि जेलसे छूटनेके पहले आठ दिनोंके लिये मैं खण्डुवेसे नागपुर आया। उस समय नागपुरमें फिर वही २० सेर पीसनेका काम मुझे दिया गया।

६—आपत्ति कभी अकेली नहीं आती। मैं समझता था कि मैं सभ्य मनुष्य (Gentleman) हूं इसलिये जेलमें मुझसे कोई अनुचित वर्ताव नहीं होगा। मुझको विश्वास था कि काम-की अड़चनके सिवा मैं और कोई कलङ्क अपने ऊपर नहीं लगने दूंगा; परन्तु मेरा आन्दाज गलत निकला। साढे पांच महीनेमें मेरी २० रिपोर्टें हुईं; जेलखानेमें जितनी सजाएं दी जाती हैं, वे सब मुझे भुगतनी पड़ीं। हथकड़ी, बेड़ी, भुज-दण्ड बेड़ी, जङ्घ बेड़ी (Cross Bar Fetters) और गनीक्लोदिङ्ग सभी सजाएं मिलीं। एक बार मुझसे कहा गया कि "तुम्हारा चाल चलन बहुत बदमाशोंका है। इसलिये शीघ्र ही तुम्हें बेतोंसे पीटनेकी सजा देनी पड़ेगी।" यदि खण्डवाकी मेरी बदली न हो गयी होती तो बेत खानेकी भी नौबत आजाती। मनुष्योंको बांधकर उन्हें जोर जोरसे अच्छे बेतसे तीन तड़ाके लगाये जाते हैं। कैदियोंको प्रत्येक महीनेमें तीन दिनकी माफी मिलती है, परन्तु इन बीस रिपोर्टोंके सपाटेमें मेरी माफी भी जप्त की गयी। मार्च, अप्रेल और मई ये महीने मध्यप्रदेशमें बड़ी भीषण गरमीके होते हैं; परन्तु इन तीनों महीने मुझे

दुर्भाग्यसे गनीक्लोदिङ्ग अर्थात् चुभनेवाला रोयेंदार टाटका कोट पहनना पड़ा। कैदियोंको एक कुरता एक लङ्गोट और एक कमरमें लपेटनेको अंगौछा दिया जाता है, परन्तु जिन कैदियोंको गनीक्लोदिङ्गकी सजा दी जाती है, उन्हें नागपुर जेलमें टाटका कुरता और टाटका लंगोट दिया जाता है। अन्य कैदी इच्छानुसार अपना कपड़ा गरमीमें उतार सकते हैं, परन्तु गनीक्लोदिङ्गवालोंको चौबीस घण्टे बराबर वह कांटे-दार पोशाक पहने रहना पड़ता है। वह गनीक्लोदिङ्ग पहने हुए पीसनेमें उनका खरखरापन और रोवें बाहोंमें चुभते थे और लेटनेमें पीठमें गड़ते थे! पीसनेमें जाड़ेके दिनोंमें दश पन्द्रह मिनटमें पसीना आ जाता है और ऊब लगती है फिर गर्मीके दिनोंमें घबड़ाहट मालूम हो तो आश्चर्य ही क्या? अन्य पीसनेवालोंके लिये नियम है कि पीसनेके पहले टाटका कुरता उतार डालें, किन्तु गनीक्लोदिङ्गवालोंको उस कुरतेको पहने ही पीसना पड़ता था। अप्रेल, मईके दिन, लखलखाती धूपकी गरमी, भुजा कण्ठसे छिले हुए शरीर पसीनेसे लसफस, नहानेकी सुविधा नहीं, पसीना पोंछनेके लिये पास अंगौछा नहीं, ऐसी स्थितिमें कल्पना कीजिये कि कितनी यातना और दुर्दशा हुई होगी! टाटके कपड़ेमें पसीनेकी दुर्गन्धके कारण सैकड़ों चीलर और जूवें पड़ गईं। शरीरके सम्पूर्ण भागमें चीलर दौड़ते और जगह जगह काटते थे, उस दुर्गन्धके कारण

अन्न खानेकी भी रुचि जाती रही। परन्तु यदि अनाज न खावें तो पीसा न जाय इस लिये जबरदस्ती खाना पड़ता था। ऐसी यमयातनामें रातको नींद आना असम्भव था। दिनकी मेहनत और रातके जागरणके कारण जब थकानसे बेहोसी आती, तभी जरासी आंखें मुदती थीं! शरीर में टाटके कपड़े तो थे ही इसी समय पाओंकी बेड़ियां भी नसीब हुईं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि मुझे अन्दरूनी बुखार चढ़ता और दोपहरको उतर जाता और शामको फिर बुखार आता और सबेरे उतरता था। एक दिन जिस समय बुखार चढ़ा हुआ था, उसी समय मैंने डाक्टरको बुलाया। डाक्टर देख कर चला गया। बुखार भी शामको जाता रहता परन्तु मेरी और चक्कीकी दोस्ती ऐसी मजबूत थी कि वह ज्यों की त्यों कायम रहती। यदि ऐसी ही स्थितिमें मैं और रहता तो मुझे क्षयरोग हो जाता, परन्तु शीघ्र ही मैं खण्डुवा पहुंचाया गया। नागपुरके स्टेशन पर डाक्टर चोलकर आदि मित्रोंने मुझे इसी स्थिति में देखा था।

७—खण्डुवेमें जब पहिले दिन मुझे पारसी सुपरिण्टेण्डेण्ट के सामने पेश किया गया, तब उन्होंने मेरा 'हिस्टरी टिकट' देख कर कहा "मालूम होता है तुमने नागपुर जेलके अधिकारियोंको बहुत सताया है। यद्यपि इस प्रान्तमें तुम्हारे पिताने नाम कमाया है (सेशन जज रहे हैं) तथापि मैं तुम्हें निश्चय

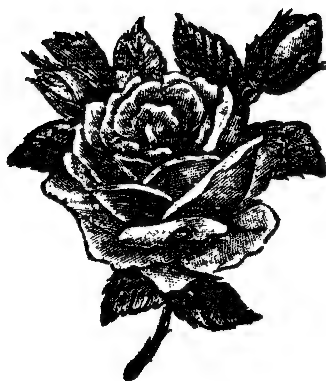
पूर्वक कहता हूं कि तुम्हारे विरुद्ध यदि एक भी रिपोर्ट हुई, तो पहली ही रिपोर्ट में मैं तुम्हें बेतोंसे पीटनेकी सजा दूंगा। गिट्टी फोड़नेके काम में मैं नया था इसलिये सुपरिण्टेण्डेण्ट ने पूरा काम करनेके लिये छः दिन की मोहलत दी। नागपुर का विचित्र अनुभव, गिट्टी फोड़ने का अड़बड़ काम, इधर यह मालूम नहीं कि हथौड़ा कैसे पकड़ना होता है, उधर सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब की यह धमकी कि पहिली ही रिपोर्टमें बेतों का भयानक दण्ड, मेरे दिल में हड़बड़ी मचाने लगा। मैंने सोचा कि नागपुर में अभी कम बेइज्जती हुई है इसी लिये बेत लगाकर उसे पूरा करनेके लिये मेरा दुर्भाग्य मुझे यहां ले आया है, परन्तु उस दयामय जगदीश्वर की कृपा से छठे दिन मैं छः फुट गिट्टी फोड़नेमें समर्थ हुआ और एक महीनेतक यद्यपि नित्य मेरी गिट्टी नापी जाती थीं, परन्तु वह कभी कम नहीं हुई। जिस समय मैं हाजत में था उस समय जो पुस्तकें मुझे पढ़नेको मिली थीं, वे साथ खण्डवे आयी थीं। एक महीनेके बाद मैंने प्रार्थनाकी कि उनमें से कुछ पुस्तकें मुझे पढ़ने को दी जावें। जेलके कायदे के अनुसार उनमेंसे मुझे कुछ अदल बदल कर एक घण्टे दोपहर के समय दी जाती थीं खण्डवे में हर महीने की पहिली तारीख को "डिपुटी कमिश्नर" जेल देखनेके लिये आते थे। नागपुर में मुझे तीन महीने की दण्ड-बेड़ी की सजा दी गई थी। उसके दो महीने नागपुर में हो चुके थे शेष महीने की सजा खण्डवे के

डिपुटी कमिश्नर ने माफ कर दी। इसी तरह अड्डदण्ड (Cross-bar fetters) की सजा भी उन्होंने सितम्बर महीने में माफ कर दी। पहला पारसी सुपरिण्टेण्डेण्ट अगस्त में चला गया और उसकी जगहपर आये हुए गोरे सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझे गिट्टी फोड़नेके कामसे बदल कर रसोई पकानेके काम में नियुक्त किया। उन्होंने मेरी कमजोरी देख कर ताकत की दवा दी। इन्होंने यह भी हुक्म दे दिया कि पढ़ने की पुस्तक दिन भर पास रहें। इन सुपरिण्टेण्डेण्टके समयमें मेरा वजन १०३ पौण्डसे १२६ पौण्ड तक बढ़ा।

८—नागपुर की २० पेशियोंने मुझे अपने मित्रोंसे मिलने से वञ्चित रक्खा नहीं तो तीन महीने में एक बार अपने कुटम्बी या इष्ट मित्रोंसे मिलने या पत्र भेजने की इजाजत है। खण्डुवे में एक भी रिपोर्ट न होनेसे मैं तीन वार अपने मित्रोंसे मिल सका। मांगनेसे मुझे बाइबिल की पुस्तक मिल गई थी। मैं रूसके क्षेपक भाग को पढ़ता और सोचता कि रूसमें जैसी २ तकलीफों का वर्णन है उनके सामने मेरी तकलीफें कुछ भी नहीं हैं। मैं सोचता था कि अपनी भारतभूमिके सर्ववन्द्य शुभ-चिन्तक श्रीमान् बालगङ्गाधर तिलककी छः वर्षकी सजाके आगे मेरी सवावर्ष की सजा बहुत थोड़ी है। खण्डुवा जेल के सिपाही जब अपनी आदतके अनुसार मुझे बहुतसी गालियां

देते थे तब यह सोच कर मेरा कलेजा टूक टूक हो जाता था कि क्या थानेकी जेल भोगते समय श्रीयुत पराञ्जपे और साबरमती जेल में कड़ी सजा काटते समय महाभाग तिलक को भी इसी तरह कोई सिपाही गाली देता होगा! जेलमें कोई एक दो मिनट से अधिक पायखानेमें नहीं बैठने पाता; यदि जरा भी देर लगी तो सिपाही हाथ पकड़कर घसीट लाता है। कुसमय पायखाने आना वहां अपराध समझा जाता है। पन्द्रह दिनमें एक बार नहाने दिया जाता है। जेलमें प्रत्येक कैदीको जितना खानेके लिये दिया जाता है, उतना हर एकको खाना ही पड़ता है। यदि कोई कम खुराकवाला हो तो पेट भरजाने पर उसे ठूंस लेना पड़ेगा और यदि कोई अधिक खुराकवाला हो तो उसे उतना खाकर भूखे रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे कम अथवा अधिक खाना अपराध गिना जाता है। नागपुरमें मैं अन्य कैदियोंके साथ नहीं रखा गया। जिस कालकोठरीमें रक्खा गया, उसीमें आखीर तक रहा, परन्तु कायदेके अनुसार जिन्हें कालकोठरी (Solitary Cell) की सजा दी जाती है, उन्हें एक बार एक हफ्तेसे अधिक दिनों तक उसमें नहीं रक्खा जाता। किसी मनुष्यको इस प्रकार बिना हिसाब कालकोठरीमें रखनेसे न जाने कौनसा पुरुषार्थ साधित हुआ? खण्डुवेमें मैं अन्य कैदियोंके साथ ही रहा, किन्तु वहां कोई आफत नहीं आई। खण्डवे के अधिकारियोंने साफ कहा कि उसे हम अका-

रण काल-कोठरीमें नहीं रक्खेंगे। नागपुरकी बीस रिपोर्टोंका खण्डवेमें इतना ही बुरा परिणाम हुआ कि सोनेके किये काल-कोठरीमें जाना पड़ता था। खण्डवेकी 'एकान्त कोठरियां' अच्छी हैं और वहां सोने के लिये मट्टीका ऊंचा चबूतरा सा बना है और पायखानेकी सण्डास भी जरा दूर है, परन्तु नागपुरमें पाय-खानेकी जगह सिरहानेसे कुछ ही फासले पर है। मुझे यह बात बिल्कुल नहीं मालूम हुई कि मेरे स्वास्थ्यके बारेमें मेरे शुभचिन्तकोंने कुछ प्रयत्न किया है। मैं समझता था कि खण्डवेमें जो कुछ आराम मिला है, वह पार्लियामेण्टके प्रश्नोंके कारण ही होगा।



दक्षिण अफ्रीकाका सत्याग्रह ।

—*::*—

श्रीयुत भवानीदयालकी कैद कहानी ।

ता० १४ अक्टूबर सायंकालको मि० भवानीदयालके साथ ८ पुरुष और ११ स्त्रियोंका सत्याग्रही दल न्यूकासलके 'रेलवे वारक्स' में गया । यहांपर बहुतसे भारतीय मजूर काम करते हैं । मि० भवानीदयालने हिन्दीमें और मि० थम्बीनायडूने तामिलमें व्याख्यान देकर भारतीयोंको समझाया कि जबतक सरकार ३ पौण्ड वार्षिकका कर रद्द न कर दे, तबतकके लिये तुम लोग गोरोंके कामको छोड़ दो । यहीं दक्षिण अफ्रिकामें हड़तालका आरम्भ हुआ और यह महान यश आपहीके भाग्यमें बदा था । इधर आप भारतीयोंको उपदेश कर रहे थे, उधर किसी दुष्टने जाकर स्टेशनमास्टरको खबर दे दी कि मि० भवानीदयाल और मि० थम्बीनायडू रेलवे मजूरोंको बहकाकर हड़ताल कराना चाहते हैं । खबर पाकर स्टेशनमास्टर तुरन्त वहां पहुंच गया, जहां ये लोग हड़ताल करनेके लिये मजूरोंको उपदेश कर रहे थे । स्टेशन-मास्टर आकर आपको भांति भांतिकी धमकी देने लगा, पर इधर-से उनको मुंहतोड़ उत्तर मिलता गया । निदान विवश होकर स्टेशनमास्टरने न्यूकासलके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टको सूचना

दी। वह साहब कई एक गोरे और काफिर सिपाहियोंके साथ वहां पहुंच गये और श्रीयुक्त भवानीदयाल तथा मि० थम्बीनायडू को नेता कहकर पकड़ लिया! अन्य सत्याग्रही पुरुष स्त्रियोंने पकड़ानेके लिये बड़ी आतुरता दिखायी, पर वे सफल मनोरथ न हुए।

वहांसे पकड़े जाकर आप लोग दोनों न्यूकासल की जेलमें लाये गये और वहां रातभर एक अन्धेरी कोठरीमें बन्द रहे। इस जेलमें इतने खटमल थे कि रातभर आपको नीन्द न आई। खटमलोंने आपका खूब रक्त चूसा। आपकी देहमें बड़े बड़े फफोले पड़ गये। आपके लिये जेलका मेहमान बननेका यह पहला ही अवसर था इससे पहिले आपने इस बड़े घरका कभी दर्शन न किया था। ज्यों त्यों करके रात कटी। प्रातःकाल आप लोग जेलके प्रधानकी सेवामें उपस्थित किये गये। उसने आपसे १८ अंगुलकी भिन्न भिन्न प्रकारसे छाप मांगी। पर जेल होनेसे पहिले ऐसी छाप देनेसे आपने बिलकुल इनकार किया। इसपर खुद जेलर आपकी गर्दनमें हाथ लगा धक्का देते हुए कार्यालयमें ले गया और वहां बलात् अंगूठेकी छाप लगवायी। ठीक १० बजे मजिस्ट्रेटने सब कुछ सुनकर आपको और मि० नायडूको ३०—३० रुपये जुर्मानेका दण्ड दिया। आपने जुर्माना न देकर जेल जानेकी इच्छा प्रकट की, पर मजिस्ट्रेटने जेलमें न भेजकर आप दोनोंको छोड़ दिया।

उसी दिन ' पिक्टोरियल ' के सम्वाददाताने समस्त सत्याग्रहियोंका चित्र लिया, जो ३० अक्टूबरको 'पिक्टोरियल'में प्रकाशित हुआ। मि० भवानीदयाल अपनी धुनमें लगे थे। उसी दिन शामको आप कोयलेकी खानपर गये और आपने हड़ताल कराना आरम्भ किया। उस समय रात और दिन आपके लिये बराबर था। एक रातको श्रीयुक्त भवानीदयाल, मि० थम्बीनायडू और मि० केलनबेक बैलङ्गी कोयलेकी खानमें हड़ताल करानेको गये। इन लोगोंको जाते देखकर किसी गोरेने उस खानके मैनेजरको 'टेलीफोन' द्वारा खबर दे दी। उस खानका मैनेजर चाबुक लेकर मार्गमें बैठा हुआ इनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहा था। इनके पहुंचनेपर उसने बहुत उलटी सिधी सुनाई। खैर, उस रातको आप न्यूकासल लौट आये और हड़ताल करानेके लिये यथाशक्ति प्रयत्न करने लगे। निदान न्यूकासलके आसपास हड़तालकी आग धधक उठी। रेलवे काम करनेवाले मजूरोंने काम छोड़ा, कोयलेकी खान, लौण्डरी, अस्पताल, होटल, शराबखाना आदिमें काम करनेवाले भारतीय मजूरोंने हड़ताल कर दी। यहांतक हड़तालकी उत्तेजना फैली कि मैला उठानेवाले भङ्गियोंने भी हड़ताल बोल दी। जिधर आंख उठा कर देखो, उधरही हड़तालियोंका दल दिखाई देता था। कितने मजूरोंको कोड़े मारे गये, कितने तीरोंसे बेधे गये, कितने बन्दूक के निशाना बनाये गये और कितनों पर अमानुषिक अत्याचार

किया गया, पर 'मरज बढ़ताही गया, ज्यों ज्यों दवाकी' वाली कहावतके अनुसार हड़तालकी आग फैलती ही गयी। हजारों मनुष्य काम धन्धा छोड़कर हड़ताली बन गये। इसके जोड़ का दूसरा उदाहरण संसारके इतिहासमें मिलना कठिन है। यों तो छोटी मोटी अनेक हड़तालें हो चुकी हैं, पर ऐसे सच्चे देशप्रेम, स्वार्थत्याग और एकताका अन्य हड़तालोंमें सर्वथा अभाव रहा होगा।

इस भयानक हड़तालको देखकर यहांके गोरे अधिवासी और दक्षिण अफ्रिकाकी सरकार एकदम घबड़ा उठी और उसने हड़-ताली नेताओंको पकड़कर जेलमें ठेलनेका निश्चय किया। ता० १८ अगस्तको प्रातःकाल मि० हेनरी पोलक भी न्यूकासलमें पहुंच गये। आजके 'नेटाल वीटनेस' नामक अङ्गरेजी दैनिक पत्रमें श्रीयुक्त भवानीदयालजीका पूरा पूरा व्याख्यान छपा था। बस, दक्षिण अफ्रिकाकी सरकारने तुरन्त इनको पकड़नेका वारण्ट जारी किया। कोई १० बजेके समय थानेदारने अन्य ३ सत्याग्रहियोंके साथ मि० भवानीदयालको पकड़ लिया। वह आपका नाम धाम पूछने लगा। आपने कहा कि नाम तो मेरा दयाल है, पर इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपके विशेष आग्रहसे थानेदारने आजही आपको मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया। आप प्रसन्नता

पूर्वक अभियुक्तोंके कठघरेमें जाकर खड़े हुए। मजिस्ट्रेटने आपको टोपी उतार देनेको कहा, पर आपने ऐसा करनेसे इनकार किया।

मजिस्ट्रेट—तुम हिन्दू हो या मुसलमान?

मि० भ० दयाल—मैं हिन्दू हूं।

मजिस्ट्रेट—मुसलमानोंको टोपी पहने हुए अदालतमें आनेका हक है, परन्तु हिन्दुओंको नहीं।

मि० भ० दयाल—साहब, यह मेरी देशी टोपी है, इसको पहनकर मैं हर एक अदालत में जाता हूं, पर आपके समान विचित्र आज्ञा किसीने आज तक नहीं दी।

इसके बाद आपके मुकदमेकी कार्यवाही आरम्भ हुई। आपने अपने बयानमें कहा कि जब तक भारतीय मजूरोंका खून चूसनेवाला ३ पौण्डका कर रद्द न किया जायगा, तबतक हम हड़तालका काम जारी रखेंगे। तत्पश्चात् पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्ट, पुलिस इन्सपेक्टर और हेड कान्सटेबिलका बयान लिया गया। इन महानुभावोंने मि० भवानीदयालके विरुद्ध साक्षी दी। इसके बाद मजिस्ट्रेटने अपना लम्बा चौड़ा फैसला पढ़ सुनाया। उस समय अदालतमें लगभग ५०० भारतीय स्त्रियों और पुरुषोंका जमाव था। मजिस्ट्रेटने कहा कि जिस उद्देश्यसे तुमने

हड़तालका काम जारी किया है, वास्तवमें वह सफल न हुआ। तुमको सरकारसे विरोध करना चाहिये, परन्तु तुमने व्यापारियों का काम धन्धा बन्द कराया है। इस लिये गोरे व्यापारियोंका जो व्यापार नष्ट हुआ, बिचारे हड़ताली, उनकी स्त्रियां और उनके बच्चे जो खाने बिना मरेंगे, उन सबका अपराध तुम्हारे ऊपर है। अभी तक तुम्हारे समान आन्दोलनकारियोंके लिये यथेष्ट कायदा नहीं बनाया गया है, आशा है कि पार्लियामेण्टकी आगामी बैठकमें बन जायगा। इस लिये तुमको दयापूर्वक ७५) रुपये अर्थदण्ड अथवा ३ मास सपरिश्रम कारावासका दण्ड दिया जाता है। मि० भवानीदयालने उत्तर दिया कि महाशय! आप दयाको अपने पास रखिये और हमको कड़ेसे कड़ा दण्ड देनेकी कृपा कीजिये। सिपाही उनको वहांसे हटाकर जेलको ले चले। उस समय मि० हेनरीपोलक, मि० थम्बीनायडू आदि प्रसिद्ध नेताओंने आकर आपसे हाथ मिलाया और भारतमाताके यशकी रक्षा करनेके लिये आपको उत्साहित किया।

आप न्यूकासलके जेलमें लाये गये और कपड़े बदलकर आपको जेलके कपड़े पहनाये गये। जेलके कपड़े आपको बड़े पसन्द आये। अन्ततः आप जेलकी एक कोठरीमें बन्द कर दिये गये। सायङ्कालके समय सब कैदियोंको 'पूपू' के साथ खानेको रोटी मिली पर उस दिन आपको रोटी नहीं दी गयी। जेलरसे आपने शिकायत की तो उत्तर मिला कि आप सबेरेसे

आये, इस लिये आपको आज रोटी नहीं मिलेगी। अतएव आजकी रात आपने उपवास किया। दूसरे दिन रविवार था, इसलिये आपको कामपर न लेजाकर दिनभर एक कोठरीमें बन्द रखा गया। उधर आपके जेल हो जानेपर मिसेज भवानीदयाल आदि स्त्री और पुरुषोंने हड़तालका काम जारी रक्खा। इसलिये मिसेज भवानीदयाल आदि ११ स्त्रियोंको पकड़कर ३—३ मास सपरिश्रम कारावासका दण्ड दिया गया। मि० भवानीदयालका एक वर्ष का पुत्र रामदत्त वर्म्मा भी अपनी माताके साथ जेल गया, वास्तवमें भारतके वर्त्तमान इतिहासमें स्त्रियोंकी वीरताका ऐसा उदाहरण मिलना दुस्तर है।

× × × ×

ता० २० अक्टूबर सन् १९१३को मि० भवानीदयालजी न्यूकासलसे पीटर मेरीत्सबर्गके जेलमें लाये गये। यहांके चीफवार्डरने आपके पाससे भगवद्गीता छीन ली और वह भांति भांतिकी धमकी देने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे जैसे आन्दोलनकारियोंको ठीक करनेके लिये यही स्थान है। अतएव आप पीटर मेरीत्सवर्गके जेलमें अपना समय बिताने लगे। पहिले एक सप्ताह आपसे 'हार्ड लेबर यार्ड' में काम लिया गया। दूसरे सप्ताहमें आपको पत्थर तोड़नेका काम मिला। आंखोंमें एक झांझर तारका चश्मा लगाकर पत्थर तोड़ना पड़ता था। ठीक ७ बजे सुबहको कामपर आना पड़ता था, ११ बजने पर एक

घण्टा खानेके लिये छुट्टी मिलती थी। फिर एक बजेसे ५ बजे तक काम करना पड़ता था। यही कायदा वहांके सब जेलोंमें बरता जाता है। भारतीय कैदियोंको पहननेके लिये घुटनों तकका एक पतलून, एक कुरता, एक टोपी और एक जोड़ा जूता मिलता है। रातको बिछाने और ओढ़नेके लिये गर्मीमें दो और जाड़ेकी ऋतुमें ३ कम्बल दिये जाते हैं। किसी किसी जेलमें चटाई और तकिया भी मिलते हैं। आपको खानेके लिये प्रातःकाल काफिरोंका खाना ८ औंस 'मीली' दिया जाता था। दोपहरको ८ औंस भात, चार औंस बीन्सकी दाल और २ औंस शाकपात, सायङ्कालको २ औंस 'पूपू' और ६ औंस अङ्गरेजी रोटी दी जाती थी। छः महीने और उससे अधिकके सजा पाये हुए भारतीय कैदियोंको सप्ताहमें ३ बार एक एक औंस घी भी मिलता है और शामको 'पूपू' के बदले थोड़ीसी काफी मिल जाती है। प्रत्येक रविवारको दोपहरके समय आपको चार औंस चावल और मसाला डालकर पकाई हुई ८ औंस बीन्सकी दाल मिलती थी। जेलके प्रधानसे पूछनेपर मि० भवानीदयालसे कहा गया कि यह खाना भारत सरकारकी स्वीकृतिसे नियत किया गया है। न जाने भारत-सरकारने भारतीय कैदियोंके लिये क्यों काफिरोंका खाना 'मील' और 'पूपू' स्वीकार किया।

पहिले तो यह खाना आपसे बिलकुल न खाया जाता था,

पर धीरे धीरे अभ्यास करनेपर थोड़ा थोड़ा खाने लगे। आप और आपके साथियोंने कई बार घी मिलनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु आपकी प्रार्थनापर बिलकुल ध्यान न दिया गया। अन्तमें विवश होकर ता० १० नवम्बरको आप और अन्य ४० सत्याग्रही कैदियोंने इस प्रतिज्ञापर खाना छोड़ दिया कि जबतक घी नहीं मिलेगा तब तक खाना न खायंगे। इस आन्दोलनसे चिढ़कर जेलरने छः मनुष्योंको इस कामका अगुआ कहकर अलग बन्द किया। एक मि० भवानीदयाल, दूसरे मास्टर माणिकलाल गांधी, तीसरे मि० गोकुलदास गांधी, चौथे मि० प्रागजी देशाई पांचवें मि० सुरेन्द्रनाथ मेढ और छठे मि० रावजी पटेल। ये छः अलग २ कोठरियोंमें बन्द किये गये। उधर जेलर अन्य कैदियोंको डाट डपट बताने लगा। उसकी धमकीमें पड़कर और भूखकी ज्वालासे पीड़ित होकर २० मनुष्योंने भोजन ले लिया और अवशिष्ट २० मनुष्य अपनी प्रतिज्ञापर अटल रहे। जेलरने सोमवार ता० १० नवम्बरको मि० भवानीदयालको एक पिञ्जरेमें ले जाकर बन्द किया और आंखमें झांझर [लोहेकी पट्टी] बांध कर पत्थर तोड़नेका काम दिया कि शायद इससे घबड़ाकर आप खाना खालेंगे। भारतमें तेली लोग बैलको आंखमें पट्टी बांध कर कोल्हूमें जोतते हैं, ठीक वही तेलीके बैलकी तरह इस समय आपकी दशा हुई। सोमवारका दिन निकल गया, मङ्गलवार आया। आज भी आपको पूर्वोक्त दण्ड मिला, जेलरने आकर

आपको अनेक तरहसे समझाया कि जेलके कायदेमें छः मासले कम सजा पाये हुए कैदियोंको घी नहीं मिल सकता है। अतः तुम जेलका नियम भङ्ग करनेके अपराधी हो; तुम्हारे दुष्ट उपदेशसे कई एक सुकुमार बालक खाने बिना मरते हैं; परन्तु जेलरके इस कथनका आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। शामको ५ बजे स्थानीय मजिस्ट्रेट आये और आपने मि० भवानी-दयालको बुलाकर पूछा कि तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? आपने उत्तर दिया कि जब तक घी नहीं मिलेगा तबतक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इसपर मजिस्ट्रेटने कहा कि "क्या तुमने जेलको अपना घर बना रखा? आज तुम घी मांगते हो, तो कल दूध माँगोगे, परसों फल माँगोगे और नरसों कुछ और ही चीज माँगोगे। इस लिये तुम्हारी बातपर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जायगा। यदि तुम मर भी जाओगे तो भी हमको कुछ परवाह नहीं है। तुमको भूमिमें गाड़ देनेके लिये पर्य्याप्त स्थानका प्रबन्ध कर लिया गया है।" मि० भवानीदयालने प्रत्युत्तरमें कहा कि चाहे हम भले ही मर जाँय, पर बिना घीके अन्न न खायेंगे। अन्तमें मजिस्ट्रेट साहब निराश होकर लौट गये। आपने अपना उपवास जारी रखा। दो दिन उपवास करनेसे मंगलकी रातको ज्वर आगया और रातभर आप बेसुध पड़े रहे। प्रातःकाल सेक्सन वार्डरने आपको उठवाकर अस्पतालमें भेज दिया। आज आपके उपवासका तीसरा दिन था। आप बुधवारको दिनभर

बेचैन पड़े रहे। आज अन्य ११ उपवासी कैदी भी अस्पतालमें पहुंच गये। ज्यों त्यों करके दिन कटा। शामको ५ बजे जेलके प्रधानने समस्त कैदियोंको पंक्तिबद्ध खड़ा कराकर राजस्व-सचिवका तार पढ़ सुनाया कि तुम लोग अब भोजन करना आरम्भ करो, कलसे तुम लोगोंको एक औंसके हिसाबसे प्रति-दिन घी मिला करेगा। अतएव कैदियोंने भोजन करना शुरू किया पर मि० भवानीदयालजी बेसुध थे। तीन दिन भूखे रहनेसे आप एकदम निर्बल हो गये। आपको जेलके अस्पतालमें भेजा गया और एक सप्ताह आपने अस्पतालमें निवास किया। जेलके भोजनके अतिरिक्त २ पौण्ड (१ सेर) दूध भी आपको मिलता था? थोड़ासा निरोग होनेपर आप खेतमें काम करनेके लिये भेजे गये। आपके साथ महात्मा गान्धीके पुत्र रामदास गांधी भी खेतमें काम करते थे। इसी प्रकार करते कराते कुछ समय बीत गया।

ता० २८ नवम्बरको मि० भवानीदयाल वहांसे बदलकर दरबनके सेण्ट्रल जेलमें भेजे गये। आपके साथ ही अन्य १०० सत्याग्रही पुरुष और ११ सत्याग्रही स्त्रियां भी सेण्ट्रल जेलमें भेजी गयीं। यहांपर आपके साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया, उसका वर्णन करते लेखनी थर्राती है और मुंहसे आह निकल आती है। आपको घुटने तकका पायजामा और एक कुरता

किया गया। कोट और टोपी ऐसी दुर्गन्धयुक्त थी कि उसके पहिननेसे आपने बिलकुल इनकार कर दिया। भोजन ऐसा खराब दिया गया कि जिसे सूंघकर कुत्ता भी न खाय। गोरे-वार्डर 'कुली' और काफिर सिपाही 'मकूला' कहकर बुलाते थे। बात बातमें गाली देते थे, जरासी बात करनेपर चाबुकों-की मार पड़ती थी। यह जेल क्या था मानो यमराजका घर था। पत्थरके चबूतरेपर सोनेके लिये केवल एक कम्बल दिया गया। राम राम करते रात कटती थी। एक दिन मि० भवा-नीदयालजी पायखानेपर बैठे थे, उस समय एक काफिर सिपाही ने आकर आपसे कहा कि 'एमकूला छेछा' अर्थात् हे मजूर शीघ्रता कर। आपने उसकी भाषामें उत्तर दिया कि 'मीनी फोगीले खोना मांझे' अर्थात् मैं अभी आया हूं। इसपर उस काफिर सिपाहीने आपको हाथ पकड़कर ढकेल दिया। आपने कहा कि 'इनीन डाबा वइना ऐंसा फानाके लो' अर्थात् तुम ऐसा क्यों करते हो? इसपर दो सिपाही आपको पकड़कर गला दबाने लगे और आपको पायखानेसे निकाल बाहर किया। आपने एक गोरे वार्डरसे यह कथा कह सुनायी। उसने कहा कि तुम्हारे जैसे दुष्टोंके साथ ऐसा बर्त्ताव होना ही चाहिये। यदि मुझसे अधिक बात करोगे तो मैं भी तुमको मारूंगा। आप निराश होकर अपनी कोठरीमें चले आये। अतएव उस दिनसे पुनः उपवास करा आरम्भ किया, इस बार पांच दिन

तक उपवास जारी रहा। जेलके कर्मचारी इन लोगोंका साहस देखते थे कि अब ये लोग शायद गिर पड़ें और अपनी प्रतिज्ञासे हट जांय; पर जब पांच दिन बिना अन्नके इन लोगोंने बिताये, तब जेलके गवर्नर मि० डीनने आकर इस शर्त पर सुलह की कि तुम्हारी सब शिकायतें दूर कर दी जायंगी। इसके बाद आप लोगोंने भोजन करना स्वीकार किया।

यद्यपि आप लोगोंकी छोटी मोटी शिकायतें दूर कर दीगई, किन्तु गोरे और काफिर सिपाहियोंका कुली कहना न छूटा। आपने जाकर जेलके गवर्नरसे इस अपशब्दको दूर करनेकी प्रार्थना की; पर गवर्नर साहबने तत्क्षण शब्दकोष निकाल कर कुली शब्दकी विवेचना कर दी। आपने कहा कि 'कुली' का अर्थ है 'मजूर' चूंकि तुमको 'सख्त मजूरी' का दण्ड मिला है, इसलिये तुमको कुली कहना कुछ भी अनुचित नहीं है। सत्याग्रही कैदियोंको जूता नहीं दिया गया, नंगे पैरों रहना पड़ता था। पढ़नेके लिये पुस्तक मांगने पर गवर्नरने कहा कि हम किसी काले कैदीको अङ्गरेजीकी पुस्तक नहीं दे सकते हैं। कुछ दिनोंके बाद सत्याग्रही कैदियों की शिकायतें सुननेके लिये स्थानीय मजिस्ट्रेट आये। मि० भवानीदयालने अपनी दुःखभरी कहानी सुनाकर न्यायके लिये प्रार्थना की। मजिस्ट्रेट साहब केवल ढाढ़स देकर चले गये;

परन्तु आपका कष्ट पूर्ववत् जारी रहा। श्रीयुक्त भवानीदयालसे जेलके अन्दर काम लिया जाता था, एक दिन बाहर काम करने वाले कैदियोंकी दशा देखनेके लिये आप बाहर निकले। दरबनके निकट अमगेनीमें पत्थर तोड़नेका काम होता है, वहां पर कैदियोंको दरबनसे रेलगाड़ीमें चढ़ाकर पहुंचाया जाता है। अन्य कैदियोंके साथ आप वहां गये। दोपहरको खानेके लिये केवल ८ औंस चावलका भात मिला, जिसके साथ बीन्स, वेजीटेबल अथवा जिसमें नमक तक भी नहीं था, वह भात दुर्गन्धयुक्त और रातका रान्धा हुआ था। भारतीय कैदियोंकी यह दुर्दशा देखकर आपके आखोंसे खूनके आंसू बह चले। दिन भर तो कड़ा काम करना और खानेका यह हाल!

इस अनुपयोगी भोजनको ग्रहण करनेसे मि० भवानीदयाल को आँवका रोग हो गया। ता० २५ दिसम्बर (ईसाईयोंका बड़ा दिन) को आप रोगपीड़ित होकर अस्पतालमें गये। आपका स्वास्थ्य एकबारगी बिगड़ गया था। उस दिन आपको १०५ डिग्री बुखार चढ़ा था। दूसरे दिन डाक्टरने आपकी नाड़ी देखकर औषधि दी और केवल दूध पीनेकी आज्ञा दी। दो चार दिन तो बेसुध पड़े रहे। मलमें केवल खून ही दिखाई देता रहा। इधर तो यह दशा हो रही थी और उधर कुछ बीर सत्याग्रही पुरुषोंने पुनः उपवास करना आरम्भ कर

दिया। इस बार छः दिन तक इन वीरोंने अन्न न खाया। रोग-पीड़ित होनेके कारण मि० भवानीदयाल इस अन्तिम उपवास में भाग न ले सके। छः दिनके उपवास हो चुकनेपर गवर्नर और जेलरकी आँखें खुलीं। उन्होंने अपनी करतूत पर पश्चात्ताप प्रकट किया और सत्यग्राहियोंसे क्षमाके लिये प्रार्थना की। अब तो आपलोगोंकी प्रायः सब शिकायतें दूर कर दी गईं। अब खाना अच्छा मिलने लगा, पहननेके लिये जूते मिले। गोरे और काफिर सिपाही 'स्वामी अथवा इण्डियन' कहकर पुकारने लगे। पर मि० भवानीदयाल आदि १० नेताओंको छोड़कर शेष पॉयन्टमें के जेलमें भेज दिये गये, यहाँ उन बिचारोंपर मनमानी घरजानी की गई। मि० भवानीदयाल १७ दिनतक अस्पतालमें पड़े रहे, वहाँ उन्हें खानेके लिये दूध, मजोना, वोटमील, साबूदाना और चाय मिलती थी। कुछ आराम होनेपर आप हेलका काम करनेके लिये वाहर भेजे गये।

जेलमें आप प्रातः ३ बजे उठ खड़े होते थे। ५ बजे जेलका घन्टा बजता था। उस समय अपना बिछौना इकट्ठा कर तय्यार हो जाते थे। थोड़ी देरमें कोठरीका द्वार खोला जाता था। उस समय मैला और पेशाबके बर्तन उठाकर पाखानेमें फेकने पड़ते थे। वहांसे आप स्नानागारमें जाकर हाथ मुंह धोते थे और प्रातःकाल भोजन लेकर अपनी कोठरीमें चले आते

थे। चाय पी करके तैयार हो सात बजे कामके लिये चले जाते थे। १२ बजे खानेके लिये कामसे छुट्टी मिलती थी। उस समय सिपाहीसे नङ्गाझोरी कराके भोजनशालामें जाकर भोजन देते थे। एक बजे पुनः कामपर जाना पड़ता था। पांच बजे सायंकालको कामसे छुट्टी मिलनेपर आपके कपड़ोंकी पुलिस तलाशी लेती थी। वहांसे स्नानागारमें जाकर स्नान करते थे और सायंकालिक भोजन लेकर अपनी कोठरीमें बन्द हो जाते थे। कुछ समय तक परमात्माकी प्रार्थना करनेके बाद निद्रादेवीकी गोदमें विश्राम करते थे। जेलमें यही आपकी दिनचर्या थी। आप अपने मनमें सोचा करते थे कि हम अपने भाइयोंकी भलाईके लिये जेलमें आये हैं, इसलिये आप सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उदासीका नाम तक नहीं था। आपके अन्तःकरणमें देशसेवाके भावसे दिन जाते देरी न लगती थी। ३ मास ३ घड़ीके समान प्रतीत हुए। आपसे जेलमें मिलनेके लिये श्रीयुक्त कुञ्जबिहारी-सिंहजी कोषाध्यक्ष "क्षत्रिय-वंश-सुधार सभा" नेटाल, दो बार आये और २ बार श्रीयुत देवीदयालजीका पत्र भी आपको मिला।

\+ × × +

आज तारीख १७ जनवरी सन् १९१४ शनिवारका दिन है। आज ही आप कैदसे छूटनेवाले हैं। प्रातःकाल उठकर मि० भवानीदयालजीने नित्य नैमित्तिककर्म्म किया और ७ बजेके समय छूटनेवाले कैदियोंकी पंक्तिमें जाकर खड़े हो गये। वहांसे

आप डाक्टरके पास लाये गये। डाक्टरने आपकी नाड़ी देखकर छोड़नेकी आज्ञा दी। चीफवार्डरने आपसे आपका कपड़ा बद्लवाकर नियमित समयसे पहले छोड़ दिया। चलते समय चीफ वार्डरने आपसे पूछा कि क्या आप फिर जेलमें आवेंगे? मि० भवानीदयालने कहा कि अपने देशकी इज्जत और आबरूकी रक्षाके लिये हमें जेलको महल समझना होगा और अपनी मातृभूमिकी प्रतिष्ठाके लिये जानको कुर्बान करना होगा। नौ बजेके समय आप छोड़ दिये गये। आपका स्वागत करनेके लिये जेलके दरवाजेपर वयोबृद्ध नेता मि० बद्री, प्रसिद्ध देशभक्त मि० थम्बी नायडू, हिन्दू नेता मि० लालाबहादुरसिंह, मि० थानु महाराज, मि० गोकुलदास गान्धी, श्रीमती राजदेवी, मिस शेलीश्न (एक प्रतिष्ठित युरोपियन कन्या), आदि प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे। नेटाल इण्डियन एसोसियेशन तथा अन्य सज्जनोंकी ओरसे आपके गलेमें फूलोंकी माला पहनाई गई और अपूर्व स्वागत किया गया। वहांसे आप सेठ रुस्तमजी पारसीके घरपर लाये गये। यहां आपको एक प्रीति-भोज दिया गया, जिसमें मि० हेनरी पोलक, मि० केलनबेक, मि० पीयर्सन, मि० प्रेब्रियल आदि युरोपियन मित्र भी शामिल हुए थे। प्रिटोरिया से महात्मा गान्धी ने आप से "हिन्दी इण्डियन-ओपिनियन" के सम्पादक होने का अनुरोध किया, जिस को आपने सादर स्वीकार कर लिया।—तथा इस पत्रका आप

बड़ी योग्यतापूर्वक सम्पादन करने लगे। एक बार भारत सरकार के प्रतिनिधि सर बेञ्जामिन राबर्टसनके खास सलाहकार बाबू राय साहबसे भेंटकर इस सत्याग्रहके सम्बन्धमें बात चीत की।

× × × ×

आज ता० २० जनवरीका दिन है। मि० भवानीदयालके साथ ११ सत्याग्रही स्त्रियां छूटनेवाली हैं। दरबन ११० फील्ड स्ट्रीटमें आज प्रातःकालसे ही स्त्री, पुरुष और बालकोंका जमाव होने लगा। ट्रान्सवालकी ११ वीराङ्गनाएं जिन्होंने वीरोनीखन की सरहदके ऊपर और न्यूकासलकी खानोंपर अपनी अद्भुत् वीरता दिखाई थी; न पकड़नेकी इच्छा होनेपर भी सरकारको जिन्होंने पकड़नेके लिये वाध्य किया, आज वे ही तीन मासकी सख्त मजूरीकी कैद भोगकर दरबनके सेण्ट्रल जेलसे छूटनेवाली हैं। इनका स्वागत करनेके लिये संयुक्तप्रान्त, बिहार, गुजरात, पञ्जाब और मद्रास प्रान्तके सैकड़ों नरनारी उपस्थित थे। एक ओर यह खबर फैल गई कि मिसेज भवानीदयाल आदि ११ स्त्रियोंको देश-निकालेका दण्ड दिया जायगा और दूसरी ओर सरकारी तौरपर यह कहा गया कि फौजी कानूनके अनुसार इन स्त्रियोंके सम्बन्धमें किसी प्रकारका जुलूस नहीं निकल सकेगा। जुलूस निकालनेके लिये मि० पोलक दौड़धूप कर रहे थे। १० बजेके समय स्त्रियां छोड़ दी गईं। जेलरने आकर मि० भवानीदयालसे कहा कि आप शीघ्र इमीग्रेशन आफिसमें जाकर

अपनी स्त्रीको छुड़ानेका प्रयत्न कीजिये। आप जेलरके आदेशानुसार ट्राम पर चढ़ कर तत्काल ही इमिग्रेशन आफिसमें पहुंचे और अपनी स्त्रीको छोड़ देनेके लिये आज्ञा माँगी। इसपर गुप्तचरोंने आपको भी पकड़ लिया कि तुम भी इस प्रान्तके अधिवासी नहीं हो इस लिये तुमको भी देशनिर्वासनका दण्ड मिलेगा। आपने अपने पकड़े जानेकी खबर टेलीफोन द्वारा मि० पोलकको दे दी। इसके बाद गुप्तचरोंने मि० भवानीदयालको प्रधान इमीग्रेशन अमलदार मि० डीकके सामने पेश किया। मि० डीकने आपको देखते ही पहिचान लिया उसने गुप्तचरोंसे पूछा कि मि० भवानीदयालको तुमलोग क्यों पकड़कर लाये हो। यह गतवर्ष अंग्रेजी भाषामें (Educationallest) परीक्षोत्तीर्ण हो चुके हैं। अतएव इन्हें इस प्रान्तमें रहनेकी आज्ञा राजस्व-सचिव अनरैबल फीसरसे मिल चुकी है। यह कह कर उसने आपको छोड़ दिया और आपकी स्त्रीको छोड़नेके लिये जेलरको टेलीफोनसे सूचना दे दी। निदान ११ बजेके समय मिसेज भवानीदयाल अपने प्यारे पुत्र रामदत्त वर्म्माके साथ जेलसे छुटी। जेलके दरवाजेपर फिटन मौजूद थी, उसपर चढ़कर मिसेज भवानीदयाल वृद्धनेता मि० बद्रीके साथ सेठ रुस्तमजी पारसीके घरपर आईं। अन्य ७ स्त्रियोंको छुड़ानेके लिये कोशिश जारी थी। १२ बजेके समय राजस्व-सचिवकी आज्ञासे अवशिष्ट ७ स्त्रियाँ भी छोड़ दी गईं। यहाँ मिसेज भवानीदयाल आदि

सत्याग्रही स्त्रियोंको एक प्रीति-भोज दिया गया।—जिसमें श्रीमती गान्धी, मिसेज डाक्टर मणिलाल बारिस्टर, मिस मेलटीनो (पार्लमेण्टके स्पीकर की बहन), मिस श्लेशीन, मिस वेस्ट, मिसेज लेस्ट, मिसेज पोलक, मिसेज बद्री, श्रीमती राजदेवी, मिसेज छगनलाल आदि सैकड़ों भारतीय और युरोपियन महिलाएं सम्मिलित हुई थीं। श्रीमती गान्धी असाध्य बीमार होनेपर भी इन सत्याग्रही स्त्रियोंसे मिलनेके लिये फीनीक्ससे दरबन आई थीं। इसके बाद सभाकी कार्यवाही आरम्भ हुई। नेटाल इण्डियन वीमेन्स एसोसियेशनकी ओरसे मि० आर० मुडलेने स्वागतपर व्याख्यान दिया। इसके बाद मि० पोलक, मि० केलनबेक, रेवरेण्ड बेली, मिस मेलटीनो, मिस वेस्ट मि० सी० पी० पिल्ले, मि० अम्बाराम महाराज, मि० अब्दुलकादिर बवाज़ीर, मि० रुस्तमजी पारसी आदि सज्जनोंने इन वीर वनिताओंकी वीरताका बखान किया। नेटाल इण्डियन वीमैन्स एसोसियेशन, नेटाल जरदस्त पारसी अञ्जमन, ट्रांसवाल बृटिश इण्डियन एसोसियेशन, ट्राँसवाल इण्डियन वीमेन्स एसोसियेशन आदि सभाओंकी ओरसे मिसेज भवानीदयालके गलेमें पुष्पमालायें पहनाई गईं। प्रिटोरियाकी बृटिश इण्डिया कमिटी, तामिल बेनिफिट सोसाइटी और अञ्जुमन इसलामकी ओरसे बधाईके तार आये। सारांश यह कि इन वीर वनिताओं और देशभक्त पुरुषोंका वहांकी जनताने भरपूर स्वागत किया।



मि० के० के० अथावले। सम्पादक--'पञ्जाबी'

ला० जसवन्तराय एम०ए० 'पञ्जाबी' के मालिक।

मि० अथावले ।

दो तीन घण्टे जेलमें ।

जेलमें हमारे कपड़े उतरवाये गये। कैदियोंके कपड़े पहनने को दिये गये। इनमें घुटनों तकका एक सूती पायजामा, एक कुड़ता, कम्बलकी एक कुरती, एक कण्टोप, बस! कपड़े बड़े मैले और बदबूदार थे। पता नहीं कितने खूंखार चोर डाकू इन्हें पहिन चुके थे। जूवें भी खूब थीं, जिन्होंने पहनते ही आगसी लगादी। अपने २ कपड़ोंकी गठरी बांधकर जमादारके साथ इधर उधर घूमे। पता नहीं वह कहां २ घूमाता फिरा। इसके बाद हमको एक लकड़ीका बक्स उठानेको कहा गया। हमने उसे उठा लिया और खेतोंकी ओरको रवाना हुए। यहां इसने बहुतसी मट्टी मिला हुआ आटा और अनाज इसमें भरा। इसके बाद मुझे और ला० जसवन्तराय एम०ए०को अलग २ कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया। इन कोठरियोंमें चक्की लगी हुई थी। पास ही मक्का पड़ा हुआ था, जिसकी ओर सङ्केत करके कहा गया कि खूब बारीक पीसो नहीं तो सुपरिण्टेण्डेण्ट नाराज हो कर सजा देंगे, परन्तु हमें छोड़कर वह जाना ही चाहता था, कि इतनेमें डाकृर साहब आगये। उन्होंने कहा कि किसकी आज्ञासे तुमने

इनको यह काम दे दिया ? चौकीदार विचारा इसका क्या उत्तर देता। वह मुंह ही मुंहमें कुछ बड़बड़ाकर रह गया। फिर डा० साहबने डाक्टरी परीक्षाके लिये अस्पताल भेजा। यहां ला० जसवन्तराय एम० ए० का वजन ११५ पौण्ड और मेरा १०५ निकला। इतने में ही 'वन्दे मातरम्' की मधुरध्वनि बाहरसे सुनाई दी। हमने समझा कि लोग हमारी जमानतकी आज्ञा स्वीकार करा लाये हैं। हमें वहां बैठनेकी आज्ञा दी गई। इतने ही में हमारी जमानतकी स्वीकारीपर हमारी रिहाईकी आज्ञा भी पहुंची, क्योंकि लाला जसवन्तरायके कपड़े उतरवाते ही सूती होनेके कारण धुलानेको भेज दिये गये थे, अतः इनके दूसरे कपड़ोंके आनेकी प्रतीक्षामें हमें वहां कुछ देर ठहरना पड़ा। जब कपड़े आ गये, तब हम लोग जेलसे बाहर लाये गये और नियमानुसार जेलकी कानूनी कार्यवाही समाप्त होनेपर हम रिहा हुए। बाहर आते ही हमें लोगोंने घेर लिया। फूलोंकी मालाएं हमारे गलेमें डाली गईं। समस्त बाजारमें हमारे ऊपर फूल बरसे और 'वन्दे मातरम्' की ध्वनिमें ही एक बड़े लोक-समूहके साथ हम लोग 'पञ्जाबी' के आफिसमें पहुंचे और जनताका हृदयसे धन्यवाद किया।

बड़े घरकी सैर।

—:०[*]०:—

लाहौर रायट केस।

(एक पञ्जाबी देश भक्त)

३० जुलाई सन् १६०७ पांच बजे हम लोग डिस्ट्रिक्ट जेलमें पहुंचे। जेलके द्वार पर पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट तथा जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट सशस्त्र सिपाहियों सहित खड़े थे। हम लोग जब द्वार पर पहुंचे, तो दारोगा साहबने आज्ञा दी कि हमारे कपड़ों पर फिनाइल डाली जाय।—हमारे कपड़ोंपर फिनाइल डाली गयी। इसके बाद हम सब दफ्तरमें गये। वहां हमें जेलके कपड़े पहनाये गये इसके बाद हम लोगोंको अलग अलग कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया। रातको जो खाना मिला, वह बहुत ही खराब था, इस लिये बहुत थोड़ा खाया जा सका। इसके बाद आटा पीसने को दिया गया। शामको एक कैदी-मुन्शी हमें डाक्टरके पास ले गया और डाक्टरने हमारी शारीरिक परीक्षा की—और ला० दीना नाथ, ला० पिण्डीदास तथा ला० लालचन्द फलक का स्वास्थ्य खराब बताया। अगले दिन हम सबको १५—१५ सेर और उपरोक्त तीनों सज्जनोंको दस दस सेर अनाज पीसनेको दिया गया। शामको हम दो तीनोंकी चीफ कोर्टमें अपील स्वीकार हो जानेके

कारण रिहा कर दिया गया, किन्तु बड़े खेदके साथ हमें मालूम हुआ कि ला०दीनानाथ, ला०पिण्डीदास तथा ला०लालचन्दफलक को सेण्ट्रल जेलमें भेजा जा रहा है और वे रिहा नहीं हुए! इन तीनों वीरोंसे हम गले लगकर मिले—और कहा गया कि शायद यह अन्तिम मिलाप है! हम लोग बड़े उदास थे, जब लाला पिण्डीदास आदिसे अलग हुए। सच तो यह है कि इन लोगोंके साथ रहकर जेलमें भी हम प्रसन्न रहे—और उसके सब दुःख भूल गये थे। इन दिनोंमें बारह दिनतक हमें चक्कीका काम करना पड़ा। गर्मी बहुत अधिक थी, ला० गोवर्धनदास एक दिन चक्कर खाकर गिर पड़े और अस्पताल भेजे गये। उनका १७ पौण्ड वजन घट गया था। इसी बीचमें हम दो आदमियोंको तेलके कोल्हूमें बैलोंकी जगह जोतकर चलाया गया। इधर हमारा वजन और भी घट रहा था। हमने सुपरिण्टेण्डेण्टसे शिकायत की, तो हुक्म हुआ कि इनको दो रोटी और अधिक मिला करें, परन्तु यह कृपा हमारे काम न आई। हमारी निर्बलताका कारण यह नहीं था। वह था, खराब रोटीका मिलना और उसका ठीक हजम न होना तथा कड़े अमानुषिक कामोंमें नियुक्त करना।

\+ + + +

राजनीतिक कैदियोंके साथ भारतीय जेलखानेमें बहुत बुरा सुलूक होता है। मेरा ख्याल तो यह है कि अगर किसी जेलका कोई कर्मचारी'मुतास्सिब' हो तो राजनीतिक कैदियोंके साथ दूसरे

कैदियोंसे भी कभी कभी बुरा बर्त्ताव होता है और उन प्रतिष्ठित व्यक्तियोंको घेर कर इतना कष्ट दिया जाता है, जिसे वे कैदके और सभी दुःखोंसे अधिक अनुभव करते हैं ।

सनाखत ।

भारतोय राजनीतिक कैदियोंका जब विचार होता ही रहता है, तब ही से उन्हें अपराधी समझकर जेलमें ठोक दिया जाता है! हालांकि बहुतसे पीछे रिहा भी हो जाते हैं । सैकड़ों भारतवासी ऐसे हैं, जो सन्देहका शिकार बनाकर महीनों जेलोंमें सड़ाये गये और पीछे निर्दोष कहकर छोड़ दिये गये । उनकी प्रतिष्ठा, मानापमान तथा इज्जतका कुछ भी खयाल न करके अनेक कष्ट दिये गये। जिस पुलिसकी कृपासे वे गिरिफ्तार हुए, उससे उसकी उत्तरदायित्वकी बात कभी नहीं पूछी जाती !

हमारी भी यही दशा हुई थी । न्यायके नामपर हम सरकारसे पूछते हैं, कि हमको क्यों पकड़ा गया ? और पीछे निर्दोष छूट गये। क्या कारण है, हमारी प्रतिष्ठाको खाकमें मिलानेवालों तथा निर्दोषोंको दुःख पहुंचानेवालोंको उचित सजा नहीं दी गयी ?

('भ‌ंगस्याल' से सङ्कलित ।)

श्रीयुत ला० हरकिशनलाल ।



मेरी गिरफ्तारी एकाएक हुई। मेरी कल्पना भी न थी कि मैं गिरिफ्तार किया जाऊंगा! मैं और मेरे साथी हड़ताल बन्द करवानेकी बहुत चेष्टा कर रहे थे। महात्मा गांधीकी गिरफ्तारीके कारण लाहौरमें भी हड़ताल हुई थी। १० और १८ ता० को बिना अपराध भारतीयोंपर गोली चलाई गई, इससे हड़तालने और भी विराटरूप धारण कर लिया, साथ ही लोगोंका जोश भी उमड़ पड़ा। इसी बीचमें लाहौरके अन्यान्य लीडरोंके साथ मुझे भी गिरिफ्तार किया गया।

जेलमें सुलूक ।

गिरफ्तारीके समय और फैसलेके बादमें मेरे साथ अच्छा बर्ताव रहा, परन्तु अमृतसर और गुजरांवालाके लीडरोंके साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया गया था। अन्यान्य शहरों और गावोंके कैदियोंके साथ तो साधारण कैदियोंसे भी बुरा बर्ताव किया गया था। लाहौरके कैदियोंके सिवा और कैदियोके साथ मेरा मिलना नहीं हुआ।

जेल सुधार ।

कैदियोके साथ जो बर्ताव किया जाता है—और जिस



श्रीयुक्त ला० हरकिशनलाल।

ढङ्गसे उन्हें रखा जाता है, वह बहुत ही बुरा है। बजाय इसके कि वहांपर उनका कुछ सुधार हो, उनके स्वभाव और भी खराब कर दिये जाते हैं और वहां रहकर कैदी और भी खूंखार हो जाते हैं। नई कौंसिलों का सङ्गठन होनेपर जेलखानोंकी पाशविकता को हटाकर मनुष्यताकी रक्षा करनी चाहिये।

पहिले पञ्जाबकी दशा।

१० एप्रिल १९१९ से पहिले पञ्जाबमें बिलकुल शान्ति थी। हां, सर ओडायर पञ्जाबमें सार्वजनिक जीवनका नाश करना चाहते थे। उन्होंने अपने शासनमें इसके लिये बहुत चेष्टाएं की। बहुत कुछ सफलता भी हुई। इसके साथ ही लार्ड चेम्सफोर्ड की सरकार भी सहमत थी, नहीं तो कोई कारण नहीं था, कि पञ्जाबमें, हम लोगोंके-ठीकठाक सूचना देते रहनेपर भी इस तरहसे लोगोंपर अत्याचार होते! पञ्जाबमें जो कुछ हुआ है, यद्यपि इसकी आशा नहीं थी, पर सर ओडायरके कठोर शासन से उकताकर हरएक पढ़ालिखा पञ्जाबी, घृणा करने लगा था। मेरे ख्यालमें पञ्जाबमें अशान्तिका कारण सर ओ'डायर था और उसने ही अपने निकम्मे शासनसे बृटिश-शासन पर एक तरहका बदनुमा धब्बा लगा दिया!

सरकार और लीडर।

पञ्जाब सरकार और उसके गुरगे हमेशा यह समझते रहे हैं, कि भारतीयों खासकर पञ्जाबियोंका राजनीतिसे क्या सम्बन्ध?

ये सब तो उनकी दृष्टिमें बनपशु हैं। बातचीतमें साधारणतया जिन्हें आजकल पञ्जाबका लीडर कहा जाता है, बेशक इनके साथ सर ओ'डायर और उसकी सरकारने कभी अच्छा बर्त्ताव नहीं किया। बराबर यह ख्याल किया जाता रहा कि पञ्जाबी जङ्गली हैं, उनका राजनीतिसे कोई सम्बन्ध नहीं? राजनीतिके लिये पश्चिमवासियोंने ही जन्म लिया है, और वह उनकी ही बपौती है! पञ्जाबकी सरकार जो कुछ आज्ञा दे, उसे पालन करना मात्र, पञ्जाबियोंका कर्तव्य है! इसी भूल और भ्रमके कारण अगर बस चलता तो सर ओ'डायर पञ्जाबी नेताओं-को मार्शल-ला से पहले ही कुचल डालता। अब उसने साधा-रणसी घटनासे अनुचित फायदा उठाया, और पञ्जाबके फूंसके ढेरमें अशान्तिकी आगकी चिनगारी लगाकर उसे प्रचण्डताके साथ प्रज्वलित कर दिया। मेरे ख्यालमें मार्शल-लाके कारण मृतप्रायः पञ्जाबमें फिर जीवनका सञ्चार हुआ, और वह ऐसा हुआ, जो शायद तिलक, गांधी और गोखले जैसे लीडरोंके आन्दोलनसे इतना शीघ्र कभी न होता।

नये लाट।

सर एडवर्ड मेकलेगन—नये लाटकी भूमिका खासी है। पर आरम्भमें ही उनके सम्बन्धमें कुछ निश्चय कर सकना भविष्य-वादिता ही होगी; मेरे ख्यालमें सर ओ'डायरके साथी चारों ओरसे उन्हें घेरे हुए हैं। उनकी उपस्थितिमें कोई किसी तरह-

का परिवर्तन कर सकना, सर मेकलेगनके अधिकारसे बाहरकी बात मालूम होती है। हां, भारतसरकार स्वयम् कुछ शासनमें परिवर्त्तन कर दे तो दूसरी बात है। वरन् अभी बहुत दिनोंतक के लिये विपत्तियोंके बादल हमारी और सरकारकी प्रतिक्षा कर रहे हैं।

शासन सुधार।

पञ्जाबमें नये शासनसुधारको कैसी दृष्टिसे देखा गया? इसके सम्बन्धमें कोई राय अभीतक स्थिर नहीं की गई। शासनसुधार जब मसौदेके रूपमें बिलायतमें भूलभूलैयांका खेल खेल रहा था, पञ्जाबके बहुतसे लीडर उस समय जेलमें दिन बिता रहे थे, दूसरे अब स्वागत-समागमनकी धूमके कारण अभीतक कोई सम्मति स्थिर नहीं की जासकी। मेरा ख्याल है कि हालमें जालन्धरमें होनेवाली प्रान्तीय कानफ्रेन्समें यह सब स्थिर हो जायगा। तभी मैं भी अपनी स्थिर सम्मति प्रकट कर सकूंगा। इससे पहिले मैं इस विषयमें अपना कोई मन्तव्य प्रकाशित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसका सभापति निर्वाचित हो चुका हूं। उस हैसियतमें शासनसुधार पर अपने विचार प्रकट करना समयसे पहिले उचित नहीं है। पर साधारणतया जहांतक मालूम हो सका है, पञ्जाब उससे सन्तुष्ट नहीं है।

पञ्जाबी कला-कौशल ।

पञ्जाबमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, जिससे गरीब पञ्जाबी, किसी तरहका व्यापार और स्वदेशी कला कौशलकी उन्नति कर सकें। जबसे सर ओ'डायरकी सरकारने पञ्जाबके बैङ्कों पर हाथ साफ किया है—और घड़ाघड़ बैङ्क बन्द हुए हैं, तबसे व्यापारिक उन्नतिके लिये पञ्जाब शिर भी नहीं उठा सका! इस सम्बन्धमें कमीशन बैठा था—यदि उसकी स्कीमके अनुसार पञ्जाब सरकारने कुछ उदारता दिखायी, तो सम्भव है, उन्नति हो सके।

'अमृतबाज़ारपत्रिका' से सङ्कलित।





श्रीयुक्त ला० गोवर्द्धनदास।

श्रीयुत लाला गोवर्द्धनदास।

—*::*—

[ला० गोवर्द्धनदास लाहौरमें किसी बैङ्कके मैनेजर थे और चुपचाप देशके राजनीतिक कार्यों में भाग लेते रहे हैं। पञ्जाब में जब मार्शल-ला जारी हुआ, जब निरीह भारतीयोंपर गोली चलाकर बुरी तरहसे मारा जाने लगा—सरे बाजार प्रतिष्ठित पुरुषोंको नङ्गे कर के कोड़े लगने लगे—तथा तरह तरहके अत्याचार किये गये, तब ला० गोवर्द्धनदास भी चुप न रह सके। उन्होंने सोचा कि जो कुछ अत्याचार यहां पर हो रहे —अभी ठीक खबर पञ्जाबसे बाहर तक नहीं जा सकती—चुपचाप पञ्जाब को रसातलको भेजा जा रहा है, उसके लीडर पकड़े जा रहे हैं। ऐसी दशामें यह कठिन काम था कि कोई आदमी पञ्जाबमें रह कर—सर ओ'डायरके अत्याचारोंके सामने शिर उठाकर कुछ कह सकता। उसी हालतमें ला० गोवर्द्धनदासने अपना सब कामकाज छोड़कर दिल्ली, कराची, बम्बई और मद्रासमें जोरदार भाषण दे कर सर ओ'डायरका भण्डा फोड़ा—और 'बाम्बे क्रानिकल' में ओ'डायरके उन अत्याचारोंका वर्णन करके देशकी आंखें खोलीं, जो सर ओ'डायर शान्तिका नाम लेकर पञ्जाब पर कर रहा था। देशभरमें हलचल मच गई। पञ्जाब सरकारकी भी निद्रा टूटी—और उसने मद्राससे लाला

गोवर्द्धनदासको गिरिफ्तार कर मंगाया। वहींसे यह कहानी आरम्भ होती है, जो देशभक्त गोवर्द्धनदासजीने लिखी है। मार्शल-ला के दिनोंमें ला० गोवर्द्धनदासजीने जो निर्भीकतापूर्ण कार्य किया है, उसके लिये समस्त देश उनकी प्रशंसा करता है।]

\+ \+ \+ \+

मुझे १२ मई सन् १६१६को मद्रासमें गिरिफ्तार किया गया और विशेष पहरेमें लाहौर लाया गया। लाहौरमें पहले मुझे मि०बोरङ्ग पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टके सामने पेश किया गया। मि० काक्स डिप्टी इन्सपेक्टर पुलिस भी वहां पर मौजूद थे। पास ही सर उमरहयातखां टिवाना भी कुरसीनशीन थे! दोनों पुलिस अफसरोंने कहा कि तुमने पञ्जाब गवर्नमेण्टका मुंह काला कर दिया है और तुम ही समस्त भारतवासियोंको अधिकारियोंका विरोधी बनानेवाले हो। इसपर सर उमरहयात खां भी चुप न रह सके—और आपने कहा—कि आज अगर मुसलमानोंका राज होता—तो जमीनमें गड़वाकर—इसका बदला लिया जाता!

जेलकी तंग कोटरीमें।

मुझे २१ मई सन् १६१६ को लाहौरकी सेण्ट्रल जेलकी एक एकान्त और अन्धकारमय कोठड़ीमें बन्द कर दिया गया। अफ-

सर मुझे एक भयङ्कर खूंखार आदमी समझते थे—इसी लिये मैं इस एकान्त वासमें रखा गया था। सुबह और शामको केवल १० मिनट मुझे बाहर निकलनेकी आज्ञा मिलती थी।

नजरबन्दी और कैद।

६ जूनको मुझपर मुकद्दमा चलानेका फैसला किया गया, परन्तु तुरन्त ही इसके बाद मुकद्दमा वापिस ले लिया गया। पर साथ ही भारतरक्षा कानूनके अनुसार मुझे नजरबन्द कर दिया गया। एक मासतक मैं नजरबन्द रहा—५ जुलाई १९१९ को 'बाम्बे क्रानिकल' में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसके आधारपर मुझपर मुकद्दमा चलाया गया। मुझसे पैरवी करनेको कहा गया, किन्तु उस अन्यायके युगमें मैंने सत्याग्रह करना उचित समझा—और बिलकुल पैरवी नहीं की। परिणाम यह हुआ, जो हर हालतमें होना था कि मुझे ३ वर्षका सपरिश्रम कारावास और एक हजार रुपया जुर्मानाकी सजा दी गयी।

खास कैदी।

एङ्ग्लोइण्डियन समाचारपत्रोंके लेखोंके अनुसार मुझे उन ३७ कैदियोंमें रखा गया—जिनके साथ खास बर्तावकी दुहाई दी जाती थी। हम लोगोंको बहुत बुरी रोटी और गन्दी दाल खानेको दी जाती थी। सुबहको बड़ा खराब घी और शामको तेल मिलता था। सप्ताहमें एक बार खराब मांस या हलुआ।

पांच सौ कैदी ।

मार्शल-लाके शिकार और पांच सौ कैदी बहुत बुरी हालतमें थे, उनसे गर्मीकी मौसिममें आठ घण्टे कुलियोंसे भी कड़ा काम लिया जाता था। उनमें कितने ही प्रतिष्ठित और शिक्षित भी थे।—उनको खाना पीना इतना बुरा मिलता था—उसको लिखनेके लिये मेरे पास शब्द नहीं। इससे बढ़कर उन कैदियोंके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ जो लोहेके ५ फुट लम्बे और ३॥ फुट चौड़े पिञ्जरोंमें गर्मीके दिनोंमें बन्द किये गये थे। उधर धूप कड़ाकेदार पड़ती थी—और वे खड़े भी नहीं हो सकते थे।—गुजरांवाला के रईस—ए—आज़म—दीवान मङ्गलसेन, मि० फतेहसिंह बी० ए० तथा मि० सर्वदयाल बैरी-स्टरको भी इन ही पिञ्जरोंमें बन्द किया गया था।—१२ और १४ वर्षके लड़कोंके चूतड़ोंपर केवल एक लङ्गोटी मात्र बंधी रहने देकर, बुरी तरहसे बेंतें लगायी जाती थीं।

साधारणतया कैदियोंको गर्मीमें पांच बजे और सर्दीमें ७ बजे उठाकर १५ मिनटमें शौचादिसे निवृत्त होने दिया जाता था। स्नान करनेकी कोई सुविधा नहीं थी। कभी कभी तो पीनेको भी पर्याप्त पानी नहीं मिलता था—कई बार मैंने अपनी आखोंसे प्यासके मारे कैदियोंको बेहोश पड़े देखा है!

कैदियोंको बारकोंमें जो चारों ओरसे खुली रहती हैं, सोना

पड़ता है। पञ्जाबमें यद्यपि सर्दी बहुत सख़्त पड़ती है, पर इनके पास केवल तीन कम्बल होते हैं— जो खालिस ऊनी नहीं होते। अस्पतालकी भी खराब हालत है। वहां बीमार होकर भी प्रायः कैदी जाना पसन्द नहीं करते। क्योंकि वहां कोई परवा नहीं की जाती। बीमारोंको जो दूध मिलता है, उसमें ७० फी सदी पानी होता है। जेलखानोंकी हालत सुधारने—और उनको 'रिफारमेटरी' ढङ्गसे बनानेकी जरूरत है।



श्रीयुक्त पं० रामभजदत्त चौधरी।

१४ एप्रिल सन् १९१९ को लाहौरकी म्युनिसिपलटीके सेक्रेटरीको एक चिट्ठी ला० हरकिशनलाल, ला० दुनीचन्द और मुझे मिली, जिसमें हमें टेलीग्राफ-आफिसमें सलाह करनेके लिये बुलाया गया था, पर वहां जानेपर हमें मालूम हुआ कि सेक्रेटरीको चिट्ठीका तो बहाना था, वास्तवमें हमको डिपुटी कमिश्नरने बुलाया था। डा० गोकुलचन्द नौरङ्गको एक अलग कमरेमें इसी तरहसे बुलाकर ले जाया गया, और हम तीनोंको एक दूसरे कमरेमें, वहां डिपुटी कमिश्नरने हमको भारतरक्षा कानूनके अनुसार निर्वासित किये जानेके तीन आज्ञापत्र पढ़ सुनाये, जिनमें मुझे डेरागाजीखां और ला० हरकिशनलालको केम्बलपुर तथा ला० दुनीचन्दको भी वहीं। इसके बाद हम तिनोंको एक मोटरमें बैठाकर मियांमीरकी छावनीको रवाना किया गया, और वहांसे हम लोगोंको एक स्पेशल ट्रेनमें बैठाकर अमृतसरकी ओरको लेजाया गया और वहांसे यथास्थानोंको भिजवा दिया गया।

डेरागाजीखांमें।

डेरागाजीखांमें मैं तीन दिन रहा। मेरे रहनेके लिये एक कोठी खाली करवाई गयी और २० दिनतक मैं वहां अच्छी तरह



श्रीयुक्त प० रामभजदत्त चौधरी।

से रहा। मेरे पास बहुतसे लोग आते थे, मगर सिवा एक वकीलके और कोई वकील मारे डरके कभी मेरे पास नहीं आया।

अभियोगकी तैयारी।

६ मई सन् १९१६ को वहांके डिपुटी कमिश्नरने मुझे एक तार दिखाया, जो १२ एफ०इण्डियन पीनलकोडके अनुसार मुझे गिरिफ्तार करनेके लिये गवर्नमेण्टने भेजा था। डिपुटी कमिश्नरने मुझसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि आशा है, आप निर्दोष होकर छूट जायेंगे। इसके बाद मुझे पुलिसकी हिरासतमें लाहौरको भेजा गया।

अगले दिन रातके ११ बजे लाहौर पहुंचा। स्टेशनपर खाना खाया, और इसके बाद लाहौरकी सेण्ट्रलजेलमें पहुंचा दिया गया। पुलिसका बर्ताव इस समयतक मेरे साथ अच्छा था। मुझे भयङ्कर कोठरीमें रखनेकी आज्ञा थी। जमादार एक धुन्धली सी कोठरीमें ले जाकर मुझसे कहने लगा कि तुम इसमें अपना बिस्तर करलो। मैंने उसमें अपना बिस्तर कर लिया और जमादार चला गया। पहले मेरी इस कोठरीमें गुरदासपुरके वकील ला० पेशावरीमल थे जो बाहर निकाल दिये गये, और उनको पासकी एक कोठरीमें रखनेका हुक्म हुआ। उक्त वकील साहबने पासकी और कोठड़ियोंमें आवाज दी, मि० मुहिसिनशाह

बैरिस्टर, मि० कालीनाथराय सम्पादक 'ट्रीब्यून' और मि० दीवानचन्द बैरिस्टर तथा मि० कृष्ण बी० ए० सम्पादक उर्दू 'प्रताप' आदि पञ्जाबके अनेक गण्यमान्य नेता लोग पड़े सड़ रहे थे। इन लोगोंने अपनी अपनी कोठड़ियोंसे 'बन्देमातरम्'की आवाजें देकर मेरा स्वागत किया।

भयंकर कोठरीका दृश्य।

जिस कोठड़ीमें मुझे रखा गया था, वह ६ फुट लम्बी चौड़ी थी। इस कोठड़ीमें पेशाब—टट्टी जानेके लिये दो दो ईंटें रखी हुई थीं। गर्मी असह्य थी, इधर मच्छरों और डांसोंने आक्रमण कर रखा था। उधर नाक दुर्गन्धके मारे फूटी जा रही थी। मैंने सोनेकी बहुत चेष्टा की, पर नींद कहाँ थी। अन्तमें राम राम करके कहीं २॥ बजे आँख लगी। दुर्भाग्यसे थोड़ी देरमें पहरा बदलनेका समय हो जानेसे पहरा बदला और—

कौन जवान ! उठो जवान !! बोल जवान !!!

की विभीत्स आवाज आई। मैं नहीं जानता था कि यहाँ पहरा देनेका यही रिवाज है और हर एक कैदीका बोलना अनिवार्य है इसी लिये मैंने कहा—आइये महाशय, पधारिये और कहिये क्या हुक्म हकाम है? मगर महाशय इतना सुनकर ही वहाँसे चले गये और उन्होंने फिर पधारनेकी कृपा नहीं की!

मेरे साथी भी जेलमें ।

सुबह उठकर मालूम हुआ कि ला० हरकिशनलाल और मि० दुनीचन्द भी सेण्ट्रल जेलमें वापिस आ गये हैं। साथ ही मुझे यह भी मालूम हुआ कि मुझे, मि० दुनीचन्द और डा० किचलू को जेलमें खूब सख्ती और सावधानीसे रखनेकी आज्ञा दी गयी है। हम लोग एक दूसरेसे न मिल सकें, इसका खास तौरपर ध्यान रखनेकी चेतावनी दी गयी है।

कठोर व्यवहार ।

मेरे साथी सभी कैदियोंको प्रायः बहुत बुरी कोठरियोंमें रखा गया था। २४ घण्टेमें केवल १५ मिनट बाहर निकलनेकी आज्ञा थी। इधर रातको प्रथम तो नींद ही नहीं आती थी, और जब सुबहको थोड़ी बहुत आंख लगती, तो अनेक कुत्सित अपराधोंके कारण दण्ड पाये हुए अशिक्षित कैदी पहरेवाले, बहुत बुरी तरहसे बुलाकर जगा देते और न बोलनेपर ऐसी बुरी गालियां देते जो उनके कुत्सित और घृणित चरित्रकी परिचायक होती थीं।

कैदियोंकी सहानुभूति ।

एक दिन मैं इसी तरहसे सो रहा था, जब कि पहरेदार कैदीने आकर आवाज दी। मैं नहीं बोला, उसने फिर आवाज दी। मैंने फिर चुप रहना मुनासिब समझा। इसपर वह फिर

कड़कड़ाकर बोलना ही चाहता था कि मैंने उसे डाटकर कहा कि जाओ, जेलर साहबको हमारा 'पैगाम' दो, कि हम ये गालियां नहीं सह सकते। हम लोग चोर, जार या डाकू तथा खूंखार असभ्य खूनी कैदी नहीं हैं। ये सब गालियाँ नहीं सह सकते। जमादारोंको भी मैंने समझाया—और दूसरे दिन हम लोगोंने यह बड़े आश्चर्यसे देखा कि जेलके सभी कैदी कर्मचारियोंका वर्ताव हमारे साथ अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण हो गया है। मेरा ख्याल है कि शायद उन लोगोंने पहले यह ख्याल किया होगा कि ये भी कोई ऐसे ही हरामखोर कैदी होंगे, किन्तु जब उनको गरीब देशके साथ प्रेम करनेके कठोर अपराधके कारण जेलमें आनेका मामला किसी तरहसे मालूम हुआ, तो उन कुत्सित-कर्म करनेवाले बदमाश कैदियोंके हृदयोंमें सहानुभूतिका समुद्र उमड़ पड़ा! मार्शल-लाके प्रायः सभी कैदियोंका वे लोग बड़ा सम्मान करने लगे!

कोठरीसे छुटकारा।

जिस कोठरीमें २४ घण्टे हम लोग कैद रहते थे और रातको बुरी तरह तड़फड़ाते थे, अन्तमें कमसे कम रातको सोनेके लिये उससे छुटकारा मिला। लोहेके सींखचोंसे घिरे हुए मैदानमें हम लोगोंको सोनेकी अनुमति मिल गयी। यद्यपि बीस बीस हाथ ऊंची दिवारोंपरसे हवा आनी कठिन थी, किन्तु हमारे

भाग्यसे जो कुछ आ सकती थी, उससे हम वञ्चित न रहे। पर वहां जमीन पर सोना होता था, इस लिये प्रायः चींटियां और कीड़े बिस्तरोंपर चढ़ आते थे, जिससे बड़ा कष्ट होता था। एक दिन मुझे वहां सोते सोते बिच्छूने काट खाया, जिससे बड़ा कष्ट हुआ। क्योंकि गर्मीका मौसम था इस लिये उसका जहर बड़े जोरसे चढ़ा और मुझे व्याकुल कर दिया।

सरलाकी दरख्वास्त।

मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सरलादेवी ने जेलमें पहुंचते ही सुपरिण्टेण्डेण्ट जेलको दरख्वास्त दी कि मुझे युरोपियन वार्डमें रखा जाय और फल आदि घरसे पहुंचानेकी व्यवस्था होने दी जाय। कई दिनतक बराबर इसकी कोशिश जारी रही—और सुपरिण्टे-ण्डेण्ट टालमटोल करता रहा। अन्तमें बड़ी कठिनतासे कुछ थोड़े से फल पहुंचने देनेकी अनुमति मिल सकी।

दूसरे भाइयोंसे भेंट।

मनमें बड़ी इच्छा थी कि ला० हरकिशनलाल और ला० दुनी-चन्द आदिसे किसी तरहसे भेंट हो। क्योंकि ला० हरकिशन-लाल दूसरे अहातामें कैद थे, उनको तो कोई खबर ही न लगती थी। हां, एक दिन डा० सत्यपाल और डा० किचलूको दूरसे जाते देखा और एक दिन ला० दुनीचन्दका सन्देश भी मिल गया कि वे प्रसन्न हैं, किसी तरहकी चिन्ता मत करो।

जेलमें भजन ।

मेरी साथकी कोठरियोंमें मि० मजहरअली वकील बटाला, बा० धनपतराय वकील कसूर तथा मि० रतनचन्द (रत्तो) और गण्डासिंह कैद थे। प्रातःकाल ये लोग प्रायः बड़ी मधुरध्वनि से सस्वरगीत गाते थे। बड़ा मन लगता था, साथ ही समय भी अच्छी तरहसे व्यतीत हो जाता था। एक दिन मेरा एक साथी मेरे कहनेसे भजन गाने लगा। जब वह गा रहा था, कि एक कैदी-जमादारने आकर उसे बहुत बुरी तरहसे फटकारा। अपने साथीके इस अपमानको मैं न सह सका, और मेरी आंखोंसे आंसू गिरने लगे। मेरे लिये यह पहला ही अवसर था जब कि इन विपत्तिके ओ'डायरशाही दिनोंमें मेरे आँसू आये।

जेलकी रोटी ।

दूसरे देशोंके राजनीतिक कैदियोंके साथ कैसा सलूक होता है, जब यह बात याद आती थी, तो कलेजा कांप उठता था। और माता भारत वसुन्धराके गलेमें पड़ी गुलामीकी तौकको देख कर आंखें डबडबा आती थीं। हमको जो रोटी दी जाती थीं, उनका रङ्ग काला और मसूरकी दाल भी वैसी ही बदबूदार काली होती थी। मालूम होता था रोटीमें एक हिस्सा अन्न है और ३ हिस्से मट्टी आदि—कूड़ा करकट! मेरा साहस न हुआ कि मैं इन रोटियोंको खाऊं!

× × ×

थोड़ी देर बाद मेरे दूसरे उन साथियोंकी रोटियां आईं, जो २०) मासिक देते थे। उनमें ३ रोटियां कच्ची या जली हुई तथा एक ऊटपटाङ्ग शाक। हाँ, दूध भी मिलता था। दूध मिलनेकी अनुमति आध सेरकी थी, किन्तु कठिनतासे शायद वह पावभर भी न होता हो। यद्यपि यह सब कुछ हम लोगोंके रुपयेसे मिलता था--मगर अत्यन्त खराब कच्चा, बदबूदार होता था, जिसे खानेको मन नहीं चाहता था। ला० दीवानचन्द भण्डारी बैरिस्टरने एक दिन अपने घरको पत्र लिखा—जिसमें लिखा था कि—खानेपीनेका प्रबन्ध इतना खराब है कि हम उसे खानेमें असमर्थ हैं।—हम लोगोंके सब पत्र सुपरिण्टेण्डेण्ट जेल देख लेता था। वह पत्र भी देखा गया। इसपर सुपरिण्टेण्डेण्ट बिगड़कर बोला—लाला दीवानचन्दकी यह बदमाशी है, इस लिये उनको पेशी की जाय।

बदमाशीकी परिभाषा।

जेलमें अपनी नियमित रोटीको न खाना—भूख न हो और किसी दूसरे कैदीको कुछ हिस्सा दे देना—ऐसी सब बातें भी जेलकी बदमाशीमें शामिल हैं। सुपरिण्टेण्डेण्ट जेलको अधिकार है कि वह ऐसे आदमियोंको तरह तरह की सजायें देकर सतावे ; सुतरां भण्डारी साहबकी पेशीकी बात सुनकर हम

लोगोंमें इसकी बड़ी चर्चा हुई। निदान भण्डारीजीकी पेशी हुई और उन्होंने साफ कह दिया कि—ऐसी रोटीको—

कुत्ते भी नहीं खा सकते—

जो हम लोगोंको दी जाती है, हलांकि हमसे इसके रुपये भी वसूल कर लिये जाते हैं। हम लोगोंको भूखों मरना स्वीकार है, पर ऐसी रोटी नहीं खा सकते। हमें रोज मरना पड़ता है। ऐसी सड़ी हुई रोटी हमने जन्म भरमें नहीं खाई।—इन साफ २ बातोंके बाद सुपरि० जेलने भण्डारीजीको माफी दे दी! और ३०) मासिक देनेपर रोटी भी कुछ अच्छी मिलने लगी।

जेलमें सरला बी०ए०

मेरी धर्मपत्नी सरला बी० ए० १० मई को जेल में मुझसे मिलने आई। जेलमें दारोगाके कमरामें मुझसे उन्हें मिलने दिया गया। जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट मि० कावन भी हमारे पास बैठे थे और उन्होंने हमको एक दूसरेसे खूब फासले से बैठने दिया, जिससे वह स्वयम् हम दोनोंकी बात सुन सके। हम दोनोंमें पहली बात मुकद्दमेकी पैरवीके सम्बन्धमें हुई। मैंने कहा कि नज़रबन्दीके बाद गिरिफ्तारी कानूनन ठीक नहीं है। दूसरे विशेष समरी कोर्ट द्वारा जो हमारे मुकद्दमात् का विचार होगा, वह भी उचित नहीं है, तथापि पैरवीके लिये अच्छे

बैरिस्टरोंका आयोजन होना चाहिये। कई बैरिस्टरोंके नाम लिये गये, किन्तु अन्तमें निश्चय हुआ कि मेरी पैरवीके लिये मि० नार्टन और प्रयागसे डा० तेजबहादुर सप्रूको बुलाया जाय। जब यह बात हो ही रही थी, तो मेरी धर्मपत्नीने मि० कावन साहबसे कहा कि मैं आशा करती हूं कि आप उस पादरीका कर्तव्य पालन करेंगे; जिसके सामने एक ईसाई अपने पापोंका प्रायश्चित्त करता है। अर्थात् हम लोगोंकी बातचीत जो आप सुन रहे हैं, इसको आप गोप्य रखेंगे—और किसीको न बतायंगे। कावन साहबने कहा कि यह गलत है, मैं ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता! इसके बाद हमने फिर ठीक ढङ्गसे बातें कीं।

पादरीका पाप।

श्रीमती सरला मेरी धर्मपत्नी है, उसकी और मेरी बातें किसी दूसरेका सुनना—और उससे अनुचित लाभ उठाना, कमसे कम हमारे धर्मशास्त्रोंके अनुसार अत्यन्त अनुचित है। मुझे खेद है कि मि० कावन सुपरि० जेलने अपने उस अधिकारसे अत्यन्त अनुचित लाभ उठाकर हमें गहरी हानि पहुंचाई, और बिना बैरिस्टरोंके हम अपने मुकद्दमेकी कुछ भी पैरवी न कर सके। क्योंकि मैंने अपने मुकद्दमेके बहुतसे रहस्य जो अपनी धर्मपत्नीको नोट करवाये थे, वे सब मि० कावनने ब्यूरोके सीके दूसरे सहसवारोंको बता दिये। साथ ही वकील बैरिस्टरों द्वारा

पैरवीकी तैयारीकी बात भी वह अपने मनमें न रख सका। परिणाम यह हुआ कि मि० नार्टनको जब कि उनकी फीसका चैक काटकर भेज दिया गया था और वे आनेको तैयार थे ; किन्तु दो ही दिनके बाद पञ्जाबकी ओ'डायरशाही गवर्नमेण्टने एक बेहूदी आज्ञा जारी कर दी कि हम लोगोंकी पैरवीके लिये दूसरे प्रान्तसे कोई कानूनपेशा आदमी न आ सकेगा ! यह सब मि० कावनकी करामातका नमूना था, जो उसने सभ्यताकी ठेकेदारीके देशमें जन्म लेकर कर दिखाया। तात्पर्य यह है कि पञ्जाबकी ओ'डायरशाहीने एड़ी चोटीका जोर लगाकर हमारी पैरवीके सब द्वार अपने अधिकारसे अनुचित लाभ उठाकर अवरुद्ध कर दिये थे। परिणाम यह हुआ कि हमको मनमानी सजाएं देकर ओ'डायरने सन्तोष किया !

हमारे साथी।

सेण्ट्रल जेलमें पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि मेरे सामने और आस पास तथा पीछेकी सङ्गीन कोठरियोंमें मेरे अन्य भाई भी उसी तरहसे कैद हैं, जैसे मैं। डा० कर्मचन्द हितैषी और अन्यान्य वकील बैरिस्टर भी मेरे पास ही की कोठरियोंमें कैद थे। मुझे यह भी मालूम हुआ कि हमारे गुजरानवालाके भाई अभी तक इसी जेलमें थे, आज गुजरानवाला भेज दिये गये हैं।

जेलके अफसर ।

दारोगा, जमादार, वा सुपरिण्टेण्डेण्टके सिवा जेलमें कालीवाला, पीलीवाला तथा मुन्शीकैदी, ये लोग भी जेलमें अफसरकी तरहसे ही माने जाते हैं। जो लोग अनेक तरहके भयङ्कर अपराध करनेके कारण दश दश और बीस बीस वर्षके लिये कैद होते हैं, उनहीमेंसे कुछ लोग मुन्शी और काली पीली वाले बना दिये जाते हैं। लाहौरकी सेन्ट्रल जेलके कैदी काली पीलीवाले और मुन्शी कैदी भी हमारे अफसर थे! ये लोग कभी कभी अपने अधिकारकी महिमा दिखाते थे। एक दिन हम लोग आपसमें मिलकर दुआ सलाम करते थे, तो एक काली पीलीवाला चिल्लाकर बोला:—तुम लोग क्या करते हो! चलेजाओ यहां मत खड़े हो। यह मेल-मिलापकी जगह नहीं है।—असिस्टेण्ट जेलर भी कभी सुबह और कभी शामको आते थे।

मि० कृष्णकी अधीरता ।

जब मि० कालीनाथरायका मुकद्दमा चल रहा था, तो महाशय कृष्ण बी० ए० सम्पादक 'प्रकाश' और उर्दू 'प्रताप' बड़े अधीर हुए। वे बोले कि अन्तमें कैद तो होना ही है, शीघ्र इसका फैसला क्यों नहीं हो जाता। व्यर्थ ही यहां पड़े क्यों सड़ाये जाते हैं, इतने दिन कैदमें कम होते। महाशय कृष्ण

चापलूसीसे बातचीत करना नहीं जानते, या आप इस तरहसे बातचीत करना पसन्द नहीं करते। इसी कारणसे आपको जेल में और सब कैदियोंसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा। जब मैं जेलमें पहुंचा तो मालूम हुआ कि महाशय कृष्ण सबसे अधिक कष्ट उठा रहे हैं। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाती थी। मैंने और बाबा धनपतराय वकीलने परस्परमें यह फैसला किया कि इन काली पीलीवालों और जमादारोंको समझावें कि ये लोग इनके साथ भी और कैदियों जैसा ही वर्ताव करें।

मार्शल-ला।

एक जमादारका नाम हम लोगोंने मार्शल-ला रख छोड़ा था। वह दूरसे आते ही काली पीली वालोंको गालियां देता था और बाहर निकले हुए प्रतिष्ठित कैदियोंको सख़्त सुस्त कहता था। और सबको कोठरियोंके भीतर बन्द करके ताले लगा देता था। हम लोग बहुत समझाते थे, मगर वह 'वीर' किसीकी न सुनता था—और अपने अधिकारका प्रयोग कर दिखाता था!

काली पगड़ीवाला सिख।

जिस पाईप पर मैं और मेरे साथी कैदी स्नान करते थे, मैंने कईबार देखा उसपर एक काली पगड़ीवाला सिख भी स्नान करता है। मैंने समझा कि यह कोई जमादार या काली पीली वाला होगा, परन्तु जब हम पर मुकद्दमा चला और पहले

दिन हमलोग सींखचोंसे बन्द कैदियोंकी गाड़ीमें बैठे, तो वह भी हमलोगोंके पास आ बैठे। पूछने पर मालूम हुआ कि वे भी हमलोगोंके साथ षड़्यन्त्रमें शामिल समझे जाकर यहां पहुंचे हैं। हालांकि मैंने उन्हें आजसे पहिले कभी नहीं देखा था ! इन सर्दार साहेबका नाम—सरदार मोतासिंह था। इन पर भी हमारे साथ मुकद्दमा चलाया गया !

मि० कालीनाथरायको कैद ।

जिस दिन कालीबाबू सम्पादक 'ट्रीब्यून' का फैसला हुआ उसी दिन इनको कैदकी आज्ञा सुनादी गई। समरीकोर्ट से जब ये जेलको वापस आये, तो ये उन कोठरियोंमें न ले जाये जाकर मुन्शीखानेमें पहुंचाये गये। हमलोगोंने जब इनको देखा,—तो दौड़कर हमलोग इनके पास गये। कालीबाबूसे कपड़े उतरवाये जारहे थे। बादमें इन्हें 'जांघिया' और कैदियोंका एक कुरता पहिननेके लिये दिया गया। काली बाबूने पूछा कि मैं स्नान कैसे करूंगा—तो उत्तर मिला जैसे हो ! हम क्या जानें ? छः मास तक इनहीं कपड़ोंसे काम चलाना होगा ! और छः मास बाद ये कपड़े वापस ले लिये जांयगे और इसी साथके दूसरे दे दिये जांयगे।

राजद्रोही लड़के !

कसूरके दो पन्द्रह और सोलह वर्षके लड़के भी हमारे साथ

की कोठरीमें कैद थे। मैंने उन्हें इधर उधर कई बार हंसते खेलते देखा। मैंने समझा कि ये जेलके कर्मचारियोंके लड़के होंगे, जो मौजमें खेलते और हंसते फिरते हैं। इसी तरहसे एक दिन ये घूम फिर रहे थे, जब कि उन्हें एक कैदी जमादारने गालियां देकर धमकाया और कहा कि जाओ कोठड़ीमें बन्द हो जाओ। किस लिये बाहर खेलते कूदते फिरते हो? इतनी देर हो गई।—तब बाबा धनपतराय वकीलसे मालूम हुआ कि ये लड़के महामान्य शक्तिसम्पन्न सम्राट्के विरुद्ध राजद्रोह करनेके अपराधमें गिरिफ़ार हुए हैं! इनमें से एकका कसूर यह था कि कसूरके स्टेशन पर ट्रेन रोकनेके समय उस झमेलेमें यह भी शामिल था। पहले इन दोनोंको एक कोठरीमें रखा गया था, किन्तु इन दोनोंके भोजन छोड़ देने पर एक कोठरीमें रखना पड़ा।

जमादारोंका आचरण।

जेलमें बहुतसे कैदी जो दश २ और बीस २ वर्षके लिये कैद होते हैं, प्रायः इन्हें ही काली पीलीवाला और जमादार बनाया जाता है। और अन्यान्य कैदियोंकी कोठरियोंकी चाभियां इन्हें मिल जाती हैं और यही बाहर निकालते और कोठरियोंमें बन्द करते हैं। क्या हम यह ख्याल नहीं कर सकते कि ऐसे छोटे २ निरपराध बच्चोंको इनके सुपुर्द कर देना जैसे ये कसूरके दो बालक थे, भयावह नहीं हैं?

देशभक्त बालक ।

सी० आई० डी० जेलमें ।

कसूरके दोनों बालक प्रायः हम लोगोंकी कोठरियोंपर जमादारोंके हुक्मसे गन्दे पानी और मट्टीसे लिपाई किया करते थे। एक दिन साथ की एक कोठरीपर लिपाई करनेको कहा गया, तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि इस नरपिशाचकी कोठरी पर हम लोग कभी लिपाई न करेंगे, और चाहे सब कोठरियों पर लिपाई करनी पड़े। जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस कोठरीमें एक 'शरीफ सिख' की शक्लका नराधम रहता है, वह खुफिया पुलिसका आदमी है। इस बे-ईमानने हजारों रुपये निरीह लोगोंसे लेकर अपनी जेब गर्म की है—और अनेक निरपराधोंको इस विपत्तिमें फंसाया है!—हमारे बहुतसे साथी कैदियोंका खयाल था कि इनके साथ बहुतसे सी० आई० डी० के आदमी कैदी बनाकर रखे गये हैं।

भंगियोंकी शुभकामना ।

पहले दिन जब हम जेलमेंसे मुकद्दमेके लिये समरी कोर्टमें आनेको कोठरियोंसे निकलकर जेलकी ड्योढ़ीपर पहुंचे तो रास्तेमें खड़े मेहतरोंने बड़े करुणापूर्ण हृदयसे आवाजें देकर कहा कि

'मुल्कदे वास्ते जान देण वाल्यां दी फतह हो !' यह आवाज़ सुन, हमारी आंखोंसे—देश प्रेमसे विव्हल हो, आंसू टपकने लगे !

वृद्ध देशभक्त लोह के पिञ्जरेमें ।

एक दिन जब हम अपने मुकद्दमेसे आ रहे थे, हमने अपनी कोठरियोंके पास अमृतसरके वीर कैदियोंको देखा। पं० कोटूमलने मुझे आवाज दी। मैंने बड़े खेदके साथ देखा कि डा० सत्यपालके पूज्य वृद्धपिता लोहेके एक पिञ्जरेमें बुरी तरहसे बन्द हैं। मैंने देखा उनके चेहरे पर बिलकुल उदासी न थी। वे केहरी शेरकी तरहसे उस लोहेके कठोर और मजबूत पिञ्जरेमें बन्द थे, जो ज्येष्ठ और आषाढ़के दिनोंमें मांस और रक्तसे बने इस मानव देहको पिघला देता है! दूसरी तरफ बिलकुल एकान्त एक कोठरीमें वृद्ध देशभक्त पिताके देशभक्त पुत्र डा० सत्यपाल कैद थे! हमें इन वृद्ध केहरी शेरकी दशा देखकर अत्यन्त क्लेश हुआ। इनके साथ ही पञ्जाबी वीर रत्तो और बुग्गा, पिञ्जरेमें बन्द थे। मालूम होता था मानो ये पञ्जाबी केहरी अपने दन्त नखोंसे इस लोहेके तुच्छ पिञ्जरेको अब तोड़ फोड़ डालेंगे! हमें किसीके मुखपर उदासीके चिन्ह नज़र नहीं आये। अमृतसरी वीरोंने जब देखा कि हम लोग उनकी दशा देखकर बड़े चिन्तित हैं, तो उन्होंने साहसपूर्वक कहा कि कुछ चिन्ता न कीजिये—हम लोग बहुत आराममें हैं। कर्तव्यपालन होने दीजिये।

जेलका भोजन।

एक दिन मैं मालखानामें 'पीलीवाले'के साथ कपड़े लेने जा-रहा था। रास्तेमें कैदियोंकी दो लम्बी २ जमातें बैठी थीं—और उनको रोटी दी जा रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि शाकके इन कच्चे और सड़े हुए डन्ठलों और मोटी मोटी जली सड़ी और कच्ची धूल मिली हुई रोटियोंको ये लोग कैसे खाते हैं। यही दुर्दशा देखता हुआ मैं उनके बीचमेंसे होकर चला गया। इसी तरहकी रोटी सुबह ६ बजे और शामको ५ बजे कैदियोंको दी जाती है। और चार बजे सुबह उठा दिया जाता है।

निर्लज्जताकी पराकाष्ठा।

कैदखाना, हिन्दू कैदियोंके लिये तो कमसे कम साक्षात नरक-द्वार है। सुबह ६ बजे कैदियोंको एकही लाईनमें पास पास बैठाकर शौचसे निवृत्त होनेके लिये विवश किया जाता है! और एकसौ आदमियोंको एकही नल की गन्दी नालीसे अपना शरीर साफ करना होता है! कईबार ऐसा होता है कि नालीमें पानी न रहनेसे इससे भी लोग प्रायः वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही फिर कैदियोंको वहीं पास ही पास बैठ कर रोटी खानेके लिये मजबूर किया जाता है। इधर लोगोंके

हाथ पर रोटी पहुंची और उधर "जल्दी करो! जल्दी करो !!" का तकाज़ा शुरू हुआ !

अदालतमें पेशी ।

१५ मई सन् १९१९ को हम ११ आदमियोंको खास समरी-कोर्टके सामने पेश किया गया। ला० हरकिशनलाल पं० राम-भजदत्त, ला० दुनिचन्द, ला० धर्मदास सूरी, ला० गोकुलचन्द नौरङ्ग, मि० मथुराप्रसाद, मि० हबीबुल्ला खां, डा० कर्मचन्द हितैषी, सय्यद मुहसिन शाह, मि० अल्लादीन, सर्दार मोता-सिंह। उपरोक्त हम ११ आदमियोंको अदालतमें ले जाया गया।

अदालतका दृश्य

लाहौर सेसनकोर्टमें यह समरीकोर्ट बैठा था। इसमें प्रेसि-डेण्ट मि० हेरिसन, और एक और अंग्रेज तथा एक मियां साहब, बस इन तीन आदमियोंका कमीशन बैठा। था इनका हावभाव और ढङ्ग देखनेसे मालूम होता था कि, मानो न्यायके आसनों पर साक्षात नौकरशाहीके अवतार बैठे हुए हैं !

पहिले हमको चार्जशीट पढ़कर सुनाया गया। हमने समझा था—कि हमपर राजद्रोहका इलज़ाम लगाया गया होगा, उसी कानूनकी धाराके अनुसार हमपर वारण्ट भी जारी किया गया था। पर पञ्जाबके जीवनको नष्ट भ्रष्ट करनेकी कामना

करनेवाले—सर ओ'डायर और उसके भयङ्कर साथियोंने यह सोच लिया था कि जब तक इन (हम लोगों) का अस्तित्व न मिटा दिया जायगा तबतक ऐसा करना असम्भव है। इसलिये पहिलेसे ही सब बातें सोच रखी गईं थीं। इसीके अनुसार हम पर पहला अपराध लगाया गया—

महामान्य सम्राट्के विरुद्ध युद्ध—

और साथ ही—

युद्ध करनेका षड्यन्त्र—

रचनेका अपराध लगाकर चार्जशीट हम लोगों को सुनाया गया। चार्जशीट सुनकर हमें बड़ी हँसी आई—और साथ ही आश्चर्य्य भी हुआ। इसके बाद आज्ञा दी गई कि:—

"मामला सोमवारको पेश होगा—तुम अपने गवाहोंकी सूची पेश करो। किसी वकील या अंग्रेजको बतौर गवाहके पेश न करो। कमीशन द्वारा उत्तर दिया जायगा।"

हमारी ओरसे कहा गया कि जबतक सरकारकी ओरसे शहादतें मालूम न हों, सफाईके गवाह कैसे पेश किये जा सकते हैं? आज्ञा मिली कि:—

चुप रहो ! बैठ जाओ !!

यह मार्शल-ला कमीशन है, समरीकोर्ट मार्शल-लाके अधिकारमें है। हमने केवल इस सप्ताहमें फैसला कर डालना है। हम चेष्टा करेंगे कि जिन गवाहोंकी सूची तुम दाखिल करोगे, उन्हें हाजिर कराया जाय। यदि कोई गवाह पेश न हो सका—या 'तामील' न हो सकी, तो हम जिम्मेवार नहीं !

लाहौरके वकील ।

मेरी धर्मपत्नी सरला चौधरानीने जब देखा कि मि० नार्टन आदि कोई वकील या बैरिष्टर लाहौरमें हम लोगों की पैरवीके लिये नहीं आ सकते, तो लाहौरमें दर दर फिरना पड़ा । खेद है कि एक भी माईका लाल न निकला—जो मैदानमें आता ! केवल मेरी ओरसे मि० अब्दुलरसीद बैरिष्टर—अदालतमें आये, और लोगोंकी ओरसे एक दो वकील थे। हम लोगोंको कोई सूचना नहीं दी गई थी कि हमपर कब मुकद्दमा चलेगा । जब जेलसे हम लोग अदालतको जा रहे थे, तब बाजारके लोगोंने हमारे घरों पर सूचना दी—जिससे दो एक वकील आ सके।

अदालत ।

जजने चार्ज शीट पढ़कर सुनाया। बोलनेका स्वर ऐसा तेज था कि हमारे वकील बैरिस्टर कुछ नहीं बोल सकते थे। हमारी

तरफसे अगर कोई दलील पेशकी जाती, तो बोलनेवाले को फटकार दिया जाता। अतः ठीक तौरपर हमारी ओरसे कोई किसी तरहकी ठीक पैरवी नहीं की जा सकती थी।

सी० आई० डी० की रिपोर्ट।

हमारे वकीलोंकी प्रार्थना करनेपर हमको खुफिया पुलीसकी रिपोर्टें देखनेको मिलीं। मैंने और धर्मदास सूरीने उनकी नकलें करनी आरम्भ कीं। हम आपसमें बातें करके कह रहे थे कि इन रिपोर्टोंसे हमको बहुत लाभ पहुंचेगा। सी० आई० डी० के दूतोंने जो परछांईकी तरहसे हमारे पीछे लगे रहते थे—सुनकर—बड़े अफसरोंको इसकी सूचना देदी—जिससे साव-धानी होगई।—हम अभी नकल कर ही रहे थे कि चार बजते ही मिसलें हमारे हाथमेंसे छीन लीं गईं। अगले दिन हमारी विशेष अनुनय विनयपर हमको फिर देखनेके लिये-मिसलोंका वह पुलिन्दा दिया गया, किन्तु उसमेंसे बादशाही मसजिद वाली सभाकी दो रिपोर्टें गुम कर दी गई थीं। मैंने बहुत कुछ इधर उधर टटोलकर देखा और रीडरको कहा—पर न मिलीं। वे दोनों रिपोर्टें हमारे लिये बड़ी कामकी थीं और पहले दिन पेश की जा चुकी थीं। इसलिये मैंने कोर्टके प्रेसीडेण्टसे लिखित प्रार्थना की—कि वे दोनों रिपोर्टें भी शामिल-मिसल की जांय।

जजने लिखकर उत्तर दिया कि वे दोनों रिपोर्टें पुलिसने वापस ले ली हैं—और शायद मामलेमें पेश करनेकी भी दरकार नहीं पड़ेगी। निदान मैंने वार २ मुकद्दमे के दौरान में उन रिपोर्टोंकी बात कही, पर अन्ततक भी वे पेश नहीं की गईं! हमारे वकील मि० हसनईमामने भी मांगी, पर कोरा जवाब मिला। मैंने २५ वर्ष तक वकालत की है, पर पुलिस और मेजिस्ट्रेटका यह समझौता आजतक नहीं देखा! अभियुक्तोंके कामकी चीजको इस तरहसे जबर्दस्ती गुम कर देना, सरासर अन्याय था।

जजोंका सुलूक।

समरीकोर्टके तीन जजोंमें दो तो युरोपियन थे—और एक मुसलमान। चीफ जज इस नाटकका प्रधान अभिनेता था। मुसलमान साहब तो हां-हूं करके ही कर्तव्यपालन करते थे। चीफ जज हमारे साथ ऐसा बुरा सलूक करता था—जैसा कि शायद महायुद्धमें जर्मन-सिपाहियोंके साथ भी बृटिशोंने न किया होगा। पहले दिन हमको बड़ी बेइज्जतीके साथ अदालतके कमरेमें श्रेणी बांधकर खड़ा होनेका हुक्म दिया गया। पीछे एक दीवारके सहारे हमारी कुर्सियां रखदी गयीं। हमारे वकीलोंका टेबिल इतनी दूर था कि हमको बार बार उठकर उन्हें बातें बतानी पड़ती थीं।—और हमारे उठने पर चपरासियोंको आज्ञा

दी जाती थी—कि बैठा दो! साथही वकीलोंको कह दिया जाता था कि—अपने मुवक्किलोंको बैठाओ! और स्वयम् उनके पास जाकर उनकी बात सुन आओ!—हमारे दो एक वकीलों को छोड़कर सब नये और अनुभवशून्य थे—इस लिये वे भी दब जाते थे। दो एक बार जजोंके इस सुलूकका मैंने प्रतिवाद किया, तो उत्तर मिला कि-यह मार्शल-ला समरीकोर्ट है। हमारी इच्छा है कि हम कुछ लिखें चाहे न लिखें।—मेरे प्रतिवाद करनेपर हमारेही वकील कहते थे—कि चुप रहो—अपनेही लिये फांसी तैयार मत करो! कुछ आदमी इसी तरहकी एक चिट्ठी हमारे घरसे भी लिखवा लाये थे—कि परमेश्वरके लिये अपने लिये न सही, हमारे लिये तो सही—इस तरहसे जजोंकी बातोंका प्रतिवाद न करो। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। चीफ-जज जो पहले गार्डनपार्टियों में हमसे हाथ मिलाकर खुश हुआ करते थे, उन्हें हमसे अब बदबू आती थी। और मानहानिकारक स्वरमें बार बार हमसे बैठजाओ! बैठ जाओ!! कहते थे। कमसे कम और कुछ नहीं तो अङ्गरेजी राज्यमें भङ्गी और ब्राह्मण एक जगह खड़े होकर पैरवी कर सकते हैं, यह तो मैं समझता था, परन्तु जिन्हें गवर्नमेण्टने स्वयम् लीडर या प्रजाका नेता स्वीकार किया था—और जो जजोंसे किसी तरह भी कम हैसियत नहीं रखते थे, अछूतोंकी तरहसे सलूक किया जाता था—और वह भी इस लिये नहीं कि

हम कोई खूनी—चोर या डाकू थे, बल्कि इस लिये कि देशकी गर्दनपर छुरी फेरनेवाले एक कानूनका विरोध किया था—और अपने देशसे प्रेम करते थे।—जिस समय हमको उमरभरके लिये कालेपानीकी सजाका हुक्म सुनाया गया, तो हमको क्लेश नहीं हुआ, किन्तु अदालतके उस अपमान—और जजोंकी बदसुलूकी आज भी कभी कभी याद आ जाती है, तो एक बार हृदय काम्प उठता है!

पहले दिन जब मामला पेश हुआ, तो चीफ जजने बाहरसे आये हुए कई वकीलोंके तार पढ़कर सुनाये, जिनमें अदालतसे आज्ञा मांगी गयी थी—कि हम पैरवी करनेके लिये आ रहे हैं। परन्तु जजोंने कहा कि--उनको रोक दिया गया है—बाहरका कोई वकील पैरवीके लिये नहीं आ सकता। इसी तरहसे मेरे एक वकील जो पहले दिन आये थे--अगले दिन इस लिये नहीं आये—कि—मियां मुहम्मदसफी भी मामलेमें पेश होंगे—ये उनपर जिरह न कर सकेंगे—क्योंकि इन वकील साहबके वे बुजुर्ग हैं!—लाला गङ्गाराम साहब वकील स्यालकोट और मि० सन्तानम् बैरिस्टरने अन्त तक अपने हजार काम छोड़,—हमारे सबके लिये दिल खोलकर पैरवी की--और इसी एक काममें बिना किसी तरहकी फीस लिये रात और दिन एक कर दिया, जब कि और वकील, जो कि पांच सौ रुपया मासिक भी न कमाते थे—आज एक एक दिनके पांच पांच सौ मांगते थे!

हमारे साथ जब चीफ जज बद्सलूकी करते थे, तो मुसलमान जज बिचारे ब्लाटिंग लगानेका काम किया करते थे। और अन्ततक हिन्दूस्थानकी इज्जतको चुपचाप सम्भाले बैठे रहते थे। जब उन्होंने देखा कि अभियुक्त शिरसे टोपी और दुपट्टे उतारकर बैठते हैं और कोई ननुनच नहीं करता, तब कहीं आपका साहस हुआ कि अपनी पगड़ी नीचे उतारकर रखदें। इसी बीचमें जब एक दिन पुलिसके सु० मि० बौरङ्ग सी० आई० डी० की रिपोर्ट पेश कर रहे थे, तो मैंने कहा असली रीपोर्ट भी पेश करिये, तो वकीलों और आस पासके लोगोंने भी चीफ जजकी भृकुटी देख कर मुझे कहा—बैठ जाओ, बैठ जाओ! पर इसी बीचमें मि० बेनीप्रसाद् खोसला बैरिस्टरने बड़े साहसके साथ कहा कि अगर अदालत हमको प्रश्न करने नहीं देती, तो हम लोगोंका पैरवी करना व्यर्थ है। तब उस दिनसे अदालतने अपनी कठोर-प्रणालीमें कुछ थोड़ासा परिवर्तन किया, और अन्यान्य वकील भी कुछ बोलने लगे। इसी दौरानमें बाहरके लोगों और प्रजा, पं० मोतिलाल नेहरू तथा मालवीयजीका अन्दोलन और बिलायतको तारें दी गयीं और सर शङ्करन् नैयरका त्यागपत्र, तथा सर रवीन्द्रनाथ टेगोरका उपाधित्याग, ये सब बातें खाली न गयीं और अदालतका दिमाग जरा ठिकाने आया। मेरी धर्म-पत्नी श्रीमती सरलादेवी बी० ए० और मि० संतानम् बैरिस्टर ने शिमला जाकर कोशिशकी, कि क्योंकि सर ओ'डायर हमारा

दुश्मन है, इस लिये यह मुकद्दमा पञ्जाबमें न होकर बाहर होना चाहिये। पर यहांकी नौकरशाहीने जो कुछ सोचा हुआ था, उसमें मीन मेष कैसे हो सकता था। अन्तमें इस कोशिश का भी कुछ परिणाम न हुआ।

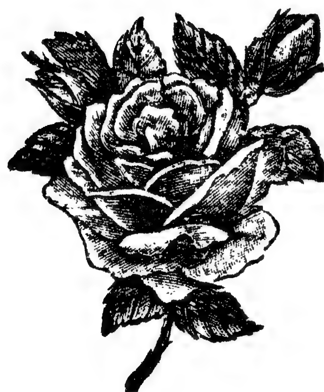
युरोपियन-वार्ड।

मुकद्दमा अभी चल ही रहा था कि ला० हरकिशनलाल, डा० गोकुलचन्द, ला० धर्मदास सूरी, सैयद मुहसिन साह बैरिस्टर तथा पीछेसे मुझे भी युरोपियन कैदियोंके वार्डमें रखा गया। डा० किचलू और डा० सत्यपाल तथा ला० दुनीचन्द बैरिस्टर इन सबको भी वहीं रखा गया था।

भाई परमानंदकी कोठरीमें!

यूरोपियन वार्डमें रहते अभी मुझे कुछ ही दिन हुए थे, जब कि दारोगा साहब जेलका हुक्म हुआ कि—बम्बईसे कोई साहब बहादुर कैदी आ रहे हैं, इस लिये तुम लोग नम्बर १६ की कोठरी में जाओ!—यह वह कोठरी थी जिसमें अमेरिकासे आये हुए अनेक देशभक्तोंके साथ भाई परमानन्द एम० ए० को रखा गया था और यहींपर अदालतका कटघरा लगाकर इण्डिया डिफेन्स एक्ट की जञ्जीर हिलाकर भाई परमानन्द आदिको फाँसीकी सजा सुनायी गयी थी! इस कोठरीमें घुसते ही हमारे आँसू आगये

हमारे एक साथीने कहा कि हमने देशके लिये बड़ा पाप किया था, जो भाई परमानन्द आदिके मामलेमें कुछ भी उन लोगोंको भयके मारे कानूनी सहायता नहीं दी। मालूम होता है उसी पापका प्रायश्चित्त करनेके लिये आज हम लोग यहां पहुंचे हैं। गुजरांवालाके वकील ला० अमरनाथ और ला० मोहनलालको नम्बर १२ के वार्ड में रखा गया था, जहां फांसीवालोंको रखा जाता है। वे कहते थे कि जिनको फाँसीकी सजा मिलनी होती थी, वे बड़ी सुरीली और अन्तरात्माकी आवाजसे वैराग्यके गीत गाया करते थे, जो हृदय चीरते चले जाते थे।



श्रीयुक्त दीवान मंगलसेन ।

(रईस ए-आज़म, गुजरांवाला ।)

मेरी प्रधानतामें चलनेवाली इन्शुरेन्स कम्पनीका काम बहुत बढ़ गया था, क्योंकि वह लिमिटेड कम्पनी है, अतः उसके शेयर-होल्डरोंने यह निश्चय कर लिया था कि इसका प्रधान कार्यालय बम्बईमें रखा जाय। यदि पञ्जाबमें भयङ्कर काण्ड न हुआ होता तो अब तक कभीका मेरा प्रधान कार्यालय बम्बई पहुंच गया होता। मेरे शहरके लोगोंकी मुझपर कृपा है कि वे सभी मुझसे प्रेम करते हैं। मेरे कार्यालयके बम्बई जानेकी बात सुनकर सभी नगरनिवासी मुझे बिदाईका एक भोज देकर जल्सा करना चाहते थे। पर मुझे अवकाश नहीं था, अतः मैंने इन्दौरसे अपने उन मित्रोंको तार देकर, यह सम्मानसूचक कार्य स्थगित करनेकी प्रार्थना की, किन्तु वह स्वीकार नहीं हुई। जब मैं देहली वापस आया तो मालूम हुआ कि वह तजवीज मुलतवी कर दी गई। यह सब बातें २६ एप्रिल सन् १६१६ की हैं। मैंने उस समय यही उचित समझा कि मैं इस समय वापस गुजरांवाला चला जाऊं। सुतरां मैं उसी दिन रेलमें बैठकर गुजरांवालाको रवाना हुआ। रास्ते में जो सरकारी चहल पहल थी, वह भी देखी। ३० तारीखको



१ श्रीयुक्त दीवान मङ्गलसेन रईस-ए-आज़म गुजरांवाला।
अपने साथी वकीलों सहित गिरिफ्तारीकी हालतमें।

देहलीवाली घटनापर सभी भारतवासी नाराज़ थे। रेलमें भी उसकी चर्चा थी। जब मैं ५ तारीखको लाहौर पहुंचा, तो मालूम हुआ कि लाहौरमें रोलेटबिलके विरोधमें लोगोंमें बड़ी सनसनी फैल रही है। मेरी गाड़ी कुछ लेट थी—इस लिये मैं एक बजे गुजरांवाला पहुंचा। सफरकी वजहसे कुछ थकावट थी, इस लिये मैं घरपर ही रहा, बाहर नहीं गया।

शामको ६॥ बजे भक्त ब्रजभूषण बैरोस्टर जो मेरे बहुत समीप के सम्बन्धी हैं, कचहरीसे सीधे मेरे पास आये। उन्होंने रोलेट-बिलके आन्दोलनके सम्बन्धमें इधर उधर जो आन्दोलन हो रहा था, उसका कुछ विवरण सुनाया और कहा कि यहां भी आज एक विरोध-सभा होगी, आप भी आवें। साथ ही उन्होंने मेरे आफिसका 'पायोनियर'का फाइल मागां और कहा कि उसमें रोलेटबिल निकल चुका है और मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। साथ ही भक्तने यह भी कहा कि यहांके डिप्टी० कर्नल ओब्राइनने पाँच चार वकील बैरिस्टोंको बुलाकर फटकारा है और कहा है कि खबरदार—इस आन्दोलनमें शामिल मत होना, परन्तु वकीलोंने उसे स्पष्ट शब्दोंमें अपना कर्त्तव्य पालन करनेकी बात कही है।

शामको मैं भी सभामें गया। उस समय ला० मेलाराम, लिखा हुआ—भाषण पढ़ रहे थे। लोगोंकी उपस्थिति ५ या ६

हजार होगी। मेरे पहुंचनेपर लोगोंने समारोहसे मेरा स्वागत किया—और मुझसे कुछ बोलनेका आग्रह किया गया। क्योंकि मैं कानून नहीं जानता हूं। इसलिये मैंने खड़ा होकर देहलीमें ३० ता० को जो घटना हुई थी, उसके खेद और विरोधसूचक प्रस्तावका समर्थन मात्र ही किया।—लोग ५ तारीखको हड़ताल करनेपर तुलेहुए थे। इधर जी हजूर लोग भी कर्नल ओब्राइनकी तरह तरहके विश्वास दिलाकर सब्ज बाग दिखा रहे थे। आनरेरी मेजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नरों तथा उपाधियोंपर लट्टू होने वाले लोगोंकी म्युनिसिपल आफिसमें एक सभा हुई। जिसमें ६ ता० की हड़तालके सम्बन्धमें विचार हुआ, पर वहां भी कोई सम्मति स्थिर न हो सकी—और अन्तमें रामभरोसे जो कुछ हो—की बात तय हुई। क्योंकि अगर ये लोग यह तय कर लेते कि हड़ताल न हो, तब भी इसके पास होनेका कोई मूल्य नहीं था। क्योंकि हड़ताल तो जरूर होनी ही थी।

अन्तमें ६ ता० को सारे बाजारमें हड़ताल हुई—और प्रस्ताव पास हुए, पर किसी तरहकी कोई अशान्ति नहीं हुई।

८ ता० को मालूम हुआ कि कर्नल ओब्राइन डिप्टी क० पञ्जाबके नादिरशाह लाट सर ओ'डायरसे पांच वारण्टोंपर हस्ताक्षर करा लाया है और शीघ्र ही गिरिफ्तारियां होनेवाली हैं।

११ ता० को डा० किचलू और डा० सत्यपालके निर्वासन तथा महात्मा गान्धीकी गिरफ्तारीसे बड़ी नाराज़गी फैली। इसके अतिरिक्त लाहौरमें जो कुछ हुआ उससे लोग और भी असन्तुष्ट हो गये।

शामको ला० अमरनाथ साहेब वकीलके घरपर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीका एक अधिवेशन हुआ। उसमें महात्मा गांधीके गिरिफ्तारीके समयके सन्देश पर विचार किया गया। इधर ११ ता० को कर्नल ओब्राइन बदलकर अम्बाला चला गया। देशके शत्रुओंने उसे बिदाईका भोज दिया!

१२ ता० को एक सभा हुई। जिसमें जालन्धरकी प्रान्तिक कान्फ्रेन्सके लिये प्रतिनिधि चुने गये। इसी समय हमारे पास २०-२५ नवयुवक आये। उन्होंने कहा की आप लोग हमारे लीडर हैं, क्या कारण है—शीघ्र हड़तालका आप लोग फैसला नहीं करते। गांधीजी पकड़े गये। डा० किचलू और सत्यपाल निर्वासित हो गये। लाहौरमें गोलियाँ चलाकर लोग मारे गये! अमृतसरमें भयङ्कर काण्ड हो रहे हैं। आप लोग क्यों चुप बैठे हैं? इसपर जब देखा कि लोग हड़ताल करने पर उतारू हुए हैं, और लोगोंमें जोश फैल रहा है। तब निश्चय किया गया कि हड़ताल हो।

१३ ता० को बैशाखीका पर्व था। मैं और मेरे कई वकील

मित्र पैदल स्नान करने गये। आते समय जब हम स्टेशनके मार्ग से आये तो देखा लोग बड़ी संख्यामें गाड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग मेलेकी पोशाकें पहिने हुए थे। जो रेलें वहांसे होकर जाती थीं उनके यात्री 'शेम' 'शेम' की ध्वनि करते थे—और अवाजें दे देकर कहते थे, "तुम लोग यहां रङ्ग रलियां करते हो दूसरे शहरोंमें तुम्हारे भाई बुरी तरहसे मारे जा रहे हैं।"—शहर भरमें इसकी धूम मच गयी—लोगोंमें बुरी तरहसे जोश फैला और देखते ही देखते सारे शहरमें हड़ताल हो गई। शामको मेरे मकान पर एक सभा हुई। उसमें शान्ति बनाये रखने पर विचार किया गया। साथ ही इसमें ही मुझे विदाईका भोज दिया गया।

१४ ता० को हड़ताल रही। सभा भी हुई। उसमें हिन्दू मुसलिम एकता पर जोर दिया गया। इसी समय मालूम हुआ कि पुलिसकी शरारतसे बाजारमें एक गौ का बछड़ा मारकर टाङ्ग दिया गया है जिससे हिन्दू मुसलमानोंमें लड़ाई झगड़ा हो जाय, परन्तु पुलिसकी इस चालको फौरन भांफ लिया गया। हिन्दू नवयुवक स्वयं उसको उतार डालनेके लिये तैयार हो गये। शामको सदाकी भांति वैशाखी देखने बजीराबाद जानेके लिये स्टेशन पर गये, परन्तु भीड़ होनेके कारण बहुतसे आदमी चढ़े—और बहुतसे रह गये। और इसी कोलाहलमें

गार्ड भी नीचे ही रह गया। कुछ लोग शराब पीये हुए थे। उन्होंने गुरुकुलके सामनेके पुलको आग लगा दी। जब हम लोगोंको पता लगा तो मि० लाभसिंह बैरिष्टर तथा ला० मोहन-लाल और बा० दीनमोहम्मदने आग बुझवादी। कोई हानि नहीं हुई। लोक वापस घर चले आये।

लोगोंपर फायर।

बहुतसे अशिक्षित लोग जोशमें आगये थे। उन्होंने ज़ब उस बछड़ेकी बात सुनी तो वे और भी असन्तुष्ट होगये। पुलिसने समझा कि यह किसी पर धावा करने जा रहे हैं। सुपरिन्टे-एडेन्ट पुलिसकी आज्ञासे लोगोंपर फायर किये गये। इस पर लोगोंमें जोश फैल गया और उन्होंने कच्चे पुलको आग लगा दी, किन्तु वह थोड़ी देरमें बुझा दी गई। इसी समय सुपरिन्-टेण्डेन्टने लोगोंको बहुत बुरी तरहसे चिढ़ाया और गालियां दीं। इसपर एक नवयुवकने सुपरिन्टेण्डेन्ट पर आक्रमण किया। फिर गोलियां चलने लगीं। यह सब पुलिस सुपरिन्टेण्डेण्टकी मूर्खताका ही परिणाम था। शराबकी दुकानें बंद करनेके लिये मि० लाभसिंह बैरिस्टरने कहा था, किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि अशिक्षित गंवार लोगोंने शराबके नशेमें उपद्रव किया। इसपर पुलीसने उनपर गोलियां चलाईं और लोगोंने बिगड़कर पोस्ट आफिस और रेलवे स्टेशन

पर आग लगा दी। तीन दिन तक बराबर ये जलते रहे, किन्तु पुलिस या धोखेबाज जीहजूरोंने उसे नहीं बुझाया। मार्शल-ला कोर्टके सामने सुपरिन्टेण्डेन्ट पुलिसने स्वयम् कहा है कि जहां मैं होता था पुलिस गोली चलाती थी, नहीं तो वह भी तमाशा देखती थी!

बम्बार्डमेण्ट।

शामको ६॥ बजे कुछ वर्षा हो गई। लोग अपने घरोंमें चले गये। उसी समय हमने सुना कि कर्नल ओब्राइन फिर वापस आ गया। जिन लोगोंको गिरिफ्तार करना था उनकी एक सूची इकबालनारायण सेक्रेटरी म्यूनिसपलटीके मकान पर बनाई गई। यह आदमी कर्नल ओब्राइनका कृपापात्र था और उसीकी कृपासे सेक्रेटरी बना था। यह आदमी जब स्टेशन वगैरह पर आग लगी हुई थी; बराबर वहां घूमता रहा, पर इससे भी यह न हुआ कि आग बुझा दे या इसका प्रबन्ध करे—अथवा पुलिस सुपरि० या डिप्टी कमिश्नरको ऐसी सम्मति दे। हां हम लोगों के मुकद्दमोंमें सरकारी गवाह बनकर उसने खूब राजभक्तिका प्रकाश किया!—खैर, इसके बाद कर्नल ओब्राइन कचहरीकी ओर चला गया और खजानाके मकान पर जाकर रहा। थोड़ी ही देर बाद शहरके ऊपर हवाई जहाज घूमने लगे। मेरे मकान पर भी हवाई जहाज घूमा। बादमें सुना कि कई वकीलों और बैरिस्टरों

के मकान पर भी घूमा था। घूम घाम कर शहरके ऊपर बराबर एक घण्टे तक बमके गोलोंकी वर्षा की गई। कितने ही आदमी मरे और जखमी हुए। एक घण्टेके बाद 'जल्लाद' अपना काम समाप्त करके चले गये। लोगोंमें बड़ी घबराहट और शोक छाया हुआ था, मैं घरसे निकला और 'गुरुनानक खालसा-फैक्टरी'के पास पहुंचा तो कुछ लोग मुरदोंके पास खड़े थे। कई हिन्दू मुसलमानोंकी लाशें पड़ीं थीं। किसीका हाथ कटा था, किसीका शिर और किसीकी हड्डी! स्त्रियां रो पीट रहीं थीं। उन्हें ढाढ़स देनेकी चेष्टा की गई, पर दृश्य बड़ा हृदय-विदारक था। मैं मुसलान भाइयोंके पास सम्मति लेने जा रहा था कि इन लोगोंकी अन्तिम क्रिया कैसे की जाय, तभी टाङ्गेमें जाते हुए, मि० लाभसिंह बैरिस्टर और ला० देशराज तथा मि० दीनमोहम्मद वकील मिले। मैंने पूछा कहां जा रहे हो, तो उत्तर मिला कि कर्नल ओब्राइनने बुलाया है, वहां जा रहे हैं।

इसके बाद यह तय हुआ कि अन्तिम क्रिया कल की जायगी। क्योंकि रात अधिक हो रही थी, सुतरां मैंने घरसे चारपाइयां भेजकर मुसलमान शहीदों को मसजिदमें और हिन्दू वीरों को मन्दिरमें रखवाया। इसके बाद मैं अस्पताल चला गया। वहां कई घायल मरने लग रहे थे। लायलपुरके एक हिन्दू ठेकेदार जो किसी काम आये थे, अचानक बाजारमें घायल हो गये थे। मैंने

उन्हें देखा। वे बड़े साहस से मरे और अन्त समय तक कहते रहे कि 'धन्य हूं मैं जो विना ही मातृभूमिकी सेवा किये, उसके लिये आज बलिदान हो रहा हूं।' शहरके शिक्षित नवयुवक घायलोंकी खूब सेवा कर रहे थे। इसी समय अस्पतालमें मुझे भक्त ब्रजभूणके दर्शन हुए। वह बड़ा घबराया हुआ था और लोगोंको गालियां दे रहा था कि शहर भर मेरा शत्रु हो गया है। इसका कारण यह था कि लोगोंका ख्याल था कि गोलियोंका चलना और शहर पर बम्बार्डमेण्टका होना, यह सब भक्त साहेबकी कृपाका फल था! इसी कारणसे लोग इनसे बदला लेना चाहते थे। इस समयसे इनके बाल बच्चोंकी रक्षाका प्रबन्ध भी करना पड़ा। इधर भक्त साहेब भी लोगोंसे बेतरह नाराज़ थे। और बड़बड़ाते चले गये, इसके बाद इनके दर्शन, मार्शल-लाके समरीकोर्टमें सरकारी गवाहके रूपमें हुए!

जब मैं वापस घर आया तो मि० लाभसिंह वगैरह मिले। उन्होंने कहा कि कर्नल ओब्राइनने हमको खूब धमकाया और कहा है कि कुछ और कमी है? ला० कन्हैयालाल जो यहां आन० मेजिस्ट्रेट हैं, साथही उनका लड़का सी० आई० डी० में रहकर खूब हाथ रङ्ग रहा था, इन्होंने कहा कि लीडर हरएक बातके उत्तरदाता हैं। अतः इनको खूब सजा मिलनी चाहिये!

शामको गोरी फौज मेशीनगनों सहित स्यालकोटसे आगई। लोगोंमें अफवाह गर्म थी कि बहुत शीघ्रही गिरिफ़ारियां होनेवाली । ला० सन्तरामने मुझे इस अफवाहकी सूचना सबसे पहले दी। मैंने उनसे कहा कि अगर मैं गिरिफ़ार हो गया तो, तुम मेरे घरको भी सम्भालना ! तुम मेरे पुत्रोंके समान हो। घबराना मत हम लोग निर्दोष हैं।

इसके बाद मैं सुबहको बाहर गया और परलोकवासी वीरोंकी अन्तिम क्रियाका काम आरम्भ किया गया। पहले मैं मि० दीन-मोहम्मद वकीलके पास गया। ये बहुत घबराये हुए थे। हकीम अब्बासअली बैरिस्टर भी उनके पास ही थे। उनकी भी वही दशा थी। मैंने उचित समझा कि अब इन सज्जनोंको कष्ट न देना चाहिये। वहांसे मैं ब्रह्मअखाड़ामें पहुंचा । हजारों लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां जाने पर मालूम हुआ कि मुसलमान भाई तो मुसलिम-शहीदोंको रातको ही दफना चुके हैं, हिन्दू वीरोंकी यथेष्ट क्रियाकी तैयारी की जा रही है। इतनेमें ही शहरके ऊपरसे फिर हवाई जहाज उड़ने लगे ! लोग भयभीत होकर अपने अपने घरोंको भाग गये। शहर बन्द था । उचित समझा गया कि कुछ आदमी जाकर सब काम कर आवें। ११ बजे इस कामसे आकर मैंने स्नान किया और भोजन करते कराते एक बज गया। मैं डाक पढ़ने लगा। इतनेमें ही मि०

लाभसिंह बैरिस्टर, ला० हाकिमराय मेरे पास आये—और निश्चय हुआ कि पञ्जाबके प्रायः सभी समाचारपत्र बन्द हो चुके हैं। इसलिये बेहतर है कि यहांका सब वृत्तान्त भी मालवीयजी तथा महात्मा गान्धी और बाहरके पत्रोंके पास भेजा जाय। अभी हमलोग मसौदा बनाही रहे थे कि मि० लाभसिंहके पिताने आकर कहा कि उनको डिप्टीकमिश्नरने बुलाया है। मि० लाभसिंह यह कहकर चले गये कि आप लोग काम करते रहें, मैं अभी आता हूं।

मि० लाभसिंहको अभी १५ ही मिनट गयेको हुए थे कि इतनेमें ही मेरे एक आदमीने आकर मुझे सूचना दी कि इनको गिरिफ़ार कर लिया गया है—और अब फौज हमारे मकानकी ओरको आ रही है। सैकड़ों गोरे और भारतीय सशस्त्र-सिपाही मेशीनगन लिये मेरे मकानकी ओरको बढ़ रहे थे। सिविल और मिलटरीके गोरे अफसर पिस्तौलें लिये मेरे मकान पर धावा करने आ रहे थे। पीछली ओरसे मेरा मकान घेर लिया गया था। मैंने जब यह वृत्तान्त सुना तो मैं बाहर चबूतरे पर आ खड़ा हुआ। पुलिसके बहुतसे अफसर अपनी फौजी पुलीसको लिये बाहर खड़े थे। इधर डिप्टीकमिश्नर, असिस्टेन्ट कमिश्नर तथा डिप्टी इन्सपैक्टर जेनरल पुलीस और पुलीस सुपरिन्टेण्डेण्ट, अपनी किरचोंको चमचमाते हुए—मेरी

कोठीके द्वारसे होकर भीतर घुसने लगे। मैं अभी बाहर ही खड़ा था।

गिरफ्तारी।

सब इन्सपेक्टर परशुराम, सिकन्दरलाल मेरे 'टेविल कोर्ट' आकर घुसे और कहने लगे "दीवान साहब आइये!" मैंने पूछा क्या मुझको गिरफ़ार करना है? उत्तर मिला—"हां!" मैं आगे चला गया। इतनेमें दौड़ते और हांफते हुए हेरिन साहब पुलिस कप्तान भी आगये और जोरसे बोले—क्या तुम दीवान मङ्गलसेन हो?—मैंने कहा "हां।"

कप्तानने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटके हुक्मके अनुसार तुम्हें गिरफ़ार करना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं स्वयम् अपने आपको पेश करता हूं। उसने कहा—अब पेश करनेका प्रश्न नहीं है।—मैंने कहा कि मैंने कब मनाही की थी?

मैं इस समय केवल एक कमीज़ पहने था। पैरमें जूता और शिरपर कोई कपड़ा नहीं था, केवल एक धोती बांध रखी थी। मैंने कहा कि कपड़े पहन लूं? उत्तर मिला—कदापि नहीं, अब जेलखानेके कपड़े पहनना! मैंने कहा देशकी सेवाके लिये यह साधारण बात है। वह रुष्ट होकर बोला—चुप रहो!—

सिपाहियोंको आज्ञा दी कि डबल हथकड़ी लाओ! इसके

बाद हेरिल साहबने स्वयम् मेरे हाथोंमें हथकड़ी लगायी, फिर जञ्जीर लगायी और बाहर लेगया। बाहर ले जाकर फौजके पहरेमें खड़ाकर दिया गया। ला० मेलाराल तथा मि० लाभसिंह बैरिस्टर एक एक कुरता, धोती पहिने इसी तरहसे हथकड़ियोंसे जकड़े हुए फौजी पहरेमें खड़े हुए थे। शिर भुकाकर हमने परस्परमें अभिवादन किया।

मेरे बच्चोंने जो एक सात वर्षका और दूसरा नौ वर्षका था, रोना शुरू किया। वे दोनों बच्चे रोते रोते कहते थे कि—पिताजी हमें भी साथमें ले जाओ।—मैंने ललकारकर कहा कि पुत्र, कुछ दिन और पतीक्षा करो। अन्याय जारी रहा, तो तुम्हारा बलिदान भी अनिवार्य होगा। इतनेमें ओब्राइन डिपुटी कमिश्नर बोला, यह कौन रोता है? पुलिसने कहा साहब, यह दोनों इनके बच्चे हैं। इसपर ओब्राइनने कहा कि रोते हैं तो—

गोली मार दो!

इसपर मेरा छोटा लड़का भागा हुआ आया और छाती खोलकर बोला—

मार दे गोली---

डराता किसको है! हम भी मरनेको तैयार हैं।—इतनेमें मेरा एक आदमी दौड़ता हुआ आया कि मुझे मेरा चश्मा दे दे।

इसपर इन्सपेक्टर जेनरल पुलिसने धमकाकर कहा—जाओ ले जाओ! वहां नाविल पढ़ने नहीं जा रहा है!

फिर सिपाही मेरे कमरोंके भीतर घुसने लगे; परन्तु मेरी धर्मपत्नीने कहा कि हरगिज़ ऐसा न होगा। मेरे रहते कोई भीतर न घुस सकेगा! अगर तलाशी लेनी है, तो किसी जुम्मेवार अफ़सरको लेकर तलाशी लो। इसपर एक डिपुटी सुपरि० पुलिस भीतर जाकर तलाशी ले आया।

इसके पश्चात् हमें रेलवे स्टेशनकी ओर ले जाया गया।—प्लेटफार्मपर धूपमें खड़े कर दिये गये। और कई वार पानी मांगनेपर भी हमें नहीं दिया गया। तथा सब कैदियोंको बड़ी बेइज़्ज़तीके साथ—फौजी पहरेमें सङ्गीनों और गोलियोंसे धमकाकर 'क्विकमार्च' कराया गया।

बादमें हमें रेलवे स्टेशनपर ले जाकर गोरे अफसरोंने धमकाया और कहा—देखो तो सही—कितना छोटासा आदमी है—राजनीतिक वक्तृताएं देता फिरता है!

इसके बाद हमको क्रमशः जञ्जीरोंसे बांध और श्रेणीबद्ध करके एक खुले छकड़ेमें बैठा दिया गया—और हमारे चारों ओर सशस्त्र फौजी पहरा लगा दिया। तथा हमारे छकड़ेको इञ्जनके साथ लगाया गया। लाहौर पहुंचते पहुंचते हमारे मुंह धूएंसे काले

हो गये। रास्तेमें बहुत बुरा बर्ताव किया गया। एक हमारे साथी पेशाब करना चाहते थे; किन्तु आज्ञा नहीं मिली और विवश होकर वहीं करना पड़ा तथा हुक्मन वहीं बैठना पड़ा। कहा गया कि अगर वह पेशाब पर न बैठेगा—तो सङ्गीनसे मार डाला जायगा!

× × × ×

जब हम लोग लाहौर रेलवे स्टेशनपर रात्रिको पहुंचे, तो वहां बिककुल अन्धकार था। फस्ट और सेकेण्ड क्लासके बुकिङ्ग आफिसके सामने केवल लेम्प जलता था। हम लोगोंको छकड़ोंसे उतारा गया—और एक युरोपियन अफसरने हमारी हाजरी ली,—जो इसी कामके लिये वहां पहलेसे ही मौजूद था।—फिर हमें वाहर आनेका हुक्म मिला। और एक मोटर गाड़ीमें बैठाया गया। इसमें जहां जहांसे कुछ वायु आ सकता था, वे सब द्वार बन्द कर दिये गये। दो सशस्त्र फौजियोंकी मोटरें और एम्बूलेन्सकी गाड़ियां हमारे साथ थीं; जिनपर सिपाही बैठे हुए थे; हवाई जहाज हमारे मोटरपर चक्कर लगा रहे थे!

लाहौर सेण्ट्रल जेलमें।

६ बजे रातको हम समस्त कैदी लाहौरकी सेण्ट्रल जेलमें भेज दिये गये। ज्योंहीं हम वहां पहुंचे,—हमें धक्के मारकर गाड़ीसे उतारा गया—और इस भयङ्करतासे हमारे हाथ खींचकर धक्के

लगाये गये, जिससे मेरे एक हाथमें चोट लगी, परन्तु सबसे अधिक कष्ट लाला रलारामको हुआ, जो ७० सालकी अवस्थाके बृद्ध थे। जब हम लोग जेलमें प्रविष्ठ हुए, हमें घुटनोंके सहारे दो दो को बैठना पड़ा। फिर हाजरी ली गयी। 'हाज़िर जनाब' कहनेके लिये विवश किया गया—और जिसने न कहा बुरी तरहसे गालियां दी गयीं। इसके बाद हमारे पांवोंमें बेड़ियां डाली गयीं, जो प्रायः फाँसीकी सजा पानेवालोंके पावोंके डाली जाती हैं। इसके बाद अन्धेरी कोठरियोंमें एक एक को डालकर रातको दोरोटी मिलीं। मच्छर बुरी तरहसे सताते थे।

हमारे घरवालोंको हमारा कुछ पता नहीं मिला। पांच दिन तक स्नान नहीं हो सका। बीस बीस और तीस तीस रुपये देकर भी हम लोगोंको बहुत बुरी रोटी मिली। रातको इधर मच्छर और गर्मी तथा काल-कोठरियोंकी दुर्गन्ध प्राण लिये लेती थी, उधर हर तीन घण्टेके बाद गालियां देकर हाजिरी ली जाती थी। शामको हमारे वकील और सम्बन्धी केवल दश दश मिनट तक मिल सकते थे। पर यह सब कुछ सुपरि० जेलके सामने होता था। अतः हम अपने मामले भी ठीक तरहसे नहीं समझा सकते थे।

सनाखत।

६ मईको दुबारा हथकड़ियां लगाकर गुजरांवाला ले गये—

और लोगोंको डांट डपटकर हमारी सनाखत कराई गई। इसके बाद लाहौर लेजाकर फिर जेलकी काल-कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया। पुलिसके अफसरोंने बड़ी बेईमानीके साथ सरकारी गवाह बनाये थे—और जबरदस्ती चाहे जिससे जो कुछ कहलवाते थे।

मुकद्दमा।

हमारा मुकद्दमा बहुत शीघ्र समाप्त किया गया, जिससे मार्शल-ला की अवधि समाप्त न हो जाय। उमर भरके लिये काले पानीकी सजाके सिवा—मेरी सब सम्पत्ति ज़फ्त करनेका हुक्म हुआ! पहिले मैं कुछ दिन लाहौर पीछे मेण्टगुम्बरी रखा गया। लाहौरके डिप्टीकमिश्नर तथा कमिश्नरने हमें दो वार आकर देखा। ८ दिसम्बरको पञ्जाबके नये लाट साहबने भी भेंट की। आपका वर्ताव बड़ा सभ्योचित था। १६ दिसम्बर १९१९ को सम्राट्की घोषणाके अनुसार हमें छोड़ दिया गया।





श्रीयुक्त डा० सत्यपाल ।

श्रीयुत डा० सत्यपाल।

—:०*०:—

जब कि समस्त भारतमें राजनीतिक जागृति हो रही थी और पञ्जाबसे हर तरहसे रंगरूट भरती करके तथा तरह तरहके दबावसे युद्ध ऋण लेकर पञ्जाबियोंको राजभक्तिका सर्टिफीकेट देकर शासन सुधारकी उन सुविधाओंसे भी बञ्चित किया जा रहा था, जो और प्रान्तोंको दी जा रही थीं, आर्मेज़एक्टमें संशोधन हुआ पर पञ्जाबकी कोरी राजभक्तिके गीत गाकर उसे उससे भी वञ्चित रखा गया था! उनही दिनों पञ्जाबियोंके कानमें राजनीतिक आन्दोलनका मन्त्र फूंकनेके लिये लाहौरमें एक प्रान्तीय कान्फरेन्सका अधिवेशन किया गया। अमृतसरमें भी आन्दोलन आरम्भ हुआ और देहलीकी कांग्रेसमें आगामी वर्षके लिये कांग्रेसको निमन्त्रण दिया गया। अमृतसरकी जनतामें अंग्रेजी शिक्षाका कम प्रचार है। कांग्रेसके अधिवेशनकी तैयारीके लिये खेत तैयार किया जाने लगा और राजनीतिक आन्दोलन आरम्भ हुआ, किन्तु जो कुछ होता था वह वैध था और कानूनकी सीमाके भीतर होता था।

सर ओ'डायर।

सर ओ'डायर जैसे कड़े दिमागका आदमी, पञ्जाबका कभी

लेफ्टीनेण्ट गवर्नर नहीं हुआ था। उसकी बातों और कार्य-क्रमसे यह स्पष्ट मालूम होता था कि वह देशके राजनीतिक जीवनको खाकमें मिला सकता है, यदि यह उसके हाथकी बात हो! उसने इम्पीरियल कौंसिलके अधिवेशनमें अनधिकार चर्चा करते हुए एक बार कहा था कि पञ्जाब विभिन्न प्रांतोंके वे माननीय मेम्बर जो बड़ी कौंसिलके मेम्बर हैं और अपनेको जनताका लीडर समझते हैं, यदि मेरी प्रान्तीय कौंसिलके एक मेम्बर जितनी राजभक्ति दिखावें, तो मैं समझूं, वे भी राजभक्त हैं!

माननीय मालवीयजीके अपमानसे शिक्षित भारतवासियोंमें बड़ा असन्तोष फैला।—पञ्जाबके अन्यान्य शहरोंमें कई बार जब उसने दरबार किये ता भारतीय राजनीतिक अन्दोलनसे घृणा प्रकट की और पञ्जाबके भयङ्कर काण्डसे पहले वह पञ्जाबको बहुत बुरी तरहसे दबाये रहा तथा उसकी राजभक्तिके गीत गाता रहा। पर सच पूछो तो पञ्जाबका राजनीतिक जीवन उसने नष्ट कर दिया था। देहातोंमें रंगरूट भरती करनेमें उसके आदेशानुसार खूब जबरदस्ती की गई। युद्धऋण भी इसी ढङ्गसे लिया गया। 'कामागाटामारो' नामक जहाजके उन यात्रियोंको जो दुखी होकर क्षुब्ध भावसे भारत लौटे थे, इसने सैकड़ोंकी संख्यामें कैद किया और कालेपानी भेजा। कितने ही पञ्जाबियों को फांसीपर लटकाकर उनका काम तमाम किया गया! भाई

परमानन्द एम० ए० जैसे साधु आदमी कालेपानी भेजे गये। निरपराध लालचन्द फलक और बलराज वगैरह जेलमें बरसों सड़े। इसीकी कृपासे देहली और लाहौरके षड्यन्त्र रचे गये और कितने ही भारतीय नवयुवकोंको फांसीपर लटका दिया गया! झङ्ग आदिकी ओर जो एक बार हल्लागुल्ला हुआ, वह भी इसके शासनकी श्रेष्ठता का ही नमूना था! इन ही सब बातोंसे ठोक पीटकर पञ्जाबियोंको वैद्यराज बनाया जा रहा था। पञ्जाबके शिक्षित अब अधिक दिनतक ओ'डायरकी इन करतूतोंको सहन न कर सके और उन्होंने थोड़ा बहुत आन्दोलन आरम्भ कर दिया सर ओ'डायरकी तेज़ निगाह इधर लगी हुई थी।

अमृतसर रेलवे प्लेटफारमपर कोई कितना ही बड़ा प्रतिष्ठित भारतीय बिना प्लेटफारमके टिकटके नहीं जा सकता था और छोटीसे छोटी हैसियतके गोरेके लिये कोई रोक टोक नहीं थी! उनही दिनों मैंने इसके लिये विशुद्ध आन्दोलन किया और जिसको अन्तमें मेरे राजद्रोहके कारणोंमें से एक समझा गया! हालांकि स्टेशनके कर्मचारियोंसे बड़ी शान्तिके साथ हमारा फै-सला हो गया था; किन्तु तब भी सुपरिण्टेण्डेण्टको कत्ल कर-नेका अभियोग हमपर लगाया गया था।—इधर बहुमूल्य सम-स्याने लोगोंको बुरी तरहसे परेशान कर रखा था। इन ही दिनोंमें भारतीयोंके एक आवाजसे विरोध करनेपर भी रोलेट-

एक् पास करही दिया गया। जब इसकी गुरुतर क्रूरताका ख्याल करके महात्मा गांधी जैसे त्यागी नेताने इसके विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ किया,तो समस्त भारतके साथ पञ्जाब भी मौन न रह सका। अमृतसरमें सभाएं होने लगीं और सत्याग्रहका सिद्धान्त समझाया जाने लगा। पर इधर सर ओ'डायार किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा था और उसके पेटमें चूहे कूद रहे थे। ३० मार्चको हड़ताल होनेवाली थी, २६ मार्च १६१६ को सुबहके ११ बजे पुलिसका सब इन्सपेक्टर मेरे पास आया और उसने मेरी ज़बानबन्दीकी आज्ञा दी। जिसमें लिखा था कि मैं न कुछ बोल सकता हूं—और न लिख सकता हूं। चुपचाप मैंने हुक्म लेकर रख लिया और पूरी तरहसे उसका पालन किया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि ६ ता० की हड़तालके लिये जो नोटिस छपे थे, उसके निवेदकोंमें मेरा भी एक नाम छपा हुआ था। ६ ता० को हड़ताल हुई। और बड़ी शान्तिके साथ हुई। किसी तरहकी कोई अशान्ति नहीं हुई। रामनवमीका जुलूस भी इसी शानसे निकला। हिन्दू मुसलमान दोनों एक लाखकी संख्यामें जुलूस बनाकर बाजारोंमें निकले! कोई किसी तरहकी हलचल नहीं हुई। पर सर ओ'डायर यह सब कुछ कैसे देख सकते थे। सत्याग्रहकी ३० ता० की पहली सभामें जिन लोगोंने व्याख्यान दिया था,उनकी भी मेरी तरहसे जबानबन्द कर दी गई।

और तो और स्वामी अनुभवानन्द जो कि एक आर्य समाजी उपदेशक हैं, और जिन्होंने हिन्दू-मुसलिम मेलपर व्याख्यान दिया था, उनकी भी ज़बानबन्द कर दी गई !

इधर हड़ताल और आन्दोलनको जीहजूरों, आनरेरी मजिस्ट्रेटों तथा म्युनिसिपल कमिश्नरोंका दवाव डालकर वन्द करना चाहा, पर उनका असर न पड़ा। क्योंकि लोग, उन लोगोंके प्रभावमें नहीं आ सकते थे ! नौकरशाहीका जब यह वाण खाली गया, तब बड़ी चिन्ता हुई ! और उस चिन्तामें ही जो कुछ ओ'डायरने सोचा, वह इतना बुरा था कि जालियांवाला वागकी दुर्घटना उसीका परिणाम था !

निर्वासन।

१० एप्रिलकी सुबहको मुझे डिप्टीकमिश्नरकी एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि मैं दश बजे उनको बङ्गलेपर मिलूं। मैंने इसे साधारण पत्र समझा—और यथानियम अपने बीमारोंको देखने गया। दश बजेसे पहले मैं बङ्गले पर पहुंचा। डा० किचलू भी वहां मौजूद थे। पुलिसके कुछ गोरे अफसर भीतर बाहर हो रहे थे। मि० वेकेटने हमको भीतर बुलाकर निर्वासनका हुक्म सुनाया—और कहा कि अभी आप लोग अमृतसर छोड़ दें। सुतरां मोटर तैयार थे। दोनों फौजी पहरेके

साथ बैठाकर मि० रिहलस सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस हमारे साथ गये। मोटर इतनी तेजीसे चली कि कर्तारपुरके डाक बङ्गला पर जाकर सांस लिया। इसके बाद वहांसे हम लोग शाहपुर पहुंचे। वहांसे एक मोटरमें बैठकर हम लोग धर्मशालाको रवाना किये गये। एप्रिलमें अमृतसरमें गर्मी होती है, अतः हम लोगोंने ठण्डे कपड़े पहने हुए थे। धर्मशाला पहाड़ी स्थान होनेके कारण वहां खासी ठण्ड थी। मैंने एक वकील मित्रको बुलाकर दो बिस्तर, पहनने के कपड़े मंगाए और यद्यपि पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टसे आज्ञा ले ली गयी थी; परन्तु तब भी मेरे उन मित्रको कष्ट दिया गया।—हम लोग वहां अलग अलग स्थानोंमें रखे गये—और हमारी डाक पर सेन्सर रहा। हम दोनों आपसमें नहीं मिल सकते थे। जो लोग हमारे पास आते थे—उनको तङ्ग किया जाता था। इस लिये हमने सबसे मिलना छोड़ दिया था।

गिरिफ्तारी।

अन्तमें ६ मईको सुबह एक सबइन्स्पेक्टर पुलिस मेरे पास आया। उसने मुझे सूचित किया कि मुझे डाकबङ्गलाको चलना चाहिये। मेरा सामान शीघ्रता से बांधा गया और पुलिसकी निगरानीमें डाकबङ्गलाको रवाना किया गया।

थोड़ी देरके बाद डा० किचलू भी आ मौजूद हुए। वहां पांच घण्टेके बाद वारण्टके अनुसार हमको गिरिफ्तार किया गया। हमारी तलाशी ली गई—और हमारी सब वस्तुओंपर पुलिसने अधिकार कर लिया। बन्दूकों और सङ्गीनोंसे सजे हुए सिपाहियोंके पहरेमें हमको मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया गया। उसने हमारा लाहौरके लिये चालान कर दिया। उसी पहरेमें हम लोग पठानकोट, बम्बूकाटों में बैठाकर लाये गये। वहांसे जेलकी गाड़ीमें बैठाकर हमको लाहौर छावनीमें पहुंचाया गया, जहां हमारे हाथोंमें लोहेके आभूषण पहनाये गये और उसी हालतमें हम लोग सेण्ट्रल जेल लाहौरकी काल-कोठरियोंमें बन्द कर दिये गये! उनमें बड़ी बदबू और मच्छर थे। सुपरि० कावनका सुलूक बड़ा खराब था और उसकी कृपासे हम लोगोंने बड़ा कष्ट उठाया।

अभियोग।

२ जून सन् १९१९ को मारशल-ला कमीशनके सामने हमारा मुकद्दमा पेश हुआ। अमृतसर रेलवे प्लेटफारमका आन्दोलन मेरे लिये घोर राजद्रोह बताया गया। इसके सिवा मेरे ऊपर जो चार्ज लगाया गया; उसमें आग लगाना, कलह, विद्वेष, डकैती, सिडिशन, विद्रोह--तथा सम्राट्से युद्ध करना आदि सभी अपराध मुझपर लगाये गये।—हमारे गवाहों और वकीलोंको बहुत बुरी तरहसे दबाया जाता था—और अपने गवाहोंका खर्चा हमको

ही दाखिल करना पड़ा था। एक मासतक मुकद्दमेका यह बनावटी नाटक खेला जाता रहा। ५ जुलाईको हमको हुक्म सुननेके लिये जब अदालतमें जाना पड़ा तो जेलकी एक सड़क पर खड़ा कर बहुत बुरी तरहसे हमारी तलाशियां लीं और हमारे दुपट्टे तथा टोपियां उतार ली गईं। लाला हरकिशनलालकी हैसियतके आदमी भी हममें शामिल थे। यह दशा देखकर हृदय काँप उठा! हथकड़ियां लगाकर और बन्द गाड़ियोंमें बैठाकर हमको समरी कोर्टमें ले गये, मार्गमें जगह जगह सशस्त्र कड़ा पहरा लगा हुआ था—वहां भी बड़ी तैयारी थी। हममें से किसीको रिहा कर दिया और किसीको उमर भरके लिये कालापानी, फाँसीके हुकम भी कितनों ही को सुनाये गये! डा० बशीरको भी फाँसीका हुक्म दिया गया, वह मेरे साथ ही थे। सभी कैदी हुकम सुनकर, मुसकरा दिये। डा० बशीर भी मुसकराये और बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। इसके बाद हम लोग अन्त तक जेलमें रहे। मैं अस्पतालमें काम करता था। परेडमें भी दो बार हाजिर होना पड़ा। कई बार हमको क्षमा मांगनेको कहा गया, किन्तु क्योंकि हम लोग अपनेको निर्दोष समझते थे, अतः क्षमा मांगनेकी जरूरत नहीं समझी गई। मुझे उमर भरके लिये जो कैदकी सजा मिली थी, वह केवल इस अपराध पर दी गई थी कि मैंने जबानबन्दीका हुक्म होने पर भी हड़तालके नोटिश पर क्यों हस्ताक्षर किये। हालांकि उस आदमीको

रिहा कर दिया था—जिसने इसपर हस्ताक्षर ही नहीं—बल्कि वह उस ६ ता० की सभाका सभापति भी बना था, यह था मुकद्दमेका एक खेल; जो इस तरहसे खेला गया था !

हण्टर कमेटी ।

जब यह कमेटी बैठी तो हमसे गवाही देनेको कहा गया। हमने कहा कि सरकारी गवाहों पर जिरह की जायगी—और हमारे गवाह भी लेने होंगे, तो गवाही देंगे। यह स्वीकार नहीं किया गया था। साथ ही कांग्रेस सबकमेटीकी बातें स्वीकार न करनेसे उसने भी हण्टर कमेटीका बायकाट कर दिया था,इस लिये हमने भी यही उचित समझा कि गवाही देना व्यर्थ है। पं० मालवीय और नेहरू तथा मि० सी० आर० दास मुझे जेलमें मिलने आये थे, उन्होंने भी मेरे इस विचारका अनुमोदन किया था।

सत्याग्रह ।

सत्याग्रहका आन्दोलन करनेके लिये जब कि हम लोग अमृतसरमें लोगोंको तैयार कर रहे थे, तभी हम लोगोंका निर्वासन हुआ। पीछे महात्मा गान्धी पकड़े गये। अगर यह सब कुछ न होता—और वैध आन्दोलन जारी रहता, साथही लोगोंके समूहों पर बाजार और पुल पर गोलियां न चलायी

जातीं, तो यह निश्चय है कि न तो लोगों में वह जोश आता और न अङ्गरेज मरते-न मकान नष्ट भ्रष्ट होते और नहीं जलियांवाला बाग जैसी दुर्घटनाही होती! पर यह सब कुछ तो तब होता, यदि सर ओ'डायरका दिमाग,सातवें आसमान पर न चढ़ जाता। सर ओ'डायरने जो कुछ पञ्जाबमें किया है—भारतके इतिहासमें खूनके अक्षरोंसे लिखा जायगा—और वह होगा वृटिशराज्य पर सबसे बड़ा कलङ्क, जो किसी तरहसे भी धुल न सकेगा!

विद्रोह।

कहा जाता है कि समस्त देशमें विद्रोह करनेकी हमारी साजिश थी और उसमें हम लिप्त थे। हम बोलशेविकोंसे मिले हुए थे, अफगान अमीरसे भी मिले थे—और वह केवल इसलिये कि देशभरमें विद्रोहानल जल उठे और अंग्रेजी राज्यको उखाड़ कर फेंक दिया जाय! यह बात बिलकुल बेजड़ और निर्मूल थी। ऊटपटांग विद्रोहका स्वप्न देखकर नौकरशाहीने भयङ्कर भूल की है, जिसका प्रायश्चित्त अबतक नहीं हो रहा है। क्योंकि हम जो कुछ करते थे, वह वैध और कानूनकी सीमाके भीतर, साथ ही वह स्पष्ट था। न हमारा अमीरसे कोई सम्पर्क था और बोलशेविज्मका तो शब्दार्थ भी मैं अभी तक ठीक नहीं समझता। रही राजद्रोहकी बात, सो अपने स्वत्वोंके लिये आन्दोलन करना हमारा धर्म था, आगे

भी हम इससे बाज़ न रह सकेंगे। संसारमें ऐसा होता है हम भी उसे करेंगे। पर रही दूसरी किसी शक्ति को भारतमें ला खड़ा करनेकी बात, वह बिलकुल बेजड़ और निराधार है। महायुद्धके समयमें मैंने बतौर एक डाकृरके अपनी सेवायें सरकारको समर्पित कीं थीं और रणाङ्गणमें जाकर हजारों बृटिश सैनिकोंकी सेवा की थी। तात्पर्य यह कि अपनी गवर्नमेण्टसे घरमें हम लड़ेंगे—स्वत्व मांगेगे, किन्तु दूसरा कोई आंख भरकर भी देशकी ओर देखेगा, तो हम "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।" कहकर उसका बिनाश करनेके लिये बृटिश गवर्नमेण्टके साथ होंगे। आज तक हम ऐसा करते रहे हैं। आगे भी ऐसा करेंगे। ऐसी दशामें हमारे देशकी नौकरशाही सरकारने पञ्जाबमें जो कुछ किया, वह अवश्य एक बड़ी भयङ्कर भूल थी!



श्रीयुत डा० सैफूद्दीन किचलू ।

जुलाई सन् १९१९ से पहिले अमृतसरमें किसी तरहकी राजनीतिक जागृति नहीं थी। कांग्रेस कमेटी थी; परन्तु सर ओ'डायरकी नादिरशाही सरकारके डरसे वैध आन्दोलन करनेसे भी लोग भय खाते थे।

मेरे मनपर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने सोचा कि जब तक हिन्दू-मुसलिम प्रेम नहीं होगा—कोई राजनीतिक काम होना कठिन है। इसी ख्यालसे मैंने और मेरे साथी शिक्षित नवयुवकोंने हिन्दू-मुसलिम मेलका काम आरम्भ किया। इतनेमें देहलीमें कांग्रेस हुई और मैंने अपने साथियोंकी सम्मतिसे अगले सालके लिये अमृत्सरमें उसे निमन्त्रित कर दिया। अमृत्सरके दूसरे साथियोंने यद्यपि इसका विरोध किया, किन्तु कांग्रेसने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

देहलीसे अमृत्सर आतेही मैंने कांग्रेसके अधिवेशनको सफल बनानेके लिये चेष्टा आरम्भ कर दी और अपना अधिक समय इसीमें लगाना शुरू कर दिया। पब्लिक रीडिङ्ग-रूम और लायब्रेरियां खोली गईं। मैं मुल्तान, लाहौर और जालन्धर



श्रीयुक्त डा० सैफ़ुद्दीन किचलू बार एट-ला।

गया, तो वहाँके आदमियोंने मुझे सहायता देनेका वचन दिया, और इसी तरहसे स्वागतकारिणी सभा बनानेकी तैयारी होने लगी।

सत्याग्रह।

बड़ी बुरी घड़ीमें रोलेटएक्ट पास हुआ था। कौंसिलमें सभी गैर सरकारी मेम्बरोंने विरोध किया—और देशके एक सिरेसे लेकर दूसरे सिरे तक उसके विरोधमें आन्दोलन आरम्भ हुआ। महात्मा गान्धीकी तेज आँखोंने देखा कि इसका परिणाम बुरा होगा—इसलिये उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलनको जन्म दिया।

अमृतसरमें भी सत्याग्रह सभायें हुईं। व्रत रखे गये, प्रस्ताव पास हुए और काम आरम्भ हुआ। मेरे घरपर सत्याग्रह सभाका आफिस खोला गया। रोलेटबिलका विरोध होने लगा। पहले 'बन्दे मातरम् हाल'में सभायें होती रहीं। लेागोंका उत्साह इतना बढ़ा कि वहाँ बैठनेको भी जगह न रहती। अन्तमें 'जलियानवालाबाग' में सभायें होने लगीं। तीस तीस हजार आदमी इकट्ठे होते थे। ३० ता० को जो सभा हुई—मैं उसका सभापति चुना गया था। स्वामी अनुभवानन्द, पं० दिनानाथ सम्पादक 'वक्त' तथा पं० कोटोमलके व्याख्यान हुए। अगले दिन हम चारोंकी जबानबन्द कर दी गई!

६ एप्रिल सन् १९१९ को सभा जलियानवालाबागमें

हुई और मैं उसमें भाग लेनेसे रोका गया। कहा जाता है कि इसमें ४० हजार आदमी थे। स्त्रियोंने भी भाग लिया था।

रामनवमी।

६ एप्रिलको रामनवमी थी। हिन्दू और मुसमानोंका एक लाख आदमियोंकी संख्यामें जुलूस निकला। पुलिसका कोई सरोकार नहीं था। तब भी बड़े आनन्दसे सब काम सानन्द समाप्त हुआ और हिन्दू-मुसलमान-प्रेम दृढ़ हो गया। पर सर ओ'डायरके गुरगे यह सब सहन न कर सके!

निर्वासन।

१८ एप्रिलकी सुबहको डिप्टीकमिश्नर अमृतसर की एक चिट्ठी मुझे मिली। उसमें मुझे १० बजे अपनी कोठीपर बुलाया था। मैं वहां पहुंचा। डा० सत्यपाल भी वहीं मिले। डि० कमिश्नरके अतिरिक्त दो तीन मेजिस्ट्रेट और कुछ पुलिस अफसर भी बैठे थे। डिप्टी कमिश्नरने पञ्जाब सरकारका एक हुक्मनामा मुझे दिखाया। उसमें भारत-रक्षा कानूनके अनुसार धर्मशालामें नजरबन्दीकी आज्ञा लिखी थी। मैंने सहर्ष उसपर हस्ताक्षर कर दिये, किन्तु डिप्टी कमिश्नरसे कह दिया कि पञ्जाब-गवर्नमेण्ट इस सम्बन्धमें भयङ्कर भूल कर रही है। डिप्टीकमिश्नरने कहा उनका इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं है—पञ्जाब सरकारकी ऐसी ही आज्ञा है।—मैंने एक पत्र नजरबन्दीकी सूचनाका अपनी

बेगमको लिखा—और डिप्टीकमि०ने उसे मेरे घरतक पहुंचा देनेकी प्रतिज्ञा की। इसके बाद शिष्टाचारके अनुसार मैंने सबसे हाथ मिलाया और कोठीसे बाहर चला आया। बाहर दो मोटर तैयार थे। मि० रिहसलके साथ फौजी हथियारबन्दोंके पहरामें मुझे और डा० सत्यपालको अलग अलग मोटरोंमें बैठाकर धर्मशालाके डाकबङ्गला पर पहुंचाया गया। इसके बाद शामको हमलोग धर्मशाला पहुंचे। डिप्टीकमिश्नरको पहिले ही हमारे साथी सुपरि०ने तार दे दिया था। वहां हमारे लिये कोई प्रबन्ध नहीं था। डा० सत्यपालके एक वकील मित्रने हमारे लिये बिस्तरों और कपड़ोंका प्रबन्ध कर दिया। इसके बाद हम दोनोंको एक दूसरेसे अलग रक्खा गया। मेरे पास कोई आदमी नहीं आ सकता था। बाहर सैरको जाते समय छायाकी तरसे मेरे आगे पीछे खुफिया पुलिस लगी रहती थी।

गिरफ्तारी।

मईके पहिले सप्ताहमें मेरे पास एक सब-इन्सपेक्टर पुलिस आया और उसने हुक्म सुनाया कि आज सेण्ट्रल जेल लाहौरको जाना होगा। सामान बांध लो। मेरा सामान बांधा गया—और पैदल चलकर धर्मशालामें पहुंचा। डाकबङ्गला पर डा०सत्यपाल भी मिले। हम दोनोंको वहांके मेजिस्ट्रेट के सामने पेश करके गिरिफ्तार किया गया और पुलिसके जवानोंके पहरेमें

तीसरे दिन लाहौर-स्टेशन पर पहुंचे। प्लेटफारम पर जब उतरे तब हमारे हाथोंमें हथकड़ियां लगी हुईं थीं। और वहांसे बन्द गाड़ीमें बन्द करके सेण्ट्रलजेल भेजे गये।

सेण्ट्रल जेल।

जिस समय लाहौरकी सेण्ट्रलजेलमें पहुंचा तो ला० दुनीचन्द बैरिस्टर, अपने भाई मि० गणपतरायसे बात कर रहे थे। मैंने उन्हें अभिवादन किया। उसपर एसिस्टेण्टजेलरने मुझे बुरी तरहसे डांटा। इसके बाद एक तङ्ग और गन्दी काल-कोठरीमें मैं बन्द कर दिया गया। उसीमें टट्टी भी थी। पास ही पानीका एक घड़ा रखा था। शामको मेरे लिये जेलकी रोटी और शाक आया। रोटीमें आधी मट्टी थी और शाकमें न जाने क्या घास फूंस मिला हुआ था। लोहेकी वाटीमें यह सब कुछ नसीब हुआ था! परन्तु उसे देखनेसे ही उल्टी आनेको होती थी, इसलिये मैंने उसे नहीं खाया। शामको उसी दिन मेरे पास सुपरि० पुलिसके साथ डिप्टीकमिश्नर आया। मैंने अपनी हैसियतके अनुसार—बैरिस्टर होनेके कारण अच्छे भोजन और ठीक कपड़े की व्यवस्था कर देनेको कहा। इसके लिये उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि ऐसा जरूर हो जायगा। इसके बाद मेरी कोठरीमें सफेदी करा दी गई—और दो दिनके बाद मैंने भोजन किया। मि० कावन सुपरिन०जेलका बर्ताव

मेरे साथ अच्छा न था। वह कई बार मुझे मिला और एक बार उसने कहा कि मुझे 'हुजूर' कहकर बुलाया जाय, और साथही बहुत सीधी तरहसे नीचे हाथ डालकर बातें करूं! पर खेद है मैं उसकी आज्ञाका पालन न कर सका—और उत्तरमें मुसकुराकर रह गया। सुपरि० जेल मुझे अपने वकीलों तथा अपने घरके आदमियोंसे भी बात नहीं करने देता था। यदि कभी आज्ञा देता भी तो स्वयं उपस्थित रहता, इसीलिये मैं अपने वकीलोंको मामला ठीक नहीं समझा सका। इसके बाद मि० आई० सी० लाल सुपरि० आये। इनका वर्ताव सहानुभूतिपूर्ण था।

मुकद्दमा।

४ जूनको मुकद्दमा आरम्भ हुआ। जजोंका वर्ताव बड़ा खराब था। सरकार स्वयं यह नाटक कर रही थी—और स्वयं नौकरशाही, अभिनेताओंका पार्ट करती थी। हमारे गवाहों और वकीलोंको बहुत बुरी तरह दबाया जाता था। जो सरकारी गवाह अभियुक्तोंके पक्षमें कुछ कह देते थे, वह सब कुछ नहीं लिखा जाता था। यदि जजोंको ऐसा करनेके लिये कहा जाता, तो बार बार समरीकोर्ट कह कर भय दिखा दिया जाता था। कहा जाता था कि यह भी सरकारी दया है जो इतना भी हो रहा है! सरकारी गवाहों और पुलिस तथा सर-

कारी वकीलोंसे बड़ा घुल मिलकर काम लिया जाता था। निदान इस समरीकोर्टका न्याय बिलकुल पक्षपातपूर्ण था—और उसने जो कुछ किया वह पहिलेसे ही सोचा समझा हुआ था—और हम भी उसका अनुमान किये हुए थे और अन्त में हुआ भी वही। अर्थात हमको वही सजायें मिलीं। सजा होने पर ला० दुलीचन्द बैरिस्टर और दीवान मङ्गलसेन सहित हम लोग मेण्टगोम्बरी जेलमें भेजे गये। वहां हम एक ही कमरेमें रहे। कोई काम हमारे मांगने पर भी हमको नहीं दिया जाता था—इस लिये स्वास्थ्य और भी खराब रहता था।

हण्टर कमेटी।

इसी बीचमें हण्टर कमेटीका काम आरम्भ हुआ। मैंने सुपरि० द्वारा गवर्नमेण्टसे दरख्वास्त की कि मैं भी गवाही देना चाहता हूं। पर सरकारी गवाहों पर जिरह करूंगा। और अपने गवाह पेश करूंगा। पञ्जाब सरकारकी स्वीकृति आने पर मुझे लाहौर भेजा गया। किन्तु मेरी शरतें स्वीकार न होनेसे मैंने गवाही देना स्वीकार न किया। इसके बाद लाहौरकी सेण्ट्रल जेलमें ही रक्खा गया, और १६ दिसम्बर १६१६ को राजकीय घोषणाके अनुसार शामको छोड़ दिया गया।

राजनीतिक कैदियोंसे जेलमें बहुत बुरा सुलूक होता है।

उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा जाता। इसके सिवा साधारण कैदियोंको जिस दशामें रखा जाता है, उससे उनका कुछ भी सुधार नहीं होता। थोड़े बदमाश लोग अधिक खु ंखारऔर खू नी होजाते हैं ! जेलमें बहुत शीघ्र सुधार की ज़रूरत है।



श्रीयुक्त मजहरअली बी० ए०, एल० एल० बी०

बटाला, गुरुदासपुरके जिलेमें एक प्रसिद्ध स्थान है। वहां वह व्यापार का केन्द्र समझा जाता है। मुन्सफी और तहसील भी है, इसी लिये वकीलोंकी भी जरूरत है। उसी जरूरतके अनुसार वहां चार पांच वकील भी रहते हैं, उनमें से ही एक मैं भी हूं। बटालामें भी रोलट-एक्टका प्रतिवाद हुआ था, साथही हड़ताल हुई थी। फिर हिन्दू और मुसलमानोंमें मेल हुआ और रामनवमी दोनों जातियोंने मिलकर मनाई। हिन्दू-मुसलिमके इस प्रगाढ प्रेमकी आड़में सर ओ'डायरकी नादिरशाही सरकार-को राजद्रोहके भूतका चित्र दिखायी देने लगा।—कमिश्नर साहब अपने साथियों सहित अमृतसरके खूनी हत्यारे जेनरल डायरको लेकर बटाला पहुंचे। वहां उनका दरबार हुआ। लोगोंको बुलाकर जमा किया गया था। उस दरबारमें गोरे, गोरखे और सिख जवानोंका चारों ओर सशस्त्र पहरा था। मेशीनगन और आर्मेड़कार आदि सभी सामान मौजूद था। मेशीनगनका मुंह लोगोंकी तरफ किया गया था, जैसे किसी प्रबल शत्रुसे युद्ध करनेकी धूमधाम हो। बहुतसे आदमी अपने बच्चोंको लेकर दरबारमें आये थे, जैसे कि वहां कोई इनाम बांटा जाने वाला था, पर हुआ उलटा! जेनरल डायरके आने

पर अफसरोंकी चेतावनीके अनुसार सब लोग खड़े हो गये और आते ही आपने लेक्चर देना शुरू किया। आप जो कुछ बोले उर्दू में बोले और वह इस तरहसे था:—

"डेखो टुम लोग अहमक लोगके पीछे लग गया है और फिसाड करटा है। रौलेट बिल क्या है? हमारे पास उसका भी बाप मौजूड है। डेखा, अमृटसरमें क्या हुआ? लड़टा है! हकूमट जबरडस्टका है। हम हकूमट करटा है। हिन्डूस्टानी ३३ करोड है, क्या है? हठियार नहीं, कुछ नहीं, डो आडमी सबको काफी है! टुम अहमक लोगके पीछे लगटा है, जो मरनेके वखट हट जाटा है। अहमक मट बनो, अहमक लोगके पीछे मट लगो। अमृटसरमें फिसाड किया, साहबलोग मार डिया। मेम साहबको पीटा, यह मरडानगी है?"

इसके बाद आपने पूछा कि क्या कोई बदमाश है? उपस्थित हाकिमोंने कुछ कानाफूंसी करके वकीलोंको पेश किया! वकील लोग टेबिलके चारों ओर खड़े हो गये। हरएकके पीछे सशस्त्र सिपाही था! डायरने कहा:—

"मोअज़ज़ीन! मैं नहीं जानटा कि आपको मोअज़ज़ीन कहूं-या नहीं। टुम रोलेट बिलको बुरा कहटा है! उसको पढ़ो, वह बुरा नहीं अच्छा है। टुम रोलेट बिल नहीं जानटा, हम जानटा

है हम टुमारा इमटहान लेगा, खूब याडकरो । जब फिर हम आवेगा टो इमटहान लेगा।"

हमारे साथ मि० किचन कमिश्नर और डिपुटी कमिश्नर मि० हारकोर्टका सुलूक बहुत बुरा था। इन्होंने पुलिस द्वारा बटालाके दरबारमें चार पांच वकीलोंके सिवा गुरुदासपुरके बैरिस्टरों और वकीलोंको बुलाकर बहुत धमकाया और कहा कि मैं तुम लोगोंको गिरिफ्तार करने आया था, तुम्हारे जहन्नुममें पहुंचानेके लिये बहुत काफी मशाला तैयार हो चुका है, पर अभी कुछ लोगोंके सम्बन्ध में जांच की जा रही है। मैं आज्ञा देता हूं कि आपलोग सरकारी गवाह बननेके लिये दरख्वास्तें दें, तो वायदा-माफी दिया जायगा। मगर मैं यह नहीं कह सकता कि किस किसको माफ किया जायगा। इसके बाद कहा कि आज गिरिफ्तारी स्थगित करता हूं, लेकिन सावधान किये देता हूं कि बहुत शीघ्र तुम लोगोंको गिरिफ्तार किया जायगा। यह सब ऊटपटांग बातें सुनकर हम लोग अपने घरोंको लौट आये। पर नौकरशाहीकी इस मूर्खता का रहस्य हम सोचने पर भी कुछ न समझ सके।

२ मई सन् १९१९ को हमको हुक्म मिला कि हम आज शाम को चार बजे डिपुटी कमिश्नरके बङ्गले पर हाज़िर हों। इससे हमको अपनी धरपकड़का पूरा निश्चय हो गया था। और सिवा इसके कि अब सरकारी गवाह बनकर तथा आत्माका खून करके

देशद्रोही बनें, और कोई मार्ग छुटकारेका नहीं था। ला० सन्त-राम, हाजी अब्दुलरहमान, सरदार महेन्द्रसिंह और मैं गुरुदासपुर पहुंचे। वहां आकर मालूम हुआ कि गुरुदासपुरके अन्यान्य वकील और बैरिस्टरोंको भी कल सुबह हाज़िर होना पड़ेगा। निदान रातको हम लोग वहां रहे और सुबह हम सब लोग, नियत समयसे कुछ पहले वहां पहुंचे। हमने देखा बङ्गलेके चारों ओर सशस्त्र पुलिस और फौजके पहरे लगे हुए थे। निर्बलोंपर अ-त्याचार करनेका साज़ो-सामान बड़ी शानसे जमा किया गया था। हम सबको अन्दर बुलाया गया और जाते ही 'जामे' से बाहर हो-कर कड़े स्वरसे गिरिफ्तारीका हुक्म सुनाया गया।—और कहा गया कि भारतरक्षा कानूनकी धारा १२ एफ० के अनुसार तुमको गिरिफ्तार किया जाता है।

लोहेके आभूषण।

पास ही एक पुलिस कर्मचारी खड़ा था। उसने एक गठड़ी जमीनपर फेंकी।—जिससे गिरते ही झन्कार की आवाज़ आई। कपड़ा उठते ही मालूम हुआ कि हथकड़ियां लगायी जांयगी? डिप्टी कामिश्नरने बड़े कर्कश स्वरसे कहा—हाँ! तुम्हारे साथ साधारण कैदियोंकासा ही बर्ताव किया जायगा।

मनमें विचार उठा कि जब गिरिफ्तार ही हुए हैं—तो हथ-

कड़ियों बेड़ियोंका अब क्या डर! सोने चांदीके आभूषण स्त्रियों-की शोभा होते हैं, परन्तु मनुष्योंके आभूषण लोहेकी जञ्जीरें ही हैं।—यह देशभक्तिका प्रथम-प्रसाद शिर झुकाकर सानन्द स्वीकार किया गया और दो दो आदमियोंके हाथ एक २ हथकड़ीसे बांध कर हमको जेलकी ओर रवाना किया गया। हमको गोरी तथा काली फौज चारों ओरसे घेरे हुए साथ जा रही थी। महामान्य सम्राट्की जेलकी ड्योढ़ीमें पहुंचते ही रजिस्टरोंकी उथला पुथली शुरू हुई—और हम लोगोंके कालर, नेकटाई मालखानेमें जमा कर दिये गये।—भीतर जाकर हम लोगोंको जेलकी एक एक कोठरीमें बन्द कर दिया गया। कोठरियां बड़ी गन्दी थीं। हमने आजतक कानूनकी किताबोंके सिवा इन काल कोठरियोंका कहीं हाल भी नहीं सुना था। दूसरे दिन हम लोगोंके पायजा-मोंके 'एज़ारबन्द' खुलवा लिये गये और यह इसलिये कि कदाचित गलेमें डालकर हम लोग आत्महत्या न कर लें! हमें हंसी भी आई और देशकी विवशतापर रोना भी। क्या दिल्लगी है कि एक ओर तो बृटिश राज्यका भयङ्कर शत्रु समझकर हमको जेलमें डाला गया—दूसरे हम लोगोंको फिर इतने निर्बल आत्माका समझ लिया गया—कि हम इतनीसी बातसे आत्महत्या भी कर डालेंगे!

खाना पीना बहुत खराब था। उमर भरमें हमको वैसी रोटी और दाल शायद कभी नसीब न हुई थी। अन्धेरी रातमें

पहली वार हमने जमीनपर घुटने टेककर भगवान्‌के प्रति कृतज्ञता प्रकट की—और जो कुछ मिला था, उसे पेटमें डाल लिया।

३ मईकी सुबहको एक डाकृर साहबने आकर हुक्म दिया कि हम अपने 'एज़ारबन्द' बहुत शीघ्र पायजामोंमें डालकर तैयार हो जांय, क्योंकि हमारा चालान होनेवाला है। मैंने डाकृरसे कहा कि शीघ्रता नहीं हो सकती। डाकृर साहबने बाहरसे लकड़ीका एक टुकड़ा लाकर मेरे पायजामेमें 'एज़ारबन्द' डाला और मैंने उसे एक ओरसे पकड़ा। पाठकोंसे प्रार्थना करता हूं--कि वे डाकृर साहबको धन्यवाद दें!

हम लोगोंको किसी तरहसे "खुदा खुदा" करके तीसरे दिन कहीं उस कोठरीसे छुटकारा मिला।—जेलसे बाहर आते ही फिर लोहेकी जञ्जीरोंसे पुलिसने जकड़ कर जेलरको हमारी रसीद दी।

स्टेशन पर पहुंचकर हम लोगोंके भाई बन्धु और बहनें और माताएं तथा स्त्रियां हमसे मिलीं। वे सब रोते थे। हम लोगोंने उन्हें किसी तरहसे सान्त्वना दी—और रेलमें बैठ गये। पुलिसका बड़ा कड़ा पहरा था। लाहौर पहुंचनेपर सेण्ट्रल जेलमें भेजे गये और वहां पहुंचकर देखा तो पञ्जाबके मनमाने नवाब सर ओ'डायरकी कृपासे सेण्ट्रल जेल कैदखानेकी जगह महातीर्थ बन रहा है! लाहौरकी सेण्ट्रल जेलमें 'ट्रीव्यून' सम्पा-

कुछ मि० कालीनाथ राय तथा मि० कृष्ण बी० ए० सम्पादक उर्दू 'प्रताप' और डा० सत्यपाल तथा डा० किचलू आदि अनेक गण्य मान्य सज्जन मौजूद हैं। दो तीन दिनके बाद मालूम हुआ कि चौधरी रामभजदत्त, लाला हरकिशनलाल, लाला दुनीचन्द बैरीस्टर भी आ गये हैं।—

जेलमें कविता।

लोग मुझे 'शायर' कहते हैं, और वैसी ही तबियत भी बतलाते हैं।—पर उर्दूकी तुकबन्दी मैं कभी कभी जरूर कर लेता हूं। अतः वहां भी कुछ भाइयोंके साथ मिलकर कभी कभी 'मुशायरे' होने लगे और हमने उस महातीर्थमें खूब गोते लगाये।

लीडरोंका अपमान।

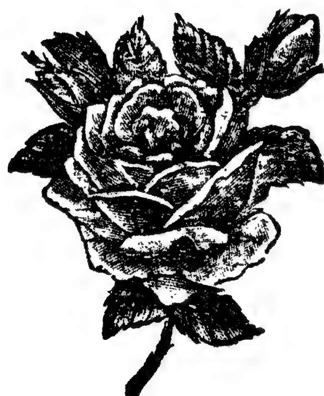
५ जुलाईको जब लाहौर और अमृतसरके लीडर अपने मुकद्दमोंका फैसला सुनने जाने लगे, तो सबको जेलकी एक सड़कपर खड़ा करके उनकी तलाशियां ली गयीं। और जब लाला हरकिशनलाल तथा पं० रामभजदत्तके दुपट्टे और लाला दुनीचन्द और डाक्टर किचलूकी टोपियां उतरवाई गयीं, तो हम लोग अपने आंसू न रोक सके।

वापसी।

जब हुक्म सुनाया गया था, तब हम लोग ७ जुलाईको गुरुदासपुरको वापस हो गये। और इस बार भी उसी तरहके पहरेमें

गुरुदासपुर वापस लाये गये और वहां रातको जेलमें रखकर सुबह डिप्टी कमिश्नरके यहां पेश कर दिया। डिप्टीकमिश्नरने कहा कि सरकारने नयी नीतिका अनुसरण करके तुम्हें इस समय रिहा कर दिया है, किन्तु चीफकोर्टसे तुम्हारे वकालतके लेसन्सोंके सम्बन्धमें रिपोर्ट की जायेगी।

इसके बाद हम लोग बाहर आए—और जो जो कुछ स्वागत-सम्मान इस थोड़ेसे कष्टके लिये देशने हमारा किया है, उसके लिये हम कृतज्ञ हैं।



भाई परमानन्दकी कैद कहानी।

—:-:*:-:—

(भाई परमानन्द एम० ए० पञ्जाबके सारस्वत ब्राह्मण हैं। बचपनसे आपने आर्य्यसमाजकी दीक्षा पाई है। तभीसे आपने प्रण किया था कि आजन्म आर्य्यसमाज की सेवा करूंगा। सुतरां एम० ए० पास करने पर आपने लाहौरके डी० ए० वी० कालेजको अपना जीवनदान दिया—और बरसों ७५) मासिक पर वहां प्रोफेसर रह कर सेवा करते रहे—तथा दक्षिणअफ्रीका और मद्रासमें बहुत दिनतक इसी समाजके मिशनरी बनकर प्रचार करते रहे। सन् १९०७ और ८ में बङ्गाल का स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ हुआ तो उसकी हवा पञ्जाबमें भी पहुंची। 'एक्ट इन्तकाल अराज़ी' के मामलेने वहां भी भयङ्कर रूप धारण कर रखा था। ला० लाजपतराय और सर्दार-अजीतसिंहके नेतृत्वमें सोता हुआ पञ्जाब आन्दोलनमें शामिल होगया। पीछे उपरोक्त दोनों नेता और कितने ही समाचार पत्रोंके सम्पादक तथा कार्य्यकर्ता लोग पकड़े जाकर कैद किये गये। किन्तु उनमें से कुछ आदमी रिहा कर दिये गये थे। इन दिनों भाई परमानन्द मद्राससे पांच मास बाद लाहौरमें आये थे। भाई परमानन्द जिस मकानमें पहले रहते थे—उनके मद्रास



हथकड़ियोंसे जकड़े हुए अण्डेमन जेलमें जाते समय......
श्रीयुक्त भाई परमानन्द एम० ए०

चले जाने पर वह सर्दार अजीतसिंह और उनके भाई किशनसिंहने ले रखा था। इसी समय अजीतसिंह बर्मासे वापस आये। उसी मकानमें 'भारतमाता' का आफिस भी था। सर्दार अजीतसिंह को जब यह मालूम हुआ कि सरकार उनका दमन करना चाहती है, तो वे अपने मित्र सूफी अम्बाप्रसादके साथ कराची हो कर ईरान को भाग गये—और आजतक भारतमें नहीं लौटे। सर्दार अजीतसिंहके चले जाने पर भाई परमानन्दने उसी मकानको अच्छा समझ कर फिर किराये पर ले लिया। सर्दार किशनसिंहका सामान अभी वहीं पड़ा था कि भाई परमानन्द भी वहीं रहने लगे। पुलीस सर्दार अजीतसिंह की तलाशमें बड़ी सरगरमी दिखा रही थी—उस मकानमें उन्हें रहता देख कर उसने समझा यह भी कोई पक्षी फंसा! अन्तमें पुलीसने एक दिन मकानको घेरा डालकर वहांभी तलाशी ली—जिसमें सर्दार अजीतसिंहके बहुतसे कागज़ात मिले। भाई परमानन्दके बक्स में से भी ला० लाजपतराय की कुछ चिठ्ठियां मिलीं। पर उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी—जो आपत्तिजनक होती। हां उनके कागज़ातमें से दो एक लेख मिले, जो उनके ख्यालात थे। एक कागज़में लिखा था कि भविष्यमें भारतका सङ्गठन इस प्रकारसे होना चाहिये कि यहां की राजधानी देहली या शिमलामें रहे। रियासतोंके लिये एक अलग हाऊस आफ लार्ड्स्की तरह चेम्बर

हो।—और जिसका अध्यक्ष नयपाल जैसी रियासतका राजा हो। भाई परमानन्द का ख्याल था कि हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा इस तरहसे तय हो सकता है कि सिन्धके पारका भाग अफग़ानिस्तानसे और सीमाप्रान्तसे मिला कर एक बड़ा मुसलमान सम्राज्य हो जाना चाहिये। वहांके हिन्दू सब इधर आवें—और यहांके मुसलमान सब वहां चले जांय।—

बस इन्हीं बातोंके अधार पर तलाशीके एक मास बाद जब भाई परमानन्द घरसे लौटे, तो लाहौरके स्टेशन पर ही गिरिफ्तार करलिये गये। इनकी यह गिरिफ्तारी ११० धारा के अनुसार हुई थी। लाहौरके वकील ला० रघुनाथसहायकी कोशिस करने पर ३ आदमियों ने इनकी १५ हजार रुपयेकी तीन बरसके लिये जमानत दी—और अबकी बार यह रिहा होगये, परन्तु जिस आर्यसमाजके लिये इन्होंने जीवनदान दे रखा था और बरसों से जिसकी सेवा कर रहे थे, इस समय उस आर्यसामाजसे भी राजभक्तिका प्रशंसापत्र लिये बिना न रहा गया। लाहौरकी अनार-कली समाज इससे पहले ला० लाजपतरायका भी उनके निर्वासन होने पर नाम काट चुकी थी। इस बार इसने भाई परमानन्दका नाम साफ किया और कालेजकी प्रोफेसरीसे अलग कर दिया! हालांकि इनका कोई दोष प्रमाणित नहीं हुआ था। भाई परमानन्द हताश होकर अपने गांवमें चले गये और वहां दो तीन मास रह

कर जब उकता गये—तब उन्होंने विदेशयात्राका विचार किया—और चले गये। बस इसी दिनसे इन पर राहूकी दशा आई और बराबर दस बरस तक विचारे परेशान किये गये!—इस परिचयके साथ हम एक बात और बता देना चाहते हैं—और वह यह कि भाई परमानन्द एक बड़े पुराने देशभक्त खानदानके हैं। धर्म और देशके लिये बलिदान होनेकी उनमें स्वाभाविक शक्ति है।—औरङ्गजेबके शासनकालमें भाई मतिदासको उसने आरेसे चिरवा डाला था तथा देहली षड्यन्त्र केसमें इनके चचेरे भाई बालमुकुन्द बी० ए० को भी देहलीमें फांसी दिया गया था। इसके बाद भाई परमानन्दने योरोप-यात्राकी—वहां रह कर डाक्टरी पासकी तथा इसी दौरेमें ला० हरदयाल और सर्दार अजीतसिंहसे मिले। 'कामागाटामारो' जहाज की घटनासे योरोप प्रवासी भारतीयोंमें कैसे जोश फैला और कैसे २ षड्यन्त्र करके प्रवासी पञ्जाबी देशमें वापस आये—तथा उन द्वारा अनेक—घटनायें घटने पर कैसे गिरिफ्तार हुए—तथा यहां पर भाई परमानन्द झूठ मूठसे उनके कैसे लीडर समझे जाकर पकड़े गये—और मुकद्दमा चलने पर फांसीका हुक्म हुआ। पीछे कालापानीमें यह सजा परिणत होगई। यह सब आत्मकथा—भाई परमानन्दके ही शब्दोंमें नीचे दी जाती है।)

× × × ×

अमेरिका यात्रा।

तीन बरसके लिये मेरा मुंह और हाथ बन्द कर दिये गये! १५ हजारकी जमानत ली जानेपर मैं चार मास घरपर बैठा रहा, पर वहां दिल नहीं लगा। मैंने विचार किया कि मैं अमेरिका जा कर, पश्चिमी ढङ्गसे देशी दवाइयां तैयार करनेकी शिक्षा प्राप्त करूं। सुतरां मैं घरसे चलकर बम्बई पहुंचा और वहांसे एक फ्रेञ्च कम्पनीके जहाजमें तीसरे दर्जे का टिकट ले कर मारसेलीज़ होता हुआ पेरिस पहुंचा। फ्रान्ससे अमेरिका जानेका विचार था, परन्तु मालूम हुआ कि ला० हरदयाल राजनीतिक कामोंसे हताश होकर फ्रान्सके 'मारटीनेक' नामक द्वीपमें तपस्या कर रहे हैं।—मैं वहांसे एक डच जहाजमें सवार होकर न्यूयार्क पहुंचा और वहां जा कर किसी तरहसे कहीं ठहर गया।

स्वामी विवेकानन्दका मठ।

अमेरिकामें स्वामी विवेकानन्दके मतानुयायी स्त्री पुरुष हजारोंकी तादादमें हैं। वे लोग भारतीयोंसे प्रेम करते हैं और उनकी बातें बड़ी उत्सुकतासे सुनते हैं। न्यूयार्कमें इन लोगों द्वारा स्थापित एक मठ है, जो 'विवेकानन्द सोसाइटी' के नामसे पुकारा जाता है। मैं वहीं पहुंचा, पर मालूम हुआ कि स्वामी विवेकानन्दके शिष्य-स्वामी लोग, भारतीयोंसे नहीं मिलते!

लाला हरदयालसे भेंट।

युनिवर्सीटीमें दाखिल होनेकी तारीख बीत चुकी थी। इस लिये मैंने विचार किया कि इतने दिन बृटिशगायनामें ही जा कर रहूं। निदान मैं वहांसे चल दिया। रास्ते में ही 'मारटीनेक' भी आता है। मुझे मालूम था कि ला० हरदयाल यहीं हैं, उनसे मिलनेके लिये मैं यहां उतर पड़ा और किसी तरहसे पता पूछ कर मैं उनकी कुटीमें पहुंचा। ला० हरदयाल वहाँ नहीं थे। मालिक मकानने कहा कि वे पासकी पहाड़ीमें रोज तपस्या करने जाते हैं। मालिक मकानने एक लड़केको भेजकर उन्हें बुलवा दिया। वह बड़े घबराये हुए आये, परन्तु मुझे देखकर प्रसन्न होगये और स्वयम् जहाजपर जाकर मेरा सामान उतरवा लाये! ला० हरदयाल सचमुच तपस्वी-जीवन बिता रहे थे। एक समय आलू वगैरह खाकर दिन काट देते थे और कुछ थोड़ी देर पढ़नेके बाद दिनभर भगवान्के ध्यानमें लग जाते थे। मैंने इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं एक नया मत स्थापित करना चाहता हूं और इसी लिये इस तपस्या द्वारा अपनेको तैयार कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं सब मत मतान्तरों को एक समझता हूं। जर्मनीका सम्राट् फ्रेडरिक तीन बड़े पैगम्बरोंका नाम लेकर कहा करता था कि संसारको उन्होंने धोखेमें डाल दिया है। फिर जब कि पहलेसे ही अनेक मत मता-

न्तर फैल रहे हैं उनसे ही क्या हो रहा है। यदि आपको करना ही है तो सच्चे संन्यासीकी तरहसे अमेरिकामें जाकर आर्य सभ्यता का पुनरुद्धार करिये। स्वामी विवेकानन्दके बाद वहांका काम बन्द सा हो गया है। निदान महीने भरके बाद ला० हरदयाल मेरी बातसे सहमत हुए—और एक दिन मैं बृटिशगायनाकी ओर और वे अमेरिकाको प्रस्थान कर गये।

ब्रिटिश गायनामें।

पहले मैं बृटिश गायना, ट्रिडिनाट, जमैका और डच गायनामें व्याख्यान देता रहा। पहले तो भाषणोंका प्रबन्ध करनेमें कुछ कष्ट हुआ, परन्तु पीछे वहांके अधिवासी लोग बड़ी उत्सुकतासे मेरे भाषण सुनने लगे। और जब मैं चलने लगा तो वहांके लोगोंने मुझसे वहीं रहनेके लिये बहुत आग्रह किया।

अमेरिकामें।

उपरोक्त स्थानोंमें घूम फिरकर मैं अमेरिकाके सांफ्रांसिस्को स्थानमें पहुंचा और वहांके एक डाक्टरकी कोशिससे शीघ्र ही 'फारमेसी कालेज' में भरती हो गया—और पढ़ने लगा। अमेरिकानिवासी साम्यवादके सिद्धान्तोंसे प्रेम करनेवाले होते हैं। हिन्दू धर्ममें आस्था रखनेवाले भी बहुतसे अमेरिकन हैं।

वे प्रायः हर एक पढ़े लिखे भारतवासीसे आत्मक्रियाकी बातें पूंछा करते हैं !

अमेरिकामें भारतवासी।

अमेरिकामें बहुतसे भारतवासी रहते हैं। इनको कई विभागोंमें विभक्त करना चाहिये। एक विभाग छात्रोंका है। दूसरा खेती मजूरी करके धन उपार्जन करनेवालोंका। तीसरा जो भ्रमण करने आते हैं और इधर उधर घूमकर चले जाते हैं उनका है। इसी तरहसे लगभग बीस हजार भारतवासी अमेरिकामें बसे हुए हैं। उनमें भी अधिक संख्या पञ्जाबियोंकी है। वे लोग खेती बाड़ी करके खूब रुपया कमाते हैं। पढ़े लिखे न होनेसे वे व्यसनोंमें पड़ जाते हैं, पर उनसे भारतीय विद्यार्थी लोगोंको खूब सहायता मिलती है। छुट्टियोंमें मैं भी उनके पास चला गया था और फूल तोड़नेका काम करके ७॥) रुपये प्रति दिन मिल जाते थे। इसी तरहसे दो चार मास काम करनेसे कुछ रुपया मिल जाता है, जिससे काम करनेमें सहायता मिलती है।

फिर ला० हरदयाल।

ला० हरदयाल जहां जाते थे, उनकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ जाती थी और कहीं २ तो उन्हें 'हिन्दू ऋषि' कह कर पुकारा जाता

था। इसका कारण यह था कि उनमें भाषण करने और लिखनेकी कमालकी शक्ति है। दूसरे वे हमेशा त्याग और तपस्वीका जीवन व्यतीत करते थे। उनका स्वभाव ऐसा रहा है कि उनमें व्यक्तिगत स्वार्थका तो लेश भी नहीं है। जब वे अमेरिकामें आये तो मैंने चेष्टा की कि मैं उनके 'वहम' और भ्रम किसी तरहसे दूर करूं—और देशका जिस कामसे वस्तु तस्तु उपकार हो सके, उस काममें लगाऊं। वे वहांके एक विश्व-विद्यालयमें संस्कृतके अवैतनिक प्रोफेसर होकर काम करने लगे थे। ला० हरदयालने अपने त्याग और तपस्वी जीवनसे अमेरिकाके समाचारपत्रोंको अपना 'मुरीद' बना लिया था। वहांके सभी लोग उनकी खूब प्रतिष्ठा करते थे। लालाजी पहले राजनीतिसे हताश हो चुके थे। इस बार उनपर फिर रङ्ग चढ़ा। वे हमेशा कभी बीचकी श्रेणीमें नहीं रहते थे। राज-नीतिक विचार भी उनके साधारण नहीं थे। जब उनका मन झुका तो वे एकदम क्रान्तिकारक बन गये। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि वे समझ सोचकर शान्तिसे काम करें, पर वे खुला राजद्रोहका प्रचार बड़े जोरोंसे करने लगे। और विश्व-विद्यालयसे ननुनच होनेपर अलग हो गये। कुछ दिन मेरे साथ रहे। पर मेरे विचार जब उनसे न मिले तो मुझसे अलग हो गये। काम करनेसे उनका एक बड़ा विद्यार्थियों और सिक्खोंका दल तैयार हो गया था।

मुझे उपाधि मिल गयी थी और मैं देशको वापस आनेको तैयार था। तभी ला० हरदयालने पोर्टलेण्ड (सेण्टजान) में एक सभा की। मेरी राय थी कि चन्दा जमा करके भारत-वासी विद्यार्थियोंके लिये 'छात्रगृह' बनवाये जायं और उनकी राय थी कि छापाखाना खोलकर पेपर चलाया जाय—और प्रचार करके क्रान्तिकी तैयारी की जाय। अन्तमें यही हुआ। मैंने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि मुझे देश वापस आना था। मैं इङ्गलैण्डके लिये रवाना हुआ और लाला हरदयाल छापा-खाना खोलकर 'गदर' आदि अखबार निकाल कर और भी जोरोंसे क्रान्तिका प्रचार करने लगे।

लण्डनमें मैं कई मास ठहरा। क्योंकि मुझे दवाइयां तैयार करनेकी कई मेशीनें खरीदनी थीं, परन्तु मेरे पीछे पुलिस लगी हुई थी और मेरी निगरानी करती थी। लण्डनमें काम समाप्त करके मैं इटली होता हुआ 'जेनोवा' पहुंचा। वहां मुझे सर्दार अजीतसिंहके दर्शन हुए, उन्होंने युरोपकी प्रायः समस्त भाषाओंका खूब अभ्यास कर लिया था—और अङ्गरेजी पहलेसे ही जानते थे। वे यहां शिक्षकका काम करके निर्वाह करते थे, परन्तु राजनीतिक विचार और भी उग्र थे। यहांसे मैं बम्बई पहुंचा। बन्दर पर ही मेरी तलाशी हुई। दो तीन दिन बम्बईमें रहा। पुलिस पीछे २ घूमती रही। वहांसे

रेलमें सवार हुआ और पुलीस लाहौरसे निगरानी करती हुई मेरे साथ चली आई। लाहौरमें कई पुलिसके भारतीय अफसर स्टेशनपर मिले। मुझे जो आदमी स्टेशनपर लेने आये थे उनसे मैंने कहा कि ये अर्दली लोग बराबर बम्बईसे मेरे पीछे लगे हैं! इसपर पुलिसके एक अफसरने लज्जित होकर कहा कि यदि आप एक दिन लाट साहबसे मिलकर सब शिकायतें रफा कर दें, सब काम ठीक हो जायगा। इसपर मैंने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं जो सफाई दूं। हां, वे मुझे याद करेंगे, तो अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा।

पंजाबमें गदरकी तैय्यारी!

पंजाब गवर्नमेराटकी कार्यवाही।

मुझे लीडर कैसे बनाया गया?

सर ओ'डायरकी गवर्नमेण्ट और भारत सरकार यह समझती थी कि अमेरिका आदि देशोंसे लौटकर जो भी भारतवासी आते हैं, वे प्रायः सभी राजद्रोही हैं! इसीलिये पञ्जाब सर्कारने एक तरफसे प्रवासी भारतवासियोंको पकड़ कर कैद करना और नज़रबन्द करना आरम्भकर दिया, परन्तु इतनी होशियार गवर्नमेण्टके हाथमेंसे भी बहुतसे प्रवासी कलकत्तासे जहाजोंमेंसे ही साधारण सा बहाना करके भाग गये और सरकार उन्हें न पकड़ सकी! परन्तु उन लोगोंमेंसे बहुतसे उत्तेजित नवयुवक चारों

तरफसे धर पकड़ देखकर फिर मौन न रह सके—और उन्होंने देशोद्धारके लिये जहां तहां डकैतियां डालनी आरम्भ कर दीं! अण्डमन में मैंने कितने ही इसी तरहके अपराधी बङ्गाली कैदियोंसे कई बार पूछा कि इस तरहकी मारकाट और डाकेज़नीसे भारतोद्धार कैसे हो सकेगा ? परन्तु मेरे कई बार चेष्टा करनेपर भी कभी मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। निदान बङ्गालके स्वदेशी आन्दोलनके बादमें, बङ्गालमें जैसी डाकेजनी शुरू हुई थी, ठीक वैसोही पञ्जाबमें भी अमेरिका प्रवासी सिख और दूसरे नवयुवकोंने डकैतियां डालनी आरम्भ कर दीं। इन नवयुवकोंमें बहुतसे नवयुवक मुझे जानते थे—और दो चार नवयुवकोंने मेरे द्वारा लाहौरमें अमेरिकाके सोनेके सिक्के भी बेचे थे। बस मेरा असली अपराध यही था, परन्तु मैंने इसे एक छोटीसी तुच्छ सेवा और शिष्टाचार समझ कर ऐसा किया था।

रासबिहारी ।

मि० पिंगले नामक एक महाराष्ट्र नवयुवक पहिले बङ्गालकी गुप्त समितियोंसे सम्बन्ध रखता था। पीछे अमेरिका चला गया। वहां उसे और उत्तेजना मिली। लौटने पर उसने प्रसिद्ध रासबिहारीबोसको बनारससे लेजाकर पञ्जाबमें जा भिड़ाया, और उसका परिणाम देहलीका षड़्यन्त्र केस हुआ। उस समय उसकी पुलिसने खूब तलाश की, परन्तु उसका कुछ

भी पता न, लगा—और बड़ी दृढ़ताके साथ एक वर्ष बाद् पञ्जाबमें आकर इन लोगोंमें वह सम्मिलित हो गया।—और धर पकड़ होनेपर फिर भाग गया और आजतक उसका पता नहीं कि वह कहां क्या करता है और कौन है ?

डाकेज़नी और व्यर्थकी मार काटसे मेरी कभी सहानुभूति नहीं थी—और इसे हमेशा मैं घृणाकी दृष्टिसे देखता रहा हूं, पर मेरी इस घृणा और नापसन्दगी का क्या मूल्य हो सकता था। क्योंकि उन लोगोंसे सिवा इसके कि उनमेंसे बहुतसे आदमियोंको मैंने अमेरिकामें देखा था, मेरा कोई सम्बन्ध नहीं था। हां इसे मैं स्वीकार करता हूं कि उनमेंसे एक दोने अपने इस गुप्त आन्दोलनको प्रशस्त और व्याप्त करनेके लिये आपसमें मेरा नाम लेकर दूसरेसे लीडर कहकर परिचय दिया। पढ़े लिखे पञ्जाबके सब आदमी मुझे जानते थे ही, इसलिये उनपर जिनको कि वे अपने जमघटेमें मिलाना चाहते थे, मुझे अपना सबसे बड़ा लीडर बता देते थे। परन्तु मेरा उनसे जरासा भी सम्पर्क नहीं था। हां इस मार काट और बचपनसे घृणा अवश्य थी, क्योंकि मैंने पर्याप्त शिक्षा पाई है और योरोप के प्रायः सभी देशोंका पर्यटन कर आया हूं, इसलिये खूब जानता हूं कि ऐसे सङ्गठनोंसे कभी किसी देशको स्वाधीनता नहीं मिली। लड़के लोग बचपन और अनुभवीशुन्यतासे ऐसे उत्पात करते

हैं और बिना कोई उपकार किये ही मातृभूमिकी बली बेदीपर स्वंय स्वाहा हो जाते हैं !

इधर पुलिसको इनके कामका पता लगा और उसने इनका पीछा किया। ये लोग इधर उधर पर्यटन करके डाके मारने लगे। अन्तमें पेशावरमें जगतराम पकड़ा गया। अम्बाला में पृथ्वीसिंह गिरिफ्तार किया गया। फिरोजपुरसे एक घोड़ागाड़ी पर बैठकर जाते हुए सात आदमी अपने चाल चलनके ढङ्गसे पकड़े गये। पुलीसने इनको ठहराकर इनकी तलाशी लेनी चाही। इनके पास पिस्तौल थे। इन्होंने फायर कर दिये ! परिणाम यह हुआ कि कुछ सिपाही और एक सब-इन्सपेक्टर मारा गया। ये लोग जंगलमें भाग गये। पुलीस ने गांवके आदमियोंको लेकर इनको घेर लिया और पकड़े जाकर मुकद्दमा चला—और फांसी पर लटका दिये गये ! इनमें पं० काशीराम नामका एक आदमी था, जिसकी चालीस हजार रुपयेकी सम्पत्ति सर्कारने ज़प्त कर ली। इसी तरहसे सन्देह होने पर लाहौरमें एक टांगे पर तीन आदमी जाते हुए पकड़े जाने लगे तो उन्होंने भी पिस्तौलसे फायर करके एक सार्जेण्ट पुलीसको मार दिया। इनमेंसे दो भाग गये—एक पकड़ा जाकर फांसी पर लटकाया गया !

इसी तरहसे अमृतसरके पास एक गांवमें डाका डाला

गया। और एक धनाढ्य ब्राह्मणको बुरी तरहसे मारा गया। इस गाँवमें लूट मार करते समय वम और गोलियां चलाई गईं। और आदमी तो सब भाग गये—परन्तु उनका एक लोहार साथी पकड़ा गया। उसने इस षड्यन्त्रका लीडर मूलासिंहको बताया। और इसका पता लगानेके लिये पुलीसने कृपालसिंहको नियुक्त किया। और मूलासिंहको अमृतसर स्टेशन पर गिरिफ्तार कर लिया। कृपालसिंह भी इनमें मिल गया था। इन लोगोंको इस पर सन्देह भी हुआ। परन्तु फिर भी यह इनका लीडर बना ही रहा। गदर करने की तारीख २२ फरवरी सन् १९१९ नियत हुई। इसको भी इसका पता लगा और रातको ही इसने पुलीसकी गारदको बुलाकर रातको सोते हुए सात आदमी गिरिफ्तार करा दिये। लाहौरमें अमरसिंह इनका लीडर था, वह भी पकड़ा गया।

मेरी गिरिफ्तारी।

सर्कारकी ओरसे मुकद्दमामें कहा गया कि मैं ही इस आन्दोलनका लीडर था—और अमेरिकामें सलाह मशोरा करके ही मैं वापस आया था। हलाँकि मैं यहाँ युद्धसे एक साल पहले ही अमेरिकासे वापस आगया था। इसका उत्तर सर्कार की ओरसे बड़ा वे शिरपैरका दिया गया। कहा गया कि जर्मनीके

युद्धका पता हमें पहले से ही था। पर मेरी समझमें नहीं आता कि 'कामागाटामारो' जहाज की घटनाको क्या मैं पहलेसे ही जानता था ?

इसके बाद देहली षड्यन्त्र केस चला। चार आदमियोंको फांसी दिया गया। उनमें मेरे चचाका लड़का भाई बाल-मुकुन्द भी एक था। बलराज और हनुमन्तसहायको सात २ वर्षका जेल हुआ। इसमें भी रासबिहारी शामिल था। पर वह पकड़ा नहीं जासका।

गदरका लीडर—

कर्तारसिंह १६ वर्षका एक सिख विद्यार्थी था, जो इस उपद्रवका लीडर था। वह १६वर्षकी अवस्थामें लुधियानाके खालसा स्कूलमें पढ़ता था। पढ़ना छोड़कर अमेरिका चला गया। वहां वह कुछ दिन तक पढ़ता रहा। अन्तमें वहां भी उस पार्टीमें—जामिला जो मुद्दतोंसे भारतमें गदर करनेकी तैयारियां कर रही थी। अमेरिकामें भी उसने हवाईजहाज बनाना सीखा। वहां युद्धकी तैयारियां देखकर फिर भारत लौट आया। आते ही उसने अपने स्कूलके बहुतसे विद्यार्थियों-में अपने विचार फैला दिये। और उनमें से प्रायः सभी

क्रान्तिवादी होगये। और इधर उधरसे और भी बहुतसे आद्-मी मिल गये—तो वह उनका लीडर बन गया। जब कभी उसके काममें कोई सन्देह करता, तो वह अमेरिकासे ही मुझे जानता था अतः मेरा नाम लेकर कहता, कि यही भाई परमानन्दकी भी स-म्मति है। लोग मान जाते। गिरिफ़ारीकी हालतमें मैंने इससे यह बात पूछी भी थी, पर इसने इन्कार किया कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। पर मेरा अपना ख्याल ऐसा है कि उसने ऐसा अवश्य कहा है। क्योंकि यह उसका खयाल था।

उसने लड़कोंको समझाया कि अब शीघ्र ही जर्मनी यहां आता है। उससे मैं तुमको बड़े बड़े पद दिलवा दूंगा। सब जगह दिन और रात वह यही बातें करता था।

एक बार रेलमें जाते समय एक हौल्दारसे कहा कि तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। हवल्दारने उसे जोशीला लड़का समझकर कह दिया कि मीयांमीर छावनीके मेगज़ीनकी चाभियां मेरे पास रहती हैं। तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा।—इस पर उसने अपने दलमें यह बात कही, तो लो-गोंने उपहास किया। इसपर उसने कहा कि अच्छा मैं भाई परमानन्दसे पूछ आता हूं। अगले दिन उसने झूठमूठ कह दिया कि भाईजीसे पूछ आया, ठीक है। बस इसीके अनुसार

१८ नवम्बर को रातभर १०० आदमियोंका एक दल मियाँमीरकी छावनीमें चक्कर लगाता रहा। इस पर सरकारी गवाह 'नवाब' कहता है कि मैंने उसे भाड़ा। किन्तु उसने कहा कि यह सब गलतियां भाई परमानन्द करा रहा है!

अगर यह सत्य हो तो कर्तारसिंहको यह आवश्यक मालूम हुआ कि कहीं उसकी लीडरीमें बट्टा न लगे। इन लोगोंने इस तरह से कई दल तैयार किये, जिनमें फिरोजपुर पल्टनको साथ मिलानेकी कोशिश भी थी। सुतरां एक रातको सौ डेढ़ सौ सवार घोड़े कसकर तैयार हो गये थे, परन्तु इन्हें इस पार्टीका कोई आदमी न मिला। इन सबके कामोंमें लड़कपनकी झलक थी। परन्तु यह निःसन्देह है कि कर्तारसिंह को मौतका डर नहीं था।—वह अत्यन्त जोशीला और ढीठ था!

लुधियानाकी पुलिस उसकी तलाशमें लगी हुई थी। एक दिन एक गाँवमें पुलिस तलाश कर रही थी। अकस्मात् एक साइकिल पर वह भी वहां जा निकला, परन्तु वह वहाँ उतरा और पानीका गिलास पीकर फिर चलता बना। पुलिसको सन्देह तक नहीं हुआ। करतारसिंहका एक सरदार मित्र, उस को साजिश करके पकड़वाना चाहता था, परन्तु किसी तरहसे

उसे मालूम हो गया और उसे कत्ल कर दिया गया।

× × × ×

कर्तारसिंह हथकड़ी और बेड़ियोंसे जकड़ा हुआ जब लाहौर स्टेशन पर पहुंचा तो इन्स्पेक्टर जनरल पुलिसको सम्बोधन करके कहा—"मि० टामकिन, कुछ खानेको तो लादो, भूख लगी है।"

जेलमें भी वह बड़े छोटे अफसरोंसे बड़ी बेपरवाही से बात चीत करता था। जेलका सुपरिण्टेण्डेण्ट बहुत हैरान हो कर उसकी बातें सुनता था। एक बार मैंने जेलमें उससे पूछा कि यह तुमने क्या किया? आरामसे अमेरिकामें बैठे थे। यहां आकर जेलमें सड़ रहे हो? उसने तुरन्त उत्तर दिया कि मैं—मरनेके लिये भारत लौटकर आया हूं। जब अमेरिकामें वहांके गोरे 'नेटिव' कहकर गाली देते थे—तो हृदय काम्प उठता था। हृदय ये सब बातें सहन नहीं कर सका। मैं फिर बोला—कि भले आदमी मुझे क्यों फंसाया? उसने उत्तर दिया कि जो कुछ मैंने किया है—उसके आप जिम्मेवार हैं। मैं हैरान हो गया कि यह क्या कह रहा है। इसपर मैंने कारण पूछा तब उसने अमेरिकन 'ड्रगस्टोर' की बात याद दिलाई—जहां पर मुझे वह मिला था।-वह बोला कि मेरे हाथमें जब चोट लगी थी और आपके अस्पतालमें भरती होनेको आया था। और

रातको आपने मुझसे पूछा था कि—इण्डियाकी कुछ हिस्ट्री जानते हो। तब मैंने कहा था हां! इसपर आपने पूंछा कि यह बताओ कि वह जाति जो इतनी मुरदा और दास हो चुकी थी, उस पर सातसौ सालसे बराबर पश्चिम और उत्तरसे धावे होते रहे। हज़ारों आदमियोंके सर भेड़ों और बकरियोंकी तरहसे उड़ा दिये गये, परन्तु पञ्जावकी हिस्ट्रीमें हम देखते हैं मुरदा जातिमें से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई थी कि उसने न केवल आपदाओंको ही रोक दिया, किन्तु देशमें एक और ही तरहकी हवा चलने लगी थी। कर्तारसिंह सोचता रहा। तब बताया गया कि गुरु गोविन्दसिंहको जानते हो। उन्होंने कहा था कि "चिड़ियोंसे मैं वाज मराऊं। तबहीं नाम गोबिन्दसिंह पाऊं॥" गुरुने निर्भयता सिखाई। पिता पुत्रोंको जाति और देशकी बली वेदी पर स्वाहा कर दिया! आप भी उसी पर कुर्बान होगये। मृत्युका डर चला गया।—जीवन आगया। क्या उस जातिमें अब कोई है?

कर्तारसिंहने कहा कि बस उसी दिन मैंने देशके लिये शिर देनेका दृढ़ निश्चय किया था।—वह कहता था कि लाहौरमें वह एक बार मुझसे मिला। पर उसकी बच्चों जैसी बातें सुनकर मैंने टला दिया था।

अदालतमें उसने बयान किया था कि मेरा इरादा था कि

देशको स्वाधीन करनेकी कोशिश करूं और उसके लिये जो जैसा अंचा, किया। किसी और का कुछ अपराध नहीं है। जो कुछ किया मैंने किया—और देशके लिये किया। मैं उसका दण्ड भोगनेको खुशीसे तैयार हूं।

सरकारी वकील पेटमैन ने मुकद्दमे में मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव किया था, उसने गवर्नमेण्टसे मेरे ऊपरसे मामला उठा लेनेको कहा था। परन्तु यह डायरशाहीको स्वीकार न था।

फांसीकी कोठरी।

सितम्बरकी १३ तारीखको फैसला होना था। हम लोग सबको जेलकी अदालतमें पेश किया गया। २४ आदमियोंको फांसीकी आज्ञा हुई। बाकीको कालापानी। तीन चार आदमियोंको केवल बरी किया गया था। मुझे फांसीकी सजावालोंकी तङ्ग कोठरियोंमें बन्द कर दिया गया। कई अभियुक्त इस जीवनसे हाथ धोनेकी तैयारी देखकर तरह तरहसे देशभक्तिके गीत गाते थे।

फांसीका हुक्म सुनते हुए कई आदमियोंने कई तरहके भाव प्रकट किये। एक भाईको कालापानीकी सजा हुई, तो उसने कहा मैं फांसी मांगता हूं। उत्तर मिला कि इसके लिये अपील करो। जब कर्तारसिंहको फांसीका हुक्म सुनाया गया, इसने

कहा 'थैंक यू !' एक दूसरेने फाँसीका हुक्म सुनने पर कहा—'बस-इतना ही'।

मुझे बताया गया कि तुम्हारी बाबत जजोंमें मतभेद है। दो की राय फाँसीकी और एककी कालापानी की, तुम अपील करो। मैं चुप रहा। अबतक हम लोग अपने कपड़े पहने हुए थे। अब हमको फाँसीके कपड़े पहना दिये गये। कई अपराधियोंसे कहा गया कि अपील करो, परन्तु कुछको छोड़कर किसीने दयाकी प्रर्थना नहीं की।

मैंने अपनी स्त्रीको पत्र लिखा कि आकर मिल जाय। परन्तु किसी प्रकारका शोक प्रकट न करना। वह दूसरे सम्बन्धियोंके साथ मिलने आई। मैं प्रसन्न था। तीसरे दिन फिर मिलने आई।

मेरी स्त्रीने ला० रघुनाथसहाय वकील को बुलाया। और वे शिमलामें जाकर मालवीयजीसे मिले। और मेम्बरोंने भी इस फैसलाको सुनकर आश्चर्य प्रकट किया। दो मासतक पञ्जाब-सरकार और भारतसरकारमें लिखा पढ़ी होती रही। पञ्जाबके लाट साहेब सर ओडायरकी सरकार कहती थी, फाँसी होनी चाहिये। और पञ्जाबको इसी तरहसे दबा कर भयभीत रखना चाहिये।

भारत सरकार यह नहीं चाहती थी। अन्तमें यही हुआ भी। अर्थात् २४ में से१७ को फाँसीकी जगह कालापानीकी सजा हुई। मैं भी उनमें एक था।

मेरे साथियोंमेंसे केवल दो ऐसे आदमी थे, जिन्होंने अपने स्वार्थके लिये डाके डालनेमें सहायता दी थी। वे फूटफूटकर रोते थे। बाकी सब दिनभर देशभक्तिके गीत गाते रहते थे। लोग पूछते थे कि क्या तुम किसी बारातमें जा रहे हो या फाँसी पर लटकनेकी तैयारीमें हो! वे लोग इस फाँसीकी खुशीको नहीं समझ सकते थे।

बृटिश गवर्नमेण्टका सबसे बड़ा जहाज 'टाईटानिक' समुद्रके हिमगिरी से टकराकर जिस समय डूबने लगा था—तब जहाजके कप्तानने बैन्ड बाजेवालोंको बाजा बजानेको कहा था—कि अपने औजार उठाकर भगवानके भजन गाओ! उन्होंने बाजा बजाना शुरू किया। बाजा कहता था। "Nearer, O My Lord, thee" "समीप, अधिक समीप—हे मेरे परमात्मा तुम्हारे।" इसी तरह पानी बढ़ता गया। जहाज नीचे उतरता गया। और उसकी आवाज दूसरे लोकमें सुनाई देने लगी।

मैं समझता था—कि वे लोग बड़े बहादुर होंगे—जो इस

तरहसे गा बजाकर मृत्युका आलिङ्गन करते थे! पर इस कोठरीमें रहकर मेरी समझमें आया कि मनुष्यका हृदय मृत्युको सामने देखकर कैसे गम्भीर हो जाता है। हम लोगोंमें कर्तारसिंह विशेष प्रसन्न था—वह बार बार कहता था—फांसीमें अब क्या देर है?

मेरे मनमें कोई साध न थी—हां दो बातोंकी मेरी इच्छा थी। एक तो धूपको महीनोंसे नहीं देखा था, दूसरे महायुद्धका परिणाम देखनेकी इच्छा थी।

\+ × × +

शायद १५ नवम्बरको हमारी फांसीको सजाको काले-पानीकी सजामें बदल देनेका हुक्म सुनाया गया था। अगले दिन प्रातःकाल बाकीके सात आदमियोंको फांसी होनी थी। उनको दो बारमें—फांसीघरमें ले जाया गया। कर्तारसिंह—और महाराष्ट्र ब्राह्मण पिंगलेको जब फांसी हुई—तो उनसे कहा गया कि वे कुछ चाहते हैं? उत्तरमें पिंगलेने कहा, दो मिनटकी छुट्टी, भगवानसे प्रार्थना करनेके लिये दी जाय। उसकी हथकड़ी खोल दीगई—और उसने प्रार्थना की :—

"भगवन् तुम हमारे हृदयोंको जानते हो, जिस पवित्र कार्यके लिये जान देते हैं, उसकी तुम रक्षा करो। यही अन्तिम मानसिक कामना है।"

इसके बाद स्वयम् गलेमें फाँसीकी रस्सी डालकर अन्तिम सांस लेनेको तैयार हो गए। नीचेका पटरा पांवोंके नीचेसे सरक गया—और क्षण भरमें ही बेजान लाशें लटक गईं! फांसीकी सजा पानेके पहिले अभियुक्त गाते थे!—

यही पावोगे महसरमें ज़बां मेरी बयाँ मेरा।
मैं बन्दा हिन्दवालोंका हूं है हिन्दुसितां मेरा॥

२

मैं हिन्दी ठेठ हिन्दी, खूं हिन्दी ज़ात हिन्दी हूं।
यही मज़हब यही फिरका यही है खान्दां मेरा॥

३

मैं जउड़े हुए इस भारतकी एक खण्डहरका जर्रा हूं।
यही बस इक पता मेरा यही नामो निशाँ मेरा॥

४

कदम लूं मादरेभारत तेरेमें बैठते उठते।
कहां किस्मत मेरी ऐसी नसीबा यह कहां मेरा॥

५

तेरी खिदमतमें ऐ भारत! यह सर जाय जान जाय।
तो मैं समझूंगा यह मरना हमारा जाविदाँ मेरा॥

\+ \+ \+ \+

प्रायः एक सप्ताहके बाद हमारा वज़न किया गया। और दो २ आदमियोंके हाथ, हथकड़ियोंसे जकड़ दिये गये। पावोंमें बेड़ियां डाल दी गईं। वहांके कपड़े उतार कर कालेपानी जानेकी धारीदार पोशाक पहना दी गई। पुलिसके पहरेमें मियांमीरकी छावनी पहुंचाये गये और गाड़ीमें बन्द करके रातोरात पञ्जाबका मार्ग तय होगया। तीसरे दिन आधीरातके समय कलकत्ताकी प्रेसीडेन्सी जेलके कालेपानी जाने वाले कैदियोंके बारकमें हमको बन्द कर दिया गया। छः दिनके इन्तजारके बाद कालापानी जाने वाले जहाजके एक तहखानेमें बैठा कर तीन दिन और रातके बाद कालेपानीकी भूमि-पर हमको उतारा गया।

अण्डेमनमें लगभग पचास टापू हैं। पोर्टब्लेयर सबसे बड़ा है, जहांके किलेमें कैदी रखे जाते हैं। यहांके असली अधिवासी 'अण्डेमाज़' हैं। वे जङ्गलोंमें रहते हैं। कपड़े नहीं पहनते। धनुष विद्यामें प्रवीण हैं। समुद्रमें आंखें खोलकर तैर सकते हैं। भालेसे मछलियोंको मार डालते हैं। इनका खाद्य पदार्थ मांस है। अंग्रेजों और देशी आदमियोंकी वस्तियोंके पास ये लोग नहीं रहते।

अण्डेमनमें 'फ्रो' लोग भी रहते हैं। जो कैदी आदमी और

औरतें नेकचलनीके कारण किसी विशेष अवधिके बाद छोड़ दिये जाते हैं, वे आपसमें विवाह करके वहां मेहनत मजूरी करते हैं। ये 'फ्री' लोग—इन्हीं लोगोंकी सन्तान हैं।

× × × ×

कालेपानीकी जेलमें राजनीतिक कैदियोंके साथ बहुत बुरा सुलूक होता है। उनको कोल्हूमें जोतकर तेल निकाला जाता है। रस्सी बटवाई जाती है। और नारियलके टुकड़े तथा ईंट भी पथावाई जाती हैं। कई बार बड़े उच्च कुलीन राजनीतिक कैदी इस बुरे व्यवहारसे तङ्ग आकर आत्महत्या कर चुके हैं। इन्दूभूषणने इसी तरहसे प्राण दिये। रामरक्षा का यज्ञोपवीत उतारा गया, उसने उपवास करना शुरू कर दिया, और बड़ी वीरताके साथ अपने धर्मकी मर्यादाकी रक्षाके लिये उसने प्राण दे दिये! कई बार मुझे भी कड़े २ काम करने पड़े। अण्डेमनमें रहने वाले राजनीतिक कैदियोंमें दो पार्टियां हैं। बङ्गाली अपने को बुद्धिमान समझते हैं, और महाराष्ट्र अपनेको। यू० पी० और पञ्जाबके कैदियोंको ये लोग मूर्ख समझते हैं—और पञ्जाबके कैदी अपनेको वीरताका ठेकेदार! कई बार जेलवालोंसे झगड़ा होने पर ये लोग परस्पर में मिल भी जाते थे। क्योंकि सब बातें अलग २ होने पर भी ये प्रायः सभी विप्लववादी थे। मैं इन लोगोंके आन्दोलनमें कभी शामिल नहीं हुआ। उदासीनताके साथ मैं इनके कार्यकलापों

को बराबर देखता रहा। हां एक बार जब भारतके समाचार-पत्रोंमें मेरे सम्बन्धमें मेरी एक घरू चिट्ठीके आधार पर टीकाटिप्पणी हुई, तो मुझे अस्पतालके लिखा पढ़ीके कामसे हटाकर कड़े कामोंमें लगाया गया—और अन्तमें मुझे भी अन्यान्य राजनीतिक कैदियोंके साथ सत्याग्रह में शामिल होना पड़ा। वहांको जेलका सुपरिण्टेण्डेण्ट 'बारी' साहब बड़ा कड़ा आदमी है। वह बीस बरससे वहां अफसर है। सच पूछो तो वहांका भाग्यविधाता वही है। यद्यपि वह एक आयरिश पढ़ा लिखा साधु आदमी है, पर कालेपानीकी कैदमें जो दूसरी तरहके अपराधी जाते हैं, वे प्रायः किसी न किसी भारी दुष्टताके कारण वहां पहुंचते हैं—और वहां जाकर उनका सुधार तो एक ओर रहा, बल्कि जो कुछ कमी यहां रह जाती है, वहांके बदमाश और पतित खूंखार लोगोंमें रह कर पूरी हो जाती है। बस समझ लीजिये इन्हीं लोगोंके शासक बारी साहब हैं—और वे भी बड़े भयङ्कर समझे जाते हैं। हजारों बार उनके साथ कैदियोंका झगड़ा हो चुका है।

कालेपानीके कैदखानेमें औरतोंका अलग स्थान है। औरतें प्रायः अपने पतिको विष देनेके अपराधमें ही कालेपानी जाती हैं। और तीन बरसके बाद रिहा कर दी जाती हैं। पीछे वे किसी स्वतन्त्र कैदीसे विवाह कर लेती हैं।

कालेपानीकी जेलमें युद्धके समाचार बड़ी उत्सुकतासे सुने जाते थे। कई तरहकी अफवाहें उड़ती थीं। कैदी लोग अङ्गरेजोंके हारनेकी झूठ मूठकी बातें सुनकर इसलिये बड़े प्रसन्न होते थे कि अब ये बिदा हो जायंगे!

× × × ×

एक दिन प्रातःकाल फिर हमारा वज़न हुआ। उसी जहाज पर बैठाकर मुझे कलकत्ता लाया गया—और रेलमें बैठाकर सीधा लाहौर पहुंचाया गया तथा स्टेशनपर छोड़ दिया गया। यह मुझे पहले ही मालूम हो गया था कि मेरे देशवासियोंकी कृपाओंसे राजकीय घोषणाके अनुसार मुझे छोड़ा जा रहा है। छुटकारे पर और सब बातें हुईं, पर एक बात मनमें रही। और वह यह कि मेरे साथी कैसे इस पापपङ्कसे छुटकारा पावें? कालेपानीसे चलते समय मैंने उन लोगोंसे प्रतिज्ञा की थी कि जैसे होगा, मैं तुम लोगोंके छुटकारेके लिये प्रयत्न करूंगा।

जब मैं लाहौर स्टेशन पर पहुंचा तो मुझे वहां पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट मिला, उसने पूछा कि अब कहां जाओगे? मैंने कहा मेरी स्त्री यहां कहीं रहती है। उसीका पता लगाकर वहां जाऊंगा। अगर आपको पता मालूम हो तो बताइये। उसने खेद प्रकट कर कहा, मुझे पता नहीं। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मैं अपना बधना बोरिया लेकर पैदल अनारकली-

समाजमें पहुंचा और वहांसे एक आदमीको लेकर अपनी स्त्रीके मकान पर पहुंच गया। मेरी स्त्रीने मेरी अनुपस्थितिमें स्कूलमें साधारण सी नौकरी करके दिन काटे थे। मुझे उसपर बड़ी श्रद्धा हुई। वह मुझे देखकर अवाक् रह गयी। कालेपानीसे जब मैं चलने लगा, तब जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टने मुझसे पूछा था कि अब क्या काम करोगे? तब मैंने कहा था मैं नहीं जानता! हां, मेरी स्त्रीने मुझे छुड़ानेके लिये महात्मा गान्धी और मि० एण्ड्रूजसे मिलकर जो २ उपाय मेरी रिहाईके लिये किये हैं और स्वयम् एक हिन्दू और ब्राह्मण वर्णकी मर्यादाकी रक्षाके लिये थोड़ी सी मेहनत मजूरीकी वेतनसे अपनी और अपनी लड़कियोंकी रक्षा की है—अब मैं उसीकी आज्ञाओंका पालन करूंगा! वह कन्या-पाठशालामें लड़कियोंको पढ़ावेगी और मैं उसकी जगह घरका काम काज करके अपने जीवनको पवित्र करूंगा!



ला० लालचन्द फलक

की

जेलकी दास्तान।

(ला० लालचन्द फलक उर्दूके नामी राष्ट्रीय-कवि हैं। पञ्जाबमें जिस समय बड़े बड़े यशस्वी और सच्चे देशभक्त लोगोंने काम करना आरम्भ किया था, उन ही लोगोंके साथ रह कर काम करनेका सौभाग्य फलकको भी प्राप्त है। उस समयके कितने ही लोग राजनीतिक भयङ्कर मतभेदके कारण थोड़ा बहुत काम करनेके बाद ही इस देशमें नहीं रह सके, परन्तु फलक तबसे अब तक शान्तिपूर्वक बराबर काम करते रहे। काम करनेमें बाधायें पहुंचाई गईं। बहुतसे कष्ट उठाने पड़े। कई बार कानूनके सिकञ्जोंमें फंसाकर बर्बाद करनेकी चेष्टायें हुईं, पर फलक उसी तरहसे अटल रहे। एकबार पञ्जाबमें ऐसा दमन का दौर आया कि बड़े २ काम करने वालोंके दिमाग ठण्डे हो गये। सर माइकेल ओ'डायर की सर्कारने लोगोंको भयभीत किया—और समझनेवाले लोगोंने भी अपना स्वर धीमा कर दिया। उस समय ला० लालचन्द



श्रीयुक्त ला० लालचन्द फलक।

फलकने एक कविता लिखी थी, जो नीचे दी जाती है—उससे स्पष्ट मालूम होता है कि पञ्जाबकी उस समय कैसी दशा थी। कविता यह है :—

तू भी बदल फलक कि ज़माना बदल गया !

(१)

था जोश कौमियत जो दिलोंमें, निकल गया।
सख़्तीकी पौलसीका अजब दाव चला गया ॥

(२)

बाकी नहीं है कौमपरस्ती की बू कहीं।
हर सख़्स खैरख्वाही के सांचेमें ढल गया ॥

(३)

बैठे हुए हैं कौमपरस्तोंके आज दिल।
हुक्कामका ज़िगर है खुशीसे उछल गया ॥

(४)

सूफी ने और अजीत ने टरकी की राहली।
बाकी था लाजपत, सो वोभी मैदांसे टल गया ॥

(५)

जसवन्तसे निभ न सका साथ मुल्कका।
सद् हयेफ वो भी जान छोड़ कर निकल गया ॥

(६)

तसवीरसा खामोश है सर्दार किशनसिंह।

ज़ंदांमें बांके तिरछों का कश और बल गया ॥

(७)

सरलाने दीनानाथने पकड़ी है रूउस नई ।
इनका कदम भी राहे वतनसे फिसल गया ॥

(८)

इक़बालकी है बांग नई वो 'सदा' नहीं ।
गोया बड़े बड़ों का कलेजा दहल गया ॥

(६)

बदला है पिण्डीदासने महताने रङ्ग ढङ्ग ।
तू भी बदल फलक कि ज़माना बदल गया ॥

बड़े २ पञ्जावके नेशनलिष्टोंकी जब यह दशा थी, उस समय हज़रत फलकने यह अन्योक्ति लिखकर अपने मनके भाव प्रकाशित किये थे। इससे फलकके दिलकी आगका पूरा पता लगता है।

इन सब बातोंके सिवा एक बात और बड़े गर्वकी फलकनेकी है। जिस समय पञ्जाबमें नेशनलिज्मका खात्मा हो रहा था, उस समय हज़रत फलकने १॥ दर्जनके लगभग उर्दूमें राजनीतिक गद्य और पद्यकी पुस्तकें लिखकर पञ्जावको बेदार करनेकी चेष्टा की। और जब तक सर माइकल ओ'डायर और उनके साथियोंने हज़रत फलकको हमेशाके लिये जहन्नुम

में भेजनेके लिये गिरफ़ार न कर लिया, बराबर फलक यही काम करते रहे—और स्पष्ट शब्दोंमें हम कह सकते हैं कि पञ्जाबके जीवनमें राजनीतिक बेदारीका मन्त्र फूंकनेका सौभाग्य राष्ट्रीय-कवि फलकको भी प्राप्त है। फलकने बचपनसे लेकर देशभक्तिको कर्मयोग समझा और उस पर वे कईवार बलिदान हुए, परन्तु निर्भयता पूर्वक अपने काममें लगे रहे। नीचे हम उनकी लिखी 'जेल-कहानी' ज्योंकी त्यों देते हैं। इनकी भाषाका ओज न चला जाय, इसलिये हम इसे उर्दू में ही देरहे हैं।)

निगरानी और मुकद्दमा।

सन् १९०७ में पञ्जाबकी पोलिटिकल हलचलमें अमली हिस्सा लेने और 'एक् नौआबाद हाई पञ्जाब' व 'पज़ादी माल-गुज़ारी व आबयाना'के खिलाफ पुरज़ोर 'सदा' बुलन्द करनेके मावज़ामें पञ्जाबके मुहकमा खुफिया पुलिसने पञ्जाबके नामवर मुश्तवा पोलिटिकल शोरशपसन्दोंकी फैहरिस्तमें मेरा भी नाम लिख लिया था, जिसकी वजहसे मुझे कमाल तकालीफ व मुसायवका शिकार होना पड़ा। लाहौर या उससे बाहर जहां भी मैं जाता, मेरी कड़ी निगरानी की जाती। इस निगरानीसे जो मुझे रोहानी सदमा महसूस होता, उसे मैं पूरे ६ साल तक बड़े सब्र व इस्तकलालसे बरदाश्त करता रहा।

इसी से मैं मैं मुल्क और कौमकी खिदमतमें बराबर मसरूफ रहा। तहरीर और तकरीर जिस तरहसे भी हुआ मैंने कभी मुल्कको अपनी खिदमतसे महरूम नहीं किया और करता भी किस तरह जब कि मैं देशभक्तिको अपना धर्म और कौमकी खिदमतको अपना कर्म मुकद्दस समझता हूं। दुनियाँकी कोई ज़बरदस्तसे ज़बरदस्त ताकत, हत्ते कि मौतका आब वो गुल भी इस पाक व मुकद्दस जज़बाको ज़ायल नहीं कर सकता।

वतन और कौमकी उल्फत न मेरे दिलसे निकलेगी।
ये वो तासीर है मरकर न मेरे गुलसे निकलेगी॥

फरवरी सन् १९१४ में जब कि मैं आये दिनकी खाना तलाशियोंसे तङ्ग आ गया, तो मैंने लाहौरके रोज़ाना अखबारात्में एक चिट्ठी लिखकर गवर्मेन्ट पञ्जाब और जुम्मेवार पुलीस अफसरोंको समझाया कि वो मेहरबानी फरमाकर आइन्दा मुझे नाजायज़ व बेमहल तलाशियोंसे परेशान न करे। और मुझे एक लिटरेरी मुहब्बेवतन शहरीकी ज़िन्दगी बसर करने दे। मैंने लाहौरके डिप्टी कमिश्नरसे भी अरज़ की और उन्होंने कमाल मेहरबानी से पेश आते हुए गवर्मेण्टसे मेरी सिफारिश करनेका इतमिनान दिलाया। और यही वजह थी कि उस वक्त मेरा नाम उस काली फहरिस्त से काट दिया

गया। लेकिन तङ्ग दिल खुफिया पुलिस अपने कीनेपन से बाज़ न आई। और हमेशा मेरी झूठी सच्ची रिपोर्टें करती रही। जब लखनऊमें होमरूल का रिजोल्यूशन पास करने वाली कांग्रेस हुई, तो मैं भी देखने गया। मेरे वापस आने पर खुफिया पुलिसने फिर रिपोर्ट की। रिपोर्ट में कहा गया कि मैं मि० तिलककी खास हिदायात लेकर आया हूं। और अनकरीब लाहौर में 'तिलक होमरूल' खोल कर होमरूलके सरगरम मेम्बरोंको बुलाकर पञ्जाबमें पोलिटिकल हलचल मचाऊंगा। अगरचे ऐसा करना कोई जुर्म नहीं था, जब कि तमाम हिन्दुस्तानमें होमरूल की लहर चल रही थी कि पञ्जाबमें भी ऐसा किया जाता। लेकिन सर ओ'डायर की सरकारने उसे भी बागीपन समझ लिया। हालांकि ये सब रिपोर्टें गलत और बेबुनियाद थीं, मगर तोभी सर ओ'डायरने जब कि लो० तिलक और बा० बिपिनचन्द्र पाल पञ्जाबमें आनेका इरादा भी नहीं रखते थे, उनका पञ्जाबमें मुदाखिलाबन्दी का हुक्म जारी कर दिया गया।

सबसे पहले लाहौरकी खुफिया पुलिस (जोकि उस वक्त सर ओडायरकी आंखोंका नूर बनी हुई थी) ने लाहौरके चन्द नौजवानों पर (जो गाहे बगाहे कौमी गीत गाया करते थे) अपने एजेण्ट या भाड़े के टट्टू के ज़रिये २५ मार्च

सन् १९१७ के रोज़ शराब और कबाबकी दावत देकर चन्द कौमी गीत सुने। और २ अप्रेलको दो पहरको मुझे गिरफ्तार करके 'नौलखा थाने' में जेरहिरासत किया गया। मेरे घर और दुकानकी भी बड़ी सख्तीके साथ तलाशी ली गई। लेकिन कोई काबिले पतराज़ अशियाय मेरे यहांसे बरामद नहीं हुईं। मेरे वालदीनको मुझसे नहीं मिलने दिया गया। मेरी गिरिफ्तारी के वक्त मुझे उसकी कोई वजह नहीं बताई गई। मेरे गिरिफ्तारी के वारण्ट पर भी कोई जुर्म लिखा हुआ नहीं था। दूसरे अल्फाज़में मैं गोया बिल्कुल बेकसूर था और सी० आई० डी० मुझ पर कोई इलज़ाम लगाने के नाकाबिल थी।—लेकिन जङ्गे योरोपसे घबराये हुए अङ्गरेजों ने बेगुनाहोंको हिरासतमें देनेके जो ज़ालिमाना इख्त्यारात दे रक्खे थे, उनकी बदौलत पहले उसने मुझे आज़ादीसे महरूम करके आहिनी पिञ्जरेमें डाल दिया। और बादमें मेरे खिलाफ इलजाम गढ़ने और शहादत फराहम करनेका काम शुरू कर दिया गया।

पुलीस बड़ी परेशानीके बाद १३ मईको अपना जाल मुकम्मिल कर सकी। और १४ ता० को मुझे लाहौर सेण्ट्रल जेलकी फांसीकी कोठरीमें लेजाकर बन्द कर दिया गया! १२० दफासे लेकर १२४ दफात तक मेरे ऊपर लगा दी गईं। २८ मई को जेलमें ही बैठाये गये खास कमीशनके सामने मेरा मुकद्दमा शुरू हुआ।

सरकारी वकील मि० पेटमैनने कहा कि यह मुकद्दमा पिछली साजिशोंसे कुछ ताल्लुक नहीं रखता। हां इसे उस शोरिशकी गूंज कह सकते हैं—जो आजसे १० बरस पहले पञ्जाबमें फैली थी। उस वक्त भी लालचन्द फलक उसमें शामिल था, उसे सजा भी हुई थी। हरदयाल और सूफी अम्बाप्रसाद मफरूर हो गये। लाजपतराय और अजीतसिंह को जलावतन किया गया। लालचन्द फलक, हरदयाल और अम्बाप्रसादका मुद्दहा था। लाजपतराय और अजीतसिंह का दोस्त। जिसके सबूतमें हम लालचन्द की तसनीफकरदा किताब 'ख्यालाते लाजपत' पेश करते हैं। जिसका दिवाचा मशहूर बागी हरदयालका लिखा हुआ है। और सूफी अम्बाप्रसाद और अजीतसिंहने अपनी राय ज़ाहिर की है।—शायरोंने दुनियांके सियासी इन्कलाबोंमें बड़ा हिस्सा लिया है। लालचन्द भी पञ्जाबका नामवर पोलिटिकल-शायर है। इसने सन् १६०७ के पोलिटिकल जुलूसोंमें सख्त नज़में पढ़ी थीं। और सर्कारके खिलाफ बहुतसी बागियाना किताबें शाया की थीं, जिनके लिये १६०६ में इसपर मुकद्दमा चलाया गया था। इसके बाद सन् १६१४ तक इसका रूया अच्छा रहा। मगर जब गद्दर पार्टीके लोग हिन्दुस्तानमें वापस आये तो इसका दबा हुआ जोश फिर गर्म हो उठा। और इसने भी पहिलेकी तरह बागियाना तहरीकोंमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया और नौ-

जवानोंको बगावत आमेज़ साज़िश करने, बागियाना गीत गाने और हथियार जमा करके एक बड़े जत्थेके साथ बादशाह मुवज़्ज़मके खिलाफ जङ्ग करके इस हुकूमतका हिन्दुस्तान में खात्मा कर देनेकी तालीम देने लगा। इसने काफी नौजवानों को अपने गिरोहमें जमा कर लिया था।

इसके बाद मि० पेटमैंन सर्कारी वकीलने कहा कि लालचन्द फलक अपने साथी नौजवानोंको किस तरहकी खतरनाक तालीम देता था। बम और हथियारोंके जमा करनेकी तरगीब देता था। मुमकिन है कि अगर चन्द रोज यह और आज़ाद रहता तो एक बलवा कर देता। इन लोगोंके पास हथियार भी थे। एक मुजरिम (जो सरकारी गवाह बन गया है।) के पास से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है।

सरकारी वकीलकी इफताही तकरीर के बाद पुलीसके तोतेकी तरह पढ़ाये हुए सर्कारी गवाह अपने बयान देने लगे। और ग्रामोफोन के रिकार्डों की तरहसे अदालत लिखने लगी। आठ या दस रोज तक यह मज़हकाखेज़ अदालती तमाशा जेलके अन्दर होता रहा। शहादतें ली गईं। बयान हुए, इस्तेगाशा और सफाईकी तकरीरें हुईं और ११ जून सन् १९१७ के शामके ५ बजे के करीब मुझे उमर भर कालेपानीमें रहनेका

ज़ालिमाना हुक्म सुना दिया गया! अंग्रेजी इन्साफ और अदालतके नामकी तौहीन करने वाली नामनिहाद इस अदालतने भी तोतेकी तरहसे ऊपरकी सरकारी वकीलकी तकरीर को दुहरा दिया।—मुझे और मेरे पास बैठने उठने वाले चन्द नौजवानोंको, बागी मुजरिम करार दे दिया!

इसके बाद जेलमें रखा गया। पीछे सर ओ'डायरने बजाय उमर भर कालेपानी की सजाके १४ वर्षकी कैदकी सजा बहाल रक्खी। लेकिन इसकी मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई।

जेलमें मेरे वालदीन मुझसे मिलनेके लिये आये। मेरी माता बहुत रोती थीं, मैंने उसे समझाया।—और कहा कि देशमें एक ऐसा दौर आने वाला है जब कि मैं भी रिहा हो जाऊंगा। मैंने यह भी अफसोस ज़ाहिर किया कि मेरी प्यारी माँ, अगरचे तुम को मेरे पैदा करनेमें इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी, जितनी कि मेरे पोलिटिल ख्यालात्की वजहसे तुम लोगोंपर तकलीफों और मुसायबोंका पहाड़ टूट पड़ा है। मगर माता याद रखः—

खुद सहके जुल्म जुल्मकी हस्ती मिटायंगे।
भारत के हाल ज़ारको बेहतर बनायंगे॥

मेण्टगुम्बरी जेल में।

१४ सितम्बर सन् १६१७ को मुझे लाहौर सेण्ट्रल जेलसे मेण्टगुम्बरी जेलमें भेज दिया गया। वहां मुझे चक्की पीसने का काम दिया गया। मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट जेलसे कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं। साहिबे-कलम हूं—पांच ज़बानें जानता हूं। पोलिटिकल कैदी हूं। मुझे इस तरहसे दिन रात कोठड़ीमें बन्द रखना और चक्की पिसाना जेलके कायदेके खिलाफ है। सुपरिण्टे० पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ा। हां एक दिन मेरे बहुत कुछ कहनेपर पैरोंकी बेड़ियां उतार दी गईं और चक्की पीस कर मैं कैदके बाकी दिन गुज़ारने लगा। लेकिन चक्की पीसते पीसते जब महीनों हो गये और दूसरा काम बदलकर नहीं दिया गया, तब मैंने मजबूर होकर खामोश-मुकाबला करनेका इरादा किया। और बराबर आठ दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। मेरा सत्याग्रह देखकर जेल वालोंके पितर कूंच कर गये। और उन्होंने मेरा काम ढीला कर दिया और कोठड़ीसे बाहर घूमने फिरनेकी भी इजाज़त दी गयी। मतलब यह कि जब तक मैं वहाँ रहा फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई।

× × × ×

२६ जनवरी सन् १६१८ का दिन था। मेरे पैरोंमें बेड़ियाँ और हाथोंमें हथकड़ी और काँधेपर कम्बल पड़े थे। जेलके बाहर

दरजनों—सिपाही तलवार बन्दूकों और सङ्गीनोंसे लैश खड़े थे। जेलका फाटक खुला। 'अटेन्शन' कहा गया। मैं बाहर निकला। सिपाहियोंने झट बन्दूकें और सङ्गीनें सम्भाल कर चारों ओरसे मुझे घेर लिया! मार्च करनेका हुक्म हुआ। हम सब आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगे। बन्दूक और सङ्गीनोंसे आरास्ता सिपाहियोंके हलकामें चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि नेपोलियन ट्वैलरज़के महलसे निकलकर अपनी खास मुहाफिज़ गारदके हमरा मैदाने जङ्गकी तरफ जा रहा है। साथ ही मुझे यह ख्याल आया कि नैपोलियनकी तरह शायद मैं भी कोई अजीव हस्ती हूं, जिसको स्टेशन तक पहुंचानेके लिये इस कदर इन्तज़ाम किया गया है। इस ख्यालसे मुतास्सिर होकर मैंने सिपाहियों और उनके इञ्चार्ज अफसरसे खिताव करके निहायत खन्दापेशानी के साथ कहा—"मेरी मुहाफिज़ गारदके सिपाहियों! शाबाश! आज तुमने नेपोलियनकी खास गारदके नामोवर सिपाहियोंकी मानिन्द फुरतीसे काम लिया है। तुम्हारे हलकामें इस शान व शौकतके साथ चलते हुए आज 'फलक' ने भी अपने आपको नेपोलियन महसूस किया है, और वो नेपोलियनकी तरह तुम्हारी फुरतीकी दाद देता है। लेकिन इस बातपर अफसोस ज़ाहिर करता है कि तुम अपने अहले-वतनके हुक्कामकी तामीलमें नहीं बल्कि एक अजनवी हुकूमतके मातहत अपने एक हमदर्द और जाँनिसार हमवतनको जलावतन

करनेके लिये ले जा रहे हो!" मेरे इन अलफ़ाज़ पर कई एक सिपाहियोंका दिल भर आया। उन्होंने पहले अपनी दिली हमदर्दी और बेबसीका इज़हार किया। फिर कुछ इशार सुननेकी फरमायश की। मैंने निहायत मुहब्बतके साथ हस्बजेल इशायर सुनायेः—

कौमकी खातिर अगर दुनियामें ये तौकीर हो।
हाथमें हो हथकड़ी पावों पड़ी जञ्जीर हो॥

× × × ×

आखों खातिर तीर हो कि गले शमशीर हो॥
कैद हो फाँसी मिले या मौत दामनगीर हो॥

सिपाहियोंने बार बार मुझे मजबूर किया कि मैं उनको और कुछ इशार सुनाऊं और स्टेशन तक बराबर मैं सुनाताही चला गया। इतने में स्टेशन आ पहुंचा। रेल आई। एक बन्द गाड़ीमें मुझे भी चार और आगेसे आये हुए पोलिटिकल कैदियोंके साथ बन्द कर दिया गया। रेल चली और अगले रोज़ लाहौर पहुंची। हम लोग सेण्ट्रेल जेलमें पहुंचाये गये। दूसरी दोपहरको फिर जेलका फाटक खुला। हम पोलिटिकल कैदियोंको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर मवेशियों जैसी जङ्गलेदार गाड़ियोंमें बैठाया गया। गाड़ियोंके ऊपर आगे पीछे सिपाही

सङ्कोंने निकालकर बैठ गये और इरद गिरद पुलीसके सवार अपने अपने घोड़ों पर जा डटे। इञ्चार्ज अफसरका इशारा पाकर घुड़ सवारोंने घोड़े चलाये। हमारी गाड़ीके घोड़ोंने भी कदम उठाये। हमने 'बन्दे मातरम्' और 'सत्त श्री अकाल'के ना-आरे लगाये। सामने से बारातके बाजोंकी निहायत दिलकस आवाज़ आई। मैंने कहा—"दोस्तो! शगुन निहायत अच्छा हुआ। परमात्माने चाहा तो हम पोलिटिकल दुल्होंकी बारात बहुत जल्द आज़ादी देवीकी डोली लेकर वापस आयगी। मेरी बात सुनकर सब साथी हंस पड़े। हंसते हंसते हम स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ जाकर सींखचेवाली बन्द गाड़ीमें बैठाये गये। रेलमें भी हमको जञ्जीरोंसे जकड़ दिया गया था। आगे पीछे पुलीस बैठ गई। गार्डने सीटी बजाई। जेल और पुलिसके अफसरोंने हमें अलविदा कही। रेल रवाना हुई। फिर 'बन्दे मातरम्' और 'सत्त श्री अकाल'के नाआरे बुलन्द हुए। प्यारा लाहौर यारो अहबाबसेपुर लाहौर, मेरा बचपनका दोस्त लाहौर, मेरी आँखोंसे दूर हो रहा था! मैं निहायत बेताबीके साथ दिल थामकर इसे हसरत भरी निगाहसे देख रहा था, जिससे शायद 'सेण्ट हेलिना'की तरफ जाते हुए नेपोलियन ने फ्रांसको भी न देखा होगा। आह! मेरे देखते ही देखते मेरा लाहौर मेरी निगाहोंसे अलग हो गया! २७ जनवरीको रात इसी तरहसे कट गई। लाहौरसे चलते वक्त मां, बाप, बहिन

किसीसे मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। २८ जनवरी सुबह को देहली स्टेशन पर रेल पहुंची। वहां मैंने एक आदमीसे कहलाया—कि देहलीमें मेरी धर्मपत्नी अपने वालदीनके साथ रहती है, मुझे मिल जायगी। मगर आदमी उसके घरका पता न लगा सका—और रेल चल पड़ी। दिलकी दिल में ही रही, पूरी होने न पाई!

× × × ×

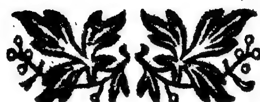
तीसरे दिन हम हज़ारीबाग़ जेलमें पहुंचे। वहां हम जब-तक रहे अच्छा सलूक किया गया और कोई तकलीफ नहीं होने पाई। मगर कई महीनेके बाद—१८ पञ्जाबी पोलिटिकल कैदी जेलखानाकी दीवार तोड़कर और जमादारको बांध कर भाग निकले। तबसे आखीर तक मुसायब और तकालिफोंका हमारे ऊपर पहाड़ टूटा रहा। कई बार हफ्तों फाकेकशी करनी पड़ी।—बड़ी बड़ी तकलीफें उठाईं। सख्त काम किया। खामोशमुकाबला करते २ जेलके अफसर कभी ज़रा नरम हो जाते, लेकिन दो चार दिनके बाद फिर 'वही रफ्तार बेढङ्गी'से काम लिया जाना शुरू हो जाता।

× × × ×

माण्टेगू-चेम्सफोर्ड-स्कीम पास हुई। शाही एलान हुआ। हम सत्तरह अठारह कैदियोंको रिहाईका हुक्म सुनाया गया।

२६ मार्च १९२० की मुबारिक शाम आई। हज़ारीबाग सेण्ट्रल-जेलका फाटक खुला। हम बाहर निकले। आज़ाद हवामें सांस लेने लगे। मोटर और रेलका एक हज़ार मीलसे कुछ ऊपरका सफर तय हुआ।—लाहौर पहुंचे—माता पिताका दीदार हुआ। अज़ीज़ों और दोस्तोंसे मुलाकात हुई। 'ब्रे डलाहाल' में खड़े होनेको मजबूर हुए। पुरज़ोर तालियोंके साथ "लालचन्द फलक की जय" के नआरे कानोंसे सुने। गोया कि इस छोटीसी ज़िन्दगीमें बकौले "दाग" मरहूम :—

हमारी आंखोंने भी तमाशा अजब २ इन्क्लाब देखा।
बुराई देखी, भलाई देखी, गज़ाब देखा, शबाब देखा॥



श्रीयुत पं० माखनलालजी चतुर्वेदी ।

—:०[*]०:—

[सी० पी० के० होम मेम्बर से आज्ञा लेकर श्रीयुत काशी-प्रसाद पांडे एम० ए० और साथमें श्रीयुत कुञ्जबिहारी-लाल जी एम० एल० ए० २७ जुलाई को चतुर्वेदी जी से मिलने गये थे। श्रीयुत कुञ्जबिहारीलालजी ने बिलासपुरसे चतुर्वेदी जी सम्बन्धी कुछ बातें 'कर्मवीर' में भेजी थीं, जो नीचे प्रकाशित की जाती हैं:—

कोठरी के दरवाजे पर पहुंचते ही हमें सच्चे देशभक्त और दृढ़ असहयोगी चतुर्वेदी जी, कैदियोंकी पोशाकमें खड़े २ रस्सी भांजते दृष्टिगोचर हुए। इन्हें इस दशामें देख कर दुःख हुआ। शिष्टाचारके पश्चात उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि "आपही के शुभागमन में आज दोपहरसे सफ़ाई की चहल पहल जारी थी, मुझे आश्चर्य था कि आज किसका आगमन हो रहा है कि जिसके लिये सब कर्मचारी सफाई करने को दौड़ धूप कर रहे थे।" सुपरिन्टेन्डेन्ट की ओर देखने पर उन्होंने कहा कि आप लोगोंके आनेकी सूचना जेलरको दे दी गई थी, परन्तु कमरे आदिको लिपाई सप्ताहमें एक वार होती है। चतुर्वेदीजी ने कहा कि यह कमरा अभी दोपहरके बाद ही लीपा गया है! सु० जेलने इसपर विश्वास नहीं किया कहा कि यदि दोपहरको लीपा



गया होता, तो इतनी जल्दी कैसे सूखता? किन्तु हमें भी देखनेसे ऐसा ही मालूम हुआ कि दोपहरके बादही लीपा गया है। पंडिजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकारके कष्टके लिये शिकायत नहीं करना है। यदि कष्ट हैं, तो मैं उन्हें सहर्ष सहन करता हूं। यदि यह कहो कि कष्ट देनेसे मेरे विचारोंमें कुछ परिवर्त्तन होगा तो यह भूल है! स्वास्थ्यमें अवनति ही दिखाई दी। उस कोठरीमें उन्हें दिनको कार्य करना पड़ता है। वे किसीसे बात नहीं कर सकते और न अन्य कोई उनसे बात कर सकता है। दोपहरके दो घन्टेका समय खाने आदिके लिये मिलता है। रात्रिको उस कमरेमें एक दूसरा कैदी रहता है जो गर्मी या इसी किस्म की बीमारीका मरीज़ है। चतुर्वेदीजीने यह भी कहा कि उसी कमरेमें वह कैदी एक कोनेमें एक बर्तनमें पेशाब करता है और वह सुबह उठा लिया जाता है और इसी कमरेमें चतुर्वेदी जी को भोजन करना होता है! हम लोगोंने सु० जेलसे इस पर आपत्ति की, कि यह बहुत ही अनुचित है कि इस छोटी कोठरी में वह पेशाब करे और इसी कमरेमें इन्हें भोजन करना पड़े! सु० जेल ने कहा कि कोई ऐसा मरीज़ नहीं रहता। यदि कोई ऐसा होता तो अस्पतालमें रखा जाता, यदि ऐसा हो, कि जिसे ऐसा मर्ज़ कभी रहा हो और वह अच्छा हो गया हो तो वह उन्हें नहीं मालूम और पेशाबका बर्तन तो सबेरे ही उठा डाला

जाता है और कोठरी झाड़ कर साफ की जाती है, तो फिर क्या एतराज़ हो सकता है? हम लोगोंको यह सुनकर ज़रा आश्चर्य हुआ। कदाचित् नीच कैदियोंकी देख रेख करते रहने के कारण उनके सभ्य विचारोंमें कुछ फर्क आगया हो, क्योंकि हमें जब याद आने पर ही ग्लानि होती है तो उन्हें (चतुर्वेदी जी को) क्यों न ग्लानि होती होगी? सु० जेलने कहा कि आप जहां खाना पकाते हैं वहाँ क्यों नहीं भोजन करते। उत्तर मिला कि जेलर सा० की आज्ञा हुई थी कि यह नियमानुकूल नहीं था। सु० जेलने जेलरको आज्ञा दी की भोजन अस्पतालमें करने दिया करो। उसकोठरीमें पत्थर की गिट्टीके ऊपर चूनेकी पिसाई और उसीपर मिट्टी की लिपाई हुई थी। किसी स्थान पर चूना उखड़ सा गया था और थोड़ी गिट्टी दिखाई देती थी। तख्ती देखनेसे मालूम हुआ कि उन्हें पहिले ६ छटांक रस्सी बांटनी पड़ती थी। चतुर्वेदीजीके कथनानुसार ८ घंटे खड़े खड़े काम करनेसे उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वज़न कम होने लगा। सु० जेलके कथनानुसार मलेरियाके कारण स्वास्थ्य खराब हुआ और उसके लिये वे अस्पतालमें रखे गये थे। अब बिमारीसे उठनेके बाद उन्हें केवल ४ छटांक रस्सी बांटनी होती है! कमरेमें जोरसे पानी आने पर सामनेकी ओरसे बौछार भी आजाती है और ऊपरके रोशनदानसे आती होगी। 'कर्मवीर' में निकले हुए लेखके पहिले वे जिस कोठरीमें थे वहाँसे अब दूसरी कोठरी

में रखे गये हैं। पहलेवालीमें अब पागल रहता है। रात्रिको मच्छड़ोंके कारण उन्हें नींद नहीं आती। एक तो वैसे ही डिस्पेप्सियाके कारण नींद नहीं आती दूसरे मच्छड़, फिर क्या कहना है। मच्छड़ोंसे बचनेके लिये यदि ओढ़ना चाहें तो कम्बलका ओढ़ना बिलासपुरकी गर्मीमें असह्य है। सु० जेलने चतुर्वेदीजी को उपरना या पतला कपड़ा ओढ़नेके लिये देनेमें असमर्थता प्रकट की। कानमें दर्द के कारण एक दिन कार्य बन्द करने की आज्ञा मिली थी, फिर दूसरे ही दिन आज्ञा मिली कि काम यदि न करेंगे तो "केरेक्टर" (चाल चलन) खराब लिखा जावेगा। इसलिये यद्यपि दर्द था, तो भी काम कर रहे थे। कान पर पट्टी बंधी हुई थी।

यह भी मालूम हुआ कि उन्हें कोई समाचार पत्र या मासिक-पत्र पढ़नेको नहीं दिये जाते। सु० जेलने पत्रादिक देने की आशा दिलाई है और अब सुना है दिये भी जाने लगे हैं। चतुर्वेदीजीका कथन था कि यदि 'कर्मवीर' के पब्लिशरका डिक्लेरेशन उन्हींके नामसे हो तो 'कर्मवीर'की एक प्रति उनके पास भेजनी चाहिए।

उन्होंने पाँडेजी से अपने कष्ट निवारणार्थ प्रान्तीय सरकारसे किसी प्रकारकी भी याचना न करनेका आग्रह किया है।



श्रीयुक्त सुन्दरलाल जी बी० ए० ।



जेलके कर्मचारियोंका व्यवहार जब्बलपुर, वर्धा और इन तीनों जगह मेरे साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे किसीकी कोई शिकायत नहीं है। हाँ स्वास्थ्य खण्डवा जेल में अभी तक सर्वथा सन्तोषजनक नहीं रहा। २६ मईको मैं वहाँ आया था, उस दिन मेरा वज़न १०५ पौंड था। एक सप्ताह मुझसे कोई काम नहीं लिया गया। ६ जूनको मेरा वज़न १०६ पौंड हो गया। उस दिनसे मुझे सन बटनेको दिया गया। यही काम मैं अभी तक कर रहा हूं। एक सेर सन रोज बटना पड़ता है। काम आसान नहीं। दिन भरकी पूरी मेहनत है। आरम्भमें उंगलियोंमें खूब दर्द हुआ। नीले दाग पड़ गये थे, किन्तु अब बहुत कम हैं। केवल बायें अंगूठेमें एक अजीब तरहकी तकलीफ होती रहती है और थोड़ा थोड़ा दर्द और उंगलियोंमें भी रहता है। फिर भी मैंने अब काम सीख लिया है। पहलेका सा कष्ट नहीं रहा। अब मैं अपना राजका काम पूरा कर लेता हूं। बल्कि कभी कभी कुछ अधिक भी कर लेता हूं। वज़न ६ जूनसे अब तक हर सप्ताह बराबर कुछ न कुछ कम होता जा रहा है। अब मेरा वज़न पूरा १०० पौंड है।—मुझे हृदय-रोग (Dialatation of the heart) है, जो कभी २ आज

कल भी कष्ट दिया करता है। इसके अतिरिक मैं दो बार राजयक्ष्मा (Consumption) का मरीज़ हो चुका हूं। एक १६१२ में और दूसरे १६१७-१८ में। ऐसी हालत में यह गज़बका घटना और कमज़ोरीका बढ़ना कभी कभी कुछ चिन्तित ज़रूर कर देता है, किन्तु विशेषकर जब कि और कोई तकलीफ़ मुझे मालूम नहीं होती। अभी तक उचित यही समझता हूं कि इस मामलेको मैं बिल्कुल सुपरिंटेंडेंट जेलके ऊपर छोड़ दूं जो एक अच्छे डाक्टर भी हैं और विश्वास रखूं कि वे जो कुछ मेरे स्वास्थ्यके लिए सर्वोत्तम समझेंगे वही करेंगे। अभी तक मैं ऐसा ही कर भी रहा हूं। भोजनके लिए मुझे आधा सेर दूध रोज़ और दोनों समय दाल रोटी चावल मिलते हैं। दोनों समय स्नान करनेकी और थोड़ा बहुत बारकसे निकल अहाते में टहल लेनेकी भी इजाज़त है— और सब तरहसे अच्छा हूं।—जितने पत्र मेरे नामके जेल में आते हैं, वे दफ्तरमें जमा होते रहते हैं और महीने में एक बार मुझे दे दिये जाते हैं। महीने में एक बार ही मुझे पत्र लिखनेकी इज़ाजत है और एक बार ही मुलाकात की। फुरसतके समय मुझे पुस्तकें पढ़नेकी इजाजत है और इस इजाज़तका मैं पूरा पूरा प्रयोग करता हूं। पांच किताबें खतम कर चुका हूं। यह सब शरीर और मनके क्षेत्रकी बातें है। सच्ची जागृत-आत्मा पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वज़नके घट

जाने पर भी मेरा हृदय वैसा ही सत्यता, श्रद्धा और प्रेमसे भरा हुआ है और मानव-कल्याणकी वेदी पर बलिके लिए उछला पड़ता है! जीवनकी डोरीके कट जानेका मुझे भय प्रतीत नहीं होता और लोहेके बड़े बड़े सींखचों और काली ऊंची दीवारोंके अन्दर भी मैं अपनेको स्वतंत्र समझता हूं! मुझे अक्सर यही महसूस होता है कि इन सींखचों और दीवारोंके बाहर फिरने वाले अनेक मनुष्य अपनेको आज़ाद समझते हुए भी वास्तव में कैदी हैं, जिन्होंने अपनी आत्माओं को सोनेकी तथा अन्य अनेक प्रकारकी जंजीरोंसे जकड़ रखा है! इन दीवारोंके भीतर रहते हुए भी मेरी आत्मा सच्चे अर्थों में आज़ाद है। इससे अधिक कुछ नहीं लिख सकता



महात्मा भगवानदीन की जेलयात्रा।

(एक दर्शक द्वारा)

—:※:—

पहली अगस्त को ७॥ बजेके लगभग हमलोग जेलमें गये। आज्ञा प्राप्त करनेमें कुछ भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। महात्माजी बेतूलमें आने पर अस्पतालमें रक्खे गये थे। यह स्थान काफी हवादार और लम्बा चौड़ा था। थोड़ी ही देरमें महात्माजी की प्रशान्त मुद्रा सामने दिखाई दी। उस समय जो दशा हम लोगोंकी हुई उसका वर्णन करना इस छोटेसे पत्रमें असम्भव है। महात्माजी केवल एक जांघिया और एक चादरसे शरीर ढके हुए थे। सरकारी कोई भी वस्तु न लेनेका उन्होंने प्रण किया है। नल सर्कारी हैं, सर्कार को उनके लिये पानी देना पड़ता है, इसी कारण पानी भी नल का न लेकर कुएं का पीते हैं। जेल का कुर्ता, कम्बल, कुछ भी नहीं लेते। अपने पैसे ही की चादर और चटाई का प्रयोग करते हैं। यहां कोई दूसरा आदमी बोलने चालने तक को नहीं आता! तथा शरीर दुर्बल और पीला हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत समयसे बीमार हैं। जठराग्निके अत्यन्त निर्बल हो जानेसे केवल फलाहार करते हैं। बहुत कुछ कहने से मठा लेना आरम्भ किया है।

हम 'लोग सींखचों के बाहरसे मिलाये गये। बात चीत आरम्भ हुई। महात्माजी ने अपनी सारी कहानी इस प्रकार सुनाई :—

"सिवनीमें सजा होनेपर मैं सिवनी जेलमें आया। उसी दिन मुझे जब्बलपुर लाया। पकड़े जाने पर मेरा वज़न ११५ पौण्ड था; पर जब्बलपुर जानेसे पहिले १११ पौण्ड रह गया था। मैं जब्बलपुर आ गया पर उस दिन मुझसे किसीने भोजनादि की किसी भी बातके लिये नहीं पूछा गया। दूसरे दिन मेरे सामने जेलका भोजन लाया गया। मैंने जेलका भोजन खानेसे इन्कार कर दिया। तीन दिन तक मैंने कोई भोजन नहीं किया। चौथे दिनसे जेलर द्वारा यह बतलाया जाने पर कि अब बाहरसे भोजन मिलेगा, खाना आरम्भ किया। पर एक कैदीके कहने पर कि खाना जेल ही से आता है और एक जमादारके कैदी की बात की पुष्टि करने पर मैंने जेलर से पूछा। उसने मुझे फिर यही विश्वास दिलाया कि भोजन बाहर से ही आता है, पर शङ्का-समाधान न होनेके कारण मैंने सुपरिण्टेण्डेण्ट से पूछा। उन्होंने सच सच बतला दिया कि खाना जेल ही का है। यह जान कर मुझे बहुत दुःख हुआ और मैंने भोजन छोड़ दिया। अबकी बार ५ दिन तक कुछ न खाया। शरीर बहुत गिर गया। वज़न १०४ पौंड ही रह गया; पर भोजन कर लेना असम्भव था। पांचवां दिन परीक्षा का दिन था।

ऐसा प्रतीत होता था कि शरीर छूट जायगा। हज़ार बहलाने का प्रयत्न करता था, किन्तु बेचैनी दूर न होती थी। उस समय मुझे 'मेकस्विनी' की याद आई। मैं सोचने लगा कि मैकस्विनी ७४ दिन तक जीवित नहीं रह सकता था। कम से कम उसने पानी तो अवश्य लिया होगा। अस्तु। वह दिन कट गया। छठे दिन सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब ने आकर बहुत कुछ समझाया और यह सीख कर गये कि प्रण किसे कहते हैं और वह कैसे पालन किया जाता है! अब श्रीयुत केळकर आये और मुझे बाहर का भोजन दिलाने का प्रबन्ध कर गये। खैर, मैंने खाना आरम्भ कर दिया, पर दो तीन दिन ही के बाद जेल के अधिकारियों ने मुझे बताया कि अब से बाहर का खाना नहीं दिया जायगा, सरकारी आज्ञा है। तीन दिन तक मुझे फिर खाना नहीं दिया गया, मैं भूखा ही रहा। अब तक रस्सी बंटने को दी जाती थी, अब चक्की पीसने की धमकी दी गई। प्रण की परीक्षा के लिये चक्की का दण्ड मैंने सहर्ष स्वीकार किया। सरकारी हुक्म आने पर भी मेरे प्रण की जांच के लिये उन्होंने खाना देना बन्द कर रखा। उनके सब प्रयत्न—फुसलाना और धमकियां, मेरे कठिन दृढ़ संकल्प के आगे तनिक भी न ठहर सकीं। सब कोशिशें फजूल गईं। मुझे बाहर का भोजन मिलना शुरू हो गया। मेरा वज़न ११४ पौंड तक पहुंच गया था। चक्की दी जाने पर १०६ रह गया। अत्यन्त प्रयत्न करने पर भी मैं

१० सेर आटा नहीं पीस सकता था। पीसते पीसते जब प्यासा हो जाता था तो चक्की छोड़ते ही आकर भोजन न करके डट कर पानी पी लेता था। इसी ने मुझे नुकसान पहुंचाया और यही कारण था कि आगे चल कर मेरी जठराग्नि इतनी मन्द हो गई। कुछ दिन तक मुझे सेल (Cell) में रक्खा गया था, किन्तु स्वास्थ्य खराब होने पर मुझे रहनेके लिये (European ward) यूरोपियन वार्डमें स्थान दिया गया। वहां रहनेके थोड़े ही समय बाद मुझे बेतूल भेज दिया गया। अब मेरा वज़न १०७ पौण्ड है। यद्यपि मैं वज़न में इतना घट गया हूं और कमज़ोर दिखलाई देता हूं, जिसका कि कारण मैं अब तक नहीं खोज पाया हूं और न खोजने के प्रयत्न में ही हूं, मैं समझता हूं मुझमें ताकत उतनी ही बनी हुई है जितनी कि पहिले थी। (यह कहते कहते उन्होंने अपना हाथ मेरे सामने फैला दिया और कहा कि देखलो मेरा शरीर कितना मजबूत और कितना सख्त है) रस्सी बटने का काम है। १ सेर सन मुझे रोज़ाना दिया जाता है जिसे कि मैं बड़ी आसानीसे झटपट खतम कर डालता हूं। खाली वक्त मिलता है तो मैं ध्यान लगाता हूं। ध्यानमें मुझे बड़ा आनन्द आता है। नहीं तो किताब ही पढ़ता रहता हूं। किताब मुझे धार्मिक ही दी जाती हैं। मुझे यहां बड़ा आराम है और हर तरहके आराम देनेकी कोशिश की जाती है। सरकार तो मुझे सब कुछ देती है, किन्तु मैं उसे अस्पृश्य समझकर दूर ही रखता

हूं। कहीं भी किसी जेलके अधिकारीने मेरे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया और न ऐसा करनेकी किसी तरहकी इच्छा ही प्रकट की। उन्होंने मुझे सहानुभूतिकी दृष्टिसे देखा और मैंने भी देखा कि उस सहानुभूतिमें अन्तःकरणके प्रति अपराधित्व और तदर्थ पश्चात्ताप की स्वीकारिता की पूरी पूरी झलक थी।"

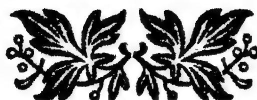
मेरे पूछने पर कि आप अपने देश भाइयोंके लिये कुछ कहना चाहते हैं? महात्माजी ने कहा कि "मुझे विशेष कहना नहीं है। बस यह समय है कि सब पूरी तरहसे जुट पड़ें और सदा यह ध्यानमें रक्खें कि Self Government is never demanded, it is earned." हां, उन्होंने कहा, "लोग इस तरहसे मिलकर मुझे तङ्ग मत करो। न मुझे किसी तरहके पत्र ही लिखो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलनेके लिये ऐसी सरकारसे इजाज़त मांगो, जिससे कि तुम असहयोग करने को कहते हो! जेलमें रहकर मिलने और पत्र लिखनेमें क्या आनन्द? मिलना वह होगा और उसी मिलनेमें आनन्द भी होगा जब कि हम स्वतन्त्र होंगे। मैं पूरी तरहसे आनन्दमें हूं और रहूंगा। और क्या चाहते हो, बस मुझे एकान्तमें रहने दो।"

सुन्दरलाल जी और चतुर्वेदीजी की बात छिड़ने पर उन्होंने उनके स्वास्थ्य के विषयमें विशेष चिन्ता प्रकट की। सुन्दरलाल जीके बारेमें उनके ये शब्द थे—"सुन्दरलालजीका खूब ख़याल

रखना। उसने बचपनमें संखिया खा लिया था। अगर उसे आध पाव घी रोज न मिला तो वह मर जायगा। जा कर उस के लिये घी का इन्तज़ाम जरूर करा देना।"

उनको सिर्फ तीन घण्टे भोजन पकानेके लिये अपने कमरेसे बाहर आनेकी आज्ञा मिलती है। उनको किसी भी आदमीसे मिलने नहीं दिया जाता। उनके कपड़ों में रखी हुई पीली टोपीसे मालूम हुआ यह Third Class की कैदियोंकी श्रेणीमें रखे गये हैं। और कैदियोंके समान उनके गलेमें टिकट नहीं था। पहले उनको कागज़ पेन्सिल मिलनेकी इजाज़त नहीं थी, किन्तु अब वे कागज पेन्सिल रख सकते हैं।

हर बातसे महात्माजीकी अनुपम शक्ति टपकती थी। समय आया और हम लोगोंको अपनी आराध्य मूर्तिसे बिछुड़ना पड़ा। और देखते ही देखते दाढ़ी विहीन और पीला, किन्तु तेजस्वी और प्रसन्न मुखमण्डल—विलुप्त हो गया।





तपोनिष्ठ श्रीअरविन्द घोष।
(अलीपुर बम-केसके विचार-कालमें एक वर्ष का कारावास भोगकर आनेके समय।)

तपोनिष्ठ अरविन्द घोषकी—

कैद-कहानी ।



मैं पहिली मई सन् १९०८ ई० को शुक्रवारके दिन "बन्देमातरम्" पत्रके दफ्तरमें बैठा हुआ था, उसी समय श्रीयुक्त श्यामसुन्दर चक्रवर्तीने मुजफ्फरपुरका एक टेलिग्राम (तार खबर) मेरे हाथमें दिया। उसको पढ़कर मुझे मालूम हुआ कि "मुजफ्फरपुरमें एक बमका गोला चलाया गया है, जिससे कि दो मेमोंकी मृत्यु हुई।" उसी दिनके "एम्पायर" नामक अङ्गरेजी सम्वादपत्रमें यह भी पढ़ा कि पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि "जो जो लोग इस हत्याके काममें मिले हुए हैं उन सबको हम खूब जानते हैं और वे शीघ्र ही गिरिफ्तार किये जायंगे।" उस समय मैं यह नहीं जानता था कि मैं ही उनके इस सन्देहका मुख्य निशाना हूं, मैं ही पुलिसके विचारमें प्रधान हत्याकारी हूं, राष्ट्र विप्लव चाहने वाले युवकदलोंका मन्त्रदाता और गुप्तनेता मैं ही समझा जाता हूं। मैं यह न जानता था कि आजका दिन मेरे जीवनके एक खण्डका अन्तिम पृष्ठ है, मेरे सन्मुख एक वर्षका कारावास है,

इस समयसे ही मनुष्य जीवनके साथ जो कुछ बन्धन हैं, सब छिन्न भिन्न होंगे, एक वर्षके लिये मनुष्यसमाजसे बाहर पशुओंके समान पिञ्जरेमें बन्द रहना पड़ेगा और फिर जब कर्मक्षेत्रमें लौटकर आऊंगा तो वह पुराना परिचित अरविन्द न हूंगा, किन्तु एक नया मनुष्य, नया चरित्र, नई बुद्धि, नया प्राण, नया मन लेकर और एक नये कार्यकी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर अलीपुरके 'आश्रम' से बाहर हूंगा। मैंने ऊपर "एक वर्षका कारावास"—शब्दका प्रयोग किया है, परन्तु उसे एक वर्षका वनवास अथवा एक वर्षका आश्रमवास कहना चाहिये। बहुत दिनोंसे मैं हृदयस्थ नारायणके साक्षात दर्शन करनेकी प्रबल चेष्टा कर रहा था। मेरे हृदयमें उत्कट आशा बनी हुई थी कि जगद्धाता पुरुषोत्तमको बन्धु-भावसे अथवा प्रभुभावसे प्राप्त करूं, किन्तु संसारकी सहस्रों वासनाओंके बन्धन, विविध कर्मोंमें आसक्ति और अज्ञानताके अन्धकारके कारण सफलता न हो सकी। अन्तमें परमदयालु सब मङ्गलमय श्रीहरि ने इन सब शत्रुओंको एक ही बारमें समाप्त कर मेरे लिये सुविधा कर दी। उन्होंने मुझे योगाश्रम दिखलाया और स्वयम् गुरु रूपसे, सखारूपसे उस क्षुद्र साधनकुटीर में आ उपस्थित हुए। वह आश्रम अङ्गरेजोंका कारागार था।—मैं अपने जीवनमें सदासे यह एक आश्चर्यकी बात देखता आया हूं कि मेरे परम हितैषी मित्र मेरा कितना ही उपकार क्यों न करें, तो भी उनकी निस्बत अनिष्टकारी लोगोंसे—शत्रु किसको कहूं

मेरा कोई शत्रु है ही नहीं—जो हो, शत्रुओंसे ही मेरा उपकार अधिक होता रहा है। उन लोगोंने मेरा अनिष्ट करना चाहा, परन्तु मेरे लिये इष्ट हुआ। बृटिश गवर्नमेण्टकी कोप दृष्टिका एकमात्र फल यह फला कि मैंने भगवानको पाया। इस लेखके प्रकाश करनेमें मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने कारावास के आन्तरिक जीवनका हाल लिखूं, किन्तु इस समय केवल दो एक ऊपरी घटनाओंके वर्णन करनेकी ही इच्छा है। कारा-वासका मुख्यभाव लेखके आरम्भमें ही प्रकट कर देना उचित समझा, जिससे कि पाठक यह न समझें कि कारावासमें केवल कष्ट ही कष्ट था। मैं यह नहीं कहता कि कष्ट न था, किन्तु निःसन्देह मेरा अधिकांश समय आनन्दसे ही व्यतीत होता था।

शुक्रवारकी रातको मैं निश्चिन्त मन हो सोरहा था। भोर होनेपर प्रायः पांच बजे मेरी बहिन घबराई हुई मेरे कमरेमें आई और नाम लेकर मुझे पुकारने लगी। मैं जाग उठा, एक क्षण भरमें मेरा छोटासा कमरा शस्त्रधारी पुलिसवालोंसे भर गया। उनमें सुपरिण्टेण्डेण्ट क्रेगन, २४ परगनाके क्लार्क साहब हमारे सुपरिचित श्रीमान् विनोदकुमारगुप्त की आनन्दमयी और लावण्यमयी मूर्त्ति, कई एक इन्सपेक्टर, सिपाही, डिटेक्टिव और खाना तलाशीके गवाह भी थे। ये सब लोग अपने

हाथोंमें पिस्तौल लिये हुए ऐसी वीरताके साथ दौड़े हुए आये, मानों उन्हें किसी तोपों और बन्दूकोंसे सुरक्षित दुर्ग में दखल करना था! मैंने अपनी आंखोंसे तो नहीं देखा, परन्तु पीछे से सुना कि एक सफेद चमड़े वालेने मेरी बहिनकी छाती पर भी पिस्तौल रख दिया था। मैं बिछौनेपर बैठा हुआ था, मेरी आंखोंमें नींद भरी थी, उसी समय क्रेगन साहबने मुझसे पूछा कि "अरविन्द घोष कौन हैं?" मैंने उत्तर दिया,—हां मैं ही अरविन्द घोष हूं। यह सुनते ही उन्होंने एक सिपाहीको मुझे गिरिफ्तार करनेकी आज्ञा दी। इसके अनन्तर क्रेगनने एक ऐसी अभद्र बात कही, जिसपर हम दोनोंमें कुछ वादविवाद भी हो गया। मैंने खानातलाशीका वारण्ट मांगा और पढ़कर उसपर दस्तखत किये, वारण्टमें बमकी बात देखकर मैं समझ गया कि आज यहां इस पुलिस-सेनाका आना मुजफ्फरपुरके खूनसे कुछ सम्बन्ध रखता है, परन्तु मेरी समझमें यह बात न आ सकी कि कोई बमका गोला या अन्य स्फोटक पदार्थ मेरे मकानमें पाये जानेके पहले ही और बिना मेरे नाम किसी वारण्ट (Body warraut) के मुझे क्यों गिरिफ्तार कर लिया गया। परन्तु इस बारेमें मैंने कुछ भी आपत्ति न की। उसके पीछे क्रेगन साहबके हुकुमसे मेरे हाथोंमें हथकड़ी और कमरमें रस्सी बांध दी गयी। एक हिन्दोस्तानी सिपाही उस रस्सीको पकड़े हुए मेरे पीछे खड़ा रहा।

उसी समय श्रीयुत अविनाशचन्द्र भट्टाचार्य और श्रीयुक्त शैलेन्द्र बाबूको पुलिस ऊपर ले आई, उनके भी हाथोंमें हथकड़ी और कमरमें रस्सी बंधी हुई थी। आध घण्टे पीछे—न जाने किसके हुकुमसे—पुलिसने हम लोगोंके हाथोंकी हथकड़ियां और कमरकी रस्सियां खोल दीं। क्रेगन साहबकी बातोंसे यह प्रकट होता था कि मानो वह किसी खूंखार जानवरकी मांदमें घुसे हैं और हम लोग अशिक्षित, हिंसक और स्वभावसे ही कानूनके तोड़नेवाले मनुष्य हैं। हम लोगोंके साथ अच्छा व्यवहार करना अथवा हमारे साथ भले 'आदमियों कीसी बातें करना क्रेगन साहब निष्प्रयोजन समझते थे, परन्तु मुझसे झगड़ा होनेपर वे कुछ शान्तसे हो गये थे। विनोद बाबूने न जाने हमारे विषयमें उन्हें क्या समझाया, उसके पीछे ही क्रेगनने मुझसे कहा "मैंने सुना है कि आपने बी० ए० पास किया है। आप ऐसे शिक्षित मनुष्योंके लिये ऐसे मकानमें और शय्याहीन कमरेमें रहना और जमीन पर सोना क्या लज्जाजनक नहीं है।" मैंने उत्तर दिया—"मैं दरिद्र धनहीन हूं, दरिद्रोंके समान ही रहता हूं।" साहबने गरजकर कहा "तो क्या आपने धनवान बननेके लिये ही यह सब षड़्यन्त्र रचा है?" मैंने समझ लिया कि देश-हितैषिता, स्वार्थत्याग और दारिद्र्यव्रतका महात्म्य, इस स्थूल-बुद्धि वाले अङ्गरेजको समझाना दुःसाध्य है, इसी लिये मैंने इसकी चेष्टा भी न की।

इस समय खानातलाशी हो रही थी। यह भोरको साढ़े पांच बजे आरम्भ हुई और प्रायः साढ़े ग्यारह बजे समाप्त हुई। बाक्सके बाहर या भीतर जो कुछ कापी, चिट्ठी, पत्री, काग़ज, काग़ज़का टुकड़ा, कविता, नाटक, पद्य, गद्य, प्रबन्ध, अनुवाद आदिक मिलता था, उसमेंसे कोई वस्तु भी इन सर्वग्रासी खानातलाशीवालोंसे बच न सकती थी। खानातलाशीके गवाहोंमें एक महाशय "रक्षित" भी थे, वे कुछ उदास दीख पड़ते थे। उन्होंने बड़े दुःखके साथ मुझसे कहा कि "पुलिस अचानक विना कुछ कहे सुने मुझको यहां पकड़ लाई है। मुझको इसकी कुछ भी खबर न थी कि ऐसे घृणित कार्यमें मुझे सहायता करनी पड़ेगी।" रक्षित महाशयने बड़े ही करुणभावसे इस हरणकाण्डकी कथा सुनाई। समरनाथ नामक दूसरे गवाहका भाव कुछ और ही था, वह बड़ा फुर्तीके साथ एक सच्चे राजभक्तके समान खानातलाशीके कार्यको सुसम्पन्न करा रहा था। मानो to the manner dorn. खानातलाशीके समय और कोई विशेष लिखने योग्य घटना नहीं हुई। केवल एक छोटी सी बात याद पड़ती है कि दक्षिणेश्वरकी थोड़ी सी मिट्टी एक छोटे कार्डबोर्डके बाक्समें रक्खी हुई थी, क्लार्क साहब बड़े सन्दिग्ध चित्त हो उस मिट्टीको बहुत देर तक देखते रहे मानो वे उसको एक नया भयङ्कर स्फोटक पदार्थ समझते थे। एक हिसाबसे क्लार्क साहबका यह सन्देह

बेबुनियाद नहीं कहा जा सकता, परन्तु अन्तमें यह बात मान ली गई कि वह मिट्टीके सिवा और कुछ न था तथा रासायनिक विश्लेषणकारियोंके निकट उसको भेजनेकी कोई आवश्यकता न थी। खानातलाशीके समय सिवाय बाक्स खोलनेके मैंने और कुछ नहीं किया, मुझको कोई काग़ज अथवा पत्र भी दिखलाया वा सुनाया नहीं गया। केवल अलकधारीजीका एक पत्र क्लार्क साहबने अपने मनोरञ्जनके लिये उच्चस्वरसे पढ़ा था। प्रियबन्धु विनोदगुप्त अपने स्वाभाविक ललित-पदविन्याससे घरको विकम्पित कर रहे थे। अलमारी या किसी अन्य स्थानसे समय समय पर जो काग़ज, पत्र निकालते, उसको "अति प्रयोजनीय! अतिप्रयोजनीय!!" कहकर क्रेगन साहबके हवाला करते थे। मैं नहीं समझ सका कि ये अति प्रयोजनीय काग़ज क्या थे और न उसके जाननेकी मुझको उत्कण्ठा ही थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे मकानमें विस्फोटक पदार्थ बनाने अथवा षड्यन्त्र रचनेके सम्बन्धका कोई काग़ज होना असम्भव था।

पुलिस हमारे कमरेकी अच्छी तरह तलाशी लेनेके पीछे हम लोगोंको पासके कमरेमें ले गई। क्रेगन साहबने उस दूसरे कमरेमें जाकर मेरी छोटी मौसीके बाक्सको खोला, दो एक बार उनकी चिट्ठियोंपर दृष्टि डाली और फिर यह कहकर कि "औरतों

की चिट्ठियां लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।" उन पत्रोंको वहीं छोड़ दिया ! इसके बाद पुलिस सबसे नीचेकी मंज़िल पर आई; यहां पर क्रेगन साहबने चाय पानी किया। मैंने भी एक प्याला कोको और थोड़ी सी रोटी खाई। इस समय साहब अपने राजनीतिक विचारोंको युक्ति और तर्कसे साबित करनेकी चेष्टा करने लगे। मैं अविचलित चित्तसे इस मानसिक कष्टको सहता रहा। यदि यह बात मान भी ली जावे कि शरीर पर अत्याचार करना पुलिसकी सनातनप्रथा है, तो भी चित्तके ऊपर ऐसा अमानुषिक अत्याचार करना न जाने किस(Unwritten law) बिना लिखे कानूनकी सीमामें आता है। मैं आशा करता हूं कि हमारे परम मान्यवर देशहितैषी श्रीयुक्त योगेन्द्रचन्द्रघोष इस विषयमें व्यवस्थापक सभामें प्रश्न उठावेंगे।

जब पुलिस नीचेके कमरों और "नवशक्ति" संवादपत्रके दफ्तरकी अच्छी तरह तलाशी ले चुकी, तब फिर एक लोहेका सन्दूक खोलनेके लिये दो मञ्जिले पर गई। यह सन्दूक "नवशक्ति" के दफ्तरका था। परन्तु आध घण्टा चेष्टा करनेपर भी जब सन्दूक न खुल सका, तब उन्होंने उस सन्दूकको थाने पर ले-आना ही ठीक समझा। इस समय पुलिसके एक साहबने मकानमें से एक दो चक्का विमान (बाइसिकल) ढूंढ़ निकाला। उस बाइसिकल पर "कुष्टियार" रेलवे स्टेशनका लेबिल लगा हुआ

था। फिर क्या था! उन्होंने यह समझ कर कि कुष्टियारके साहबको जिसने गोलीसे मारा है,यह बाइसिकल उसीका है, बड़े आनन्दके साथ उस दृढ़ प्रमाणको अपने साथ ले लिया!

प्रायः साढ़े ग्यारह बजे हम लोग अपने मकान से चले। फाटक के बाहर मेरे मौसा और श्रीयुत भूपेन्द्रनाथ बसु गाड़ीपर बैठे हुए दिखाई दिये। मौसाजीने पूछा "कहो किस अपराधमें गिरिफ्तार हुए हो।" मैंने उत्तर दिया "मैं कुछ नहीं जानता, ये लोग मेरे घरमें घुसकर मुझे पकड़ लाए हैं, मेरे हाथोंमें हथकड़ी डाल दी गई, परन्तु कोई मेरे नामका वारण्ट(Body warrant)मुझे नहीं दिखलाया गया।" मेरे मौसाने हाथोंमें हथकड़ी डालनेका कारण पूछा, उसपर विनोद बाबूने कहा "महाशय, मेरा इसमें कुछ भी अपराध नहीं है, आप अरविन्द बाबूसे पूछ सकते हैं कि मैंने स्वयं साहबसे कहकर उनके हाथोंकी हथकड़ी खुलवादी थी।" जब भूपेन्द्र बाबूने मेरा अपराध पूछा तो गुप्त महाशयने 'नरहत्या' की धारा (Section) दीखादी। यह सुनते ही भूपेन्द्र बाबू एक बारगी हक्के बक्केसे रह गये और कुछ उत्तर न दे सके। बाद को मैंने यह भी सुना कि हमारे वकील (Solicitor) श्रीयुत हीरेन्द्रनाथदत्तने ग्रे स्ट्रीटसे आकर हमारी ओरसे तलाशीके समय उपस्थित रहनेकी इच्छा प्रकट की थी, परन्तु पुलिसने उनको भी लौटा दिया था।

विनोद बाबू हम तीनोंको थानेपर लेजानेके लिये नियत हुए, उन्होंने थाने पहुंचकर हम लोगोंके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। हम लोग थानेपर ही पहुंच नहा धोकर और भोजन करके लाल बाजारकी ओर रवाना हुए। कई घण्टे लाल बाजारमें बैठाए रखनेके पीछे हम लोग रायड स्ट्रीटमें पहुंचा दिये गये। सायङ्काल तक हम लोगोंने अपना समय उस शुभ स्थान में ही बिताया। रायड स्ट्रीटमें ही डिटेक्टिव पुङ्गव मौलवी शमशुलउलमा से हमारी पहली बार मुलाकात हुई और आपसमें कुछ प्रीति भी स्थापन हो गई। उस समय तक मौलवी साहबका इतना प्रभाव अथवा उनमें इतना उत्साह न था, क्योंकि न तो वे बमके मामले के प्रधान खोज लगानेवाले ही थे और न नार्टन साहबके(prompter) अथवा साक्षात स्वयं स्मरणशक्ति ही थे। इस समय तक रामसदय बाबूही इस सब मामले के पण्डे थे। मौलवी साहबने मुझे धर्म्म सम्बन्धी बहुत कुछ उपदेश किया, उन्होंने कहा कि "हिन्दू और इस्लाम दोनों धर्मों का मूल मन्त्र एक ही है, हिन्दुओंके ओंकारकी तृमात्रा अ, उ, म् और कुरानके पहिले तीन अक्षर अ,ल,म् एक ही हैं, भाषा-तत्वके नियमानुसार ल के स्थान पर उ का इस्तेमाल होता है। इस लिये हिन्दू और मुसलमान दोनोंका मन्त्र एक ही है। तथापि अपने अपने धर्म को अलग रखना चहिये। मुसलमानोंके साथ भोजन करना हिन्दुओंके लिये निन्दनीय है, परन्तु सत्यवादी होना धर्म का एक अङ्ग है, साहब

लोग कहते हैं कि अरविन्द घोष हत्याकारियोंके दलके नेता हैं, भारतवर्षके लिये यह बड़े दुःख और लज्जाकी बात है, परन्तु सच बोलनेसे बचत (Sit'ation save) हो सकती है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि विपिन बाबू और अरविन्दघोषके समान उच्च-चरित्रके लोग कुछ ही क्यों न करें, वे मुक्त कण्ठसे अवश्य सब स्वीकार कर लेवेंगे।" श्रीयुत पूर्णचन्द्र लाहड़ी वहांपर उपस्थित थे, उन्होंने इस विषयमें सन्देह प्रकट किया, किन्तु मौलवी साहबने अपनी रायको न छोड़ा। मौलवी साहबकी विद्या, बुद्धि और उनके धर्मभावकी प्रबलताको देख मुझे बड़ा आश्चर्य और आनन्द हुआ। उस समय अधिक बोलनेमें धृष्टता समझ कर मैंने नम्रभावसे ही उनके अमूल्य उपदेशको सुना और अपने हृदयमें बड़े यत्नसे उसको अङ्कित कर लिया! धर्ममें इतने उन्मत्त होने पर भी मौलवी साहबने डिटेक्टिवगिरी नहीं छोड़ी! उन्होंने मुझसे कहाः—

"आपने अपने छोटे भाई बारीन्द्रकुमार घोषको बम बनानेके लिये अपना बगीचा देनेमें बड़ी ही भूल की—यह बुद्धिमान मनुष्योंका सा कार्य नहीं है।" उनकी बातका मतलब समझकर मैंने हंसकर उत्तर दिया कि,—"महाशय, बाग जैसा मेरा है, वैसे ही मेरे भाईका है। मैंने यदि उसको बाग दे दिया था तो आपको यह खबर कैसे लगी कि बम बनानेके लिये ही दिया था।" यह

सुनते ही मौलवी साहब कुछ झेंपसे गये और कहने लगे, 'नहीं नहीं, मेरा मतलब यह था कि आपने शायद ऐसा किया हो।' इसके पीछे इस महात्माने अपने जीवनका एक पृष्ठ मुझे खोलकर दिखाया और कहाः—मेरी इस जीवनमें जो कुछ नैतिक वा आर्थिक उन्नति हुई है, उसका मूल कारण केवल मेरे पिताका एक अमूल्य उपदेश है, वे सर्वदा कहा करते थे कि सामनेके अन्नको कभी नहीं छोड़ना चाहिये—यही महावाक्य मेरे जीवनका मूलमन्त्र रहा है और इसके अनुसार चलना ही मेरी समस्त उन्नतिका कारण है।' यह बातें कहते समय मौलवी साहबने जिस तीव्रदृष्टिसे मेरी ओर देखा, उससे यही प्रतीत होता था कि मानों मैं ही उस समय उनके सामनेका अन्न था। सन्ध्याके समय स्वनाम-ख्यात श्रीयुत रामसदय मुखोपाध्याय महाशयका आविर्भाव हुआ। उन्होंने हमारे लिये अत्यन्त दया और सहानुभूति प्रकट की और सबको हमारे अहार और शय्याके विषयमें ताकीद करदी। मुहूर्त भरमें ही कई एक आदमी मुझे और शैलेन्द्रको लालबाजारकी हवालातमें लेजानेके लिये आये, उस समय खूब जोरसे पानी बरस रहा था और हवा चल रही थी। रामसदय बाबूसे केवल इस समय ही एक बार मेरी बात चीत हुई थी। उसीसे मैंने समझ लिया कि वे बड़े बुद्धिमान और उद्यमशील पुरुष हैं, किन्तु उनकी बात चीत, चाल ढालसे यह साफ प्रतीत होता था कि यह सब कृत्रिम और अस्वाभाविक है। ऐसा मालूम होता था कि मानों वे किसी नाटक

के तमाशे (Theatre) में अभिनय कर रहे हैं। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनका शरीर वाक्य और चेष्टा मानो सब अनित्य-का अवतार ही होता है। ये लोग कच्चे दिलके मनुष्योंपर अपना प्रभाव बड़ी सहज रीतिसे जमा लेते हैं। किन्तु जो लोग मनुष्य-चरित्रको समझते हैं अथवा बहुत दिनोंसे मनुष्य समाजमें उठते बैठते रहे हैं, उन लोगोंके सामने ऐसे मनुष्योंका चरित्र पहिले परिचयमें ही खुल जाता है

शैलेन्द्र और मैं दोनों लाल बाजारके थानेमें दो मञ्जिलेपर एक बड़े कमरेमें रखे गये। वहां पर हम लोगोंको भोजन न कराकर थोड़ासा जलपान मात्र करा दिया गया। थोड़ी देरके पीछे दो अङ्गरेजोंने मेरे कमरेमें प्रवेश किया, बादको मैंने सुना कि उनमेंसे एक पुलिस कमिश्नर हैलिडे साहब थे। हैलिडे साहब हम दोनों को एक साथ देखकर सारजेण्ट पर अत्यन्त क्रोधित हुए और मेरी ओर संकेत करके कहने लगेः—"खबरदार! इस आदमीके साथ कोई दूसरा रहने अथवा बात चीत न करने पावे" उसी समय शैलेन्द्र एक दूसरे कमरेमें ले जाकर बन्द कर दिया गया। जब सब लोग वहांसे चले गये तब हैलिडे साहबने मुझसे पूछाः—"क्या इस कापुरुषोंके योग्य दुष्कार्य में लिप्त होनेपर आप को लज्जा नहीं आती?" मैंने उत्तर दिया कि "आपको इस बातके मान लेनेका क्या अधिकार है कि मेरा काममें

सम्बन्ध था" हैलिडे साहबने कहाः—"यह केवल मान ही नहीं लिया है ; किन्तु मैं सब कुछ जानता हूं।" मैंने उत्तर दिया कि "आप जानते हों वा न जानते हों; किन्तु मैं कदापि नहीं मान सकता कि मेरा इस हत्याकाण्डसे कुछ भी सम्बन्ध है।" हैलिडे साहबने फिर कुछ उत्तर न दिया।

उसी रातको और भी कई सज्जन मुझे देखनेके लिये आये। ये सब भी पुलिसवाले ही थे। इन लोगोंके आनेमें कोई रहस्य अवश्य था, जिसका मैं आजतक पता न लगा सका। मेरी गिरिफ्तारीसे डेढ़ मास पहले एक अपरिचित भद्र पुरुष मुझसे मिलनेको आये थे, उन्होंने उस समय मुझसे कहा था कि "महाशय! आपके साथ मेरा परिचय नहीं है; परन्तु मेरी आप पर बड़ी भक्ति है, इसी कारण मैं आपको सावधान करनेके लिये आया हूं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका कोननगर (बङ्गालके एक नगरका नाम) में किसीके साथ परिचय है? आप क्या वहां कभी गये थे? क्या वहां आपका कोई मकान है?" मैंने कहा कि "मेरा वहां मकान नहीं है; किन्तु एक बार मैं वहां गया था और उस समय कई मनुष्योंसे मेरा आलाप परिचय भी हुआ था।" उन्होंने कहाः—"मैं और कुछ न कहूंगा केवल इतना ही कहता हूं कि अबसे आप कोननगरके किसी मनुष्यके साथ मुलाकात न कीजियेगा। वहां आप और

आपके भाई बारीन्द्रके विरुद्ध दुष्ट लोग षड्यन्त्र रच रहे हैं और शीघ्र यी आप दोनोंको विपद्में फंसानेवाले हैं और कोई बात मुझसे पूछिये ।" मैंने कहा "महाशय ! इस सम्पूर्ण सम्वादसे मेरा क्या उपकार है ? फिर भी जब आप मेरा उपकार करने आये हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं भी इस विषयमें और कुछ नहीं जानना चाहता, भगवान्के ऊपर मेरा पूर्ण विश्वास है, वही मेरी सदा रक्षा करेंगे । इस विषयमें स्वयम् कुछ चेष्टा करना अथवा सावधान होना तो निष्प्रयोजन है ।" इस घटनाके पीछे उस विषयकी मुझे कुछ खबर न मिल सकी, आज रातको मुझे इसका पता लगा कि मेरे उस अपरिचित हितैषी की कल्पना मिथ्या न थी । एक कोतवाल (Inspector) और कईएक पुलिस कर्मचारियोंने आकर कोननगरके बारेमें ये दो बातें पूछीं:—"कोननगर क्या आपका आदि स्थान है ? क्या आपका वहां कोई मकान है ? वहां कभी गये थे ? यदि गये थे, तो कब और क्यों ? क्या बारीन्द्रकी कोननगरमें कुछ सम्पत्ति है ?" इसी प्रकार कई एक प्रश्न उन लोगोंने मुझसे पूछे । इनकी सब बातका मर्म जाननेके लिये मैं इन सब प्रश्नोंका उत्तर देता रहा, परन्तु इसमें मुझे कुछ भी सफलता न हुई । पुलिसके प्रश्नों और उनकी बात चीतसे केवल यह बात समझमें आयी कि पुलिसको किसी बातकी खबर लगी है और वह बात सत्य है या असत्य, इसका अनुसान्धान हो रहा है । मैंने अनुमान किया कि

जैसे महाराजाके मुकद्दमे में श्रद्धास्पद तिलकको झूठा, पाखण्डी, प्रवञ्चक या अत्याचारी प्रतिपन्न करनेकी चेष्टा की गयी थी और उस चेष्टामें बम्बईकी सरकारने मिलकर प्रजाके धनको नष्ट किया था, उसी प्रकार यहांपर भी कई एक मनुष्य हमको विपद्में फंसानेकी चेष्टा कर रहे हैं।

रविवारका समस्त दिन जेलमें ही कटा, हमारे मकानके सन्मुख एक सीढ़ी थी, सुबहको मैंने देखा कि एक थोड़ीसी उमरके युवक सीढ़ीसे उतर रहे हैं, उनको मैं पहचानता न था, किन्तु अनुमानसे मैंने समझ लिया कि ये लोग भी इसी मुकद्दमेमें पकड़े हुए हैं। पीछेसे मालूम हुआ कि ये सब लड़के मानिकतल्ला बाग के थे। एक महीने पीछे जेलमें ही इन लोगोंसे मेरा परिचय भी हुआ। थोड़ी देर बाद हाथ मुंह धोनेके पीछे मुझे नीचे ले गये। परन्तु नहानेका कुछ प्रबन्ध न था इस कारण मैं स्नान न कर सका, उस दिन प्रातःकाल मुझे केवल उबली हुई दाल और भात भोजन करनेको मिला। बड़ी कठिनाईसे एक दो ग्रास ज्यों त्यों कर पेटमें डाला; परन्तु अन्तमें उसे छोड़ देना ही पड़ा। सन्ध्या समय भोजनके लिये केवल लाई मिली। तीन दिन तक हम लोगोंका यही आहार था; किन्तु सोमवारको सारजण्टने मुझ पर प्रसन्न हो चुप चाप चाय और रोटी खानेको दी।

बादको मैंने यह भी सुना कि मेरे वकील साहबने कमिश्नर

साहबसे मेरे घरसे भोजन भेजे जानेके लिये इजाजत मांगी थी ; परन्तु हैलिडे साहब इसपर सहमत न हुए। यह भी सुननेमें आया कि उन असामियोंके वकील अथवा एटरनी भी उन लोगोंके साथ मुलाकात नहीं कर सकते थे। मैं नहीं जानता कि यह निषेध किस कानूनके अनुसार था ? निःसन्देह वकीलकी सलाह मिलनेसे मुझे कुछ सुविधा अवश्य होती, फिर भी मुझे इससे कुछ विशेष प्रयोजन न था ; परन्तु और बहुतेरोंके मुकद्दमोंमें इस बातसे हानि अवश्य पहुंची है। सोमवारके दिन हम लोगोंको कमिश्नर साहबके सामने उपस्थित किया गया। हम लोगोंको भिन्न भिन्न दलोंसे ले गये। मेरे साथ शैलेन्द्र और अविनाश थे। हम तीनों अपने पूर्व जन्मके सञ्चित पुण्य कर्मों के कारण कुछ पहले गिरफ्तार हो जानेसे कानूनकी जटिलताको कुछ कुछ समझते थे और इसी कारण कमिश्नर साहबके सामने हरेक बातके प्रकट करनेसे हम लोगोंने इनकार किया। दूसरे दिन हम लोगों को मजिस्ट्रेट थार्नहिलके इजलासमें ले जाया गया। इस समय श्रीयुक्त कुमार कृष्णदत्त, मेन्युएल साहब और मेरे एक नातेदारसे हमारी पहली मुलाकात हुई। (Manual) साहबने मुझसे पूछा कि पुलिस कहती है कि "आपके मकानमें बहुतसे सन्देह-जनक लेख मिले हैं। क्या इस प्रकारकी कोई चिट्ठी अथवा कागज आपके यहां था ?" मैंने उत्तर दिया कि "बिना किसी सन्देहके मैं कह सकता हूं कि ऐसे किसी कागज वा चिट्ठीका

मेरे मकानमें रहना नितान्त असम्भव है।" हां! उस समय मिष्टान पत्र (Sweets Letter) अथवा (Scribbling) की बातका मुझे पता न था, मैंने अपने नातेदारसे कहा :—"घरमें कह दीजियेगा कि किसी प्रकारका भय न करें। मेरी निर्दोषिता सम्पूर्ण रूपसे साबित हो जायगी।" मेरे हृदयमें यह दृढ़ विश्वास था कि मैं सम्पूर्ण रूपसे निर्दोषी प्रमाणित हूंगा। पहले पहल निर्ज्जन कारावासमें मेरा मन कुछ कुछ विचलित हुआ, किन्तु तीन दिनकी प्रार्थना और ध्यानके पीछे निश्चला शान्ति व अविचलित विश्वासने फिरसे मेरे पासमें आ सिंहासन जमाया।

मेरी कोठरी नौ फुट लम्बी और पांच छः फुट चौड़ी थी, इसमें कोई खिड़की न थी, इसके सामने बड़े बड़े लोहेके सींखचे लगे हुए थे, यह पिञ्जरा ही मेरे रहनेकी जगह थी। कमरेके बाहर एक पक्का आंगन और ईंटोंकी ऊंची ऊंची दीवारें थीं। सामने लकड़ीका एक बड़ा दरवाजा था, उस दरवाजेमें मनुष्यकी आंखोंकी ऊंचाईपर छोटे छोटे गोल सूराख बने हुए थे। जिस समय दरवाज़ा बन्द कर दिया जाता था, उस समय पहरेवाले उन सूराखों से झांक झांककर देखा करते थे कि कैदी क्या कर रहा है, किन्तु मेरे आंगनका दरवाजा प्रायः खुला ही रहता था। इस प्रकारके पास पास छः कमरे थे। इन कमरोंको "डिक्री" कहते हैं। "डिक्री" का अर्थ अधिक दण्ड

वालोंका कमरा है। 'जज अथवा जेलके सुपरिण्टण्डेण्टके हुकुमके अनुसार जिन लोगोंको निर्ज्जन कारावासका दण्ड मिलता था, उनको इन छोटे छोटे गारोंमें रहना पड़ता था। इस निर्ज्जन कारावासमें भी न्यूनाधिक दण्ड होता था। जिन लोगोंको अधिक दण्ड मिलता उनके आगेका दरवाजा बन्द रहा करता था, वे लोग मनुष्य समाजसे सब प्रकारसे वञ्चित रहते थे। केवल मात्र पहरेवालों और दोनों वक्त भोजन देनेवाले कैदीको छोड़ उनका इस जगत्‌को और किसी वस्तुसे कोई सम्बन्ध न था। खुफिया पुलिसवाले हेमचन्द्रदासको मुझसे अधिक भयंकर समझते थे, इस कारण उसके लिये भी इसी प्रकारका दण्ड नियत किया था। इसपर भी अधिकता यह थी कि हाथोंमें हथकड़ी और पैरोंमें बेड़ियां पहिनकर निर्जन कारावासमें रहना पड़ता था। इस प्रकारकी कड़ी सजा केवल शान्ति भङ्ग करनेवालों अथवा मारपीट करनेवालों ही को नहीं दी जाती थी, किन्तु जो लोग जेलका काम करनेमें बेपरवाही करते थे, उनके लिये भी यही दण्ड था। मुकद्दमा होनेके पहिले ही निर्ज्जन कारावासके कैदियोंको इस प्रकारका कष्ट देना नियम विरुद्ध है, किन्तु "स्वदेशी" अथवा "वन्देमातरम्" वाले कैदी भी नियमके बाहर समझे जाते थे और पुलिसकी इच्छानुसार उन लोगोंका प्रबन्ध किया जाता था।

थानेहिल साहबके इजलाससे हम लोगोंको गाड़ीमें बैठा कर

अलीपुर ले गये। इस दलमें निरापद, दीनदयाल, हेमचन्द्रदास इत्यादि थे। इन सबमें मैं केवल हेमचन्द्रदास ही को पहिचानता था। क्योंकि एकबार मेदनीपुरमें मैं उनके मकान पर उतरा था। उस समय कौन जानता था कि इस कैदी होनेकी दशामें उनसे जेलके रास्ते पर फिर मुलाकात होगी? जबतक हमलोग अलीपुरके मैजिस्ट्रेटकी कचेहरीमें थे, तबतक हमलोगोंको मैजिस्ट्रेट साहबके सामने उपस्थित नहीं किया गया। केवल भीतरसे वे लोग हुकुम लिखाकर ले आते थे। हमलोग फिर गाड़ीपर सवार हुए, उस समय एक भद्र पुरुषने मेरे सामने आकर कहा "मैंने सुना है कि इन लोगोंने आपको निर्ज्जन कारावासकी व्यवस्था दी है और इसका हुकुम भी लिखा जारहा है। शायद अब किसीसे आपको मुलाकात न करने देंगे, यदि आप अपने घरमें किसीको कुछ कहलाना चाहते हों, तो मुझसे कहिये मैं वह संवाद आपके मकान पर पहुंचा दूंगा। मैंने उनको इसके लिये धन्यवाद दिया, किन्तु जो कुछ मुझको घर पर कहना था, वह मैंने अपने नातेदारसे कहला भेजा था। इस कारण उनसे मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे ऊपर मेरे देशवासियोंकी जो सहानुभूति और अयाचित अनुग्रह था, इसीलिये दृष्टान्तरूपसे मैंने इस घटनाका उल्लेख किया है। फिर कचहरीसे हमलोग जेल पहुंचाकर वहांके कर्मचारियोंके सुपुर्द कर दिये गए। जेल ले जानेके पहिले हम लोगोंको स्नान करवाया गया। जेलके कपड़े पहनाये गये और हम लोगोंके

कुरते और धोतियां धुलनेके लिये ले गये। चार दिनके पीछे स्नान करके हमलोगोंने मानो स्वर्ग-सुख अनुभव किया। स्नान के पीछे हमलोग अपनी अपनी कोठरियोंमें पहुंचा दिये गये। मैं भी ज्योंही अपने निर्जन कारावासमें घुसा, त्योंही मेरी छोटीसी कोठरीका दरवाज़ा बन्द कर दिया गया। अलीपुरका कारावास ५ मईको आरम्भ हुआ और ६ मईको (ठीक एक साल २ दिन पीछे) वहांसे हमलोगोंका छुटकारा हुआ।

इस प्रकारका स्थान हम लोगोंको रहनेके लिये मिला, किन्तु इसके अतिरिक्त हमारे कृपानिधान कार्यकर्ताओंने हमारी मेहमा-नदारी करनेमें भी कोई बात उठा न रखी! हम लोगोंके माल असबाबमें एक थाली और कटोरा था, ये दोनों आंगनको सुशोभित करते थे, जिस समय वह थाली कटोरा मांजा जाता था, उस समय उसकी सफाई देखकर मेरा हृदय ठण्ढा हो जाता और उसकी निर्दोष उज्ज्वलताके भीतर "स्वर्गजात" बृटिश राजकी उपमा देखकर मैं राजभक्तिका एक निर्मल आनन्द अनु-भव करता था। दोष केवल एक यह था कि मेरे इस आनन्दको देखकर थाली भी बड़ी प्रसन्न हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर हलके से अंगुली रखते ही वह अरबके फकीरोंके समान घूम घूमकर नाचने लगती थी। उस समय एक हाथसे थाली पकड़ने और दूसरे हाथसे भोजन करनेके सिवा और कोई

उपाय न था। नहीं तो थाली घूमते घूमते जेलका मुट्ठीभर अतुलनीय अन्न लेकर भागनेकी चेष्टा करती थी।

थालीमें कटोरा अधिक प्रिय और उपकारी वस्तु था। यह कटोरा जड़ पदार्थोंमें एक बृटिश सिविलियनके समान था, क्योंकि जैसे प्रत्येक अङ्गरेज सिविलियन स्वभावसे ही हर काममें दक्ष और योग्य होते हैं—जज, शासक, पुलिका अफसर, टेक्स विभागका मालिक, म्युनिसिपेलिटीका अध्यक्ष, शिक्षक, धर्मोपदेशक जो चाहो बनालो, केवलमात्र कहनेकी देर है, वैसे ही हमारे सिविलियन एक ही समयमें एक ही साथ खोज लगाने वाले, अभियोगकर्ता पुलिस, विचारक और कभी कभी किसी अभियोगमें बादीकी ओरसे सलाहकार और साथ ही प्रीति-सम्मेलन करानेवाले सभी कुछ हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे आदरका पात्र वह कटोरा भी था। उस कटोरेमें कोई जातपात का विचार नहीं था। कारागृहमें जाते ही उस कटोरेसे मैंने हाथ पैर धोया, उसी कटोरेसे पानी लेकर मुंह धोया, स्नान किया और फिर थोड़ी देर पीछे जब भोजन करनेको बैठा, तो उसी कटोरेमें दाल अथवा तरकारी दी गयी और फिर उसी कटोरेसे पानी भी पिया एवं उठते समय आचमन भी उसीसे किया। इस प्रकारकी अमूल्य वस्तु, जिससे सब काम निकल सकें अङ्गरेजों ही के जेलमें मिलनी सम्भव है। यह कटोरा सांसारिक उपकारोंके अतिरिक्त मेरे योगसाधनका भी एक

कारण बना। घृणा परित्याग करनेके लिये इस प्रकारका सहायक और उपदेशक कहां मिल सकता था? निर्जन कारावासके पीछे जब हम लोग सब एक साथ रक्खे गये, उस समय हमारे इस सिविलियन (कटोरे) के कुछ अधिकार कम कर दिये गये। हमारे प्रबन्धकर्ताओंने हम लोगोंकी शौच-क्रिया के लिये एक दूसरा बर्तन रखा दिया।

एक मास तक इस कटोरे द्वारा ही धींगाधींगी मुझे घृणाको संयम करना सिखाया गया। शौच क्रियाका सारा प्रबन्ध मानों इसी घृणाको संयम करानेके लिये किया गया था। मैं ऊपर कह चुका हूं कि निर्जन कारावास एक विशेष दण्ड है और इस दण्डका मूल तत्व मुक्त आकाश और मनुष्य समाजसे पृथक् रखना है। कमरेके बाहर शौचका प्रबन्ध करनेसे कहीं यह तत्व भङ्ग न हो जावे, इस कारण कमरेके अन्दर ही दो टोकरी कोल-टारसे रङ्गी हुई रखी गई थीं। सबेरे और सायङ्कालको मेहतर आकर उन टोकरियोंको साफ किया करता था, परन्तु तीव्र आन्दोलन करने और मर्मस्पर्शी वक्तृता देनेपर अन्य समय पर भी आकर वह उनको साफ कर जाता; किन्तु असमय पायखाना जानेसे प्रायः प्रायश्चित्तके रूपमें कई घण्टे दुर्गन्ध सहनी पड़ती थी। दूसरी वार निर्ज्जन कारावास मिलनेपर इस विषयमें कुछ सुधार (रिफार्म) किया गया। किन्तु अङ्गरेज़ लोगोंके रिफार्ममें पुरानी

बातोंके मूलतत्वको पूर्ण रूपसे कायम रखकर केवल शासन प्रणालीमें थोड़ा सा उलट फेर ही होता है, इस बातके कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती कि ऐसे छोटेसे कमरेमें शौच का प्रवन्ध रहनेके कारण प्रायः सर्वदा और विशेषकर भोजनके समय और रात्रिको बड़ा ही कष्ट भोगना पड़ता था। मैं जानता हूं कि सोनेके कमरेमें ही पायखानेका प्रबन्ध होना विलायती सभ्यताका एक अङ्ग है, किन्तु एक छोटेसे कमरेमें सोने, खाने और पायखाने तीनोंका होना विचित्र बढ़ी हुई सभ्यता (too much of a good thing) है। आदत बिगड़ी हुई होने के कारण हम भारतवासियोंके लिये सभ्यताके इतने ऊंचे सोपान पर पहुंचना बड़ा ही कष्टकर है!

हम लोगोंके सामान में और भी कई एक चीजें थीं, नहानेके लिये एक बालटी थी, पानी रखनेके लिये एक दूसरी टीनकी नलनुमा बालटी थी और जेलके दो कम्बल थे। नहानेकी बालटी आंगनमें रखी रहती थी, वहीं पर मैं स्नान किया करता था। मेरे सौभाग्य से पहिले पहल मुझे पानीका कुछ भी कष्ट न था, किन्तु पीछेसे यह कष्ट भी भोगना पड़ा। पहिले पहल पास की गोशालाकी निगरानी करनेवाला कैदी नहानेके समय मेरी इच्छानुसार बालटीमें पानी भर देता था। जेलकी तपस्यामें स्नानके समय हरएक कैदीको विलास और सुखकी इच्छाको

तृप्त करनेका अवसर मिलता था, किन्तु दूसरे कैदियोंके भाग्य में यह भी न था, उनको एक बालटी पानीमें ही सौच करना, बासन मांजना और नहाना पड़ता था। हम लोग मुकद्दमेके कैदी थे, इस कारण हमको कुछ अधिक भोग विलासकी अनुमति थी। अन्य कैदी लोग केवल दो चार कटोरे पानीसे ही स्नान कर पाते थे। अङ्गरेज़ लोग समझते हैं कि भगवत्प्रेम और शारीरिक स्वच्छन्दता समान और दुर्लभ सद्गुण हैं। इस जातीय प्रवादकी रक्षाके लिये अथवा इसलिये कि अधिक विलास से कैदियोंकी तपस्या भङ्ग न हो, जेलमें नहानेका इस प्रकारका प्रबन्ध होता है। इन दोनोंमें मुख्य कारण कौन सा है, इस बात का निर्णय करना असम्भव है।

कैदी लोग कार्य्यकर्ताओंकी इस दयाको 'कौव्वा-नहान' कह कर उसका उपहास करते थे। सच है, मनुष्यको सन्तोष कभी नहीं होता। नहानेके प्रबन्धसे पीनेके पानीका प्रबन्ध और भी अच्छा था। वह ग्रीष्म ऋतुका समय था, मेरे छोटेसे कमरेमें वायु के प्रवेशकी बिलकुल ही मनाही थी, किन्तु मईके महीनेकी उग्र और प्रचण्ड धूप बिना किसी रोक टोकके मेरे कमरेमें आ सकती थी, वह मेरा छोटासा कमरा थोड़ीही देरमें एक जलती हुई भट्टीके समान हो जाता था। उस भट्टीमें सिद्ध होते होते जलकी उत्कट प्यासको कम करनेका एकमात्र उपाय उस टीनकी बाल्टीका सोल गरम

जल था। मैं बार बार उसीको पीता था, प्यास तो कहां बुझ सकती थी, वरन् पसीना निकलने लगता था और फिर प्यास भड़कती थी, परन्तु किसी किसीके आंगनमें एक मिट्टीका घड़ा रखा हुआ था, वे लोग उसको पूर्व जन्मकी तपस्याका फल समझकर अपनेको धन्य समझते थे। उस अवस्थामें घोर पुरुषार्थवादीको भी अदृष्ट पर विश्वास करना ही पड़ता था। किसी किसीको भाग्यवश ठण्डा पानी पीनेको मिलता और किसीके भाग्यसे प्यास तक न बुझती थी, यह सब केवल भाग्यके अधीन था, क्योंकि कार्य्यकर्ता लोग बिना किसी पक्षपातके घड़ा और बालटी वितरण करते थे। मैं स्वयम् अपने इस जल-कष्टके कारण सन्तुष्ट था वा न था, किन्तु मेरे इस कष्टको देखकर जेलके डाकृर बाबू कुछ व्यथित हुए। वह मेरे लिये एक घड़ा मंगवानेका उद्योग करने लगे, परन्तु यह प्रबन्ध उनके हाथमें न था, इस कारण बहुत दिनों तक वह इस प्रयत्नमें कृतकार्य्य न हुए, अन्तमें उन्हींके कहने पर मूर्ख जमादारने एक घड़ा ढूंढ निकाला। परन्तु घड़ा मिलनेसे पहले ही मैंने बहुत दिनोंतक घोर संग्राम कर प्यासको जीत लिया था। इस गरम कमरेमें जेलके बने हुए दो मोटे कम्बल मुझे बिछानेके लिये मिले। कोई तकिया मेरे पास न था, इस कारण एक कम्बलको लपेट कर मैंने तकिया बनाया और दूसरेको बिछौना बनाया। जब गरमी का कष्ट असहनीय होजाता, तब मैं जमीन पर लोट पोट कर कुछ

आराम अनुभव करता था। उस समय मुझे इस बातका अनुभव होता था कि वसुन्धरा माताके शीतल अङ्कको स्पर्श करनेमें कितना आनन्द है, किन्तु जेलकी मिट्टीका स्पर्श भी कुछ अधिक कोमल न था, इस लिये निद्रामें वाधा पड़ती और अन्तमें कम्बल की शरण लेनी पड़ती थी। जिस किसी दिन पानी बरसता उस दिन बड़ा ही आनन्द आता था। किन्तु इसमें एक बड़ी भारी असुविधा यह थी कि आंधी और मेहके कारण बहुतसी राख, पत्ते, तृण आदिक ताण्डव नृत्य करते करते मेरे पिञ्जड़ेमें आकर पानीके ऊपर इधर उधर तैरने लगते थे। उस समय रातको भीगा कम्बल लेकर कमरेके कोनेमें भागनेके अतिरिक्त और कुछ बन न पड़ता था। प्रकृतिकी यह लीला समाप्त होने पर भी जलसे भीगी हुई मिट्टी जब तक सूख न जाती, तब तक निद्राकी आशा त्यागकर चिन्ताका हो आश्रय लेना पड़ता था, क्योंकि शौचक्रियाकी टोकरी जहां पर रखी हुई थी, केवल एक वहींपर सूखा रहता था किन्तु उस जगह कम्बल बिछानेकी इच्छा न होती थी। यह सब असुविधा होते हुए भी मैं आंधो पानी का आदरके साथ स्वागत करता था, क्योंकि बहुतसी शुद्ध वायु आनेसे उस घरकी गरमी दूर हो जाती थी। मैंने जो अलीपुरके सरकारी होटलका वर्णन किया है और आगे चलकर भी करूंगा, वह अपने कष्टका दुखड़ा रोनेके लिये नहीं किया, किन्तु यह दिखलानेके लिये कि सुसभ्य बृटिश राज्यमें मुकद्दमेके कैदियोंके

साथ कैसा अद्भुत सलूक किया जाता है, निर्दोषियोंको दीर्घ-कालके लिये कैसी यन्त्रणाएं भोगनी पड़ती हैं। ये सब कष्ट जो मैंने दिखलाये हैं निःसदेह सब थे, किन्तु भगवानकी दयासे मैंने केवल दो एक दिन इन कष्टोंका अनुभव किया उसके पीछे—किस उपायसे यह आगे लिखूंगा—मेरा मन उन सब दुःखोंसे पार होकर कष्ट अनुभव करनेमें समर्थ हो गया। इस कारण जब कभी जेलका स्मरण मुझे आता है उस समय क्रोध वा दुःख न होकर मुझे केवल हंसी ही आती है। पहले पहल जब मेरे लिए जेलकी विचित्र पोशाक पहिनकर पिंजड़ेमें घुस कर बैठे रहनेका प्रबन्ध किया गया, उस समय यही भाव मेरे हृदयमें उत्पन्न हुआ था। मैं इसे देख अपने मन ही मनमें हंसने लगा। मैं अङ्गरेज जाति के इतिहास व उनके आज कलके आचारको देख कर उनके विचित्र और रहस्यमय चरित्रको बहुत पहले ही से जान गया था, इस कारण अपनी ओर उन लोगोंका ऐसा व्यवहार देखकर मुझे कुछ भी आश्चर्य वा दुःख न हुआ। साधारण दृष्टिसे हम लोगोंके प्रति उन लोगोंका ऐसा व्यवहार करना अतिशय अनुदार व निन्दनीय था। हम लोग सब ही भद्र सन्तान थे। बहुत बड़े २ जमीदारोंके लड़के थे; कई एक वंश, विद्या, गुण और चरित्रमें इङ्गलैण्डके शीर्ष स्थान मनुष्योंके समान थे। हम लोग जिस अभियोगमें पकड़े हुए थे, वह कोई सामान्य हत्या, चोरी अथवा डकैती न थी; स्वदेशके लिये

विदेशी राजपुरुषोंके साथ युद्धकी चेष्टा करने अथवा समरो-द्योगका षड्यन्त्र रचनेका दोष हमपर लगाया गया था। इसके अतिरिक्त बहुतसे लोगोंका दोषी प्रमाणित होना भी असम्भव था, केवल पुलिसके सन्देह पर ही हम सब लोग पकड़े गये थे। ऐसी अवस्थामें हम लोगोंको चोर डाकूओंके समान रखनेसे— चोर क्यों पशुओंके समान पिंजड़ेमें बन्द करके पशुओंके लिये भी जो पदार्थ अखाद्य हैं, वे भोजनके लिये हमें देनेसे, जलका कष्ट, भूख, प्यास, धूप, मेंह, गरमी, जाड़ा, सहन करवानेसे बृटिश राजपुरुषों और बृटिश जातिका गौरव कुछ बढ़ नहीं गया, किन्तु यह उनके जातीय चरित्रका दोष है। अङ्गरेजोंके शरीरमें क्षत्रियोंकेसे गुण होने पर भी अपने शत्रु अथवा विरुद्धाचरण करनेवालोंके साथ व्यवहार करते समय वे लोग पूरे बनिये ही होते हैं।

मेरे मनमें किसी प्रकारकी भी घृणा उत्पन्न नहीं हुई थी, वरन् मुझे यह देखकर आनन्द हुआ कि मुझमें और देशके साधारण अशिक्षित मनुष्योंमें कोई भेद नहीं समझा गया, इन सब बातोंकी मातृभूमि के प्रेममें आहुति देकर मैंने उस समयको योग-साधन और द्वन्द्व भावके जय करनेका अपूर्व अवसर समझा, इसके अतिरिक्त मैं राष्ट्रीय पक्षके सिद्धान्तोंका माननेवाला था ही कि जिस धर्मके प्रजातन्त्र राज्य और धनी दरिद्र सबमें

एकता और जातीयताके भावोंका होना यह दो प्रधान अङ्ग हैं। मैंने सोचा कि उसी मतको कार्य्यमें परिणत करनेके लिये सूरत जाते समय हम सब मिलकर एक तीसरे दर्जेकी गाड़ीमें गए थे, कैम्पमें नेताओंने अपना अपना स्वतन्त्र प्रबन्ध न कर सब किसीके रहन सहनका प्रबन्ध साथ ही किया था। धनी, दरिद्र ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, बङ्गाली, मरहठे पञ्जाबी, गुजराती सब भ्रातृभावसे एक साथ मिलकर रहते, सोते तथा खाते थे। पृथ्वी पर सोते थे, दाल, भात, दही खाते थे, सब प्रकारसे पूरे स्वदेशी थे। कलकत्ता और बम्बईके बिलायतसे लौटे हुए लोग और मद्रासके तिलक-धारी ब्राह्मण मानो एक साथ दूध पानी हो गये थे। इस अलीपुरकी जेलमें रहते समय हमारे देशके कैदी हमारे देशके कृषक, लोहार, कुम्हार, डोम इत्यादि सबका समान भोजन, समान रहना, समान कष्ट, समान मानमर्य्यादा पाकर मैंने समझा कि इस साम्यवाद, इस एकता और इस देश-व्यापी भ्रातृभाव द्वारा सर्वान्तर्यामी नारायण मेरे जीवनको सार्थक कर रहे हैं, अपने साथके कैदियों व अन्य कैदियोंके प्रेम पूर्वक व्यवहार करनेको एवम् राजपुरुषोंके इस रहस्य भावको इस कारावासमें देख कर मेरे हृदयमें उस शुभदिनका पूर्वाभास उत्पन्न हुआ, जिस दिन जन्मभूमि रूपिणी जगद्जननीके पवित्र मण्डपमें देशकी सब श्रेणियोंके लोग भ्रातृभावसे एक प्राण होकर जगत्के सन्मुख उन्नत मस्तक कर खड़े होंगे, उस दिनका

चिन्तन कर मैं बार बार हर्षित व प्रफुल्लित हो जाता था। उसी दिन मैंने देखा कि पूनाके "Indian Social Reformer" नामक एक समाचार पत्रने मेरी एक साधारण उक्तिको लेकर उस पर हंसी उड़ाई थीः—"आज कल जेलमें भगवत् प्रेमकी कुछ अधिकता देखनेमें आती है।" हाय! प्रतिष्ठाकी लालसा करने वाले, अल्पविद्या और थोड़े ही से सद्‌गुण रखनेवाले मनुष्योंके अभिमान व अहङ्कार पर शोक होता है। जेलमें, कुटीमें आश्रममें दुखियोंके हृदयमें यदि भगवत्‌का प्रकाश न हो, तो क्या धनियोंके विलास-मन्दिरमें अथवा सुखके ढूंढ़नेवाले स्वार्थमें अन्धे बने हुए सांसारिक मनुष्योंकी आराम-शय्यामें उनका विशेष प्रकाश होना सम्भव है? भगवान-विद्वान्, प्रतिष्ठा, लोकप्रशंसा बाहरकी स्वच्छन्दता व ऊपरी सभ्यताको नहीं देखते। वे दुखियोंहीके निकट दयामयी माताके रूपमें प्रकट होते हैं। जो पुरुष मनुष्य मात्रमें, जातिमें, स्वदेशीमें, दुखिया और धनहीनोंमें, पतित लोगोंमें, पापियोंमें नारायणको देखता और उस नारायण को सेवामें अपने जीवनको अर्पण करता है, उसीके हृदयमें नारायण वास करते हैं! एवम् जो लोग किसी पतित जातिको उठानेका उद्योग करते हैं, उन्हीं देशसेवकोंके निर्जन कारागारमें भगवत् प्रेमके प्रकाशकी अधिक सम्भावना है।

जिस समय जेलर आकर कम्बल और थालीका प्रबन्ध कर

गया, उस समय मैं उस कम्बल पर बैठकर जेलके दृश्योंको देखने लगा। लाल बाजारके जेलखानेकी अपेक्षा यह निर्ज्जन कारावास अधिक अच्छा मालूम होता था। लाल बाजारका वह बड़ा भारी कमरा निर्ज्जनताको और भी निर्ज्जन बनानेका मानो एक उपाय था। परन्तु इस छोटेसे कमरेकी दीवारें मेरी साथी बन कर ब्रह्ममय होकर मेरे निकट आकर मुझे आलिङ्गन करनेको उद्यत होती थीं! लाल बाजारके दो मंजिले कमरेकी ऊंची २ खिड़कियोंसे आकाश भी दिखाई न देता था, कभी कभी तो यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता था कि इस स्थानपर आंगन का फाटक खुले रहनेके कारण सींखचेके भीतर बैठनेसे जेलके बाहरका खुला मैदान और कैदियोंका आना जाना दिखाई देता था। आंगनकी दीवार पर एक पेड़ था, उसकी नीलिमाको देखकर मैं अपने नयन और हृदयको तृप्त करता था। छः डिगरीके कमरोंके सामने जो सन्तरी घूमा करता था, अनेक समय उसके मुख और पैरोंके शब्द परिचित बन्धुके समान प्रिय मालूम होते थे।

पासकी गोशालाके कैदी मेरे कमरेके सामनेसे गाय चरानेको ले जाते थे। मेरे लिये गो और गोपालोंका दृश्य नित्यप्रिय था। अलीपुरकी जेलमें मैंने एक अपूर्व प्रेमकी शिक्षा लाभ की। इस स्थानपर आनेसे पहिले मेरा प्रेम बहुत थोड़ेसे मनुष्योंमें आबद्ध

था, एवम् पशु पक्षियोंकी ओर प्रेमका स्रोत बिलकुल बहता ही न था। मुझे याद है कि रवीन्द्र बाबूकी एक कवितामें भैंसके प्रति ग्राम्य बालकोंका गम्भीर प्रेम, बड़े सुन्दर भावसे वर्णन किया गया है, उस कविताको पहिले पहल पढ़कर मैं किसी तरहसे भी हृद्-यङ्गम नहीं कर सकता था, वरन् मुझे उस समय उस भावमें अत्युक्ति और अस्वाभाविकताका दोष दीख पड़ता था, किन्तु अब उस कविताको पढ़नेसे मेरे चित्तमें कुछ और ही भाव उत्पन्न होते थे। अलीपुरमें रहकर मैंने जान लिया कि हर प्रकारके जीव जन्तुओं के प्रति मनुष्यके हृदयमें कैसा गम्भीर प्रेम उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी गाय, चिड़ियां अथवा चींटी तक को देखकर मनुष्यका हृदय कैसे तीव्र आनन्दके साथ फड़क उठता है।

कारावासमें पहला दिन बड़ी शान्तिके साथ बीता। चारों ओर नई नई चीजें देखकर मनमें बड़ा ही आनन्द होता था, इस बाजारको लालबाजारके थानेसे तुलना करने पर मुझे यह अवस्था ही अधिक प्रिय मालूम होती थी। साथ ही भगवान पर भरोसा था, इस कारण निर्ज्जनता भी कुछ अधिक दुःख न देती थी। जेल के अद्‌भुत भोजन देखकर भी मेरा मन कुछ विचलित न हुआ। मोटे मोटे चावल उनमें मिट्टी, कङ्कर, मकोड़े बाल इत्यादि तरह तरहका मशाला पड़ा हुआ, फोकी दाल जिसमें अधिकतर

पानी ही होता था, तरकारीकी जगह उबली हुई घास-पात यही हम लोगोंका भोजन था ! इससे पहले मुझे यह पता न था कि मनुष्यके भोजनको इतना स्वादहीन और निःस्सार भी बनाया जा सकता है। इस गाढ़े, काले और रोते हुए सागको देख मैं एक बार डर सा गया। दो एक कौर खाकर मैंने बड़ी भक्तिके साथ उसको प्रणाम किया और बाकी छोड़ दिया। सब कैदियोंको एक ही प्रकारकी तरकारी मिलती है, और यदि एक बार कोई तरकारी मिलने लगी, तो अन्तकाल तक फिर वही चलती रहती। इस समय सागका राज्य था। दिन बीते, पक्ष बीते, महीना बीत गया, किन्तु दोनों समय वही दाल, वही भात और वही साग। चीजोंका बदला तो दूर रहा, उनके रूप तक में लेशमात्रका परिवर्तन भी न होता था। उन सबका वही नित्य सनातन अनाद्यनन्त अद्वितीय रूप ही रहा करता था। दो दिनमें ही कैदीको इस नश्वर माया जगत्के वास्तविक स्थायित्वका पता लग जाता था। भोजनके बारेमें भी मेरा भाग्य और कैदियोंसे कुछ अच्छा था। इसका कारण डाक्टर साहबकी दया थी। उन्होंने मेरे लिये अस्पतालसे दूधका बन्दोबस्त कर दिया जिससे कि मैं कई दिनतक सागके दर्शनोंसे बचा रहा।

पहिली रातको मैं कुछ जलदी सोगया, किन्तु निश्चिन्त हो निद्राभोग करना निर्जन कारावासके नियमोंके विरुद्ध है, निश्चिन्त

निद्रा भोगसे कहीं कैदियोंमें सुखकी लालसा जागृत न हो जावे, इस लिये यह नियम रखा गया है कि जितनी बार पहरा बदला जावे उतनी बार चिल्ला चिल्लाकर कैदी उठाये जावें और जबतक कैदी आवाज न दें उनको छोड़ा न जावे। जो लोग छः डिगरी की ओर पहरा देते थे वे कभी कभी इस कर्तव्यको पालन करनेसे विमुख भी रहते थे। सिपाहियोंमें कठोर कर्तव्यपरायणताकी अपेक्षा दया और सहानुभूतिका भाव ही अधिक पाया जाता था, विशेषकर हिन्दुस्तानी सिपाहियोंमें। परन्तु कई एक सिपाही अपने कर्तव्यको नहीं भूले। वे हम लोगोंको जगाकर पूछते थे कि "बाबू अच्छे हो न?" यह असमयकी दिल्लगी हर बार अच्छी न मालूम होती थी, लेकिन मैं यह समझता था कि जो लोग ऐसा करते हैं वे बेचारे सरलचित्तसे केवल नियम पालन करते हैं। उनका जगाना प्रतिदिन बहुत बुरा लगनेपर भी कई दिन मैंने उसको सहा, किन्तु अपनी निद्राको रक्षा करनेके लिये अन्तमें मुझको उन्हें डांटना पड़ा। दो चार दिन डांटने पर रातको कुशल सम्बाद लेनेकी प्रथा उठ गई।

दूसरे दिन सबेरे चार बजकर पन्द्रह मिनट पर जेलका घण्टा बजा। यह घण्टा कैदियोंके जगानेका पहला घण्टा था। उसके कई मिनट पीछे दूसरा घण्टा बजता है जिसपर कि कैदी लोग कतार बांधकर बाहर आते हैं और हाथ मुंह धो लपसी खाकर

काम करना आरम्भ करते हैं। घण्टेकी ठनाठनमें नींद आना असम्भव समझकर मैं भी उठ बैठा। पांच बजे जेलका दरवाजा खोला जाता है। मैं भी हाथ मुंह धो कमरेमें आ बैठा। थोड़ी ही देर पीछे लपसी मेरे दरवाजेपर भी हाजिर हुई, किन्तु उस दिन मैंने वह लपसी न खाई केवल आंखोंसे उसे देख लिया। इस घटनाके कई दिन पीछे एक दिन मैंने इस परमान्नका भोग लगाया। जेलकी भाषामें लपसीका अर्थ मांड मिला हुआ भात है। यही कैदियोंकी छोटी हाजरी है। लपसीके तीन स्वरूप अथवा उसकी तीन अवस्थाएं हैं। पहिले दिन लपसीका प्राज्ञ-भाव अर्थात् अमिश्रित मूल पदार्थ, शुद्ध शिव मूर्ति दिखाई पड़ी! दूसरे दिन लपसी हिरण्यगर्भ दालमें उबली हुई पीतवर्ण नानाधर्म संकुल-खिचड़ीके नामसे प्रसिद्ध हुई, किन्तु तीसरे दिन धूम्रवर्ण लपसीका विराट् रूप जिसमें कुछ गुड़ मिला हुआ था, दिखाई पड़ी। यह लपसी कुछ कुछ मनुष्यके खाने योग्य थी। मैंने यह समझकर कि प्राज्ञभाव और हिरण्यगर्भ साधारण मनुष्योंके लिये नहीं है, उन्हें न खाया--किन्तु विराट्के कभी कभी दो एक कौर पेटमें डालकर बृटिश राज्यके सद्गुण और पाश्चात्य सभ्यताकी humanitarianism के उच्च आदर्शको सोच कर मैं आनन्दमें मग्न हो जाता था! केवल लपसी ही बङ्गाली कैदियोंके लिये एकमात्र पुष्टिकारक भोजन है और सब पदार्थ सर्वथा सार-शून्य हैं, परन्तु लपसीका स्वाद

इस प्रकारका होता है कि उसे केवल भूख ही के समय खाया जा सकता है और वह भी अत्यन्त कष्टके साथ मनको बहुत कुछ समझाकर, तब उसका खाना सम्भव है।

मैंने उस दिन साढ़े ग्यारह बजे स्नान किया। पहले पहल चार पांच दिन मुझे उन्हीं कपड़ोंको पहिनना पड़ा जिनको कि मैं अपने घरसे पहिन कर आया था। परन्तु गोशालाका बूढ़ा वार्डर (warder) कैदी जो मेरी निगरानी करनेके लिये नियत किया गया था, मेरे नहानेके लिये एक छोटीसी डेढ़ हाथ चौड़े कपड़ेकी लङ्गोटी ढूंढ़ लाया। जब तक मेरा एकमात्र कपड़ा सूख न जाता तबतक मैं उसी लङ्गोटीको पहिन कर बैठा रहता था। मुझे अपनी धोती कचारना अथवा बरतन मांजना नहीं पड़ता था, इस कामको भी गोशाला ही का एक कैदी मेरे लिये किया करता था। ग्यारह बजे दिनको भोजन मिलता था। कमरेके भीतरकी कोठरियोंसे दूर रहनेके लिये मैं प्रायः गर्मीकी तेज धूपको सहकर आंगनमें ही मैं भोजन करता था। पहरेवाले भी इसीमें किसी प्रकारकी बाधा न डालते थे। सायंकालको पांच साढ़े पांच बजे भोजन मिलता था। इसके पीछे फिर दरवाजा खोलनेकी पूरी मनाई थी। सात बजे सायंकालका घण्टा बजता था। उस समय जमादार वार्डर कैदियोंको एकत्रित कर उच्च स्वर

से सबके नाम पुकारता था, इसके पीछे कैदी लोग अपने अपने स्थान पर जाते थे। थके मांदे कैदी इस समय निद्रादेवीकी आराधना करके जेलखानेके एक मात्र सुखको अनुभव करते थे। जिनके चित्त दुर्बल होते वे इस समय अपने दुर्भाग्य और जेलके भविष्य कष्टको सोच सोच कर रोते थे। भगवद् भक्त रात्रिके एकान्तमें ईश्वरकी निकटताको अनुभव कर ध्यान अथवा प्रार्थना में नियुक्त हो आनन्द भोग करते थे! वह अलीपुरकी जेल, जो कि अभागे, पतित और समाज पीड़ित तीन सहस्र ईश्वरके जीवों के लिये बहुत बड़े कष्टकी जगह है, रातको बिलकुल सुनसान हो जाती थी।

इस अभियोगमें मेरे साथ और जो लोग पकड़े गये थे, उनसे मेरी मुलाकात बहुत कम होती थी। वे लोग एक दूसरे स्थानपर रहते थे। छः डिकरीके पीछेकी और छोटे छोटे कमरोंकी दो कतारें थीं, उन दो कतारोंमें सब मिलाकर चवालीस कमरे थे, इसी कारण उसको चवालिस डिकरी कहते थे। इसी डिकरीकी एक पंक्तिमें अधिकतर असामी ही रहते थे। वे लोग छोटी कोठरी (Cell) में रहनेपर भी निर्जन कारावासके कष्टको नहीं जानते थे। क्योंकि एक एक कमरेमें तीन तीन आदमी रहा करते थे। जेलकी दूसरी ओर एक और डिकरी जिसमें बारह बारह आदमी तक रह सकते थे। जिनको

भाग्यसे यह डिकरी मिलती थी वे लोग अधिक सुखसे रहते थे। उस डिकरीमें बहुतसे लोग एक ही कमरेमें रहते थे। उन लोगोंको रात दिन बातचीत करनेका अवसर मिलता और मनुष्य-संसर्ग होनेके कारण वे बड़े सुखसे अपना दिन बिताते थे। परन्तु उन लोगोंमें भी एक मनुष्य इस सुखसे वञ्चित था। ये हेमचन्द्रदास थे। मैं नहीं जानता कि कार्यकर्त्ताओंको इनसे इतना भय अथवा इनपर इतना क्रोध क्यों था। उन लोगोंने इतने मनुष्योंमें निर्ज्जन कारावासके कष्टको भोगनेके लिये केवल इन ही को चुना। हेमचन्द्र स्वयम् यह समझते थे कि जब पुलिस बहुत चेष्टा करनेपर भी उनसे उनके दोष स्वीकार न करा सकी, तब उनके ऊपर यह क्रोध प्रकट किया गया। उनको इस डिकरीके एक बहुत ही छोटेसे कमरेमें बन्द करके उसके बाहरका दरवाजा बन्द कर दिया जाता था। मैं ऊपर कह आया हूं कि "निर्ज्जन कारावास" दण्डकी अन्तिम अवस्था है।

समय समयपर पुलिस अनेक जातिके अनेक वर्णनके अनेक रूपके गवाहोंको ला ला कर पहिचनवानेका खेल करती थी। उस समय हम सबोंको दफ्तरके सामने एक लम्बी कतारमें खड़ा होना पड़ता था। जेलके कार्य-कर्त्ता लोग हम लोगोंके साथ जेलके भिन्न भिन्न मुकदमोंके असामियोंको मिलाकर उन लोगोंसे पहचनवाते थे। इन असा-

मियोंमें शिक्षित अथवा भद्र पुरुष एक भी न था। जिस समय उन लोगोंके साथ हम लोग एक कतारमें खड़े होते थे, उस समय इन दो प्रकारके असामियोंमें बड़ा भेद दीख पड़ता था, एक ओर बमके अभियोगमें पकड़े हुए बालकोंकी तीक्ष्ण बुद्धि और उनके तेजसे भरे हुए चेहरे और दूसरी ओर साधारण असामियोंके मैले कपड़े और उनके निस्तेज मुख इन सबको देखकर जो मनुष्य यह न बता सके कि कौन किस श्रेणीका है उसको निर्बोध अथवा निकृष्ट और बुद्धिहीन ही समझना चाहिये। यह (Identification) का पैरेट (दिखलावा) असामियोंको अप्रिय न था, क्योंकि इस दिखावे (parade) से जेलके एक रस जीवनमें कुछ नयापन अथवा विचित्रतासी आजाती थी। साथ ही एक दूसरेसे कुछ बातचीत करनेका भी अवसर मिल जाता था। गिरफ्तारीके पीछे इसी प्रकार एक दिनके परेडमें मैंने अपने भाई बारीन्द्रको पहिले पहल देखा। किन्तु उस समय मेरी उससे कोई बात न हुई।

नरेन्द्रनाथ गुसाईं इस समय प्रायः मेरे पास ही खड़े होते थे, इस कारण मेरा अधिक परिचय उनसे ही हुआ। गुसाईं लम्बा, साफ, बलिष्ठ और सुन्दर जवान था, किन्तु उसकी आंखोंके भावसे कुवृत्ति प्रकट होती थी, बातचीतसे भी मैंने उसमें कोई बुद्धिमानोंका लक्षण नहीं पाया। इस बारेमें और अन्य

युवकोंमें बड़ा भेद था। उन लोगोंके मुखोंपर प्रायः उच्च और पवित्र भावोंका ही अधिक प्रकाश दीखता था, उनकी बातोंसे तीक्ष्ण बुद्धि ज्ञानकी लालसा और महत् स्वार्थहीन आकांक्षा ही प्रकट होती थी। गुसाईंकी बातें भी निर्बोध और लघु-चेतस् मनुष्योंकी सी होने पर भी तेज और साहससे भरी हुई होती थीं। उनको उस समय अपने छूट जानेका पूर्ण विश्वास था। वे कहा करते थे—"मेरे पिता मुकद्दमेके कोड़े हैं, उनसे पुलिस कभी भी न जीत सकेगी। मेरा बयान भी मेरे विरुद्ध न होगा और बात प्रमाणित हो जायगी कि पुलिसने मुझे शारीरिक कष्ट देकर मुझसे बयान लिया है" मैंने पूछा "इस बातका गवाह कौन है?" गुसाईंने वैसे ही उत्तर दिया "मेरे पिताने सहस्रों ही मुकद्दमे किये हैं, वे इन सब बातोंको खूब समझते हैं, गवाहोंकी कमी न होगी!" इसी प्रकारके मनुष्य सरकारी गवाह (Approver) बना करते हैं।

इससे पहिले मैंने असामियोंके बहुतसे दुःख और अनेक कष्टकी बातोंका वर्णन किया है, किन्तु यह कह देना भी उचित है कि यह सब केवल जेलकी प्रणालीका ही दोष है। ये सब कष्ट जेलके किसी एक मनुष्यकी निठुराई अथवा मनुष्य चरित्रके गुणोंके अभावके कारण न थे। वरन् अलीपुरकी जेलमें कामकी जिम्मेवारी जिन लोगों पर थी, वे सब ही बड़े भद्र, दयावान

और न्यायप्रेमी मनुष्य थे। यदि किसी जेलमें भी कैदियोंको कष्ट कम मिलता है और युरोपियन लोगोंको जेलकी प्रणालीकी अमानुषिक कठोरता यदि दया और न्यायपरायणताके कारण कम हो गयी है, तो वह अलीपुरकी जेलमें और एमर्सन साहबके राज्य में। इस जेलके उत्तम होनेके केवल दो प्रधान कारण थे, एक तो जेलके अङ्गरेज सुपरिण्टेण्डेण्ट एमर्सन साहब और दूसरे हस्पतालके बङ्गाली ऐसिस्टेण्ट डाक्टर वैद्यनाथ चटर्जीके असाधारण गुण! इन दोनोंमें एक तो युरोपके लुप्तप्रायः क्रिश्चियन धर्मके आदर्श अवतार थे और दूसरे हिन्दू धर्मके सार दया और परोपकारकी जीती जागती मूर्ति थे। एमर्सन साहबके समान अङ्गरेज अब इस देशमें बहुत कम आते हैं। और विलायतमें भी ऐसे मनुष्य कम ही जन्म लेते हैं। एक ईसाई भद्र पुरुषमें जो जो गुण होने चाहियें, वे सब उनमें पाये जाते थे। वे शान्तिप्रिय, विचारशील, दयावान और न्यायवान थे। छोटेसे छोटे मनुष्योंकी ओर भी भद्र व्यवहारके सिवा अभद्रता प्रकाश करना मानो उनके स्वभावमें ही न था। वे सरल अकपट और संयमी पुरुष थे। यदि कोई दोष था तो केवल यही था कि उनमें काम करनेकी शक्ति और उद्यम कम था। जेलर का सब काम छोड़कर आप आराम ही किया करते थे, किन्तु उनके ऐसा करनेसे मुझे कुछ बहुत हानि नहीं दीख पड़ती थी।

जेलर योगेन्द्र बाबू दक्ष और योग्य पुरुष थे, बहुमूत्र रोगसे पीड़ित होनेपर भी स्वयम् सब काम देखा करते थे। वे साहबके चरित्रको खूब समझते थे। इस कारण जेलमें सदा न्यायका पालन और निष्ठुरताको नष्ट करनेका प्रयत्न किया करते थे। यद्यपि वे एमर्सनके सदृश बड़े आदमी न थे, केवल एक साधारण बङ्गाली और सरकारी नौकर थे, परन्तु साहबको खुश करना जानते थे। बड़ी दक्षता और कर्त्तव्यज्ञानसे अपना काम किया करते, स्वभावसे ही बड़ी भद्रता और शान्तिसे लोगोंके साथ व्यवहार किया करते। इन सब बातोंको छोड़ और कोई विशेष गुण उनमें न था। अपनी नौकरीको वे बहुत ही प्यार किया करते थे। वह मईका महीना था। और उनकी पेनशन लेनेका समय भी निकट आ रहा था। वे इसी आशामें मग्न रहते थे कि जनवरीमें पेनशन लेकर इस दीर्घकालके परिश्रमका फल पायेंगे अर्थात् विश्राम भोग करेंगे। अलीपुरकी जेलमें बमके अभियोगके असामियोंको देख हमारे जेलर महाशय बड़े ही भयभीत और चिन्तित हो रहे थे। वे बिचारे यह सोचकर और भी घबराया करते कि न जाने ये सब उग्र स्वभावके तेजस्वी बङ्गाली लड़के किस दिन क्या कर बैठें। वे अपने लिये कहा करते थे कि ताड़के पेड़की चोटी तक पहुंचनेमें केवल डेढ़ इञ्च ही बाकी है। किन्तु वे उस डेढ़ इञ्चका भी आधा ही चढ़ पाये। अगस्तके अन्तमें बुकानन साहबने आकर

जेलके सब प्रबन्धको देख बहुत ही सन्तोष प्रकट किया। जेलर महाशयने बड़े आनन्दित होकर कहा कि "मेरे रहते साहबका यह अन्तिम आना है, अब मेरी पेनशनके विषयमें कोई डरकी बात नहीं रही।" हा! मनुष्य अन्धा होता है। किसी कविने सच कहा है कि भगवान्‌ने दुखी मनुष्योंके ऊपर दो बड़े उपकार किये हैं। पहला मनुष्यके भविष्यको घोर अन्धकारसे ढक रखना है, और दूसरा—उसकी एक मात्र सहारा देनेवाली और ढाढस बँधानेवाली अन्धी आशा है। इस घटनाके दो चार दिन पीछे ही नरेन्द्र गुसांई, कन्हैयालालदत्तके हाथसे मारा गया। बुकानन साहब जल्दी जल्दी जेलमें आने लगे। उसका फल यह हुआ कि योगेन्द्र बाबू असमयमें अपनी नौकरीसे अलग कर दिये गये। इस पर उनका रोग और भी बढ़ गया। और इसीमें उनका देह छूटा, इस प्रकार यदि एमर्सन साहब हर कार्य-का भार अपने कर्मचारियों पर ही न छोड़कर स्वयम् सब काम देखते, तो उनके राज्यमें अलीपुरकी जेलमें अधिक संस्कार और उन्नतिकी सम्भावना थी। वे जिस किसी कामको देखते थे उसको बहुत अच्छी तरहसे पूरा करते थे। उनके चरित्रके गुणसे ही वह जेल साक्षात नगरके समान होकर दण्डकी ही जगह बनी हुई थी। आज उसके किसी दूसरे स्थानको चले जानेपर भी उनकी साधुताका फल पूर्ण रूपसे नष्ट नहीं हुआ होगा। उसके उत्तराधिकारी लोग रुपयेमें दस आना उस साधुकी साधनाकी रक्षा अवश्य करते होंगे।

जिस प्रकार जेलके भिन्न भिन्न विभागोंके हर्ताकर्ता बाबू योगेन्द्रनाथ नामक एक बङ्गाली थे, वैसे ही हस्पतालमें भी बङ्गाली डाक्टर बाबू बैद्यनाथ ही मुख्य थे। उनके अफसर डाक्टर डेली, एमरसन साहबके सदृश दयावान तो न थे; किन्तु बड़े ही भद्र और समझदार मनुष्य थे। वे बालकोंके शान्त आचरण तथा उनकी प्रफुल्लता और आज्ञा पालनको देख बहुत ही प्रशंसा किया करते, और थोड़ी उमर वाले बालकोंके साथ हंसी दिल्लगी तथा दूसरे असामियोंसे राजनीति, धर्म और दर्शनके विषयमें चर्चा भी किया करते थे। डाक्टर साहब आयर्लैण्ड निवासी थे, उस उदार जातिके बहुतसे गुण उनमें भी थे, उनमें निठुराई कुछ भी न थी। समय समय पर क्रोधके वश हो वे रूक्ष वा कठोर आचरण भी करते थे; किन्तु दूसरोंका उपकार करना उनको प्रिय था। वे जेलके कैदियोंकी चतुराई और उनके बनावटी रोग प्रति दिन देखा करते थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि वे सच्चे रोगीको बना हुआ रोगी समझकर टला दिया करते; परन्तु रोगको ठीक समझ लेनेपर बड़ी दया और यत्नके साथ रोगीकी व्यवस्था करते थे। मुझे एक बार सामान्य रोग हुआ, वह बरसातका समय था, उस बड़े दालानमें बहुतसी खिड़कियां होनेके कारण पनिहा-हवा आया करती थी, तो भी हस्पतालमें जाने अथवा दवा पीने की मेरी इच्छा न होती थी। रोग वा चिकित्साके बारेमें मेरा मत कुछ बदल गया था और औषध सेवनमें भी मुझे कुछ श्रद्धा

न थी। मुझे विश्वास था कि यदि रोग अधिक कठोर न हो, तो प्रकृतिकी साधारण कियासे ही स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। बरसातकी हवाके लगनेसे जो कुछ कष्ट होना सम्भव था, उसको योगबलसे दमन कर अपनी योग-क्रियाकी सफलताको तर्क और बुद्धिसे सिद्ध कर दिखानेकी भी मेरी इच्छा थी, परन्तु डाक्टर साहब मेरी ओरसे बड़े हो चिन्तित रहा करते थे। उन्होंने बड़े ही आग्रहके साथ मुझे हस्पतालमें जानेकी जरूरत समझायी। मेरे अस्पतालमें पहुंचने पर उन्होंने जहां तक हो सका मेरे कहनेसे खाने और पीनेका घरकासा प्रबन्ध कर दिया और मुझे बड़े ही आदरसे रखा। इस विचारसे कि कहीं वार्डमें रहनेसे बरसात के कारण मेरा स्वास्थ्य फिर बिगड़ न जाय, उनकी यही इच्छा थी कि और कुछ दिन मुझे इसी सुखमें रखें। किन्तु हस्पतालमें रहनेको मेरी इच्छा न हुई और मैं ज़बरदस्ती वार्डमें लौट आया। डाक्टर साहबका अनुग्रह सभीपर एकसा न था विशेषकर उन लोगोंको जो पुष्ट और बलवान थे रोगी हो जानेपर भी वे हस्प-तालमें रखते हुए डरते थे।

ये भूलसे समझते थे कि यदि जेलमें किसी प्रकारकी कोई दुर्घटना होना सम्भव है, तो केवल मज़बूत बालकों ही से, परन्तु अन्तमें इसका ठीक उलटा हुआ। हस्पतालमें जो घटना हुई उसके करनेवाले व्याधिमें फंसे हुए अत्यन्त दुर्बल और सूखी हुई काया

वाले सत्येन्द्रनाथ बसु, रोग क्लिष्ट धीर और स्वभावसे ही कम बोलनेवाले कन्हैयलालदत्त ही थे। डाकृर डेलीमें अनेक गुण होते हुए भी बाबू वैद्यनाथ ही उनको सत्कर्मकी ओर ले जाते थे। वास्तव में बाबू वैजनाथके सदृश हृदयवान् मनुष्य मैंने न कभी पहले देखा था और न अब देखनेकी आशा ही है, उन्होंने मानो दया और उपकार करनेके लिये ही जन्म लिया था। किसीके दुःखकी बात सुनते ही उसके दुःखोंको कम करनेके लिये दौड़ना उनके चरित्रका मानो स्वाभाविक गुण था।

इस यन्त्रणापूर्ण दुःखालयमें नरकके प्राणियोंको वे स्वर्गीय सुखसे रखनेकी चेष्टा करते थे। किसी प्रकारके भी अभाव, अन्याय अथवा कष्टको दूर करनेका सबसे अच्छा उपाय यह था कि वह बात डाकृर बाबूके कानों तक पहुंचा दी जाय। यदि उसका दूर करना उनकी शक्तिके भीतर होता तो वे उसको उठा न रखते थे। बाबू वैद्यनाथका हृदय देशभक्तिसे भरा हुआ था, किन्तु सरकारी नौकर होनेके कारण वे अपने हृदयके भावोंको चरितार्थ न कर सकते थे। उनका एक मात्र दोष केवल अधिक सहानुभूति दिखलाना ही था। यदि इस प्रकारका आचरण जेलके कर्मचारियोंके लिये ठीक न भी हो तो भी उच्च नीतिके अनुसार मनुष्यत्वका पूरा विकाश इसीमें है और भगवान्‌को यह गुण अधिक प्रिय कहा जाता है। साधारण कैदियों और 'बन्दे-

मातरम्'के कैदियोंमें वे किसी प्रकारका भेद न रखते थे। किसी-की पीड़ित देखते ही वे बड़े यत्नसे हस्पताल ले जाकर रखते और जबतक पूर्ण रूपसे वह स्वास्थ्य लाभ न कर लेता, तबतक उसको छोड़नेकी इच्छा न करते थे। यही दोष उनके नौकरीसे निकाले जानेका कारण हुआ। गुसांईकी हत्याके पीछे कार्य-कर्ताओंने उनके इस आचरणपर सन्देह प्रकट कर अन्यायके साथ उनको नौकरीसे निकाल दिया!

इन सब कर्मचारियोंकी दया और उनके मानुषिक व्यवहारके वर्णन करनेकी विशेष आवश्यकता है। हम लोगोंके लिये जेलमें जो कुछ बन्दोबस्त किया गया था, उसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं और आगे चलकर भी बृटिश जेलप्रणालीकी अमा-नुषिक निठुराईको सिद्ध करनेकी चेष्टा करूंगा। कहीं पाठक इस निठुराईका कारण कर्मकारियोंका कुचरित्र ही न समझें, इस कारणसे मैंने प्रधान प्रधान कर्मचारियोंके गुण वर्णन किये हैं। कारावासकी प्रथम अवस्थाके विवरणमें उन लोगोंके इन सब गुणोंके और भी प्रमाण मिलेंगे।

निर्जन कारावासमें पहले दिन जो कुछ मेरे मनकी अवस्था थी, वह मैं वर्णन कर चुका हूं। यहां पर मुझे कुछ दिन बिना किसी पुस्तक इत्यादिक के ही बिताने पड़े। इसके पीछे एक दिन एमर्सन साहबने आकर मुझे अपने मकानसे धोती, कुरता

और पढ़नेकी किताबें मंगवानेकी आज्ञा दे दी। मैंने जेलके कर्मचारियोंसे दवात, कलम और जेलका छपा हुआ चिट्ठीका कागज मंगवाकर एक पत्र अपने पूजनीय मौसाजीको जो 'सञ्जीवनी' पत्रके सुप्रसिद्ध सम्पादक थे--धोती, कुरता, और पढ़ने की किताबोंमें गीता और उपनिषद् भेजनेको लिखा। दो चार दिन पीछे यह पुस्तकें मेरे हाथमें पहुंचीं। इनके पहिले निर्जन कारावासके महत्वको समझनेका मुझे पूरा अवसर मिल चुका था। मैंने जान लिया कि इस प्रकारके कारावासमें दृढ़ और सुप्रतिष्ठित बुद्धि भी क्यों नष्ट होने लगती है और मनुष्य थोड़े ही दिनोंमें उन्मादकी अवस्थाको क्यों प्राप्त हो जाता है, किन्तु साथ ही मैं यह भी समझ गया कि इस प्रकारके निर्जन कारावास में ही भगवानकी असीम दयाको अनुभव करने और उनके साथ युक्त होनेका कैसा दुर्लभ अवसर मिलता है। कारावासके पहले हम लोगोंका एक घण्टा सवेरे और एक घण्टा शामको ध्यान करनेका अभ्यास था। इस निर्जन कारावासमें और कोई काम न होनेके कारण मैंने अधिक समय ध्यानमें ही व्यतीत करने की चेष्टा की, किन्तु मनुष्यके चञ्चल मनको जो कि सहस्रों ओर दौड़ता रहता है, ध्यानसे एकाग्र करना अनभ्यस्त लोगोंके लिये सहज नहीं है। ज्यों त्यों करके डेढ़ दो घण्टे तक मैं एक भावसे रह सकता था, परन्तु अन्तमें मन विद्रोही और शरीर अवसन्न हो ही जाता था। पहिले-पहल मुझे अनेक चिन्तायें

रहती थीं। किन्तु कुछ दिन पीछे मनुष्यको वह आलाप रहित चिन्ता भी जो कि विषयशून्य, असहनीय तथा अकर्मण्य थी धीरे धीरे मेरे मनसे लोप होने लगी; मेरी अवस्था ऐसी हो गई कि मानो सहस्रों अस्पष्ट चिन्ताएं मेरे मनके किवाड़ोंके चारों ओर घूमती रहती थीं; किन्तु उनके प्रवेश करनेका द्वार बन्द था। दो एक चिन्ताएं प्रवेश करनेमें समर्थ भी हुईं, किन्तु हृदय-राज्यको एकदम सुनसान पाकर धीरे धीरे वे भी भागने लगीं। मैं बेकारी और लाचारीके कारण बहुत ही मानसिक कष्ट पाने लगा। प्रकृति की शोभासे अपने चित्तकी वृत्तिको स्निग्ध करने तथा जलते हुए हृदयको ठंढा करनेकी आशासे मैंने एकबार बाहरकी ओर दृष्टि डाली किन्तु वही एकमात्र वृक्ष, वही थोड़ा सा नीले आकाश का टुकड़ा और वही जेलका निरानन्द दृश्य, इन सबसे मनुष्यका इस अवस्थाको पहुंचा हुआ मन, कबतक धीरज धर सकता है? दीवारोंकी ओर दृष्टि डाली। जेलकी उन निर्जीव सफेद दीवारोंके दर्शनसे मेरा मन और भी निरुपाय होकर मस्तिष्क-रूपी पिंजरेमें छटपटाने लगा। मैं फिर ध्यान करनेको बैठा, किन्तु किसी प्रकार भी चित्त एकाग्र न हो सका। उलटा उस तीव्र विफल चेष्टासे मेरा मन और भी सुन्न हो गया और बेकारी-के कारण भीतरसे जलने लगा। मैं चारों ओर देखने लगा। अन्तमें मैंने देखा कि धरती पर कई काली काली चींटियां अपने बिलके पास घूम रहीं थीं। उनकी चाल चेष्टा और चरित्रको

देखते देखते मेरा समय बीत गया। इसके पीछे मैंने देखा कि कुछ छोटी छोटी लाल चींटियां भी घूम रहीं थीं। इतनेमें काली चींटियों और लाल चींटियोंमें लड़ाई आरम्भ हो गई। लाल चींटियां काली चींटियोंको काट काट कर उनके प्राण लेने लगीं। अत्याचारसे पीड़ित काली चींटियोंकी ओर मेरे चित्तमें बड़ी दया और सहानुभूति उत्पन्न हुई। मैं काली चींटियोंकी जान बचाने लगा। मुझे यह एक काम मिल गया और चिन्ता करनेका भी अवसर मिला। मैंने इन चींटियों ही की सहायतासे अपना कुछ समय बिताया, किन्तु लम्बे २ दिनोंको बितानेका और कोई भी उपाय न था। मैंने अपने मनको समझाया, ज़बरदस्ती उसमें चिन्ताको प्रवेश कराया, किन्तु इसपर भी दिनों दिन मेरा मन विद्रोही बनकर हाहाकार मचाने लगा। मानो काल उसको असहनीय बोझके समान पीड़ा दे रहा था। उस बोझसे मेरा मन टुकड़े २ होने लगा, उसमें अब सांस लेने तककी शक्ति न रही, जैसे स्वप्नमें शत्रु द्वारा आक्रमण किया हुआ मनुष्य दम घुट कर मरने पर भी हिलने डोलने अथवा हाथ पैर फेंकनेकी शक्ति नहीं रखता, अपनी इस प्रकारकी अवस्था को देखकर मुझे आश्चर्य्य हुआ। मैं कभी बेकार अथवा निश्चेष्ट रहना पसन्द न करता था, किन्तु मैंने कईबार अकेले रह कर चिन्तामें अपना समय व्यतीत किया। परन्तु इस समय न जाने ऐसी क्या मनकी दुर्बलता हुई कि थोड़े ही दिनोंकी

निर्जनतासे मैं इतना व्याकुल हो गया। मैं सोचने लगा कि शायद उस स्वेच्छाप्राप्त निर्जनता और इस जबरदस्तीकी निर्जनतामें बड़ा भेद है। अपने घरमें अकेले बैठ कर समय बिताना एक और बात है और दूसरेकी इच्छासे कारागारमें निर्जन-वास करना दूसरी बात है। अपने घरमें जब मन चाहे तब ही मनुष्यका आश्रय लिया जा सकता है। पुस्तकोंके ज्ञान और उनकी ललित भाषा, मित्रोंके प्रिय सम्भाषण, रास्तेका कोलाहल तथा जगत्‌के विविध दृश्योंसे मनको तृप्त और हृदयको शीतल किया जा सकता है, किन्तु यहांपर कठिन नियमोंमें रह कर दूसरोंकी इच्छाके अनुसार समस्त मनुष्य समाजसे दूर रहना पड़ता है। कहावत है "जो निर्जनताको सह सकता है वह या तो देवता है और नहीं तो पशु है।" यह संयम-मनुष्य साधनसे बाहर है। पहिले मैं भी इस बातपर विश्वास नहीं कर सकता था, परन्तु अब मैं समझता हूं कि योगसाधन करनेवालोंको भी यह साधन सहज नहीं है। इटली देशके राजहत्याकारी ब्रेशी-का भयानक परिणाम मुझे इस समय याद आया। उनके निठुर न्यायाधीशोंने उनको प्राण दण्ड न दे, सात वर्षके लिये निर्जन कारावासका ही दण्ड दिया था। एक वर्ष बीतते बीतते वे पागल हो गये, परन्तु उन्होंने तो भी इतने दिन सहन किया ही था। क्या मेरे मनकी दृढ़ता इससे भी कम थी? उस समय मेरी समझमें यह न आया कि भगवान मेरे साथ केवल

खेल रहे थे, किन्तु खेलके वहाने वे मुझे कोई प्रयोजनीय अग्नि-शिक्षा दे रहे थे। प्रथम यह कि मनकी दूढ़ अवस्था होनेसे निर्जन कारावासका कैदी जन्मतत्वको ओर जाने लगता है। भगवानने यह सब दिखाकर मुझे निर्ज न कारावासको अमानुषिक निठुराई को समझाया और मुझको युरोपको जेल प्रणाली और जेल-प्रणालीका घोर विरोधी वना दिया जिससे कि मैं अपनी शक्ति भर अपने देशके लोगों और जगत्के मनुष्योंके चित्तोंको इस अन्यायसे हटा कर उनको दयासे भरी हुई जेल-प्रणालीके पक्षमें लानेको चेष्टा करूं। मुझे याद पड़ता है कि पन्दरह वर्ष हुए जब मैं विलायतसे लौटकर अपने देशको आया था, उस समय बम्बईके 'इन्दुप्रकाश' नामक सम्बाद पत्रमें मैंने कांग्रेसकी निवेद-ननीति (Begging policy) के विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद पूर्ण लेख लिखना आरम्भ किया था। उस समय स्वर्गीय महादेव-गोविन्द रानाडेने युवकोंके हृदयपर इन लेखोंका प्रभाव पड़ता हुआ देखकर लेखोंके वन्द करनेके उद्देश्यसे मेरे साथ आध घण्टे तक तर्क किया था और इस कार्यको परित्याग करनेके लिये कांग्रेसके किसी कार्यको ग्रहण करनेके लिये मुझे उपदेश दिया था। उन्होंने जेल-प्रणालीके संशोधन का भार मेरे ऊपर देनेकी इच्छा प्रकट की थी। रानाडे महोदयकी इस अचिन्तित युक्तिसे मैं भी बहुत ही हैरान और असन्तुष्ट हो गया था। और उस भारको अपने ऊपर लेनेसे मैंने इनकार कर दिया था।

उस समय मैं नहीं जानता था कि यह बात केवल एक दूरके भविष्यका पूर्वाभास है और एक दिन स्वयम् भगवान एक वर्षके लिये जेलमें रखकर उस प्रणालीकी निठुराई तथा उसके संशोधनकी आवश्यकता मुझे समझावेंगे, लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज कलकी राजनीतिक अवस्थामें इस जेलकी प्रणालीका संशोधन होना असम्भव नहीं है, किन्तु इस बातके भयसे कि कहीं स्वराज्य प्राप्त भारतमें भी यह विदेशी सभ्यताका नारकीय अंश न रह जावे तथा इस युक्तिको दिखानेके लिये मैंने जेलमें ही अपनी अन्तरात्माके सामने इसका प्रचार करनेकी प्रतिज्ञा की। भगवानका दूसरा उद्देश्य मेरे मनके सन्मुख रख कर उसको चिरकालके लिये नाश कर देना था। जो मनुष्य योगसाधन करना चाहता है,उसके लिये जनता और निर्जनता एक सामान होनी चाहिये। वास्तवमें थोड़े ही दिनोंमें मेरी यह दुर्बलता जाती रही। अब मुझे ऐसा मालूम होता है कि यदि मैं दस वर्ष अकेला रहूं तो भी मेरा मन तनिक न घबरावे। मङ्गलमय भगवान अमङ्गलसे भी परम मङ्गल उत्पादन करते हैं। तीसरी शिक्षा मुझे यह मिलनी थी कि केवल मेरी ही चेष्टासे योग साधन नहीं होगा। श्रद्धा तथा पूर्ण आत्मसमर्पण, सिद्धि लाभ करनेके उपाय हैं। भगवान् स्वयम् प्रसन्न होकर जो शक्ति, सिद्धि अथवा आनन्द देंगे उसीको ग्रहणकर उनके ही कार्यमें लगना मेरी योग-लालसाका एक मात्र

उद्देश्य होना चाहिये। जिस दिनसे अज्ञानताका प्रगाढ़ अन्धकार कम होने लगा, उसी दिनसे मैं जगत्‌की समस्त घटनाओंको देख देखकर मङ्गलमय श्रीहरि के आश्चर्यमय अनन्त मङ्गल स्वरूप को समझने लगा। जगत्‌की कोई घटना ऐसी नहीं होती—चाहे वह घटना महान हो वा क्षुद्र अथवा क्षुद्रसे क्षुद्र भी क्यों न हो—कि जिसके द्वारा कोई मङ्गलकार्य सम्पादित न होता हो। भगवान् प्रायः एक कार्यसे अनेक उद्देश्योंको सिद्ध करते हैं। हम लोग बहुत बार जगत्‌में एक अन्धि शक्तिका खेल देखते हैं और इस शक्तिको नष्ट होते देख भगवानकी सार्थकताको स्वीकार न करते हुए और ईश्वरीय बुद्धिको दोष देते हुए शक्तिका निष्फल जाना ही प्रकृतिका नियम बतलाने लगते हैं, किन्तु यह अभियोग निर्मूल है। ईश्वरीय शक्ति कभी अन्धे तौरसे कार्य नहीं करती, उनकी शक्तिका एक बिन्दु भी नष्ट नहीं हो सकता, वरन् वे संयमित भावसे अल्प व्यय पर ऐसे २ अनेक फल उत्पादन करते हैं जो कि कभी मनुष्यकी कल्पना में भी नहीं आ सकते।

इस प्रकार मनको विश्चेष्टतासे पीड़ित हो मैंने कई दिन बड़े कष्टके साथ बिताये। एक दिन शामको मैं कुछ सोच रहा था। अनेक चिन्ताएं मेरे मनमें उत्पन्न हो रही थीं। धीरे धीरे वे सब चिन्ताएं ऐसी बेमेल होने लगीं कि चिन्ताके

ऊपर बुद्धि की निग्रहशक्ति मुझे स्पष्ट रूपसे लोप होती हुई दिखाई पड़ी। परन्तु जब मेरा मन कुछ ठिकाने आया तब मुझे याद पड़ा कि बुद्धिकी निग्रह-शक्तिके लोप हो जानेपर भी स्वयम् बुद्धि एक मुहूर्तके लिये भी लोप अथवा भ्रष्ट नहीं हुई थी, वरन् शान्त भावसे मनको इस अपूर्व क्रियाको जांच रही थी, किन्तु मैं उस समय पागल हो जानेके भयसे घबराकर इस बातको न समझ सका। मैंने जी भरकर भगवानका आह्वान किया और अपनी बुद्धिको भ्रष्ट होनेसे बचानेके लिये उनसे हृदयसे प्रार्थना की। ठीक उसी समय मेरे समस्त अन्तःकरणमें एक ऐसी शक्ति फैल गयी कि मेरा समस्त शरीर शीतल हो गया, मेरा जलता हृदय स्निग्ध, प्रसन्न और सुखी हुआ कि उस प्रकारका आनन्द मैंने अपने जीवनमें पहले कभी भी अनुभव न किया था। जिस प्रकार एक बालक बेफिकर और निडर हो अपनी माताकी गोदमें सोता है, उसी प्रकार मैं भी विश्वजननीकी गोदमें सोने लगा। इस दिनसे मेरे कारावासके समस्त कष्ट दूर हो गये। इसके पीछे कैदकी अशान्तिसे, निर्जनता और बेकारीके कारण मनकी बेचैनी तथा शारीरिक क्लेश और व्याधिसे मैं कभी कभी कातर हो जाता था। किन्तु उस दिन भगवानने मुहूर्त्त मात्रमें मेरी अन्तरात्माको वह बल प्रदान किया कि जिससे ये सब कष्ट मेरे हृदयमें आ आकर लौट जाते, पर इनका कोई भी चिन्ह मेरे मनमें न रह जाता। दुःखमें

रहते हुए भी मैं बल और आनन्द ही मनुभव करता था। मेरी बुद्धि भी मनके इस दुःखको नाश करनेके योग्य बन गयी थी। यह सब दुःख और कष्ट "पद्म पत्रमिवांभसा"—कमलके पत्ते के ऊपर जल बिन्दुके समान प्रतीत होते थे। इसके पीछे जब मेरी पुस्तकें आयीं उस समय पुस्तकोंकी आवश्यकता भी बहुत घट गयी थी। यदि वे पुस्तकें न भी आतीं तो भी मैं रह सकता था।—यद्यपि अपने आन्तरिक जीवनका इतिहास लिखना इस प्रबन्धका उद्देश्य नहीं, तथापि इन घटनाओंको लिखे बिना मैं नहीं रह सकता। क्योंकि यह बात केवल इन घटनाओं ही से मालूम हो सकती है कि इसके पीछे बहुत दिनोंतक निर्जन कारावासमें आनन्दसे रहना कैसे सम्भव हुआ।

इसी कारण भगवानने मेरी यह दशा कर दी थी। उन्होंने मुझे पागल न बनाकर निर्जज कारावासमें उन्मत्तता धीरे धीरे कैसे उत्पन्न होती है, इसीका खेल मेरे हृदयपर कर बुद्धिको उस अभिनयका अविचलित दर्शक बना रखा था। इस सबसे मुझे शक्ति प्राप्त हुई। तथा निठुरता और अत्यारचारसे पीड़ित मनुष्योंपर मेरी दया और सहानुभूति अधिक होने लगी। प्रार्थना करनेकी असाधारण शक्ति तथा सफलता भी मुझमें बढ़ने लगी, मेरे निर्जन कारावासके समय डाक्टर डेली और सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब प्रायः [प्रतिदिन मेरे कमरेमें आकर मुझसे दो चार बातें

किया करते थे। मैं नहीं जानता कि मेरे ऊपर उन लोगोंका इतना अनुग्रह और सहानुभूति क्यों थी। मैं उन लोगोंके साथ अधिक बात चीत न करता, वे जो कुछ मुझसे पूछा करते केवल उसका उत्तर दे देता था। जो कोई विषय वे उठाते, मैं उसको चुप चाप सुनता रहता अथवा दो एक बातें कहकर चुप हो जाता। तथापि वे लोग मेरे पास आना न छोड़ते थे। एक दिन डाक्टर डेलीने मुझसे कहा कि,—'मैंने सुपरिण्टेण्डेण्टसे कह कर बड़े साहबकी सम्मति ले ली है कि आप सबेरे और शामको डिक्रीके सामने घूम फिर सकते हैं। मुझे यह बहुत ही बुरा मालूम होता है कि आप रात दिन एक छोटीसी कोठरीमें बन्द पड़ें रहें। इससे मन और शरीर दोनों बिगड़ जाते हैं।' उसी दिनसे मैं सुबह शाम डिक्रीके सामने खुली जगहमें घूमने लगा। शामको दस पन्द्रह अथवा बीस मिनट तक, किन्तु सुबहको एक घण्टा और किसी किसी दिन दो घण्टेतक बाहर घूमता रहता था। समयका कोई नियम न था। मुझे यह समय बहुत ही अच्छा मालूम होता था। एक ओर जेलका कारखाना और दूसरी ओर गोशाला, यही मेरे स्वाधीन राज्यकी सीमा थी। कारखानेसे गोशाला और गोशालासे कारखानेकी ओर घूमा करता और घूमतेर उपनिषदोंके गम्भीर भावोद्दीपक और अक्षय शक्ति देनेवाले मन्त्रोंकी आवृत्ति करता रहता अथवा कैदियोंके कार्य और उनका आना जाना देख इस मूल तत्त्वको समझनेकी चेष्टा

करता कि समस्त घट २ में नारायण ही व्यापक है। वृक्षों,मकानों, दीवारों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, धातु, मिट्टी "सर्व खल्विदं ब्रह्म" इस मन्त्रको मन ही मनमें उचारण करता और उसी प्रकार अनुभव करनेकी चेष्टा करता। ऐसा करते २ मेरी यह अवस्था हो जाया करती कि करागार मुझे कारागार नहीं प्रतीत होता था। वह ऊंची चार दीवारी, वे लोहेके सींखचे, वे सफेद दीवारें वे सूर्यकी किरनोंसे चमकते हुए वृक्षोंके नीले पत्ते वे सब छोटी बड़ी चीजें मानो अब मेरे लिये अचेतन न थीं, किन्तु सर्वव्यापी चैतन्य रूप धारण कर सजीव हो गयी थीं। मुझे ऐसा प्रतीत होने गला कि वे सब पदार्थ मुझे प्यार करते हैं और मुझे आलिङ्गन करनेको उद्यत हैं। मनुष्य, गाय, चींटी, चिड़िया सब चलते, उड़ते, गाते तथा बात करते हैं किन्तु वह सब प्रवृत्ति का केवल एक खेल है। इन सबोंके भीतर एक महान, निर्म्मल, निर्लिप्त आत्मा शान्तिमय आनन्दमें निमग्न है। कभी२ ऐसा बोध होता था कि मानो भगवान उन वृक्षोंके नीचे आनन्दकी बांसुरी बजाते हैं और उसको मधुरतासे मेरे हृदयको ओर खींच रहे हैं। मुझे सर्वदा यही प्रतीत होता था कि मानों कोई मुझे आलिङ्गन किये हुए है, कोई मुझे अपनी गोदमें लिये हुए है। इस भावके विकाशने मेरे समस्त मन प्राणको अपने अधिकारमें कर लिया। एक ऐसी निर्मल शान्ति मेरे हृदयमें निवास करने लगी कि जिसका वर्णन करना मेरे सामर्थ्यसे

बाहर है। मेरे हृदयके कपाट खुल गये तथा समस्त जीवोंकी ओर प्रेमकी धारा बहने लगी। प्रेमके साथ दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि सात्विक भावोंने मेरे रजस्को ढक लिया और अपना ही अधिक विकास करने लगे तथा जितना जितना इन भावोंका प्रकाश होने लगा, उतना उतना ही आनन्द बढ़ने लगा और निर्मल शान्तिका भाव गम्भीर होने लगा। मुकद्दमेकी दुश्चिन्ता तो पहले ही दूर हो चुकी थी, अब मेरे हृदयमें एक दूसरी बात पैदा हुई। मुझे यह दृढ़ विश्वास हो गया कि भगवान मङ्गलमय हैं और मेरे मङ्गलके लिये ही मुझे करागारमें लाये हैं, मैं निश्चय ही निर्दोष प्रमाणित होकर कारागारसे छूट जाऊंगा। इसके पीछे बहुत दिनोंतक मुझे जेलका कोई कष्ट भोगना न पड़ेगा।

इस अवस्थाको दृढ करनेमें मुझे कई दिन लग गये, इसी बीचमें मैजिस्ट्रेट साहबकी अदालतमें मुकद्दमा आरम्भ हो गया। निर्ज्जन कारावासके सन्नाटेसे एक दम कोलाहलमें लाये जानेके कारण पहिले पहल मेरा मन बहुत ही विचलित हुआ, साधनकी स्थिरता भङ्ग हो गई और पांच घण्टे मुकद्दमेकी रूखी और बखेड़े वाली बात सुननेको किसी सूरतसे भी मेरा जी नहीं चाहता था। पहिले मैं अदालतमें ही बैठकर साधन करनेकी चेष्टा किया करता, किन्तु अनभ्यस्त मन प्रत्येक शब्द और दृश्यकी

ओर आकर्षित होता और गोलमालमें मेरा प्रयत्न व्यर्थ जाता। कुछ दिन पीछे इस भावका परिवर्त्तन हो गया। आस पासके शब्दों और दृश्योंको मनसे बाहर निकाल समस्त चिन्ताशक्तिको भीतरकी ओर ले जानेकी शक्ति मुझमें उत्पन्न होगई। किन्तु मुकद्दमेंके आरम्भमें यह बात न हो सकी। उस समय ध्यान करनेकी पूरी शक्ति मुझमें न थी। इस कारण उस वृथा चेष्टा को परित्याग कर मैं कभी कभी सब भूतोंमें ईश्वरको देख कर ही सन्तुष्ट हो जाता था। जो कुछ समय इससे बचता, उसमें मैं अपने साथियोंकी बिपद्की कथा सुनता और उनकी कार्रवाईको देखता अथवा कोई दूसरी बात सोचता। कभी कभी नार्टन साहब की सुनने योग्य बातें अथवा गवाहोंकी गवाही भी सुनता। मैंने देखा कि निर्जन कारावासमें समयका बिताना जितना सहज और आनन्ददायक था, मनुष्योंमें और उस भारी मुकद्दकेमें जहांपर कि जीवन मरणकी बातें हो रही थीं, वैसा सहज न था। अभियुक्त बालकोंकी हंसी दिल्लगी सुनने और उनका आमोद प्रमोद देखनेमें बड़ा ही आनन्द मालूम होता था, नहीं तो अदालतका समय बड़ा ही रूखा मालूम होता था। साढ़े चार बजे बड़े आनन्दके साथ कैदियोंकी गाड़ीपर सवार हो हम लोग जेल लौट आया करते थे।

पन्द्रह सोलह दिनकी कैदके पीछे स्वाधीन मनुष्य-जीवनके

संसर्गसे तथा एक दूसरेसे बात चीत करनेका अवसर प्राप्त होने से कैदियोंको बड़ा ही आनन्द हुआ। गाड़ीमें बैठते ही उन लोगोंमें हंसी दिल्लगीका फव्वारा खुल जाता था और दश मिनट तक जब तक वे गाड़ीपर रहते, मुहूर्त मात्रके लिये भी वह स्रोत बन्द न होता। पहले दिन बड़े ही सम्मानके साथ हम लोगोंको अदालतमें ले गये। हम लोगोंके साथ एक युरोपियन सार्जेण्ट की छोटी पल्टन थी। उन सबके पास भरी हुई पिस्तौलें रहा करती थीं। गाड़ीपर चढ़ते समय शस्त्रधारी पुलिसका एक दल हमलोगोंको घेरकर खड़ा हो जाता और गाड़ीके पीछेसे कूचकी आवाज़ करता। गाड़ीसे उतरते समय भी यही प्रबन्ध था। इस सब सामानको देखकर कोई कोई अनभिज्ञ दर्शक निश्चय यह समझते होंगे कि न जाने यह हास्यप्रिय अल्पायु बालक कितने बड़े दुःसाहसिक, विख्यात और महान योद्धा हैं! न जाने इन लोगोंके हृदयों और शरीरोंमें कितना बल और साहस है कि सहस्रों पुलिसवालों और गोरे सिपाहियोंसे घिरे होनेपर भी उन सबको भेदकर ये खाली हाथ रहते हुए भाग जा सकते हैं। बोध होता है इसी कारण इन लोगोंको इतने बड़े सन्मानके साथ ले जाते हैं कई दिन तक यही ठाठ रहा। परन्तु पीछेसे यह ठाठ धीरे धीरे कम होने लगा। अन्तमें केवल दो चार सार्जेण्ट हम लोगोंको ले जाया करते और ले आया करते थे। गाड़ीसे उतरते समय भी वे लोग हम लोगों पर कुछ अधिक

दृष्टि न रखते थे, वे यह भी न देखते थे कि हम लोग जेलमें किस प्रकार घुसते हैं। हम लोग जेलमें इस प्रकार प्रवेश किया करते कि मानो स्वाधीन भावसे घूम फिरकर घर लौट रहे हैं। इस प्रकारकी ढीलढाल देख पुलिसके कमिश्नर साहब और कई एक वार सुपरिण्टेण्डेण्टने बड़े नाराज़ हो कर कहा कि "पहले दिन पच्चीस तीस सार्जेण्टोंका बन्दोबस्त किया गया था और अब देखते हैं कि चार पांच आदमी भी नहीं आते।" वे लोग सार्जेण्टोंका तिरस्कार कर हम लोगोंकी रक्षाका कठोर प्रबन्ध कर दिया करते थे। ऐसा करनेपर दो चार दिनके लिये दो एक सार्जेण्ट और बढ़ जाते, किन्तु फिर वही पहलेके समान शिथिलता आरम्भ हो जाती। सार्जेण्टोंने देखा कि ये सब 'बम' के भक्त बड़े निरीह और शान्त मनुष्य हैं, वे लोग भागनेका कोई उद्योग नहीं करते, किसीपर आक्रमण करना अथवा किसीकी हत्या करना भी इनका मन्तव्य नहीं मालूम होता। सार्जेण्टोंने सोचा कि हमलोग अपने अमूल्य समयको इस व्यर्थ कार्यमें क्यों नष्ट करें। पहले पहल अदालतमें घुसते और निकलते समय हम लोगोंकी तलाशी हुआ करती थी। तलाशीके समय हम लोग सार्जेण्टोंके कोमल हाथोंके स्पर्शसे सुख अनुभव करते थे। इसके अतिरिक्त इस तलाशीसे किसीको लाभ व हानिकी सम्भावना न थी। यह भी भली भांति प्रकट हो गया कि हम लोगोंकी रक्षा करनेवालोंकी इस तलाशीकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती थी। दो

चार दिनके बाद वह भी बन्द हो गई। अब हम लोग बिना किसी रोक टोकके पुस्तक, रोटी, चीनी जो चाहते अदालतके भीतर ले जाते। पहले पहल छिपाकर और फिर खुल्लम खुल्ला ले जाया करते थे। सार्जेण्टोंको शीघ्र ही विश्वास हो गया कि हम लोग वहांपर पिस्तौल अथवा बमका गोला न चलावेंगे, किन्तु मैंने देखा कि एक भय, सार्जेण्टोंके हृदय से दूर न हुआ। वह यह था कि न जाने किस दिन किसके मनमें मेजिस्ट्रेट साहबके माननीय मस्तक पर जूता फेंकनेकी बुरी इच्छा उत्पन्न हो जावे और यदि ऐसा हुआ तो सर्वनाश हो जायगा! इस कारण जूता पहन कर भीतर जाना निषेध था। इस विषयमें सारजेण्ट लोग सर्वदा होशियार रहते थे और किसी बातपर मैंने उनको विशेष सावधान रहते नहीं देखा।

मुकद्दमेका स्वरूप कुछ विचित्र ही था। मैजिस्ट्रेट, वकील, गवाह, गवाही, सबूतके पदार्थ (exhidits) तथा असामी सब ही विचित्र थे। प्रतिदिन गवाहों तथा पदार्थोंका अविराम-स्रोत जारी रहता था। वकीलों का नाटकका सा अभिनय, उस बालक स्वभाव मैजिस्ट्रेटकी बालकोंकीसी चपलता और लघुता, उन अपूर्व असामियोंके अपूर्व भाव इत्यादि देखते देखते अनेक बार यह कल्पना हृदयमें उत्पन्न होती थी कि हम लोग बृटिश न्यायालयमें नहीं बैठे हैं, वरन् किसी नाटक घरके तमाशेमें अथवा कल्पनापूर्ण

किसी उपन्यासके राज्यमें बैठे हुए हैं। अब मैं उस स्वराज्यके विचित्र जीवोंका संक्षिप्त वर्णन करता हूं।

इस नाटकके प्रधान अभिनेता सरकार बहादुरके वकील नार्टन साहब थे। वे प्रधान अभिनेता इस लिये थे, क्योंकि वे ही इस नाटकके रचने वाले, सूत्रधार (Stage manager) तथा गवाहोंके स्मारक (prompter) भी थे। ऐसी विचित्र प्रतिभाके मनुष्य इस जगत्में विरले ही होते हैं। नार्टन साहब मद्रासी हैं इस कारण ऐसा बोध होता है कि बङ्ग देशकी बैरिस्टर-मण्डलीकी प्रचलित नीति और भद्रतामें वे अनभ्यस्त, अनभिज्ञ हैं। वे किसी समय जातीय महासभाके एक नेता भी थे, इस कारण ऐसा बोध होता है कि विरुद्धाचरण वा प्रतिवाद सहनेमें वे असमर्थ हैं तथा विरुद्धाचरण करने वाले पर शासन करनेमें अभ्यस्त हैं। इस प्रकारकी प्रकृतिको लोग सिंहस्वभाव कहते हैं। मैं नहीं कह सकता कि नार्टन साहब कभी मद्रास कार्पोरेशनके सिंह भी थे कि नहीं, परन्तु निःसन्देह अलीपुर कोर्टके वे सिंह ही थे। उनके कानूनी ज्ञानकी गम्भीरतामें मुग्ध होना कठिन था। कानूनका ज्ञान उनको ऐसा ही था जैसा गरमीमें जाड़ा। किन्तु उनकी वक्तृताका अनरगल स्रोत उनकी बातोंकी चिकनाहट, बातोंके बलसे छोटीसी गवाहीको बड़ा बनानेकी अद्भुत शक्ति, अमूलक वा अल्पमूलक उक्तियोंकी दुःसाहसिकता,

गवाहों और छोटे (Junior) बैरिस्टरोंपर तम्बीह तथा सफेद को काला बतानेको मनमोहिनी शक्तिमें नार्टन साहबकी अतुलनीय प्रतिभाको देख मुग्ध होना पड़ता था।

श्रेष्ठ वकीलोंको तीन श्रेणी हैं। एक वे जो कानूनी पाण्डित्य, यथोचित व्याख्या तथा सूक्ष्म विश्लेषणसे जजके मनमें प्रतीती उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे वे जो चतुराईके साथ गवाहोंसे सत्य बात निकाल कर और मुकद्दमेके विषयकी घटनाओं, तथा विवेच्य विषयोंको बड़ी दक्षताके साथ प्रकाशकर जूरीके मनको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और तीसरे वे जो केवल मात्र बातोंके जोरसे विभीषिकारूप दिखाकर वक्तृताके स्रोतसे गवाहों को घबड़ा कर मुकद्दमेको गोलमाल कर तथा अपने कण्ठके बलसे जज व जूरीकी बुद्धिको भ्रष्ट कर मुकद्दमेको जीतते हैं। इस तीसरी श्रेणीमें नार्टन साहब बढ़े चढ़े हैं। यह कोई दोषकी बात नहीं है। वकील लोग व्यवसायी मनुष्य होते हैं। रुपया लेते हैं। जो उनको रुपया देता है उसका उद्देश्य सिद्ध करना उनका कर्तव्य है। आजकल अङ्गरेजी कानूनको प्रणालीके अनुसार सच्ची बातका निकालना वादी वा प्रतिवादीका असली उद्देश्य नहीं है, केवल मात्र, किसी न किसी उपायसे मुकद्दमेको जीतना ही दोनों का उद्देश्य है। इस लिये वकील भी इसी बातकी चेष्टा करते हैं, नहीं तो उन्हें धर्मच्युत होना पड़े। भगवानने नार्टन साहबमें

कोई विशेष गुण उत्पन्न नहीं किया इस लिये जो गुण उनमें मौजूद है उसकी ही शक्तिसे मुकद्दमेको जीतना पड़ता है अर्थात् नार्टन साहब उस समय केवल अपना धर्म पालन कर रहे थे। सरकार बहादुर उनको प्रतिदिन हजार रुपया देती थी और नार्टन साहब भी जान लड़ाकर इस बातकी चेष्टा करते थे कि इस वृथा अर्थ व्ययसे कहीं सरकार बहादुरका नुकसान न हो। परन्तु जो मुकद्दमा राजनीतिक होता है उसमें विशेष उदार भावसे अभियुक्तको हर प्रकारकी सुविधा देना तथा सन्देहयुक्त अथवा अनिश्चित प्रमाणोंपर अधिक दृष्टि न डालना ये बृटिश कानूनके दो नियम हैं। यदि नार्टन साहब इन नियमोंको सर्वदा स्मरण रखते तो हम समझते हैं कि उनके अभियोगमें कोई हानि होनी सम्भव न थी, दूसरी ओर कई एक निर्दोषी मनुष्योंको निर्ज्जन कारावासकी यन्त्रणा भोगनी न पड़ती तथा दीन और निरीह अशोक नन्दीका जीवन भी जाता! वकील साहबकी सिंह-प्रकृति ही इस दोषका मूल कारण थी। जिस प्रकार हलिंगशेद, हल व प्लूटार्कने शेक्सपीयर (एक अङ्गरेज कवि) के लिये ऐतिहासिक नाटकके अपादान पहले ही से संग्रह कर रखे थे, उसी प्रकार पुलीसने भी इस मुकद्दमे रूपी नाटकके अपादान संग्रह कर रखे थे। हम लोगोंके इस नाटकके शेक्सपीयर नार्टन साहब थे। परन्तु शेक्सपीयर और नार्टनमें मैंने एक बड़ा भेद यह पाया कि शेक्सपीयर संग्रह किये हुए उपादानोंमेंसे कई एक

अंश बीच बीच में छोड़ देते थे, परन्तु नार्टन साहब अच्छा बुरा झूठा, सच्चा, संलग्न, असंलग्न, "आणो अणीयान् महतो महीयान" जो कुछ पाते कुछ भी न छोड़ते और उनके अतिरिक्त उन्होंने स्वयम् अपनी कल्पना से बहुतेरे उपक्षेप, अनुमान तथा संकेत (Suggestions inferences hypotheses) इकट्ठा कर ऐसा सुन्दर प्रवन्ध (plot) रचा कि शेक्सपीयर, डैफो इत्यादि सर्व श्रेष्ठ कवि व उपन्यास लेखक भी इन महाप्रभुसे हार गये। निन्दा करने वाले यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार फाल्स्टाफके होटलके हिसावमें एक आनेका भोजन और असंख्य पीपे शराबका समावेश रहता था, उसी प्रकार नार्टनके प्रवन्ध (plot) में एक रत्ती सच्चे प्रमाणके साथ दस मन अनुमान वा प्रक्षेप (Suggestions) होता था,किन्तु इस प्रकार निन्दा करनेवालेको भी इस प्रवन्ध (plot) की सुन्दरता तथा रचना-कौशलकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। नार्टन साहवने इस नाटकका नायक बनाना मुझे ही पसन्द किया। इस वातको देख मैंने भी बड़ा ही आनन्द अनुभव किया। जिस प्रकार मिल्टनकी 'paradise lost' नामक पुस्तकमें शैतान नायक है, उसी प्रकार मैं भी नार्टन साहबके plot के कल्पनाप्रसूत महाविद्रोहका केन्द्रस्वरूप था। मैं एक असाधारण,तीक्ष्णबुद्धिसम्पन्न क्षमतावान् तथा प्रतापशाली (bold bad man) था (!) मैं ही राष्ट्रीय अन्दोलनका आदि अन्त तथा सृष्टा और बृटिश साम्राज्यके संहारका-प्रयत्न करने

वाला था! किसी उत्तम और तेजस्वी अङ्गरेजी लेखको देखते ही नार्टन साहब उछल पड़ते और उच्च स्वरसे कहते, 'अरविन्द घोष!'। आन्दोलनके जितने कुछ भेद्य अभेद्य सुश्रृङ्खलित अङ्ग अथवा अप्रकाशित फल हैं, वे सब ही अरविन्द घोषकी सृष्टि हैं, तथा अरविन्द घोषकी सृष्टिमें युक्ति सिद्ध होनेपर भी निश्चय कोई न कोई भेद्य अभिसन्धि गुप्त भावसे निहित होगी ही। मैं समझता हूं कि नार्टन साहबका विश्वास था कि यदि अरविन्द घोष पकड़ा न जाता, तो प्रायः दो वर्षके भीतर ही अङ्गरेजोंके भारत-साम्राज्यका विध्वंश हो जाता। यदि मेरा नाम किसी फटे हुये कागजके टुकड़े पर भी लिखा मिलता, तो वे बड़े प्रसन्न होते और बड़े आदरके साथ उस परम मूल्यवान प्रमाणको मजिस्ट्रेट साहबके चरण कमलोंमें अर्पण करते। दुःख इस बातका है कि मैंने अवतार रूपसे जन्म ग्रहण नहीं किया था, नहीं तो उसी समय मेरे प्रति नार्टन साहबकी इतनी भक्ति थी कि मेरे ध्यानमें मुग्ध हो, वे तत्काल ही मुक्ति प्राप्त करते, और हम लोगोंके कारावासके समय तथा गवर्नमेण्टके अर्थव्यय दोनोंमें कमी हो जाती। जिस समय सेशन जजकी अदालतमें मैं निर्दोषी प्रमाणित हुआ, उसी समय नार्टन साहबके बनाये हुए प्रबन्ध (plot) का तथा उसका गौरव सब नष्ट हो गया। अ-रसिक जज बीचक्राफ्टने हैमूलेट नाटक (एक अङ्गरेजी नाटक) से हैमूलेट (हैमूलेट नाटकका नायक) को निकाल कर बीसवीं

शताब्दीके इस श्रेष्ठ काव्यको कुरूपा बना दिया। यदि समालोचकोंको ही काव्य परिवर्तन करनेका अधिकार दिया जाय, तो भला इस प्रकारकी दुर्दशा क्यों न हो ? नार्टन साहबको एक और दुःख यह था कि कई एक गवाह भी इसी प्रकारके अरसिक थे, और उनके रचे हुए प्रबन्ध (plot) के अनुसार गवाही देनेमें सहमत न थे। इस कारण नार्टन साहब क्रोधमें लाल हो जाते और सिंहके समान गर्ज्जन कर गवाहोंके प्रमाणको विकम्पित कर उनको सुखा देते। अपने रचे हुए काव्योंका विपरीत अर्थ लिये जानेसे कवियोंको जो क्रोध होता है तथा स्वदत्त अभिनेताकी शिक्षा विरुद्ध आवृत्ति और अनुचित स्वर, चाल, ढालसे नाटकके सूत्रधारको जो न्यायसङ्गत और अदमनीय क्रोध होता है, उसी प्रकारका क्रोध नार्टन साहबको भी होता था।

भुवन चटर्जी वैरिस्टरके साथ नार्टन साहबका जो झगड़ा हुआ था, उसका कारण भी यही सात्विक क्रोध था। चटर्जी महाशयके समान अरसिक मनुष्य मैंने नहीं देखा, उनको समय असमयका ज्ञान बिलकुल न था। नार्टन साहब जिस समय संलग्न हो—विचारको तिलाञ्जलि दे, केवल कविताके लिये उलटे सीधे प्रमाण घुसेड़ रहे थे, उस समय चटर्जी महाशय उठकर किसी किसी प्रमाणको असंलग्न अथवा (Inadmissible) कहकर आपत्ति करते थे। उनकी समझमें यह बात न आई कि

ये सब गवाहियां संलग्न अथवा आईन सङ्गत होनेके कारण पेश नहीं की जा रही थीं, वरन् नार्टन कृत नाटकके उपयोगी होनेके कारण पेश की जा रही थीं। इस असङ्गत व्यवहारसे नार्टन ही नहीं बर्ले साहब तक नाराज़ हो जाते थे, एक बार बर्ले साहबने चटर्जी महाशयको बड़े ही करुण स्वरसे यह कहा— "Mr Chatterjee, we were getting on very nicely before you came" "अर्थात् आप जब नहीं आये थे, उस समय तक हम लोग मुकद्दमेको बहुत अच्छी तरहसे चला रहे थे।" यह बात ठीक भी है कि नाटककी रचनाके समय बात बातपर आपत्ति करनेसे नाटकका उन्नति करना तो दूर रहा, उलटा दर्शकोंके रङ्गमें भी भङ्ग हो जाता है।

यदि नार्टन साहबको इस नाटकके रचयिता, प्रधान अभिनेता व सूत्रधार कहा जावे तो मैजिस्ट्रेट बर्लेको उसका पृष्ठपोषक (patron) कहना चाहिये। बोध होता है कि बर्ले साहब स्काच जातिके गौरव हैं। उनके चेहरेपर स्काटलेण्डके स्मारक चिन्ह हैं। उनका रङ्ग अति सफेद, डील लम्बा तथा शरीर दुर्बल है, उनके उस लम्बे लकड़ीसे देहपर एक छोटासा मस्तक देख यह मालूम होता था कि मानो अभ्रभेदी आक्टरलोनी मानुमेंटपर एक छोटासा आक्टरलोनी बैठा हुआ है अथवा क्लियोपैटराके odelisk की चोटीपर एक पक्का नारियल लगा

हुआ है। उनके शिरके बाल मटियाले रङ्गके थे (Sanby-haired) तथा स्काटलैण्डका समस्त हिम वा बरफ मानों उनके मुखपर जमा हुआ था। जिनका देह इतना लम्बा हो, उनकी बुद्धि भी तदनुसार होनी चाहिये, नहीं तो प्रकृतिकी विभाग-नीतिमें सन्देह उत्पन्न होता है। किन्तु इस विषयमें बर्ले की सृष्टि होते समय प्रकृति देवी मानों बेपरवाह थी। एक अङ्गरेज कवि मरलोने इस विभाग-नीतिका वर्णन करते समय यों कहा है—"Innfinite riches in a little room" अर्थात् "एक छोटीसी कोठरीमें असीम धन" किन्तु बर्लेके दर्शनसे इसका उलटा भाव ही मनमें उत्पन्न होता था "Innnite room and little riches" वास्तवमें इस दीर्घ-देहमें इतनी थोड़ी विद्या और बुद्धि देखकर दुःख होता था। इस बातको सोचकर कि इसी प्रकारके थोड़े से शासनकर्त्ताओं द्वारा तीस कोटि भारतवासी शासित हैं। अङ्गरेजोंकी महिमा और बृटिश शासनप्रणालीके ऊपर बड़ी भक्ति उदय होती थी! बर्ले साहबकी विद्या श्रीयुत व्योमकेश चक्रवर्तीकी जिरह करते समय खुल जाती थी। इतने दिनों मैजिस्ट्रेटी करनेके पीछे इस बातका निर्णय करते समय कि स्वयम् उन्होंने कब मुकद्दमेको अपने कर कमलोंमें ग्रहण किया अथवा किस प्रकारसे मुकद्दमा उनके पास आया, बर्ले साहबके शिरमें चक्कर आ गया था। उस समस्याकी मीमांसा करनेमें असमर्थ हो चक्रवर्ती महाशय

पर उसका भार दे साहबने छुटकारा पानेकी चेष्टा की। अभी तक बर्लेने कब मुकद्दमेको ग्रहण किया यह प्रश्न मुकद्दमेकी एक पेचीली बात समझी जाती है। मैंने जो चटर्जी महाशयके सामने बर्ले साहबका करुण-निवेदन ऊपर उल्लेख किया है, उससे भी साहबकी विचार-प्रणालीकी शक्ति थोड़ी बहुत अनुमान की जा सकती है। वे पहिलेहीसे नार्टन साहबके पांडित्य तथा वक्तृतासे मुग्ध हो, उनके वशमें हो गये थे। ऐसे विनीत भावसे नार्टनकी प्रदर्शित प्रथाका अनुसरण करते नार्टन साहबसे सहमत हो अपना मत प्रकट करते, नार्टन साहबकी हँसीमें हंसते, नार्टन साहबके क्रोधमें क्रोध दिखला, यहांतक कि यह सरल बच्चोंका सा आचरण देख समय समयपर प्रबल स्नेह तथा वात्सल्यके भाव मेरे मनमें उत्पन्न होने लगते थे। बर्ले अत्यन्त बालक स्वभावके थे। मुझे वे कभी भी मैजिस्ट्रेट प्रतीत नहीं होते थे। ऐसा मालूम होता था कि मानों कोई स्कूलका छात्र हठात् शिक्षक बन शिक्षकके उच्चपद पर बैठा हो। उसी प्रकार वे कोर्टका काम भी चलाते थे। यदि कोई उनकी ओर अप्रिय व्यवहार करता तो स्कूलके शिक्षकोंके समान ही वे उसपर शासन करते थे। यदि हम लोगोंमेंसे कोई मुकद्दमेकी इस नकलसे अप्रसन्न हो, आपसमें बातचीत करने लगते तो बर्ले साहब स्कूल मास्टरोंके समान डांट दिया करते और यदि कोई उसको भी न सुनता तो खड़े हो जानेकी आज्ञा

देते, और यदि यह आज्ञा भी उसी समय पालन न की जाती, तो फिर सिपाहियोंको खड़ा कर देनेका हुक्म देते। हम लोग उनकी इस स्कूलके मास्टरों कीसी आदतको देखते देखते इतने अभ्यस्त हो गये थे कि जब मिस्टर चटर्जी और बर्ले में झगड़ा हो रहा था, तो हम लोग प्रतिक्षण यही आशा करते थे कि कि शीघ्र ही बैरिस्टर महाशयको भी खड़े होनेकी आज्ञा मिल जायगी! किन्तु बर्ले साहबने उलटा उपाय किया। उन्होंने चिल्ला कर "Sit down Mr. Chatterje" (बैठ जाओ!) कह कर अपने अलीपुर स्कूलके इस नये आये हुए नटखट बालकको बैठा दिया। जिस प्रकार कोई कोई मास्टर लड़कोंसे कोई प्रश्न करने अथवा पढ़नेके समय अधिक वाद विवाद करनेपर अप्रसन्न हो उनको दण्ड देते हैं, उसी प्रकार बर्ले साहब भी करते थे। असामियोंके वकील यदि कोई आपत्ति करते तो वे अप्रसन्न हो उन्हें दण्ड देते थे। कोई कोई गवाह नार्टन साहबको बहुत ही तङ्ग करते थे। नार्टन साहब यह साबित करना चाहते थे कि अमुक लिखना अमुक असामीके हाथका है, यदि गवाह कहते "नहीं; पर शायद हो, मैं नहीं कह सकता" इत्यादि—बहुतेरे गवाह इसी प्रकारका उत्तर देते—तो नार्टन साहब इन उत्तरोंसे अधीर हो जाते। बक, झक, चिल्लाहट, दण्ड—जिस उपायसे होता अपने मनमाना उत्तर निकालनेकी चेष्टा करते। अन्तमें उनका प्रश्न यह होता "what is your Belief?" "तुम क्या समझते

हो ? हां या नहीं ?" गवाह वेचारा न 'हां' कह सकता है न 'न' कह सकता, घूम फिरकर वही उत्तर देता। वे लोग नार्टनको यह समझानेकी चेष्टा करते कि उनका कोई Belief नहीं है, वे केवल सन्देहमें फूल रहे हैं। किन्तु नार्टन साहब इस प्रकारका उत्तर नहीं चाहते थे। बार बार गरजते और इस प्राणनाशक प्रश्नसे गवाहोंके माथे पर बज्र सा लगाते- "Come, Sir, what is your belief ?"। नार्टन साहबके क्रोध करने पर बर्ले भी क्रोध प्रकट कर ऊपरसे गरजने लगते— "टोमरा क्या विश्वास है ?" बेचारा गवाह बड़ी मुश्किलमें पड़ जाता। एक ओर मजिस्ट्रेट दूसरी ओर नार्टन दोनों भूखे व्याघ्रके समान उनकी अन्तड़ियां चीर फाड़ कर उस अमूल्य, अप्राप्य विश्वासको निकालने पर कटिबद्ध हो जाते तथा दोनों ओरसे भीषण गरजन करने लगते। किन्तु प्रायः वह विश्वास नहीं निकलता था। गवाह पसीने २ हो घूमते घूमते उस यन्त्रणाके स्थानसे प्राण लेकर भागता। कोई कोई विश्वासको अपेक्षा प्राणको भी अधिक प्रिय वस्तु समझ कर बनावटी विश्वास रूपी उपहार नार्टन साहबके चरण कमलोंमें भेंट कर अपना प्राण बचाते। नार्टन भी सन्तुष्ट होकर शेष जिरह बड़े स्नेहके साथ सम्पन्न करते थे। जैसे-वकील थे वैसे ही मजिस्ट्रेट मिल जानेके कारण मुकद्दमेने और भी नाटक कासा रूप धारण कर लिया था।

कई एक गवाहोंके इस प्रकार विरुद्धाचरण करनेपर भी अधिकतरने नार्टन साहबके प्रश्नोंके अनुकूल ही उत्तर दिया। इन गवाहोंमें मेरे परिचित मुख बहुत थोड़े थे, इस कारण मैं किसी किसीको ही पचानता था। देवदास करण नामक एक महाशयने हम लोगोंकी विरक्तिको दूर कर हमें खूब हंसाया था, जिसके लिये कि हम चिरकाल तक उनके कृतज्ञ रहेंगे। इस सच्चे गवाहने अपनी गवाहीमें यह कहा कि "मेदनीपुरके सम्मिलन के समय जब सुरेन्द्र बाबूने अपने छात्रोंसे गुरुभक्ति दिखलानेकी प्रार्थना की थी, तब अरविन्दबाबू कह उठे थे कि द्रोणने क्या किया था?" यह सुनते ही नार्टन साहबके आग्रह तथा कौतुहलकी सीमा न रही। उन्होंने निश्चय यह समझा कि द्रोण कोई बमका भक्त वा राजनीतिक हत्याकारी है अथवा मानिकतल्लाके बगीचे वा छात्र-भण्डारसे सम्बन्ध रखता है। नार्टन साहबने इस वाक्यका अर्थ यह समझा कि शायद अरविन्द घोषने सुरेन्द्र बाबूको गुरुभक्तिके बदलेमें बम रूप पुरस्कार देनेको सलाह दी थी, बस फिर क्या था इस बातसे ही मुकद्दमेमें बहुत कुछ सुविधा हो सकती थी। इस लिये उन्होंने बड़े आग्रहके साथ पूछा कि "द्रोणने क्या किया?" पहले पहल गवाह उनके इस प्रश्नके उद्देश्यको किसी प्रकार भी न समझ सका। पांच मिनट तक ऐसी ही खैंचातानी रही। अन्तमें करण महाशयने दोनों हाथ आकाशकी ओर उठाकर नार्टनको समझाया कि "द्रोणने अनेका-

नेक आश्चर्य काण्ड रचे थे।" इससे नार्टन साहब सन्तुष्ट न हुए। द्रोणके बमका पता लगाये बिना भला वे कैसे सन्तुष्ट हो सकते थे? उन्होंने फिर पूछा "वे अनेक काण्ड क्या थे? स्पष्ट बतलाइये, उसने क्या क्या किया?" गवाहने इसके अनेक उत्तर दिये, परन्तु किसी बातसे भी द्रोणाचार्यके जीवनके इस गुप्त रहस्यका भेद न खुल सका। नार्टन साहबने क्रुद्ध हो कर गरजना आरम्भ किया। गवाहने भी चिल्लाना आरम्भ किया। एक वकीलने हंसकर यह सन्देह प्रकट किया कि "प्रायः गवाह न जानता होगा कि द्रोणने क्या क्या किया।" करण महाशय इस बातको सुनते ही क्रोध और अभिमानसे आग हो गये, चिल्ला कर बोले कि "क्या मैं नहीं जानता कि द्रोणने क्या क्या किया? वाह! मैंने क्या आरम्भसे अन्ततक महाभारत नहीं पढ़ा है?" आध घण्टे तक द्रोणाचार्यके मृत देहको लेकर, करण और नार्टन में घोर युद्ध होता रहा। पांच पांच मिनट पीछे नार्टन साहब अलीपुरके विचारालयको कम्पित कर अपने प्रश्नकी घोषणा करने लगे, "Out with Mr Editor, What did Drona do."—"जल्दी बोलो, मिस्टर एडीटर, द्रोणने क्या किया?" सम्पादक महाशयने उत्तरमें एक लम्बी रामकहानी सुनानी आरम्भ की, किन्तु उसमें भी द्रोणने क्या किया इस बातका विश्वास योग्य कोई सम्वाद न मिल सका। समस्त अदालतसे एक बड़ी भारी हंसीकी रोल प्रतिध्वनित होने लगी।

निदान टिफिनका समय आ गया। उसके पीछे करण महाशय अपने मस्तकको ठण्ढाकर तथा कुछ सोच विचारकर लौटे। तब उन्होंने उस समस्याकी यह मीमांसा बतलाई कि "बेचारे द्रोणने कुछ भी नहीं किया था, बृथा ही हम लोगोंने आध घण्टे तक उनकी परलोकवासी आत्माको ले खेंचातानी की। उलटा अर्जुनने ही द्रोणाचार्यका बध किया था तथा अर्जुनके इस मिथ्या अपवादसे द्रोणाचार्यने अव्याहति या कैलाशमें जाकर इस बातके लिये सदाशिवको धन्यवाद दिया कि करण महाशयकी गवाहीसे अलीपुरके बमके मुकद्दमेमें उनको गवाह बनकर कठघरेमें खड़ा होना नहीं पड़ा। सम्पादक महाशयकी एक बातसे सहजमें ही अरविन्द घोषके साथ उनका सम्बन्ध प्रमाणित हो जाता, किन्तु आशुतोष सदासिवने उनकी रक्षा की!"

जो लोग गवाही देने आये थे वे तीन श्रेणियोंमें विभक्त हो सकते थे। एक पुलिस और खुफिया पुलिसवाले, दूसरे पुलिसके प्रेममें आवद्ध नीचे दर्जेके लोग और तीसरे भद्र मनुष्य जो अपने दोषके कारण पुलिसके प्रेमसे वञ्चित थे तथा जबरदस्ती लाकर गवाह बना दिये गये थे। प्रत्येक श्रेणीवालोंकी गवाही देनेकी प्रथा भी निराली ही थी। पुलिसवाले बड़े प्रफुल्लचित्त से तथा बिना किसी रोक टोकके अपने पूर्वज्ञात वक्तव्यको कह डालते, जिस किसीको पहचाननेकी आवश्यकता होती, उसको

पहिचान लेते, किसी प्रकारका सन्देह दुविधा अथवा भूलचूक न करते। पुलिसकी मित्रमण्डली भी बड़े आग्रहके साथ गवाही देती। जिसको पहिचाननेकी जरूरत होती, वे लोग उसको पहिचान लेते। जो लोग जबरदस्ती लाये गये थे वे जो कुछ जानते थे वही कहते थे, किन्तु वह सब बहुत ही थोड़ा होता था। नार्टन साहब उससे सन्तुष्ट न हो यह समझा करते थे कि गवाहोंके पेट में कोई न कोई अशेष अमूल्यवान तथा सन्देहनाशक प्रमाण अवश्य है और अपनी जिरहके बलसे गवाहके पेटको चीरकर उस प्रमाण को निकालनेको अनेक चेष्टाएं किया करते थे। इससे बेचारे गवाह बड़ी विपद्में पड़ जाते। एक ओर नार्टन साहबकी गर्जना तथा बर्ले साहबकी लाल पीली आंखें और दूसरी ओर झूठी गवाही देकर अपने देशवासियोंको द्वीपान्तर [कालेपानी] भेजनेका महापाप! नार्टन तथा बर्लेको सन्तुष्ट किया जाय अथवा भगवानको—यह प्रश्न बेचारे गवाहोंके लिये कभी कभी बड़ा ही कठिन हो जाता। एक ओर मनुष्यके क्रोधसे क्षण मात्रको विपद् और दूसरी ओर पाप, नरक और परजन्मका दुःख। किन्तु वे सोचते थे कि अभी नरक और परजन्म दूर हैं, परन्तु मनुष्यकृत विपद् इसी समय हमें ग्रास कर सकती है। न जाने किस दिन झूठी गवाही देनेसे इनकार करनेके कारण ही झूठी गवाही देनेके अपराधमें पकड़ लिये जायें। इस प्रकारका भय बहुतेरोंके मनमें विद्यमान रहता था, क्योंकि ऐसे अवसरोंपर इस

प्रकारके दृष्टान्त कुछ कम नहीं मिलते। इस लिये इस श्रेणीके गवाह जब तक गवाहीके कटघरेमें रहते, तब तक उनका समय बड़े ही भय और यन्त्रणाके साथ कटता। जिरह समाप्त होने पर उनका अर्ध निर्गत प्राण फिरसे देहमें लौट कर उनको उस यन्त्रणासे मुक्त करता। कई एक गवाहोंने बड़े ही साहसके साथ गवाही दी। नार्टनके गर्ज्जनकी कुछ भी परवाह न की, किन्तु जब कभी ऐसा होता तो वह अङ्गरेज बैरिस्टर भी यह बात देख अपनी जातीय प्रथाके अनुसार एकदम नरम हो जाता। इसी प्रकार कितने ही गवाह आये और कितने ही प्रकारकी गवाहियां दे दे कर चले गये; किन्तु एकने भी पुलिसके उल्लेख योग्य कोई सुविधाकी बात न कही। एक गवाहने तो साफ साफ यह कहा कि "मैं इस विषयमें कुछ भी नहीं जानता। मुझे यह भी नहीं मालूम कि पुलिस मुझे यहां क्यों घसीट लायी है।" प्रतीत होता है कि इस प्रकार मुकद्दमा करनेकी प्रथा भारत हीमें चल सकती है। यदि कोई अन्य देश होता तो जज इस प्रकारकी बातोंसे नाराज होजाते और पुलिसको तीव्र गर्जनाके साथ शिक्षा देते। बिना किसी बातका ठीक ठीक पता लगाये तथा दोषी निर्दोषीका बिना विचार किये सैकड़ों गवाहोंको ला लाकर कटघरेमें खड़ा करना, देशके धनको नष्ट करना तथा निरर्थक असामियोंको दीर्घकालके लिये कैदकी यन्त्रणामें रखना केवल इस देशकी पुलिसको ही शोभा देता है। किन्तु बेचारी पुलिस भी क्या

करे ? वे केवल नाममात्रको ही खुफिया हैं। परन्तु योग्यता उनमें न होनेके कारण इस प्रकारकी गवाहीके लिये विशाल जाल फैला कर उत्तम, मध्यम, अधम सब तरहके गवाहोंको इकट्ठा कर अटकलपच्चू कटघरेमें उपस्थित कर देना ही उनके लिये एकमात्र उपाय है, चाहे वे गवाह कुछ जानते हों वा न जानते हों तथा किसी प्रकारका प्रमाण भी दे सकते हों वा न दे सकते हों।

असामियोंके पहचाननेका प्रबन्ध भी विचित्र ही था। पहले गवाहसे पूछा जाता कि "क्या तुम इनमेंसे किसीको पहचान सकते हो ?" गवाह यदि कहता, "हां! पहचान सकता हूं" तो तुरन्त ही नार्टन साहब प्रफुल्लित हो कटघरेमें Identification parade (पहचाननेका तमाशा) का प्रबन्ध कर देते तथा गवाहको उसी जगह पर अपनी स्मरणशक्तिके चरितार्थ करनेकी आज्ञा देते। यदि कहता, "मैं नहीं जानता, शायद पहचान सकूं।" तो नार्टन साहब कुछ उदास हो कहते— "अच्छा जाओ! चेष्टा करो।" यदि कोई यह कहता कि "नहीं मैं नहीं पहचान सकूंगा, इन लोगोंको मैंने कभी नहीं देखा।" तो भी नार्टन साहब उनको न छोड़ते। वे इस विचारसे कि प्रायः इतने मुखोंको देख कर गवाहके पूर्व जन्मकी कोई स्मृति जाग उठे, परीक्षा करनेके लिये भेजते। किन्तु गवाहोंमें इस प्रकारकी योग-शक्ति न थी ; कदाचित् पूर्वजन्मकी

बातोंमें उनको विश्वास भी न था। वे लोग सारजेण्टके पीछे पीछे असामियोंकी दोनों लम्बी श्रेणियोंके पाससे आदिसे लेकर अन्त तक गम्भीर भावके साथ निकल जाते और हम लोगोंके मुखकी ओर दृष्टि डाले बिना ही शिर हिला कर कहते नहीं! मैं नहीं पहचानता।" नार्टन महाशय निराश होकर इस मत्स्य-शून्य जीवित जालको लौटा लेते।

इस मुकद्दमे से मुझे इस बातका अपूर्व प्रमाण मिल गया कि मनुष्यकी स्मरण शक्ति कितनी प्रखर और अभ्रान्त हो सकती है। तीस चालिस आदमी खड़े हुए हैं। उनके नाम तक मालूम नहीं हैं। उनसे कभी किसी जन्ममें अलाप भी नहीं हुआ। परन्तु आजसे दो महीने पहिले किसीको देखा था और किसीको नहीं देखा था;—अमुकने अमुकको तीन जगहपर देखा है, अमुकको दो जगह नहीं देखा;—उसको दांत मांजते हुए एक बार देखा है, अतएव उसका चेहरा मेरे मनमें जन्म जन्मान्तर के लिये अङ्कित हो गया है;—इनको मैंने कब देखा—ये क्या कर रहे थे,—कोई इनके साथ था वा अकेले थे कुछ याद नहीं है, किन्तु उनका चेहरा मेरे मनमें जन्म जन्मान्तरके परिचित व्यक्तिके समान अङ्कित है,—हरिको दश बार देखा है बस उसके भूलनेकी कोई सम्भावना ही नहीं,—श्यामको केवल एक वार आध मिनटके लिये मैंने देखा था, किन्तु उसको भी मृत्युके

समय तक न भूल सकूंगा,—कोई भूल चूक होनेकी भी सम्भावना नहीं है;—इस प्रकारकी स्मरण शक्ति इस असम्पूर्ण मानव-प्रकृतिमें, इस तमाभिभूत मर्त्यधाममें बहुत ही कम देखनेमें आती है। किन्तु एक दो नहीं वरन् इस अवसर पर प्रत्येक पुलिस पुङ्गवमें इस प्रकारकी विचित्र अभ्रान्त स्मरणशक्ति देखनेमें आई। इस सबब से C.I.D. (खुफिया पुलिस) वालोंके ऊपर हम लोगोंकी भक्ति तथा श्रद्धा दिनों दिन बढ़ने लगी। परन्तु दुःखकी बात यह है कि सेसन्स कोर्टमें पहुंचनेपर इस भक्तिको कम करना पड़ा। मैं यह नहीं कह सकता कि मैजिस्ट्रेट साहबकी अदालतमें हम लोगोंके चित्तमें दो एक बार सन्देह उत्पन्न नहीं हुआ था। क्योंकि जब मैंने लिखे हुए बयानोंमें यह देखा कि शिशिर घोष एप्रिलके महीनेमें बम्बईमें थे, किन्तु ठीक उसी समय कई एक पुलिस गवाहोंने उनको कलकत्तेकी स्काट्स लेन वा हैरिसन रोडमें भी देखा था। तब ही मुझे कुछ कुछ सन्देह होने लगा था जब श्रीहट्ट (एक स्थानका नाम) निवासी वीरेन्द्रचन्द्र सेनका स्थूल शरीर वानियाचङ्ग (एक जगहका नाम) में अपने पिताके भवनमें रहता था उसी समय बगीचे और स्काट्स लेनमें—इस बातका अखण्डनीय प्रमाण, लिखे हुए गवाहीके कागजोंमें मिला कि वीरेन्द्र स्काट्स लेनका ठिकाना तक नहीं जानता था—उनका सूक्ष्म शरीर C.I.D. वालोंकी सूक्ष्म दृष्टिमें पड़ा था,—उस समय मुझे और भी

सन्देह हुआ। विशेषकर जिन लोगोंने कभी भी कलकत्तेकी स्काट्स लेनपर पदार्पण नहीं किया था, उन लोगोंने उन लोगोंको अनेक बार यहां देखा है तब उन लोगोंके चित्तमें सन्देहका उत्पन्न होना कुछ अस्वाभाविक नहीं था। मेदनीपुरके एक गवाहने जिसे मेदिनीपुरके असामियोंने खुफिया पुलिसवाला बतलाया यह कहा कि "मैंने श्रीहट्टके हेमचन्द्रसेनको तमलूक नगरमें वक्तृता देते देखा था।" यद्यपि हेमचन्द्रने इस स्थूल चक्षुसे कभी तमलूक नगर नहीं देखा, परन्तु तो भी उनके छाया-मय शरीरने श्रीहट्टसे दूर तमलूक पहुंचकर और तथा वहां पर एक तेजस्वी राजद्रोहपूर्ण स्वदेशी वक्तृता देकर गोइन्दा महाशयके आंख कानको तृप्त किया था। चन्दननगर निवासी चारुचन्द्र रायके छायामय शरीरने मानिकतल्लामें पहुंचकर और भी अद्भुत कार्य सम्पन्न किया था। दो पुलिस कर्मचारियोंने शपथ करके कहा कि "हमने अमुक समयमें चारू बाबूको श्यामबाजारमें देखा था, वह श्यामबाजारसे एक प्रधान षड्यन्त्रकारीके साथ मानिकतल्लाके बगीचेमें पैदल गये थे, हमलोगोंने भी वहां [मानिकतल्ला] तक उनका पीछा किया; हमने बहुत निकटसे उनको देखकर पहचान लिया था, भूलचूक होनेका कोई कारण नहीं है।" वकीलोंकी जिरहसे वे दोनों गवाह तनिक भी न टले। 'व्यासस्य वचनम् सत्यम्' के अनुसार पुलिसकी गवाही भी मिथ्या नहीं हो सकती। दिन

और समयके विषयमें भी उन लोगोंसे भूल नहीं हो सकती। क्योंकि चन्दननगरके ड्युप्ले कालेजके अध्यक्षकी गवाहीसे प्रमाणित हो गया था कि ठीक उसी दिन उसी समय चारु बाबू कालेजसे छुट्टी लेकर कलकत्तेमें उपस्थित थे, किन्तु आश्चर्य्यकी बात है कि ठीक उसी दिन उसी समय चारु बाबू चन्दननगरके मेअर तारदीवाल महाशय, उनकी पत्नी, चन्दननगरके गवर्नर और कई एक सम्भ्रान्त तथा भद्र युरोपियन्सके साथ बात चीत करते हुए हावडा स्टेशनके प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। इन लोगोंने सब बातें स्मरण कर चारु बाबूके पक्षमें गवाही देनेका विचार किया। फ्रेञ्च गवर्नमेण्टकी चेष्टासे पुलिसने चारु बाबूको छोड़ दिया। इस कारण अदालतके सामने यह रहस्य खुल न सका। मेरी चारुबाबूके लिये यह राय है कि वे पुलिसके इन सब प्रमाणोंको Psyschical Research Society में भेज कर मनुष्य जातिके ज्ञान सञ्चयमें सहायता दें। पुलिसवालोंकी गवाही कभी झूठी नहीं हो सकती। विशेष कर C.I.D. वालोंकी। अतएव थियोसोफी (ब्रह्म विद्या) का आश्रय लिये बिना हमलोगोंके पास और कोई उपाय नहीं है। संक्षेपसे यह कहना चाहिये कि इस बातका दृष्टान्त कि बृटिश कानूनकी प्रणालीसे कितने निर्दोषी सहजमें कारादण्ड, कालापानी और फांसी तक पा सकते हैं, मुझे इस मुकद्दमेमें पद पद पर मिलता था। स्वयम् कटघरेमें खड़े हुए बिना पाश्चात्य विचार-प्रणाली

की मायावी असत्यताको हृदयङ्गम नहीं किया जा सकता। युरोपकी न्याय-प्रणाली जुएके समान है, इसमें मनुष्यको स्वाधीनता, मनुष्यके सुख दुःख उसके और उसके परिवार व बन्धुजनकी जीवन भरकी यन्त्रणा, अपमान तथा जीते जी की मौतके साथ जुआ खेलना है। इससे कितने दोषी बच जाते हैं, कितने निर्दोषी मारे जाते हैं इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। युरोपमें Socialism और Anarchism (अराजकता) के प्रचार और उनके प्रभावका कारण इस जुएके खेलमें एकबार आनेसे तथा इस निष्ठुर निर्विचार समाज रक्षक वा नाशक चक्कीमें एकबार पड़ जानेसे भली प्रकार समझमें आ जाता है। ऐसी अवस्थामें अनेक उदारचेता दयालु मनुष्योंका यह कहना कि इस समाजको तोड़ कर चकनाचूर कर दो, कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। इतना पाप, इतना दुःख, इतने निर्दोषियोंके उष्णश्वास तथा हृदयके रक्तसे ही यदि समाजकी रक्षा हो सकती है, तो ऐसी रक्षा करना निष्प्रयोजन है!

मैजिस्ट्रेटकी अदालतमें एक मात्र विशेष उल्लेख करने योग्य घटना नरेन्द्रनाथ गुसाईंकी गवाही थी। उस घटनाको वर्णन करनेसे पहले मैं अपने विपद्के साथी बालक असामियोंकी कुछ बातें कहना चाहता हूं। अदालतके भीतर इन बालकोंका आचरण देखकर मुझे यह भली भांति प्रतीत होता था कि बङ्गाल

में एक नवीन युगका आरम्भ हुआ है, एक नयी सन्तान माता की गोदमें बास करने लगी है। पहले समयके बङ्गाली लड़के दो प्रकारके हुआ करते थे, एक तो शान्त, शिष्ट, निरीह सच्चरित्र, भीरु तथा आत्मसम्मान व उच्चकांक्षा शून्य और दूसरे दुश्चरित्र दुर्दान्त, चञ्चल, ठग तथा संयम व सत्यता रहित। इन दो चरम अवस्थाओंके बीचमें अनेक प्रकारके जीवोंने बङ्गमाताकी गोदमें जन्म लिया था, किन्तु आठ दश भविष्यत् कालके पथ दिखलाने वाले असाधारण प्रतिभावान तथा शक्तिवान मनुष्योंको छोड़कर इन दो श्रेणियोंके अतीत तेजस्वी आर्य सन्तान प्रायः देखनेमें नहीं आते थे। बङ्गालियोंमें बुद्धि और मेधा थी, किन्तु उनमें शक्ति और मनुष्यत्व नहीं था। परन्तु इन बालकोंको देख ऐसा बोध होता था कि ये सब लोग किसी दूसरे कालके, अन्य प्रकारकी शिक्षा पाये हुए, उदारचित्त, दुर्दान्त तथा तेजस्वी पुरुष फिरसे भारतवर्षमें लौट आये हैं। उनकी यह निर्भीक तथा सरल दृष्टि, व तेजसे भरी हुई बातें और वह भावना शून्य तथा आनन्दमय हंसी इस घोर विपद्के समयमें भी उनकी वह अक्षुण्ण तेजस्विता, मनकी प्रसन्नता, विमर्षता, भावना अथवा सन्तापका अभाव उस समयके तपःक्लिष्ट भारतवासियोंकीसी नहीं थी। यह सब नूतन युग, नूतन जाति तथा नूतन कर्मस्रोतके लक्षण हैं। ये लोग यदि हत्याकारी हों भी तो कहना पड़ेगा कि हत्याकी रक्तमय छाया उनके स्वभाव पर नहीं पड़ी थी। क्रूरता उन्म-

त्तता अथवा पाशविक भाव उन लोगोंमें बिलकुल ही न थे। उन लोगोंने भविष्यकी अथवा मुकद्दमेके फलाफलकी लेशमात्र भी चिन्ता न करते हुए, कारावासके दिन बालकोंके आमोद, प्रमोद, हंसी, खेल, पढ़ने तथा समालोचना करनेमें ही बिता दिये। उन लोगोंने थोड़े ही दिनोंमें जेलके कर्मचारियों, सिपाहियों, कैदियों, युरोपियन सारजेण्टों, डिटेक्टिवों तथा अदालतके कर्मचारियों—सब ही से मित्रता कर ली थी और वे शत्रु, मित्र, छोटे, बड़े का विचार न करते हुए सबके साथ प्रमोद गपशप तथा उपहास किया करते थे। अदालतका समय उन लोगोंके लिये अतिशय विरक्तिकर था। क्योंकि मुकद्दमेके प्रहसनमें रस बहुत कम था। कचहरीके समयको बितानेके लिये उन लोगोंके पास पढ़नेको कोई किताब आदि भी न थी, बात चीत करनेकी भी अनुमति न थी। जिन लोगोंने योग करना आरम्भ किया था, उन्होंने भी उस समय तक भीड़ भाड़में ध्यान करना नहीं सीखा था। उन लोगोंके लिये इस समयको बिताना बड़ा ही कठिन हो जाता था। पहले पहल दो चार लोग पढ़नेकी किताबें भीतर लाने लगे। उन लोगोंकी देखा देखी औरोंने भी वही उपाय किया। इसके पीछे यह अद्भुत दृश्य दिखाई देता कि एक ओर मुकद्दमा चल रहा है, तीस, चालिस असामियोंके समस्त भविष्यके साथ खेंचातानी हो रही है, जिसका कि फल फांसी अथवा जीवन भरके लिये द्वीपान्तर हो सकता है और दूसरी

ओर असामी लोग उस ओर दृष्टि भी न डालते हुए कोई बंकिम का उपन्यास, कोई विवेकानन्दका राजयोग अथवा Science of Religious, कोई गीता, कोई पुराण तथा कोई युरोपके दर्शनशास्त्रको एक चित्त हो पढ़ रहे हैं। अङ्गरेज सारजेण्ट अथवा देशी सिपाही कोई भी उनके इस आचरणमें बाधा न डालते। वे लोग सोचते थे कि यदि इतने ही से ये पिंजरेमें बन्द किये गए बाघ शान्त बैठे रहें तो हम लोगोंका काम भी कुछ कम हो जावे और इसमें किसीका नुकसान भी नहीं था। किन्तु एक दिन बर्ले साहबकी दृष्टि इस दृश्य को ओर आकर्षित हुई। मैजिस्ट्रेट साहब इस आचरणको न सह सके, इसलिये दो दिन तक उन्होंने भी कुछ न कहा परन्तु तीसरे दिन वे न रह सके और किताबोंका आना बन्द करनेकी आज्ञा दे दी। वास्तवमें बर्ले साहबके सुन्दर विचारोंको सुनकर आनन्द उठानेके बदले किताब पढ़ने लगना मानो बर्लेके गौरव और बृटिश जस्टिसकी महिमाकी ओर घोर असन्मान करना था!

हम जितने दिनों स्वतन्त्र, स्वतन्त्र काठरियोंमें बन्द रहे, केवल गाड़ीमें मजिस्ट्रेटके आनेके पूर्व एक वा आध घण्टा और कुछ टिफिनके समय बातें करनेका अवसर पाते। जिनका परस्पर परिचय वा अलाप था, वे इस समय Cell की नीरवता और निर्जनताकी शोध लेते। हँसी आमोद और भिन्न भिन्न विषयों

की आलोचनामें समय कटता। किन्तु ऐसे अवसर पर अपरिचित आदमीके साथ बातें करनेकी सुविधा नहीं होती। इस लिये अपने भाई वारीन्द्र और अविनाशके सिवा मैं और किसीके भी साथ अधिक बातें नहीं करता। उनकी हंसी औरर किस्से सुनता, स्वयं उसमें योग नहीं देता। किन्तु एक आदमी बीच बीचमें हमारे पास खिसक कर आजाता, वह भावी Approver नरेन्द्रनाथ गोस्वामी था। दूसरे लड़कोंकी तरह उसका शान्त स्वभाव नहीं था। वह साहसी, लघुचेता और चरित्र, कथन एवं कार्यमें असंयत था। पकड़े जानेके समय नरेन्द्र गुंसाईने अपना स्वाभाविक साहस और प्रगल्भता दिखाई थी। किन्तु लघुचेता होनेसे कारावासमें यत्किञ्चित् दुःख और असुविधा सहन करना उसके लिये असाध्य हो गया था। वह जमींदारका लड़का था, इस लिये सुख विलास एवं दुर्नीतिमें लालित होकर कारागृहके कठोर संयम और तपस्यामें अत्यन्त कातर हो गया था और अपने उस भावको सबके सामने प्रकाश करनेमें भी वह कुण्ठित नहीं होता था। जिस किसी उपायसे भी हो,इस यन्त्रणासे मुक्त होनेको उत्कट वासना उसके मनमें दिनों दिन बढ़ने लगी। पहले उसे यह आशा थी कि अपनी स्वीकारोक्तिका प्रत्याहार करके वह यह प्रमाणित कर सकेगा कि पुलिसने उसे शारीरिक यन्त्रणा देकर दोष स्वीकार कराया है। वह हमारे समक्ष कहचुका था कि उसके पिता ऐसी मिथ्या साक्षी

जुटानेके लिये कृत-सङ्कल्प हुए हैं। किन्तु थोड़े दिनोंमें और एक भाव प्रकाश होने लगा। उसके पिता और एक मुख्तारने उसके पास जेलमें वार वार आना जाना आरम्भ किया, अन्तमें शमसुलआलम भी उसके पास आकर अनेक क्षण एकान्तमें बातें करने लगा। इसी समय अचानक गुसाईंके कौतूहल और प्रश्न करनेकी प्रवृत्ति हुई देख बहुतोंको सन्देह हो गया। भारतवर्षके वड़े बड़े लोगोंसे उनका परिचय वा घनिष्ठता थी कि नहीं; गुप्त समितिको किस किसने आर्थिक सहायता दी थी, अब कौन समितिका कार्य चलावेगा, शाखा-समिति कहां है?—इत्यादि छोटे बड़े कितने ही प्रश्न वह वारीन्द्र और उपेन्द्रसे करता। गुसांई-की इस ज्ञान-तृष्णाकी कथा शीघ्र ही सबके कर्णगोचर हो गयी और शमसुलआलमसे घनिष्ठताकी बात भी अब गोपनीय प्रेमालाप, नहीं--open Secret हो उठी। इसको लेकर कई वार आलोचना होती रहती और कोई कोई तो यह भी लक्ष्य करता कि पुलिस दर्शनके बाद ही सदा ऐसे नये नये प्रश्न गुसांईके मनमें उठते हैं। यह कहना व्यर्थ है कि वह इन सब प्रश्नोंके सन्तोषजनक उत्तर नहीं पाता। प्रथम जब यह बात असामियोंके बीच चली, तब गुसाईंने स्वयं स्वीकार किया था कि पुलिस उसके पास आन कर "राजाका साक्षी" बननेके लिये भांति भांतिके उपाय सम-झानेकी चेष्टा कर रही है। उसने मुझे कोर्टमें एक दिन यही बात कही थी। मैंने उससे जिज्ञासा की थी—"आपने क्या

उत्तर दिया है ?"—उसने कहा—"मैं क्या सुनूंगा ! और सुन-
कर भी मैं क्या जानूं कि उसके मनके अनुकूल साक्षी दूंगा ?"

इसके कुछ दिनों बाद फिर जब यही बात उठी तब मैंने देखा कि बात बहुत कुछ आगे बढ़ गई है। जेलमें Identification prade—के समय मेरे पार्श्व में गुसाईं खड़ा था, उस समय वह मुझसे बोला—"केवल पुलिस मेरे पास आयी।" मैंने उपहास कर कहा—आप यह बात क्यों नहीं कहते कि सर एण्ड्रू फ्रेजर गुप्त समितिके प्रधान पृष्ठपोषक थे, यह होनेपर उसका परिश्रम सार्थक होगा।" गुसाईंने कहा—"इसी तरहकी बात कही है। मैंने कहा है कि सुरेन्द्रनाथ बनर्जी हमारे Head थे। उनको एक बार बम दिखलाया था।" मैंने स्तम्भित होकर उससे जिज्ञासा की—"इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन था ?" गुसाईं बोला मैं ·····का श्राद्ध करके छोड़ूंगा। इसी तरहकी और भी कई खबरें दी हैं। बेटेCorroboration ढूंढ ढूंढकर मारो। कौन जाने, इस उपायसे मुकद्दमेमें फंस भी जा सकते हैं।"—इसके उत्तरमें मैंने केवल इतना हो कहा—"यह नष्टता छोड़ दो। उनके साथ चालाकी करनेमें खुद ही ठगे जाओगे।" नहीं जानता गुसाईंकी यह बात कहांतक सच्च थी। और सब असामियोंका यह मत था कि हमारी आंखोंमें धूल झोंकनेके लिये हो उसने यह बात कही थी। मैं समझता हूं उस समय भी गुसाईं Approver

बननेका पूरा निश्चय नहीं कर चुका था, उसका मन उस तरफ बहुत कुछ अग्रसर हो गया था अवश्य, किन्तु पुलिसको झांसा देकर उसका मुकद्दमा मट्टी कर देनेकी आशा भी उसको थी। चालाकी और असदुपायसे कार्य सिद्धि, दुष्प्रवृत्तिकी स्वाभाविक प्रेरणा है। उस समय मैं समझ गया कि गुसाईं पुलिसके वश हो कर सच झूठ—उसका जैसा प्रयोजन है—कह कर अपनी रक्षाकी चेष्टा करेगा। एक नीच स्वभावका और भी निम्नतर दुष्कर्मकी ओर अधःपतन हमारी आंखोंकके सामने नाटककी भांति अभिनीत होने लगा। मैंने देखा कि दिनोंदिन गुसाईं-का मन किसी प्रकार बदलता जा रहा है, उसके मुख, भावभङ्गी कथा-वार्तामें भी परिवर्तन हो रहा है। वह जो विश्वासघातकता करके अपने सङ्गियोंका सर्वनाश करनेका आयोजन कर रहा था, उसके समर्थनके लिये क्रम क्रमसे नाना अर्थ-नीतिक और राजनीतिक युक्तियां प्रकट करने लगा। ऐसी "Interesting psychological Study" प्रायः नहीं पायी जाती। प्रथम किसीने भी गुसाईंको नहीं जानने दिया कि उसकी अभिसन्धिको सभी समझ गये हैं। वह भी ऐसा निर्वोध था कि अनेक दिन कुछ भी नहीं समझ सका। वह समझता था कि मैं खूब छिपकर पुलिसकी सहायता करता हूं। किन्तु कई एक दिनों बाद जब यह हुक्म हुआ कि हमें निर्ज्जन कारावासमें न रह कर एक साथ रखा जायगा, तब इस नयी व्यवस्थासे परस्परमें रात

दिनकी देखादेखी और बातोंसे, अधिक दिनों कुछ भी छिपा रखने को सम्भावना नहीं थी। इसी समय दो एक लड़कोंसे गुसाईंका झगड़ा हो गया। उनकी बातों और अप्रीतिकर व्यवहारसे गुसाईं समझ गया कि उसकी अभिसन्धि किसीसे अज्ञात नहीं है। जब गुसाईंने गवाही दी, तब कई एक अंग्रेजी पत्रोंमें यह खबर निकली कि असामियां इस अप्रत्याशित घटनासे चमत्कृत और उत्तेजित हो गयीं। कहना न होगा कि यह निरी रिपोर्टरोंकी कल्पना थी। कई दिनों पहले ही सबने समझ लिया था कि इस प्रकारकी साक्षी दी जायगी। यहांतक कि किस दिन क्या साक्षी दी जायगी यह भी ज्ञात हो गया था।

इस समय एक असामीने गोसाईंके पास जाकर कहा कि—"भाई! अब मुझसे भी यह सब कष्ट सहा नहीं जाता है मैं भी सरकारी गवाह बनूंगा। तुम शमशुलआलमसे कह दो कि वे मेरी भी खलासीका प्रबन्ध करें।"

गोसाईंने यह बात मान ली और कई एक दिन पीछे उनसे कहने लगे कि "गवर्नमेण्टके पाससे इस विषयकी चिट्ठी आई है कि तुम्हारे निवेदनपत्र पर अनुकूल निर्णय (Favonrable consideration) होनेकी सम्भावना है।" यह कह गोसाईंने उन्हें उपेन्द्र प्रभृतिसे गुप्त समितिकी शाखा समितियां कहां २ हैं? उनके नेता कौन २ हैं?—इत्यादि इस प्रकारकी कई एक

आवश्यकीय बातें निकाल लेनेके लिये कहा । नकली Approver (सरकारी गवाह बननेकी इच्छा प्रकट करनेवाला) आमोद-प्रिय और रसिक व्यक्ति था । उसने उपेन्द्रनाथसे सलाह करके गोसाईंको कई एक कल्पित नाम बता दिये और कहा कि मद्रास में विश्वम्भर पिल्ले, सतारामें पुरुषोत्तम नाटेकर, बम्बईमें प्रोफेसर भट्ट तथा बड़ोदामें कृष्णजी रावभाव गुप्तसमितिकी शाखा समितियोंके नेता हैं । गोसाईंने प्रसन्न हो यह विश्वासयोग्य समाचार पुलिसको बता दिया । पुलिसने भी मद्रासका कोना २ छान मारा, अनेक छोटे बड़े पिल्ले मिले, परन्तु विश्वम्भर अथवा अर्द्ध विश्वम्भर पिल्ले एक भी न मिले । सताराके पुरुषोत्तम नाटेकरने भी अपने अस्तित्वको घने अन्धकारमें छिपाये रक्खा । बम्बईमें एक प्रोफेसर भट्ट मिले, वे भी निरीह राजभक्त तथा भद्र-पुरुष थे । उनके अधीन किसी प्रकारको गुप्तसमितिके होनेकी सम्भावना न थी । किन्तु गोसाईंने गवाही देते समय उपेन्द्र-नाथसे सुनी हुई बात पर विश्वास कर अपने कल्पना-राज्यमें निवास करनेवाले विश्वम्भर पिल्ले इत्यादि षड्यन्त्रके महारथियों को नार्टन साहबके श्रीचरणोंपर बलि दे, उनकी अद्भुत prosecution Theory को पुष्ट किया । बीर कृष्णजीराव भावको ले पुलिसने एक और तमाशा किया । उन्होंने मानिकतल्लाके बगीचेमेंसे किसी 'घोष' महाशयके भेजे हुए बड़ोदाके कृष्णजीराव देशपाण्डेके नामके एक तारकी नकल निकाल बाहर की । यद्यपि

बड़ोदा निवासी इस बातका कुछ पता न लगा सके कि उस नामका कोई मनुष्य बड़ौदामें था भी वा नहीं, तो भी यदि सत्यवादी गोसाईंने बड़ोदावासी कृष्णजी राव भावका नाम लिया है तो निश्चय कृष्णजी राव भाव और कृष्णजी राव देश पाण्डे दोनों एक ही हैं। और यदि कोई कृष्णजी राव देशपाण्डे भी न हों तो मेरे श्रद्धास्पदबन्धु केशवराव देशपाण्डेका नाम चिट्ठी पत्रियोंमें अवश्य मिला था। अतएक कृष्णजी राव भाव, कृष्णजी राव देशपाण्डे तथा केशवराव देशपाण्डे सब एक ही मनुष्य हैं। इससे साबित हुआ कि केशवराव देशपाण्डे गुप्त षड्यन्त्रके एक प्रधान पण्डा थे। इस प्रकारके समस्त असाधारण अनुमानोंपर ही नार्टन साहबकी विख्यात Theory प्रतिष्ठित थी।

यदि गोसाईंकी बातोंपर विश्वास किया जावे तो यह भी मान लेना पड़ेगा कि उन्हींके कहनेसे हम लोगोंके निर्ज्जन-कारावासका अन्त होकर हम सब एक स्थानपर रक्खे गये। उन्होंने हमसे कहा था कि "पुलिसने मुझे सबके साथ रख षड्यन्त्रकी गुप्त बातोंका पता लगानेके उद्देश्यसे यह व्यवस्था की है।" गोसाईं यह न जानते थे कि हम सब पहले ही उनके इस नये व्यवसायकी बातोंको जान गये थे। इस उद्देश्यसे वे इस प्रकारके अनेक प्रश्न किया करते थे कि—कौन कौन षड्यन्त्रमें लिप्त हैं? कहां कहां शाखा समितियां हैं? कौन रुपये देते

हैं अथवा उनकी सहायता करते हैं, इस समय गुप्त-समितियोंके कार्यको कौन चलावेगा ? इत्यादि। इस बातका दृष्टान्त मैं ऊपर दे चुका हूं कि इन सब प्रश्नोंके उन्हें किस प्रकारके उत्तर मिलते थे, किन्तु गुसाईंकी अधिकतर बातें झूठी ही थीं। डाक्टर डेलीने हम लोगोंसे कहा था कि "मैंने स्वयम् एमर्सन साहबसे कह कर यह परिवर्त्तन कराया है।" सम्भवतः डेलीका कहना ही सच था। प्रायः पुलिसने इसके पीछे नयी व्यवस्थाको देख उस व्यवस्थासे इस प्रकारका लाभ उठानेकी चेष्टा की होगी। जो हो, इस परिवर्त्तनसे मेरे सिवा और सब बड़े ही आनन्दित थे। मैं उस समय मनुष्योंसे मिलना न चाहता था। मेरा साधन उस समय जोरोंमें था। समता, निष्कामता तथा शान्तिका थोड़ा बहुत स्वाद मुझे मिल चुका था, किन्तु मेरा वह भाव उस समय तक दृढ़ न हुआ था। लोगोंके साथ मिलने जुलनेसे तथा दूसरोंकी चिन्ताके स्रोतकी टक्करसे मेरी इस अपक्व नवीन चिन्ताका अर्थात् इस नये भावका ह्रास होना और इसका बह जाना सम्भव था। वास्तवमें ऐसा ही हुआ। उस समय मैं न जानता था कि मेरे साधनकी पूर्णताके लिये बिपरीत भावके उद्रेक की आवश्यकता थी, इसी कारण अन्तर्यामी परमात्माने मुझे मेरी प्रिय निर्जनतासे वञ्चित कर अचानक उद्यम अर्थात रजोगुणके स्रोतमें बहा दिया—और सब आनन्दमें अधीर हो गये। उस रातको

जिस कमरेमें हेमचन्द्रदास, सचीन्द्रसेन इत्यादि गानेवाले थे, वह कमरा और कमरोंसे बड़ा था, अधिकतर आसामी उसी जगह एकत्रित थे, दो तीन बजे रात तक कोई भी सो न सका। सारी रात हँसीकी लहर, गानेका अविराम स्रोत तथा इतने दिनोंकी रुकी हुई गप्पें, बरसातकी नदियोंके चढ़ावके समान बहनेके कारण वह सुनसान करागृह कोलाहलसे गूंजने लगा। मैं सो गया, किन्तु जितनी वार मेरी नींद खुली उतनी बार ही मैंने वही गाना, वही हँसी तथा वही गप्पोंका एक समान बेग पाया। पिछले पहर वह स्रोत धीमा पढ़ गया, गानेवाले सो गये और हम लोगोंका वार्ड भी नीरव हो गया।



चित्र-सूची।

—:*:—

राजनीतिक-षड्यन्त्र

अथवा

आलिपुर बम-केस-का रहस्य।

(लेखक—श्रीउपेन्द्रनाथ वन्द्योपाध्याय सम्पादक "युगान्तर"।)

सचित्रका मूल्य १) रु० मात्र।

हिन्दी साहित्यमें एकदम नवीन प्रयास !

लार्ड कर्ज़नके बङ्ग-भङ्ग करनेपर सहस्र सहस्र बङ्गाली, किस तरहसे आत्मत्याग करनेको तैयार होगये थे और स्वदेशी आन्दोलनको जन्म दिया गया था। 'सन्ध्या' और 'युगान्तर' ने कैसे २ काम किये और श्रीब्रह्मबान्धव महोदयने कैसे प्राण दिये, श्रीअरविन्द बाबूने बड़ौदाकी नौकरी छोड़कर किस तरह कार्यारम्भ किया तथा बारीन्द्र बाबूने अपने साथियोंको लेकर मानिकतल्ला बागमें कैसे षड्यन्त्रकारियोंका दल संगठित करके बम, बारूद और अस्त्रशस्त्र संगृहीत किये, मुजफ्फरपुरका हत्याकाण्ड कैसे हुआ, नरेन्द्र गुसांई कैसे मारा गया और कन्हाईलाल दत्तको कैसे फांसी लगी, बारीन्द्रकुमार घोष का दल कैसे पकड़ा जाकर उसपर सङ्गीन मामला चला और जन्म भरके लिये कालेपानीकी सजाएं हुई। १२ वर्ष इस दलने कालेपानीमें कैसे काटे और पीछे राजकीय घोषणाके अनुसार छोड़े गये। उस समयकी विचित्र घटनाओंसे पूर्ण इस पुस्तकको पढ़कर आप अवाक् रह जायंगे। हिन्दीमें आपने अभीतक ऐसी रहस्य पूर्ण राजनीतिक पुस्तक न पढ़ी होगी।

श्रीअरविन्द-चरित

हिन्दीमें एकदम नवीन अध्याय !

चार सुन्दर चित्रोंसे विभूषित।

मूल्य १) रुपया।

तपोनिष्ठ श्रीअरविन्द घोषका जन्मसे लेकर अब तकका जीवनचरित अनेक घटनाओंसे पूर्ण है। अरविन्द बाबू बरसों विलायतमें रहकर और उच्चशिक्षा प्राप्त करके तथा बड़ौदाके एक उच्च पदको छोड़कर कैसे देशके काममें लगे, कैसे देश सेवाके लिये दरिद्र-व्रत धारण करके देश सेवामें अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, कैसे उन्होंने राष्ट्रीयदलमें अपनेको प्रधान कार्यकर्त्ता बनाया, कैसे भारतका युवक-दल उनका अनुयायी हुआ, उनपर किस तरहसे राजद्रोहका मामला चला तथा एक वर्षका कारावास भोगते समय भक्तवत्सल भगवान्‌ने जेलमें दर्शन देकर अमर-मार्गका रास्ता दिखाया, यह सब कुछ बड़ी ही ओजपूर्ण भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अरविन्द बाबूने जो विचित्र पत्र अपनी स्त्रीको लिखे थे, वे—और उनकी लम्बी कारा-कथा तथा उनके कालेपानीसे लौटकर आकर ये कनिष्ठ सहोदर बारीन्द्र कुमार घोषको लिखे पत्र, इसमें जोड़कर इसे पूर्ण किया गया है। किसी भाषामें अरविन्द बाबूका ऐसा चरित अबतक प्रकाशित नहीं हुआ।

पता—राजस्थान एजेन्सी,

८।१, रामकुमार रक्षित लेन, चोनोपट्टी,

कलकत्ता।